

मुकम्मल व मुदल्लल

# मसाइले रौज़ा

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तयाने किराम दारूलउलूम देवबंद की  
तस्दीक़ व ताईद करदा

मुअल्लिफ़

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अत क़ासमी

(मुदरिस दारूलउलूम देवबंद)

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

मुकम्मल व मुदल्लल

# मसाइले रोज़ा

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तयाने किराम-दारुलउलूम देवबंद की तस्दीक के साथ

मुआल्लिफ़

मौलाना कारी मुहम्मद रफ़अत कासमी  
(मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद)

लिप्यान्तः

मो० मोकर्रम ज़हीर

नाशिर

अन्जुम बुक डिपो

मटिया महल, जामा मस्जिद (दिल्ली)

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

किताब का नाम:.... मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले रोज़ा  
मुसनिफ:..... मौलाना कारी मुहम्मद रफ़ात कासमी  
लिप्यान्तर:..... मो० मोकर्रम ज़हीर  
ज़ेरे निगरानी:..... शकील अन्जुम देहलवी  
तादाद:..... 1100

## Masaile Roza

By: Maulana Qari Md. Rafat Qasmi

Published by

**Anjum Book Depot**

Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 6

## अबवाबे किताब

(1) मसाइले रमज़ान (2) रूयते हिलाल (3) मसाइले नीयत (4) सहरी के मसाइल (5) जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता (6) जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, सिर्फ़ कज़ा रखना पड़ती है (7) जिन से कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं (8) कफ़ारा के मसाइल (9) औरतों के मसाइल (10) बच्चों के मसाइल (11) मरीज़ के मसाइल (12) मुसाफ़िर के मसाइल (13) मुतफ़र्रिक मसाइल (14) नज़्र के रोज़ों के मसाइल (15) नफ़ल रोज़ों के मसाइल (16) वह उज़्र जिनकी वजह से रोज़ा न रखने की इजाज़त होती है (17) वह उज़्र जिनकी वजह से रोज़ा तोड़ देना जाइज़ होता है (18) मकरूहाते रोज़ा (19) वह चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता और मकरूहात रोज़ा (20) मुस्तहब्बाते रोज़ा (21) फ़िदया के मसाइल (22) इफ़तार के मसाइल (23) सदकए फ़ित्र के मसाइल।



## फ़ेहरिस्ते उन्वानात मसाइले रोज़ा

उन्वान	सफ़हात
इतिसाब .....	22
तस्दीक व ताईद मुफ़्तियाने किराम हज़रत मौलाना मुफ़्ती	
निज़ामुद्दीन साहब सदर मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद .....	23
मौलाना मुफ़्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद .....	25
मौलाना मुफ़्ती हबीबुर्हमान साहब मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद .....	27
सबबे तालीफ़ .....	29
<b>ब्याब (1)</b>	
फ़ज़ाइले रमज़ान .....	30
लफ़्जे सियाम की तहक़ीक़ .....	30
रोज़े की तारीख़ .....	31
रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ .....	32
रोज़े का फ़लसफ़ा .....	33
रोज़े के जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद .....	35
फ़ज़ीलते रोज़ा .....	37
<b>ब्याब (2)</b>	
रूयते हिलाल के मसाइल	
इस्लाम के उसूल .....	40
रूयत के दो जुज़ .....	41
चाँद देखने की कोशिश फ़र्ज़ किफ़ायत .....	42
रूयते हिलाल के लिए दूरबीन का इस्तेमाल .....	42

रुयते हिलाल के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल .....	42
चाँद के बारे में नुजूमी की राय ग़ैर मोतबर .....	43
एक आम ग़लतफ़हमी .....	44
चाँद के होने ज़ होने में पंडित की बात का ऐतेबार नहीं .....	44
शहादत क्या है? .....	44
रुयते हिलाल में रेडियो का शरई हुकम .....	46
रेडियो की ख़बर के मुतअल्लिक हिन्दुस्तान के मुस्तनद	
उलमा का फ़ैसला .....	48
रुयते हिलाल में टेलीफ़ोन का शरई हुकम .....	48
टेलीफ़ोन के बारे में मौलाना थानवी का फ़तवा .....	49
मुतअहद जगहों से टेलीफ़ोन आने का हुकम .....	49
रुयते हिलाल में ख़त का शरई हुकम .....	50
तार की शरई हैसियत .....	51
जनतिरी का शरई हुकम .....	51
जिन मक़ामात में मुसलसल चाँद तुलूअ या गुरुब रहता हो	
वहाँ पर रमज़ान कैसे मनाएँ? .....	51
जहाँ उफ़ुक हमेशा साफ़ न रहता हो वहाँ सुबूते रमज़ान	
का शरई तरीका .....	52
शहादत के मआमले में जो दीन का पाबंद नहीं उसका हुकम .....	54
हिलाले ईद के लिए शरई ज़ाबतए शहादत .....	54
चांद होने की शोहरत और गवाह नदारद .....	55
देखने वाले की गवाही कबूल न की गई तो क्या करें? .....	55
तन्हा चांद देखने वाला ईद न मनाए .....	56
इक्तीसवें दिन इफ़तार कर लिया जाए .....	56
अगर दिन में चांद नज़र आ जाए .....	56
बग़ैर चांद देखे रोज़े शुरू किए फिर अट्टाईस रोज़े के बाद	
चांद नज़र आ गया .....	50
उन्नीस रमज़ान को रुयत की गवाही .....	57

रुयत की ख़बर दिन के बारह बजे मिलना.....	57
गुरुबे आफ़ताब से पहले जो चांद नज़र आए वह मोतबर नहीं....	58
शहादत के बाद इफ़्तार न करना .....	58
एक शहर वालों ने रुयते हिलाल की बिना पर उनतीस रोज़े रखे और दूसरे शहर वालों ने चांद ही की बिना पर तीस रोज़े रखे ...	59
मतालेअ के बारे में मजलिसे तहक्कीक़ते शरई का फैसला .....	60
चांद की तारीख़ों की हिकमतेँ और फ़यदे .....	62
एक ग़लत फहमी का इज़ाला .....	63

### ब्याब (3)

#### मसाइले नीयत

रमज़ान में हर रोज़ नीयत करना ज़रूरी .....	64
रात से नीयत करना शर्त नहीं ... ..	64
नीयत का आख़िरी वक़्त .....	65
निस्फुन्नहार की तायीन का तरीका .....	65
दिल के ख़्याल का नाम नीयत .....	66
रमज़ान के रोज़े का मुतलक़ नीयत से अदा हो जाना .....	66
कज़ाए रमज़ान की नीयत का हुक़म .....	66
नज़र के रोज़े को रमज़ान में रखना .....	66
क्या नफ़ल की नीयत से उनतीस शाबान का रोज़ा चांद होने की सूरत में रमज़ान से बदल जाएगा .....	67
उनतीस शाबान को चांद न दिखाई दे तो अगले रोज़ दोपहर तक कुछ न खाओ .....	67
यौमे शक के रोज़े का हुक़म .....	68
तीस शाबान को शहादत न आई और रोज़ा रख लिया तो जैसी नीयत थी वैसा ही रोज़ा हो जाएगा? .....	68
क्या एक मरतबा नीयत कर लेना काफ़ी है? .....	69
जो रोज़े मुसलसल वाजिब नहीं उनकी नीयत का तरीका .....	69
नीयत का कायदा .....	69

सहरी का खाना नीयत में शुमार होगा या नहीं?.....	70
नीयत का ज़बान से जाहिर करना ज़रूरी नहीं .....	70
मरीज़ और मुसाफ़िर की नीयत का हुक्म .....	70
अय्यामे तशरीक में रोज़े की नीयत दुरुस्त नहीं.....	71
बग़ैर नीयत के भूका रहने से रोज़ा नहीं होगा.....	71
नीयत करने के बाद भी सुबह सादिक तक खा सकते हैं .....	71
दिल में नीयत कर के सोने का हुक्म .....	72
किन किन रोज़ों में रात से नीयत करना ज़रूरी है? .....	72
ज़बान से नीयत का इज़हार बेहतर है .....	72
नीयत कर के रोज़ा तोड़ना.....	73
जिस शख्स ने रोज़े की नीयत न की तो उसके खाने का क्या हुक्म है? .....	73

#### ब्याब (4)

सहरी के मसाइल व फ़ज़ाइल.....	75
सहरी का मसनून वक़्त .....	77
हुज़ूर (स.) के ज़माने में सहरी और फ़ज़र के दरमियान वक़्फ़ा की मिक्दार .....	77
सहरी व इफ़तार के लिए ढोल बजाना .....	77
सहरी व इफ़तार के लिए घन्टा, नक्क़ारा या तोप वग़ैरा का इस्तेमाल ..	78
सहरी की सुन्नत अदा करने के लिए पान खाना .....	79
सहरी बिल्कुल सुबह के वक़्त न खायें .....	79
सहरी जल्दी खाई और पान आख़िर में खाया.....	79
अज़ान देर में होने पर उस वक़्त तक सहरी खाते रहना .....	79
अज़ान के वक़्त मुंह का लुक़्मा निगल गया .....	80
ग़लती से सहरी सुबह सादिक के बाद खाना.....	80
बग़ैर सहरी का रोज़ा .....	81
वक़्त ख़त्म होने पर सहरी खाना .....	81
सहरी के बाद बीवी से हमबिस्तरी .....	81



सहरी के बाद कुल्ली करना .....	82
रमज़ान में फज़र की जमाअत जल्दी करना .....	82
<b>ब्याब (5)</b>	
जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता .....	84
भूल से खाना और सोहबत करना .....	84
तंदुरुस्त और जईफ़ की भूल में फ़र्क .....	84
रोज़े में सुरमे, तेल और खुशबू का इस्तेमाल .....	85
नापाकी की हालत में रोज़ा रखना .....	85
रोज़े की हालत में हलक के अन्दर भक्खी मच्छर और गुबार वगैरा का चला जाना .....	85
रोज़े की हालत में आंसू का मुंह में जाना .....	86
रोज़े की हालत में फूल सूंघना .....	86
रोज़े की हालत में नक्सीर फूट जाना .....	86
रोज़े में कान के अन्दर तेल या पानी जाना .....	87
नाक में पानी चला जाना .....	87
आंख में दवा डालना .....	87
कुल्ली करने के बाद मुंह में पानी के असरात रह जाना .....	88
नाक को हलक की जानिव चढ़ाना .....	88
रोज़े में थूक या राल निगल जाना .....	88
बातें करते वक़्त हॉट थूक में तर हो जाना .....	89
दांतों में ख़िलाल करने से मुंह में रेशा चला जाना .....	89
रमज़ान में सोने वाले का उठ कर दांत में खून देखना .....	90
खून में मिला हुआ थूक निगल जाना .....	90
पान की सुर्खी निगलना .....	90
सहरी के वक़्त पान मुंह में लेकर सौ जाना .....	91
मुंह में रेत चला जाना .....	92
मसनूई दांत का हुक्म .....	92
पाएरिया की पीप मुंह में चली जाना .....	92

डिकार के बाद मुंह में पानी आ जाना .....	93
खून रोकने के लिए मंजन का इस्तेमाल .....	93
मिस्वाक और कोयले से दांत साफ़ करना .....	94
मिस्वाक का रेशा पेट में चला जाना .....	94
तम्बाकू का पत्ता जला कर दांत साफ़ करना .....	94
दूध पेस्ट या दूध पावडर का इस्तेमाल .....	95
रोज़े में कैय करना .....	95
कसदन कै में से कुछ मुंह में चली जाना .....	95
अपने आप कैय हो जाना .....	96
कैय होने के बाद कसदन खाना .....	96
रोज़े की हालत में सर में तेल ज़ब्ब करना और मुशतरक हिस्से में खुश्क चीज़ दाखिल करना .....	96
रोज़े की हालत में बीवी से बोस व किनार करना .....	97
रोज़े में मियां बीवी दोनों की शर्मगाहों का मिल जाना .....	97
रोज़े में मजी का निकलना .....	98
रोज़े में महज़ देखने से इंज़ाल हो जाना .....	98
सुब्ह सादिक होते ही बीवी से अलग हो गया .....	99
रमज़ान में जनाबत का गुस्ल सुब्ह को करना .....	99
रोज़े में रुमाल भिगो कर सर पर डालना .....	99
रोज़े में तर कपड़ा पहनना या बार बार नहाना .....	100
गर्मी की वजह से रोज़ा में कुल्ली करना .....	100
रोज़े में खून निकलवाना .....	100

### ब्याब्र (6)

जिन चीज़ों से रोज़ा फ़ासिद हो जाता है और सिर्फ़ कज़ा रखना पड़ती है कज़ा किस को कहते हैं? .....	101
कज़ा रोज़ा रखने का तरीका .....	102
कज़ा रखने का मुनासिब तरीका .....	103
चंद साल के कज़ा रोज़ों में साल का मुकर्रर करना ज़रूरी .....	103

कज़ा रखने नहीं पाये थे कि दूसरा रमज़ान आ गया .....	103
रमज़ान में बेहोश हो जाना .....	104
पूरे रमज़ान बेहोश रहना .....	104
जुनून की हालत में रोज़ा .....	105
रोज़ा में धुवें का सूंघना .....	105
धुवें के बारे में मौलाना थानवी (रह.) का फ़तवा .....	106
रोज़े में दवा सूंघना .....	106
रोज़े में बेइख़्तियार मुंह में पानी चला जाना .....	107
जमाही लेते वक़्त मुंह में पानी या बर्फ़ चला जाना .....	107
अमदन खांसने से कोई चीज़ हलक के ऊपरी हिस्से तक आ जाना ..	108
रोज़े में खून का हलक के अन्दर जाना .....	108
रोज़े में मिट्टी खाना .....	108
रोज़े में कंकर या लोहे का टुकड़ा खाना .....	108
रोज़े में रंगीन धागा मुंह में लेकर बटना .....	109
रोज़े में दांत या डाढ़ निकलवाना या दवा लगाना .....	109
क्या दांत का खून मुफ़्तिदे सौम है? .....	109
दांत में फंसी हुई चीज़ का हुक्म .....	110
नाक कान और आँख के मसाइल .....	110
रोज़े में कान के अन्दर तेल डालना .....	112
कान में तेल डालने से रोज़ा टूटने की वजह .....	112
रोज़ा में कान सलाई वगैरा से खुजाना .....	112
रोज़ा में सुब्ह के वक़्त रात समझ कर जिमाज़ करना .....	113
रोज़े में मुर्दा औरत से जिमाज़ करना .....	114
रोज़े में प्यार करने की वजह से इज़ाल हो जाना .....	114
रोज़ा में बीवी से बग़लगीर होने पर इज़ाल हो जाना .....	114
बीवी के पास सिर्फ़ बैठने से इज़ाल हो जाना .....	115
मुबाशरते फ़ाहिशा का हुक्म .....	115
क्या हाथ से मनी निकालना मुफ़्तिदे सौम है? .....	116

घाख़ाने के रास्ते काँच निकलना .....	116
इस्तिज़ा करने में मुबालगा करना .....	116
रोज़ा में हुक्का पीना .....	117
बग़ैर सहरी के रोज़े को प्यास की वजह से तोड़ देना.....	117
भूक व प्यास की वजह से रोज़ा तोड़ देना .....	118
मुलाज़िम का क्रम की शिद्दत से रोज़ा तोड़ देना.....	119
आतिशज़दगी की वजह से रोज़ा तोड़ देना .....	119
गुरूबे आफ़ताब समझ कर इफ़्तार कर लिया बाद में सूरज नज़र आ गया.....	119
सुब्ह सादिक के वक़्त दूध पी लेना .....	120
नफ़्ल रोज़े का नीयत के बाद वाजिब हो जाना .....	120
भूले से खाने की दो सूरतें .....	120
कैय और एहतेलाम होने के बाद अमदन खाना.....	121
क़ज़ा के चंद मसाइल .....	121
रोज़ा टूटने के बाद का हुक्म .....	122

### ब़ाब (7)

जिन चीज़ों से क़ज़ा व कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं .....	123
सिर्फ़ दो बातों से क़ज़ा और कफ़ारा वाजिब होता है .....	124
कफ़ारे के लिए रोज़े की तमाम शराइत का पाया जाना ज़रूरी है ....	125
नीयत पर ही कफ़ारा है .....	126
सोहबत करने से कफ़ारा वाजिब होना .....	126
रोज़े में इग़लाम बाज़ी .....	126
एक ग़लत मस्अला की इसलाह .....	127
जिमाअ में आकिल होना शर्त नहीं .....	127
दिन में सोहबत करना कैसा है और रात में कब तक इजाज़त है ..	128
तीसवें रमज़ान को चांद देख कर इफ़्तार कर लेना .....	128
छुप कर मुसलमान होने वाले का रोज़ा तोड़ देना.....	129
महबूब का थूक निगलने पर कफ़ारा .....	129

बुजुर्ग का धूक तबर्सकन चाटने पर हुक्मे शरई .....	130
कच्चे चावल या कच्चा गोश्त खा लेना .....	130
रोज़ा में कसदन हुक्का पीना .....	130
<b>ब्याब (8)</b>	
कफ़ारे के मसाइल	
कफ़ारा किस को कहते हैं? .....	130
कफ़ारे की कुल कीमत एक फ़कीर को दे देना .....	133
कसदन रोज़ा तोड़ने से कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम .....	135
कफ़ारा के साठ रोज़े .....	135
कफ़ारे में तसलसुल ज़रूरी .....	136
खाना खिलाने में तसलसुल की ज़रूरत नहीं .....	137
हैज़ की वजह से कफ़ारे में तसलसुल ज़रूरी नहीं .....	137
निफ़ास की वजह से कफ़ारा सही न होगा .....	138
बीमारी या रमज़ान का कफ़ारे के दरमियान आ जाना .....	138
रोज़े की ताक़त न हो .....	138
कफ़ारे में ज़ामिन बनाना .....	139
कफ़ारे सौम में तदाख़ुल की तफ़सील .....	139
कफ़ारे में ताख़ीर .....	141
कफ़ारे में दो माह का खाना मुक़रर कर देना .....	141
छोटे बच्चों को खिलाने से कफ़ारा अदा नहीं होगा .....	142
कफ़ारे में हर मिसकीन को दो वक़्त खाना खिलाना .....	142
कफ़ारे में अनाज या कीमत देना .....	143
एक मिसकीन को खिलाना .....	143
कफ़ारे की रक़म से मदरसा का टाट ख़रीदना या मस्जिद की तामीर करना .....	143
कफ़ारे के रोज़े के बजाए नक़द रक़म देना .....	144
कफ़ारे में मोहतमिमे मदरसा की वक़ालत .....	145
रोज़े के कफ़ारे की तौबा से मआफी .....	146

## ब्याब (9)

औरतों के मसाइल

हैज़ की तारीफ़ और उसके मसाइल .....	147
हाएज़ा का हुक्म .....	151
निफ़ास वाली औरत .....	151
इस्तेहाज़ा का हुक्म .....	152
रोज़ा रखने के बाद दिन में हैज़ आ जाना .....	152
कफ़फ़ारे के रोज़े के दरमियान हैज़ आ जाना .....	152
दिन में पाक हो जाने का हुक्म .....	152
रात में पाक हो जाने का हुक्म .....	153
पाक होते ही कज़ा रखना वाजिब .....	154
औरत को एहतेलाम हो जाना .....	154
गुस्ले जनाबत न करने पर रोज़े का हुक्म .....	155
रोज़े में मर्द के साथ लेटना .....	155
औरत के हॉट चूसना .....	155
हमबिस्तरी .....	156
ज़बरदस्ती सोहबत करना .....	156
नाबालिग़ या मजनून से सोहबत कराना .....	156
औरतों का आपस में लुत्फ़ अंदोज़ होना .....	157
रिहम में रबड़ का छल्ला दाख़िल करना .....	157
रोज़े की हालत में शर्मगाह के अन्दर दवा रखना .....	157
रोज़े की हालत में शर्मगाह में टियूब लगाना .....	158
क्या हमल दिखलाने से रोज़ा टूट जाएगा? .....	158
शर्मगाह में उंगली दाख़िल करना .....	159
उंगली दाख़िल करने से रोज़ा पर असर .....	160
उंगली डालने को मुफ़सिदे सौम समझ कर जिमाज़ करना .....	160
हामिला का हुक्म .....	161
दर्द ज़ेह में रोज़ा तोड़ देना .....	161

ज़च्चा और कमज़ोर औरत का हुक्म .....	162
दूध पिलाने वाली की रिआयत .....	162
दूध पिलाने की नौकरी की फिर रमज़ान आ गया .....	162
क्या दूध पिलाने से औरत का रोज़ा टूट जाएगा .....	163
हाएज़ा का रमज़ान में खाना पीना .....	163
दूध पिलाने की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी कि हमल करार पा गया ...	163
रोज़े में औरत का बच्चा को चबा कर खिलाना .....	164
चबाते वक़्त लुक़्मा निगल जाना .....	164
खाना पकाने की वजह से प्यास से बेताब हो जाना .....	165
रोज़े में होंटों पर सुर्खी लगाना .....	165
औरत का नफ़ल रोज़ा .....	165
औरत की तरफ़ से शौहर का कज़ा रखना .....	166

### ब्याब (10)

#### बच्चों के मसाइल

औलाद अमानत है .....	167
ज़वाल से पहले बालिग़ हो जाना .....	169
बच्चा में रोज़े की ताक़त हो तो .....	169
दस साल के बच्चा का हुक्म .....	169
नाबालिग़ बच्चा का रोज़ा तोड़ देना .....	169
बच्चा के लिए रोज़ा रखना बेहतर है या पढ़ने में मेहनत करना ....	170
रमज़ान में दिन में बालिग़ हो जाना .....	170
आज कल की रस्म .....	171

### ब्याब (11)

#### मरीज़ के मसाइल

मरीज़ का नीयत के बावजूद इफ़्तार कर लेना .....	173
रोज़े रखने के बाद बीमार हो जाना .....	173
मजबूरी में इफ़्तार का हुक्म .....	174
सेहत-याब होने से पहले इंतिक़ाल हो जाना .....	174

रोज़े रखने से नक़सीर फूट जाना.....	175
नज़ला में दवा सूंघना .....	175
हैजे और पेट का मरीज़ .....	176
ज़ोअफ़े दिमाग़ का मरीज़.....	177
दमा का मरीज़ .....	177
रोज़े में पेशाब बंद हो जाना.....	178
रोज़े में अनीमा कराना.....	178
ख़ूनी बवासीर का मरीज़ .....	179
बवासीर के मस्तों पर मरहम लगाना .....	179
बवासीर के मस्से बाहर निकल आना .....	180
बेहोश और पागल का हुक्म.....	181
ज़ियाबीतस (शूगर) का मरीज़ .....	182
टी. बी. (तपेदिक) का मरीज़.....	182
बीमारी के बाद ज़ोअफ़ बाकी रहना.....	183
घोड़े पर बैठने से मनी ख़ारिज हो जाना.....	183
रोज़े में टीका लगवाना .....	183
रोज़े में इंजेक्शन लगवाना, गुलूकोज़ और ख़ून चढ़वाना.....	184
इंजेक्शन के बारे में उलमाए देवबंद का फ़तवा .....	185
कुत्ते के काटे का इंजेक्शन.....	188
इंजेक्शन की हकीकत .....	188
मरीज़ के रोज़े की कज़ा का हुक्म .....	188
सेहत के बाद ग़ुलूब तक खाना पीना .....	189
<b>ब्याब (12)</b>	
मुसाफ़िर के मसाइल	
साफ़र की तारीफ़.....	190
क्या रोज़े में भी क़स्र है? .....	190
हालते तरहुद में रोज़ा.....	191
एक दिन का सफ़र .....	192



पन्द्रह दिन की नीयत का हुक्म .....	192
सुबह सादिक के बाद सफ़र करना .....	192
दोपहर से पहले ही घर पहुंच जाना .....	193
रोज़ेदार मुसाफ़िर का रोज़ा फ़ासिद कर देना .....	193
रोज़े से बच कर सफ़र करना .....	194
मुसाफ़िर का रोज़ा रख कर तोड़ देना .....	194
क्या सफ़र में आंहज़रत (स.) ने रोज़े रख कर तोड़ दिया था? ...	194
सफ़र में लू की वजह से रोज़ा तोड़ देना .....	196
प्यास की शिद्दत या सफ़र की वजह से रोज़ा तोड़ देना .....	196
मुसाफ़िर का फ़िदया देना .....	197
सफ़र में फ़ीत शुदा रोज़ों का हुक्म .....	197
छुटे हुए रोज़े रखने का मौक़ा नहीं मिला .....	198
रोज़ेदार मुसाफ़िर का सफ़र में इंतिक़ाल हो जाना .....	198

### ब्याब (13)

#### मुतफ़र्रिक़ मसाइल

रमज़ान में एलानिया खाना पीना .....	200
गर्मियों में दिन बड़ा होने की वजह से रोज़ा का फ़िदया .....	200
क्या सर्दियों में रोज़ा रखने का सवाब कम मिलता है? .....	201
बेनमाज़ी का रोज़ा .....	201
जाँकनी (नज़अ) की हालत में रोज़ा .....	201
बग़ैर इफ़तार किए इंतिक़ाल हो जाने पर नमाज़े जनाज़ा का हुक्म .....	202
तवील औकात वाले इलाक़ों में रोज़ा .....	202
हवाई सफ़र में दिन बहुत छोटा हो जाने पर रोज़ा का हुक्म .....	204
सफ़र की वजह से रोज़ों का कम या ज़्यादा हो जाना .....	205
रोज़ा रख कर उमरे के लिए गया वहां रोज़े की तारीख़ों में फ़र्क़ ..	206
रोज़े की हालत में लिफ़फ़े का ग़ोद ज़बान से तर कर के विपक़ना ...	206
सरजरी और आज़ा की तबदीली .....	207
सोने की हालत में मसोढ़ों से खून मुंह में चला जाना .....	208

ऐसा तंदुरुस्त जिसमें रोज़ा रखने की ताकत नहीं .....	209
रोज़े रखने से बीमार हो जाना .....	210
क्या रमज़ान में इस्तिहान आ जाने पर रोज़ा छोड़ सकते हैं? .....	210
रोज़े में बाजा, बांसुरी बजाना .....	211
क्या इख़तिलाज की वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं? .....	211
क्या मआशी मेहनत की वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं? .....	211
जान के ख़तरा की हालत में इफ़्तार .....	212
रोज़े में गुस्ल करते वक़्त गरगरा .....	212
क्या रोज़े में इस्तिंजा का पानी खुश्क करना ज़रूरी है? .....	213
क्या ग़ीबत करने से रोज़ा टूट जाता है? .....	213
एक हदीस की तशरीह .....	214
रमज़ानुलमुबारक में दिन में होटल खोलना .....	215
ईदुल फ़ित्र के रोज़े .....	216
शश ईद के रोज़े कब शुरू करे? .....	216
शश ईद में कज़ा रोज़ों का हुक़म .....	217

#### ब़ाब (14)

नज़्र के रोज़ों के मसाइल	
नज़्र की दो किस्में .....	218
नज़्र की शरतें .....	219
कोई नज़्र पूरी न करे तो .....	220
नज़्र की नीयत का तरीका .....	220
वाहियात नज़्र का हुक़म .....	220
पांच रोज़ों की मिननत रखने का तरीका .....	221
नज़्र के बाद नफ़ल रोज़े की नीयत करना .....	221
ईद के दिन रोज़ा रखने की नज़्र मानना .....	222
पूरे साल रोज़ा रखने की नज़्र मानना .....	222
नज़्र में जुमा की कैद लगाना .....	222
नज़्र मान कर बीमार हो गया .....	223

**ब्याब (15)**

नफ़ल रोज़े के मसाइल .....	224
नज़र रोज़े के बारे में आहज़रत (स.) का मामूल .....	225
नफ़ल रोज़े में ख़फीफ़ उज़र .....	226
नफ़ल रोज़ा की नीयत का तरीक़ा .....	226
औरत का नफ़ल रोज़ा .....	227
ईद के दिन नफ़ल रोज़ा रखना .....	227
मुहर्रम और ज़िलहिज्जा के रोज़े .....	227
शबे बराअत के रोज़े .....	228
कुछ और रोज़ों का हुक़म .....	228

**ब्याब (16)**

वह उज़र जिनकी वजह से रोज़ा न रखने की इजाज़त होती है .....	229
रोज़ा न रखने में अपनी राय .....	230

**ब्याब (17)**

वह उज़र जिसकी वजह से रोज़ा तोड़ देना जाइज़ है .....	232
---	-----

**ब्याब (18)****मकरूहाते रोज़ा**

रोज़ा की हिफ़ाज़त कीजिए .....	233
वह चीज़ें जिन से रोज़ा नहीं टूटता मगर मकरूह हो जाता है .....	234

**ब्याब (19)**

वह चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता .....	239
--	-----

**ब्याब (20)**

मुस्तहब्बाते रोज़ा .....	240
--------------------------	-----

**ब्याब (21)****फ़िदया के मसाइल**

शैख़ फ़ानी की तारीफ़ .....	242
फ़िदया का काएँदा कुल्लिया .....	244
क्या फ़िदया रमज़ान से पहले देना जाइज़ है? .....	244

फ़िदया की मिक्दार .....	245
गुज़शता सालों के फ़िदया में किस वक़्त की कीमत का एतेबार किया जाये .....	246
क्या बीमार फ़िदया दे सकता है .....	246
मुतअद्दद रोज़ों का फ़िदया एक शख्स को दना .....	247
फ़िदया के मसारिफ़ क्या हैं? .....	247
फ़िदया की रक़म से किसी मुफ़लिस का कर्ज़ अदा करना .....	248
फ़िदया की रक़म यतीम ख़ाने में देना .....	248
फ़िदया की रक़म से कपड़ा ख़रीद कर तक्सीम करना .....	248

### ब्याब्र (22)

#### इफ़्तार के मसाइल

रिज़्के हलाल की अहमियत .....	250
रोज़ा इफ़्तार कराने का सवाब .....	252
इफ़्तार के लिए घंटा वगैरा का इस्तेमाल .....	254
जल्द इफ़्तार करने का हुक्म .....	254
इफ़्तार में घड़ी और जन्तरी का इस्तेमाल .....	255
मस्जिद में इफ़्तार और सहर करना .....	256
गुस्ब से कब्ल अज़ान पर इफ़्तार .....	256
ज़कात के पैसे से मस्जिद में इफ़्तार कराना .....	257
इफ़्तार का सही वक़्त .....	257
इफ़्तारी क्या होनी चाहिए .....	257
आंहज़रत (स.) की इफ़्तारी .....	258
इफ़्तारी की वजह से जमाअत में ताख़ीर .....	259
मुशतरका इफ़्तारी का सवाब किसको मिलेगा .....	260
गैर मुस्लिम की चीज़ से इफ़्तार करना .....	260
तवाइफ़ की इफ़्तारी से इफ़्तार करना .....	260
गैर मुस्लिम के पानी से रोज़ा खोलना .....	260
नमक की कंकरी से इफ़्तार करना .....	261

दवा से रोज़ा इफ़्तार करना .....	261
हुक्का से इफ़्तार करना .....	261
इफ़्तार के वक़्त कबूलियत का हुक्म .....	262
इफ़्तारी की दुआ .....	262
मुअज़्ज़िन पहले इफ़्तार करे या अज़ान दे? .....	262
इफ़्तार और मग़रिब की नमाज़ का वक़्त .....	262
इफ़्तार की वजह से जमाअत में ताख़ीर .....	263

### ब्याब (23)

सदक़ए फ़ित्र के मसाइल .....	264
सदक़ए फ़ित्र के शराइत .....	266
ज़रूरते असलीया क्या है? .....	267
ख़ाली मक़ान ज़रूरते असलीया में दाख़िल है या नहीं? .....	268
जो साहबे निसाब न हो उसके लिए हुक्म .....	269
सदक़ए फ़ित्र किस वक़्त वाजिब होता है? .....	270
रमज़ान से पहले सदक़ए फ़ित्र देना .....	271
सदक़ए फ़ित्र किस किस की तरफ़ से देना वाजिब? .....	271
सदक़ए फ़ित्र में इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं? .....	272
जिसने रोज़े न रखे हों उसका हुक्म .....	273
शादी शुदा लड़की का फ़ितरा किस पर वाजिब है? .....	273
माल तक़सीम होने के बाद साहबे निसाब न हो तो क्या फ़ितरा वाजिब है? .....	273
जो जवान लड़के अपनी कमाई बाप को देते हैं उनके फ़ितरा का हुक्म .....	274
क्या साहबे निसाब बच्चा बालिग़ होने के बाद फ़ितरा अदा करे? ..	274
सब का फ़ितरा अदा करने की गुंजाइश न हो तो .....	274
फ़ित्रा ईद गुज़रने से मआफ़ नहीं होता .....	275
सदक़ए फ़ित्र की मिक्दार .....	275
क्या चावल देने से फ़ितरा अदा हो जाएगा .....	276

सदकए फ़ित्र में मैदा या उसकी कीमत देना .....	276
जो मुख्तलिफ़ ग़ल्ला इस्तेमाल करता हो वह क्या दे? .....	277
क्या सदकए फ़ित्र में कंटरोल की कीमत का एतेबार है? .....	277
फ़ित्रा में कीमत कहां की मोतबर होगी? .....	279
सदकए फ़ित्र में शहर या ज़िला की कीमत का एतेबार .....	279
सब से बेहतर फ़ितरा .....	280
ग़ैर मुमालिक वालों का फ़ितरा किस हिसाब से दिया जाए? .....	280
अह्द नबवी (स.) में फ़ितरा किस वक़्त दिया जाता था? .....	281
क्या सैयद को सदकए फ़ित्र दे सकते हैं? .....	282
सदकए फ़ित्र की तक़सीम का तरीका .....	282
सदकए फ़ित्र की रक़म से मदरसा की ज़मीन ख़रीदना .....	283
फ़िदया की रक़म को मक़रूज़ के कर्ज़ में मुजरा करना .....	284
मस्जिद के इमाम को सदक़ा देना .....	284
जो सहरी के लिए उठाता है उसको फ़ितरा देना .....	284
नाबालिग़ को फ़ित्रा देना .....	284
जहां फ़ुकरा न हों वहां फ़ितरा किस वक़्त निकाला जाए? .....	285
क्या कैदियों का शुमार मसाकीन में है? .....	285
फ़ित्रा मनी आर्डर से न पहुंचे तो क्या दोबारा देना होगा? .....	286
एक इत्तिजा .....	287



Maktab\_e\_Ashraf

इन्डिसाब

उन  
तमाम  
रोजा दारों के  
नाम  
जो  
महज अल्लाह  
के लिए  
रोजे  
रखते हैं!

“रफ़अत कासमी”

राए आली

हज़रत मोलाना मुफ़्ती निज़ामुद्दीन साहब

मुद्दजिल्लहल आली

सदर मुफ़्ती दारुलउलूम देवबंद

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ لِأَهْلِهَا وَبَعْدُ:

पेशे नज़र रिसाला “मसाइले रोज़ा मुकम्मल व मुदल्लल” अज़ीज़ मुकर्रम जनाब मौलाना हाफ़िज़ मुहम्मद रफ़अत साहब उस्ताज़ दारुलउलूम देवबंद की दूसरी काविश है। इससे कब्ल मौसूफ़ “मसाइले तरीवीह मुकम्मल व मुदल्लल” इसी अंदाज़ पर तालीफ़ फरमा चुके हैं, जो बहमदिल्लाह ज़ेवरे तबाअत से आरास्ता हो कर मंज़रे आम पर आ चुकी है और हर ख़ास व आम से ख़िराजे तहसीन हासिल कर चुकी है।

इन दोनों रिसालों की खुसूसियत ये है कि इनमें मौसूफ़ ने अपनी जानिब से कोई बात नहीं कही है और न ही किसी मस्अला को हवाला के बग़ैर नक़ल किया है, बल्कि हर मस्अला को अक़ाबिरे उम्मत की मोतमद कुतुबे फ़तावा से लफ़ज़ बलफ़ज़ नक़ल कर दिया है, ताकि उसके मुसद्दक़ और सही होने में किसी को कलाम न हो, और इस तरह से मसाइले तरावीह में तक़रीबन 400 मुस्तनद फ़तावा और मसाइले रोज़ा में 418 मुस्तनद फ़तावा इकट्ठे मिल जाएंगे।



दूसरी खूबी ये है कि हर मस्जिद को अबवाब व अनावीन पर तकसीम कर दिया है, ताकि तलाश में सहूलत और आसानी हो।

उम्मीद है कि जिस तरह फज़ाइल का मजमूआ उम्मत के लिए मुफ़ीद व कारआमद है उसी तरह मसाइल का ये मजमूआ भी उम्मत के लिए इंशाअल्लाह मुफ़ीद व कारआमद होगा। मसाजिद नीज़ दीनी व तबलीगी हलकों में फज़ाइल सुनाने का दस्तूर है इसी तरह अगर इसको भी सुनाने का दस्तूर बना लिया जाए तो अवाम को बयक-वक्त दोगुना फायदा पहुंचेगा।

दुआ है कि अल्लाह तआला मौसूफ़ की इस सई को मकबूल व नाफ़ेअ बनाएँ और आइंदा भी इसी तरह के मुफ़ीद व कारआमद मसाइल के मजमूअे तालीफ़ फरमाते रहें, क्योंकि मसाइल के इस किस्म के मजमूअे अब तक उर्दू ज़बान में नायाब हैं। मौसूफ़ की ये कोशिश उसी अंदाज़ की है जिस अंदाज़ की फ़तावा हिन्दीया की अरबी में है।

”وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ— اٰمِيْنَ يٰاَرَبُّ

اَلْعٰلَمِيْنَ— بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّْنَ—“

फक्त

अलअब्द निज़ामुद्दीन

मुफ़्तये दारुलउलूम देवबंद

25—5—1407 हिजरी



Maktab\_e\_Ashraf

तआरुफ़

अज़ हज़रत मौलाना मुफ़्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब जीदा

मजदुहम

(मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद)

”الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على  
سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين“

इस्लाम के बुनियादी अरकान में रोज़ा भी एक अहम रुकन है। जिसे मुसलमान बराबर ज़ौक व शौक से अदा करते आ रहे हैं। चूंकि रोज़ा के लिए साल का एक महीना “रमज़ान” मख़सूस है। दिन रात साल के तमाम हिस्सों में न होने की वजह से उमूमन उसके मसाइल व अहकाम अच्छी तरह ज़ेहन नशीन नहीं रहते। लेकिन जब ये माहे मुबारक आता है तो हर अक़िल व बालिग़ मुसलमान को मसाइल व अहकाम की तलाश शुरू हो जाती है। ये भी एक हकीक़त है कि मसाइल व अहकाम नौअ बनौअ होते हैं। बाज़ औकात आलिमे दीन भी उलझ जाता है।

इसलिए ज़रूरत थी कि कोई ऐसी किताब मुरत्तब हो जाए जो मोतबर व मुस्तनद भी हो और साथ ही तमाम मसाइल पर हावी भी हो। खुशी की बात है कि दारुलउलूम देवबंद के उस्ताज़ मोहतरम मौलाना हाफ़िज़ रफ़अत साहब ने इन मसाइल व अहकाम को बड़ी मेहनत व जांफ़शानी से मुख़्तलिफ़ कुतुबे फ़तावा व फ़िक्ह

से यकजा किया, फिर उसको मुतअदद अबवाब पर तक्सीम किया और हर मस्अले को उसके मुनासिब बाब के नीचे दर्ज किया है और जिस किताब से मस्अला लिया गया है उसका हवाला भी दर्ज कर दिया गया है। जिसकी वजह से इस किताब की कद्र व कीमत में बड़ा इज़ाफ़ा हो गया है।

खाकसार के इल्म के मुताबिक कदीम व जदीद मसाइल का ऐसा मजमूआ अब तक शाए नहीं हुआ। कोई भी छोटा बड़ा ऐसा मस्अला नहीं है जो इसमें न आ गया हो। मैंने इस किताब के एक मोअतदबेह हिस्सा का मुतालआ किया है और मुतालआ करने के बाद मुअल्लिफ़ के लिए दिल से दुआएँ निकर्ती, अल्लाह तआला मुअल्लिफ़ को जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए और उनके लिए ज़ादे आख़िरत बनाए।

तवक्को है कि ये किताब छप कर एक बड़ी कमी को पूरा करेगी और रोज़ा रखने वालों के लिए बल्कि आम मुसलमानों के लिए एक बेशबहा नेअमत साबित होगी और हर मुसलमान इस किताब का रखना अपने लिए ज़रूरी समझेगा। बिलखुसूस अह्ले इल्म के लिए ये मजमूआ एक नेअमतेग़ैर मुतरक्कबा साबित होगा।

मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला मुअल्लिफ़ की उम्र और काम दोनों में बरकत अता करे और मज़ीद ख़िदमत का ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ा इनायत फ़रमाए। आमीन! या रब्बलआलमीन।

तालिबे दुआ

मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन गुफ़िरलहू

मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद

14 जमादिल औवल 1407 हिजरी



राए आली

हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर्हमान साहब  
खैरआबादी जीदा मजदुहम

(मुफ्तिये दारुलउलूम देवबंद)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

फिक्ह के लाखों मसाइल व अहकाम में ग़ोता ज़नी करना और उनमें थोड़े थोड़े फर्क से अहकाम का फर्क समझना हर शख्स के बस की बात नहीं है। इस खिदमत के लिए ख़ास किस्म की मुनासबत व सलाहियत और तफ़क्कोह दरकार है।

अजीज़ मोहतरम मौलाना मुहम्मद रफ़अत कासमी ने जो फिक्ह के क़दीम व जदीद मसाइल व जुज़ईयात से काफ़ी दिल चस्पी रखते हैं बहुत सी फिक्ही किताबों को सामने रख कर रोज़ा के मसाइल व अहकाम का ये नादिर मजमूआ तैयार किया है। इसमें रोज़े के तफ़सीली अहकाम के साथ मौसूफ़ ने ख़यते हिलाल के ज़ख़री मसाइल भी ज़िक्र किए हैं और हर मस्अले को बहवाला तहरीर करने का एहतेमाम किया है और बड़े ज़ौक व शौक और अर्क रेज़ी के साथ ये खिदमत अंजाम दी है और उर्दू दां तब्क़ा के लिए बड़ी सहूलत मुहैया फ़रमा दी है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह इस मजमूआ को क़बूलियत

अता फरमाए और अज़ीज़ मौसूफ़ के लिए ज़ख़ीरए आख़िरत और ज़रीअए नज़ात बनाए। आमीन!

हबीबुरुहमान ख़ैराबादी

दारुलउलूम देवबंद

5-8-1407 हिजरी



## सबबे तालीफ़

”نحمده و نصلى على رسوله الكريم“

मैं बावजूद अपनी बे बजाअती, कम इल्मी और बे अमली के महज अपने असातिज़ा के हुक्म की तामील में इस अहम उनवान “मसाइले रोज़ा” पर ये ख़िदमत अंजाम दे सका जो सिर्फ़ अल्लाह का फज़ल व करम और उन्ही बड़ों की दुआवों का नतीजा है। इससे कब्ल “मसाइले तरावीह” मुकम्मल व मुदल्लल और “मसाइले आदाबे मुलाकात” हर दो किताबें मुरत्तब कर के अपने असातिज़ा की ख़िदमत में पेश कीं तो उन्होंने पसंद फ़रमा कर तस्दीक़ी कलिमात से नवाज़ा और हिम्मत अफ़ज़ाई फ़रमाते हुए इस अहम काम के लिए मामूर फ़रमाया।

इस ख़िदमते ग्रामी को मैंने कहां तक सही अंजाम दिया है, नहीं कह सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बंदा ने अपनी बिसात के मुताबिक़ रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल को जमा करने की हत्तलवुस्अ कोशिश की है।

”رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“

मुहम्मद रफ़अत कासमी  
मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद  
25 सफ़र 1407 हिजरी



## पहला बाब

### फ़ज़ाइले रमज़ान

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - الآیة“

ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, जिस तरह तुम से पहली उम्मतों के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, इस तवक्को पर कि तुम रोज़ा की बदौलत रफ़ता रफ़ता मुत्तकी बन जाओ। (अलबकरह)

#### लफ़ज़ “सियाम” की तहकीक

लफ़ज़ सियाम के लुगवी माना किसी अम्र से बाज़ रहना हैं, चुनांचे अगर कोई बोलने या खाने से बाज़ रहे या बोलना या खाना छोड़ दे तो उसे लुगत में “साइम” कहते हैं इसकी मिसाल कुरआन हकीम में “إِنِّي نَذَرْتُ” मैंने अल्लाह से सौम की मिन्नत मानी है। यानी खामोश रहने और कलाम न करने की और शरीअते इस्लाम में “अस्सौम” या रोज़ा ये है कि आदमी सुबहे सादिक से सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और शहवते नफ़सानी के पूरा करने से रोज़ा की नीयत के साथ रुका रहे। और दिन की मीआद सुबह सादिक के ज़ाहिर हो

जाने से आफ़ताब के गुरुब हो जाने तक है और जिसने इतना कर लिया उसका रोज़ा हो गया। और गोया रोज़ा का जिस्म बन गया। अब जिस तरह जिस्म की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए इंसान बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करता है। उसी तरह रोज़े के अन्दर भी कुछ परहेज़ हैं।

रमज़ानुलमुबारक का रोज़ा इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुक्न है जिसके बग़ैर आदमी अधूरा मुसलमान रहता है।

रमज़ान का रोज़ा हर मुसलमान आकिल, बालिग, मर्द और औरत पर जिसमें रोज़ा रखने की ताकत हो फ़र्ज़ ऐन है। जब तक कोई उज़्र न हो रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं। और अगर रोज़े की मन्नत (नज़्र) करे तो वह रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। कज़ा और कफ़ारे के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा सब रोज़े नफ़ल हैं, जिन्हें रखें तो सवाब है, न रखें तो कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता ईद और बकरईद के दिन और ईदुलअज़हा के बाद तीन दिन रोज़ा रखना हराम है।

### रोज़े की तारीख़

रोज़ा की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से हो गई थी। चुनांचे रिवायात से मालूम होता है। आप के दौर में "अैयामे बीज़" यानी हर माह की तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं तारीख़ के रोज़े फ़र्ज़ थे। यहूद और नसारा भी रोज़े रखते थे, यूनानियों के यहां भी रोज़ा का वजूद मिलता है।

हिन्दू धर्म, बुध मज़हब में भी बरत (रोज़ा) मज़हब का रुक्न है और पारसियों के यहां भी रोज़े को बेहतरीन



इबादत समझा गया है, अलगरज दुनिया के तमाम मजाहिब में रोज़े की फ़ज़ीलत और अहमियत पाई जाती है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ले कर ख़ातिमुन्नबीयीन हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) तक हर क़ौम व मिल्लत में रोज़े का वजूद किसी न किसी शकल में मिलता है।

### रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ?

नबी करीम (स.अ.व.) चुबूवत मिलने के बाद तेरा साल तक मक्का मुअज़्ज़मा ही में लोगों को खुदाए पाक का हुक्म सुनाते और तबलीग़ करते रहे और बहुत ज़माने तक सिवाए ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने के अलावा कोई दूसरा हुक्म न था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तआला के यहां से अहकाम आने शुरू हुए। इस्लाम के अरकान में सब से पहले नमाज़ फ़र्ज़ हुई फिर मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फ़रमाने के बाद जब आप मदीना मनौवरा तशरीफ़ लाए। तो वहां बहुत से अहकामात आने शुरू हुए, उन्हीं में से एक हुक्म रोज़े का भी था।

रोज़े की तकलीफ़ चूंकि नफ़्स पर शाक़ गुज़रती है इसलिए उसको फ़रज़ीयत में तीसरा दर्जा दिया गया। इस्लाम ने अहकाम की फ़रज़ीयत में ये रविश इख़्तियार की कि पहले नमाज़ जो ज़रा हल्की इबादत है। इस को फ़र्ज़ किया, उसके बाद ज़कात को और ज़कात के बाद रोज़ा को। सब से पहले आशूरा यानी मुहर्रम की दस तारीख़ का रोज़ा फ़र्ज़ था उसके बाद रमज़ान शरीफ़ के रोज़ों का हुक्म हुआ और आशूरा की फ़रज़ीयत ख़त्म हो गई।

रोज़े के अन्दर शुरू में इतनी सहूलत और रिआयत

थी कि जिसका जी चाहे रोज़ा रख ले और जो चाहे एक रोज़ा के बदले किसी गरीब को एक दिन का खाना खिला दे, अल्लाह तआला ने अपने बंदों की कमज़ोरियों पर नज़र फ़रमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता रोज़ों की आदत डलवाई। चुनावे जब कुछ ज़माना गुज़र गया और लोगों को रोज़ा रखने की कुछ आदत हो गई तो माज़ूर और बीमार लोगों के सिवा बाकी सब लोगों के हक़ में ये इख़्तियार ख़त्म कर दिया गया और हिजरत से डेढ़ साल बाद दस शाबान 2 हिजरी को मदीना मनौवरा में रमज़ान के रोज़ों की फ़रज़ीयत का हुक़म नाज़िल हुआ और इनके अलवा कोई रोज़ा फ़र्ज़ न रहा। इसका फ़र्ज़ होना किताब व सुन्नत और इजमा से साबित है।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबा जिल्द-1 सफ़हा-872 व जिल्द-1 सफ़हा-875 ज़ादुलमआद जिल्द-1 सफ़हा-160)

### रोज़ा का फ़लसफ़ा

ये एक हकीकत है कि इंसान अशरफ़ुलमख़लूकात है, और उसकी रफ़अत व अज़मत और तसल्लुत व इक्तदार के आगे तमाम काएनात सर निगूँ है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इंसान के इस शर्फ़ व एज़ाज़ और अज़मत व इक्तदार का मेयार और सबब क्या है?

इंसान का शर्फ़ व एज़ाज़ इस बात में है कि वह नफ़से सरकश को काबू में ला कर अपनी ख़्वाहिशात पर ग़ालिब आ कर फ़राइज़े अबदीयत बजा लाए और अपना मनशाए तख़लीक़ पूरा करे, मारिफ़ते इलाही और रज़ाए खुदावंदी की तलाश व जुस्तुजू उसका मुक़द्दम और अहमः

फ़रीज़ा है, अगर एक इंसान अपने इस फ़र्ज़े अब्दीयत से गाफ़िल और ना-बलद है तो वह ख़सारे में है, उस चीज़ को अल्लाह तआला ने इस तौर पे फ़रमाया— **“فَدَأْفَلَحَ مَنْ تَزَكَّى”** यानी जिसने अपने नफ़्स को पाकीज़ा कर लिया उसने फ़लाह पाई और जिसने ऐसा न किया उसने अपने आपको तबाह किया, इससे मालूम हुआ कि शरीफ़ और मुअज़्ज़ज़ और सआदतमंद इंसान वह है जो अपने नफ़्स पर काबू हासिल करे, और उसे पाकीज़ा बनाए, और नफ़्स को काबू में करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है, औवल ये कि— नफ़्स को तमाम शहवतों और लज़्ज़तों से रोका जाए क्योंकि जब सरकश घोड़े को दाना घास न मिले तो वह ताबेअ हो जाता है। इसी तरह नफ़्स की सरकशी भी दूर होती है। दोम: उस पर इबादत का बहुत सा बोझ लाद दिया जाए, जिस तरह जानवर को दाना घास कम मिले और उस पर बोझ बहुत सा लाद दिया जाए तो वह नर्म हो जाता है, यही हाल नफ़्स का है। सोम: हर वक़्त खुदा तआला से मदद चाहें, ज़रा ग़ौर तो फ़रमाएँ यही तीन बातें रोज़े में बदर्जए अतम व अकमल रखी गई हैं, इससे मालूम हुआ कि नफ़्स की कूवत तोड़ने के लिए और अपनी तमाम कूवतों को एतेदाल में लाने के लिए हमें रोज़े रखने का हुक्म हुआ है।

एक फ़ल्सफ़ा ये भी है कि मुसीबत ज़दा इंसान ही किसी की परेशानी व दुख का सही एहसास कर सकता है, और रोज़े से ये बात पाई जाती है कि बड़े से बड़े सरमायादार, दौलतमंद को भी जब एक बार भूक व प्यास का ज़ाएक़ा (रोज़े की वजह से) चखने का मौक़ा मिलता

है, और जब अपने मासूम, नन्हे बच्चों के रोजे के मौका पर उनकी मुतगय्यर हालत देखता है तो उसको गुरबत ज़दा लोगों की भूक व प्यास का एहसास होता है, और ये जज़्बा भी दिल के किसी गोशे में उभरने लगता है कि इन मफ़लूकुलहाल भूके प्यासे लोगों की सदका व ख़ैरात से मदद की जाए। दौलतमंद खुश हाल को अगर रोजे में भूक व प्यास की तकलीफ़ न बरदाश्त करनी पड़ती तो सारी उम्र गुज़रने पर भी भूक व प्यास का एहसास न होता, और अगर कोई भूका ज़रूरतमंद उसके सामने हाथ फैलाता और अपनी तकलीफ़ व परेशानी का इज़हार कर के कुछ तलब करता तो चूंकि दौलतमंद को फ़ाके की तकलीफ़ मालूम ही नहीं इसलिए वह उस पर कैसे रहम खाता। बरख़िलाफ़ रोज़ा रखने के कि उसकी वजह से ग़रीबों, मुहताजों और यतीमों की दस्तगीरी का जज़्बा पैदा होता है, और उनके साथ हमदर्दी व ईसाar जैसी ख़ूबियों का वजूद अमल में आता है।

### रोजे के जिस्मानी और रुहानी फ़ताइद

अगर दुनियावी और जिस्मानी एतेबार से देखा जाए तो मालूम होगा कि रोज़ा मुसलमानों को चुस्त व चालाक, साबिर व शाकिर, एक दूसरे के लिए हमदर्द व ग़मगुसार और एक मज़बूत व मुनज़्जम कौम बनाने में बेहतरीन ज़रीआ है। अगर रोजे की हकीकत को मद्दे नज़र रख कर पाबंदी व खुलूसे दिल के साथ रोज़ा रखें तो हिर्स, तमअ और शिकम परवरी का माददा उनमें से बिल्कुल चला जाए और इंसानी लिबास में फ़रिश्ते नज़र आयें, नीज़ उसके ज़रीआ नज़्म व ज़ब्त की वह कूदत हासिल हो कि दुनिया

की तमाम ताकतें उनके सामने सर निगूँ हो जाएँ।

उसूले तिब की रू से रोज़ा जिस्मानी सेहत हासिल करने का बेहतरीन ज़रीआ है, इसलिए कि ग्यारह महीने तक जो ख़राब और फ़ासिद रूतूबतें जिस्म में जमा हुईं वह एक माह के रोज़े से सब खुशक हो जाती हैं, सेहत व तवानाई में नुमायां तरक्की होती है, इसके अलावा रोज़े में और बहुत से जिस्मानी और मादी फ़ाएदे हैं। जहां तक रूहानी फ़वाएद का तअल्लुक है तो वह भी बेशुमार और अनगिनत हैं। मसलन फ़रिश्ते खाने पीने और जिमाअ करने से पाक और मुनज़्ज़ह हैं, इसी तरह अल्लाह तआला भी इन ख़्वाहिशात से पाक व मुनज़्ज़ह है। इसलिए रोज़ा रखने से इंसान थोड़ी देर के लिए इस मलकूती सिफ़त में नज़र आता है और उस वक़्त "تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ" का भी एक मुज़ाहरा होता है।

रोज़े से अख़लाक व रूहानियत की कूवतें पैदा होती हैं और दिल व दिमाग़ रौशन हो जाते हैं। भूक प्यास की तकलीफ़ गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है और इंसान जब्ते नफ़्स के एतेबार से मुकम्मल इंसान बन जाता है। रोज़े से मिज़ाज में इज्ज़ व इंकिसारी आ जाती है, भूक की मुसीबत और तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है, और इसकी वजह से बनीनौए इंसान की मुसीबत और तकलीफ़ का अंदाज़ा कर के इमदाद का ज़ब्बा पैदा होता है।

रोज़ेदार हर वक़्त अल्लाह की इबादत में शुमार होता है, क्योंकि जब रोज़ेदार को भूक प्यास लगती है और उसका नफ़्स खाने पीने का तकाज़ा करता है तो उसका दिल बराबर शाम तक यही कहता रहता है कि नहीं अभी

अल्लाह की इजाज़त नहीं है। उसका दिल हिम्मत व इस्तिक़लाल के साथ अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जेह रहता है और दिल का अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जेह होना ही सब इबादतों की जान है। अलगरज़ रोज़ा एक बड़ी आला दर्जा की इबादत है।

### फ़ज़ीलते रोज़ा

फ़ज़ाइल की किताबों में इसका मुफ़स्सल ब्यान आया है। बतौर नमूना तीन अहादीस पेश कर के मसाइले रोज़ा ब्यान करना है।

नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया जिसने रमज़ान के रोज़े महज़ अल्लाह के लिए समझ कर रखे तो उसके सब अगले गुनाहे सगीरा बख़्श दिये जाएँगे।

आप (स.अ.व.) का इरशादे मुबारक है कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा प्यारी है, क़यामत के दिन रोज़े का बेहद सवाब मिलेगा।

बुख़ारी शरीफ़ में रिवायत है कि रोज़ादारों के लिए क़यामत के दिन अर्श के नीचे दस्तरख़्वान चुना जाएगा और वह लोग उस पर बैठ कर खाना खाएँगे और सब लोग अभी हिसाब ही में फंसे होंगे। इस पर वह कहेंगे कि ये लोग कैसे हैं कि खा पी रहे हैं। और हम अभी हिसाब ही में फंसे हुए हैं। उनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोज़ा रखा करते थे और तुम लोग रोज़ा नहीं रखते थे।

**तशरीह:** रोज़े की निस्बत अल्लाह तआला का क़ानून तमाम इबादतों से अलग थलग है, क्योंकि तमाम इबादतों का सवाब फ़रिशतों के ज़रीआ इस से सात सौ गुना तक

दिलवाया जाएगा। लेकिन रोज़ा ही एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में इरशाद हुआ है कि—

“रोज़े का बदला मैं खुद देता हूँ।” फ़रिश्तों का भी वास्ता न होगा, इससे ज़्यादा रोज़ेदारों के लिए और क्या खुशी हो सकती है कि वह अपनी इबादतों का बदला अपने मालिक के मुबारक हाथों से पायेंगे, किसी ग़ैर को दखल तक न होगा, दुन्यवी ज़िन्दगी में हम देखते हैं कि जो चीज़ सरकारी हुक्काम के ज़रीआ तक्सीम कराई जाए उसमें और बादशाह या वज़ीरआज़म के हाथ से दी हुई चीज़ में कितना फ़र्क होता है।”

ज़रा ग़ौर फ़रमाइये कि क़यामत के दिन उस हौलनाक वक़्त में जब कि अवाम तो अवाम बल्कि अंबिया व औलिया तक खुदा की अज़मत व जलाल से सहमे होंगे। और खुदा की मख़लूक अपने गुनाहों की वजह से सख़्त पसीने में होगी, कोई घुटने तक, कोई पूरे का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा, और ये सूरज जिसकी तपिश आज इतनी दूर से परेशान किये देती है, उस दिन बिलकुल सरों के ऊपर खड़ा हुआ दिमाग़ खौला रहा होगा। ऐसे नाजुक वक़्त में खुदाए पाक का खुद अपना कलाम किसी की शिफ़ाअत करे और रोज़े जैसा मुबारक अमल किसी बंदे को बख़्शावाए, तो ऐसे वक़्त में जब कि डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है, शिफ़ारिशों का मिल जाना किस क़दर कीमती नेअमत होगा।

मोहतरम व मुकर्रम! इन अहादीस के पढ़ने और सुनने के बावजूद भी रोज़ा रखने का शौक व जोश खुदा न खास्ता पैदा न हो तो यकीनन वह दिल पत्थर से ज़्यादा

सख्त और गुनाहों की कसरत से दिल बिलकुल जंग आलूद है, उसको सिद्दके दिल से तौबा करनी चाहिए।

उम्मीद है कि खुदाए रहीम व करीम उसके गुनाह बख्श देगा और उसके दिल को साफ कर के उसकी सख्ती को नर्मी से बदल देगा।





Maktab\_e\_Ashraf

## दूसरा बाब

# रयते हिलाल के मसाइल

### इस्लाम के उसूल

इस्लाम के उसूल सादा और नज़री हैं उसने मुख्तलिफ़ इबादातों और तेहवारों के औकात के लिए ऐसी चीज़ों को मेयार बनाया है जिनका समझना और जानना हर आम व ख़्वास और नख़्वाँदा व तालीम याफ़ता आदमी के लिए मुम्किन है, उसी का एक जुज़ ये है कि उसने क़मरी महीनों के बारे में तकल्लुफ़ात से काम लेने के बजाए चांद देखने या महीने के तीस दिन मुकम्मल करने को "कसौटी" करार दिया है, उसकी वजह ज़ाहिर है कि एक तो इस्लाम का मिज़ाज ही ऐसी तकल्लुफ़ आमेज़ तहकीकात का उन उमूर में नहीं है जिनका हर ख़्वास व आम आदमी से तअल्लुक हो।

दूसरे अहले फ़न की रायें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती हैं और कभी ग़लत भी साबित होती हैं। जैसा कि आये दिन जनत्रियों और तक़वीमों में इसका मुशाहदा होता रहता है। इसीलिए हमारे इमाम आजम (रह.) का ये मसलक है कि फ़लकीयाती उलूम और हिसाब पर ईद व रमज़ान का फ़ैसला दुरुस्त नहीं, हां हिजरी सन को राएज़ करने के लिए ऐसे महीनों में ऐसे फ़न्नी अंदाज़ों का एतेबार

किया जा सकता है, जिसकी किसी खास तारीख से कोई शरई इबादत मुतअल्लिक न हो।

(जदीदी फिक्ही मसाइल जिल्द-1, सपहा-88)

### रूयत के दो जुज

चाँद के सिलसिले में ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस सिलसिले के दो जुज हैं, चाँद देखना और चाँद देखने की शहादत। पहले जुज के सिलसिले में जो लोग कहते हैं कि हवाई जहाज में उड़ कर या दूरबीन से चाँद देख लेने में कोई मुजाएका नहीं होना चाहिए, उन्हें दरअस्ल सब से बड़ी ग़लत फ़हमी ये हो गई है कि मस्अला चाँद के वजूद का है। हालांकि ये क़तअन ग़लत है, क्योंकि शरीअत में "वजूदे चाँद का एतेबार नहीं है।" बल्कि मोतबर चाँद की रूयत (चाँद का खुली आँखों देखना) है। यानी शरीअते इस्लाम ने जिन मआमलात का मदार चाँद के होने पर रखा है उसमें "फौकल उफुक" चाँद का वजूद काफी नहीं है, बल्कि उसका काबिले रूयत होना और आम आँखों से देखा जाना ज़रूरी है। क्योंकि ये बात हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि चाँद किसी वक़्त और किसी दिन भी मादूम नहीं होता, बल्कि अपने मदार में कहीं न कहीं मौजूद होता है। लिहाज़ा अगर आलाते जदीदा के ज़रीए चाँद देखना काफी हो जाए तो उसके लिए उनतीस व तीस तारीख ही की क्या शर्त ज़रूरी होगी। बल्कि हवाई जहाज में उड़ कर किसी बुलंद उफुक से ऐसी दूरबीनों के ज़रीए जो आफ़ताब की शुआओं को इंसानी निगाहों के दरमियान हाएल न होने दें। सत्ताईस या अट्ठाईस को भी चाँद देखा जा सकता है।

लिहाज़ा मालूम हुआ कि इन तमाम मआमलात में जिन का मदार चाँद पर होता है और जिन में रमज़ान व ईदैन भी शामिल हैं मशरूई तौर पर इसका एतेबार नहीं किया गया है कि चाँद उफ़ुक पर मौजूद हो, बल्कि मोतबर ये है कि चाँद काबिले रूयत हो और आम आँखों से देखा जाए।

(हाशिया मज़ाहिरे हक़ जदीद जिल्द-2, सफ़हा-87)

### चाँद देखने की कोशिश फ़र्जे किफ़ाय़ा

मुलसलमानों पर ये अम्र बतौर फ़र्जे किफ़ाय़ा आएद होता है, कि शाबान और रमज़ान की उनतीस तारीख़ को गुरुबे आफ़ताब के वक़्त चाँद देखने की कोशिश की जाए। क्योंकि रमज़ान का चाँद और रोज़ा अरकाने दीन में से है जो चाँद देखने पर मौकूफ़ है।

(किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-892)

### रूयते हिलाल के लिए दूरबीन का इस्तेमाल

**सवाल:** माहे हिलाले ईद व रमज़ान के लिए दूरबीन इस्तेमाल करन कैसा है?

**जवाब:** दूरबीन महज़ एक निगाह को बढ़ाने वाला आला है, जैसा कि अैनक (चश्मा), उससे देखने में कोई हरज नहीं हॉ अगर कोई ऐसी दूरबीन ईजाद हो जाए कि चाँद उफ़ुक के पीछे होने के बावजूद नज़र आ जाए तो ये जाइज़ नहीं, क्योंकि चाँद व सूरज हमेशा उफ़ुक पर रहते हैं। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-2 सफ़हा-109)

### रूयते हिलाल के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल

अहदे रिसालत (स.अ.व.), ख़िलाफ़ते राशिदा और ख़ैरुलक़रून के मामूल की बिन पर हमारे नज़दीक किसी

तरह ये मुस्तहसन और पसंदीदा नहीं है कि हवाई जहाज़ में उड़ कर चाँद देखने का एहतेमाम किया जाए। उसके ये मआना नहीं कि इत्तिफ़ाकी तौर पर कोई हवाई जहाज़ का मुसाफ़िर चाँद देख ले और आ कर शहादत दे तो उसकी शहादत कबूल न की जाए क्योंकि उसकी शहादत रद करने की कोई वजह नहीं, बल्कि नीचे की हवा में गर्द व गुबार और बुख़ारात की वजह से मुस्तबअद नहीं कि चाँद नज़र न आए और बुलंद जगह पर हवा साफ़ होने की वजह से नज़र आ जाए।

शर्त ये है कि हवाई परवाज़ इतनी ऊँची न हो कि जहाँ तक ज़मीन वालों की नज़रें पहुंच ही न सकें, क्योंकि शरअन रूयत वह ही मोतबर है कि ज़मीन पर रहने वाले अपनी आँखों से देख सकें, इसलिए अगर बीस हजार फ़िट की बुलंदी पर परवाज़ कर के कोई शख्स चाँद देख आए तो उस बस्ती (शहर) के लिए रूयत मोतबर नहीं जिसको आम इंसान बावजूद मतलअ साफ़ होने उसको नहीं देख सके। (आलाते जदीदा सफ़हा-186)

### चाँद के बारे में नुजूमि की राय गैर मोतबर

रूयते हिलाल के बारे में नुजूमि यानी सितारा शनास की बात काबिले एतेबार नहीं है, लिहाज़ा उनके हिसाब की बिना पर लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि शारेअ अलैहिस्सलाम ने रोज़े को मुकर्ररा अलामतों के साथ वाबस्ता किया है। जिसमें कोई तबदीली नहीं हो सकती, और वह अलामतें हिलाल का नज़र आना, या माहे शाबान के तीस दिन का पूरा हो जाना हैं। नुजूमियों का कौल ख़्वाह कितना ही दकीक नज़रीयात की बिना

पर हो उन में कतईयत नहीं पाई जाती, क्योंकि अक्सर औकात उनकी रायें बाहम मुख्तलिफ़ होती हैं।

(किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-892)

### एक आम ग़लत फ़हमी!

शरीअत में रजब की चौथी तारीख़ का कोई एतेबार नहीं, ये जो मशहूर है कि जिस दिन रजब की चौथी तारीख़ होगी उस दिन रमज़ान की पहली तारीख़ होती है शरीअत में इसका एतेबार नहीं, अगर चाँद न हो तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-5)

### चाँद के होने न होने में पंडित की बात का एतेबार नहीं

चाँद देख कर ये कहना कि ये चाँद बहुत बड़ा है, कल का मालूम होता है, ये बुरी बात है। हदीस में आया है कि- "ये क़यामत की निशानी है, जब क़यामत करीब होगी तो लोग ऐसा किया करेंगे।" खुलासा ये है कि चाँद के बड़े छोटे होने का भी एतेबार न करो और न हिन्दुओं की इस बात का एतेबार करो कि आज दूज है आज ज़रूर चाँद है। शरीअत में ये सब बातें वाहियात का दर्जा रखती हैं, जिनका कोई एतेबार नहीं।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-5, बहवाला मिश्कात सफ़हा-174)

### शहादत क्या है?

शहादत के सिलसिले में मुख्तसर तौर पर ये बात जान लेनी ज़रूरी है कि- "ख़बर और शहादत" दो अलग अलग चीज़ें हैं। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो- "ख़बर" होने की हैसियत से तो मोतबर और काबिले एतेमाद होती हैं, मगर बहैसियते शहादत नाकाबिले क़बूल हाती हैं। इन

दोनों में ये फ़र्क इस्लाम ही में नहीं, बल्कि हमारी इस दुनिया में कानूनी तौर पर ये फ़र्क मुसल्लम है। तार, टलीफून, रेडियो, टी० वी०, अखबार और खुतूत के ज़रीए जो खबरें आती हैं अगर उनका मोतबर होना मालूम हो तो बहैसियते खबर सारी दुनिया में कबूल की जाती हैं और उन पर एतेमाद करते हुए सारे काम अंजाम पाते हैं लेकिन किसी मुकद्दमा और मआमले की शहादत की हैसियत से इन खबरों को दुनिया की कोई अदालत तस्लीम नहीं करती, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि गवाह मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हो कर शहादत दे, ताकि गवाही और शहादत के जो उसूल हैं उन पर उनको परखा जा सके और शहादत के सही और ग़लत होने का कोई फैसला किया जा सके। इस फ़र्क को जान लेने के बाद मालूम होना चाहिए कि आम तौर पर रूयते हिलाल के मआमले को शरीअत ने शहादत का मआमला करार दिया है और शहादत का ये ज़ाब्त है कि वह उस वक़्त तक काबिले कबूल नहीं होती जब तक शहादत की शराइत के मुताबिक न हो।

शहादते हिलाल की इब्तिदाई तीन शर्तें तो वही हैं जो तमाम मआमलात की शहादत के लिए शर्तें हैं यानी गवाह का आक़िल, बालिग़ और बीना होना। चौथी शर्त गवाह का मुसलमान होना, और पाँचवीं शर्त जो सब से अहम है वह उसका आदिल होना है। और आदिल उस शख्स को कहते हैं जो गुनाहे कबीरा से महफूज़ हो और सगीरा गुनाह पर इसरार न करता हो। नीज़ उसकी ज़िन्दगी में रास्त बाज़ी (सच्चाई), साफ़ गोई और नेकोकारी का पहलू

गालिब हो, और दुनिया की नज़रों में वह काबिले एतेमाद समझा जाता हो। छठी शर्त— लफ़्जे शहादत का इस्तेमाल है, यानी शाहिद इस तरह कहे कि मैं शहादत देता हूँ कि फ़लां वाकिआ इस तरह हुआ है। सातवीं शर्त ये है कि जिस वाकिआ की शहादत दे रहा हो उनका बचशमे खुद शाहिद है।

महज़ सुनी सुनाई बात न हो। और आठवीं शर्त, "मजलिसे कज़ा" हो यानी शाहिद के लिए ज़रूरी है कि काज़ी की मजलिस में खुद हाज़िर हो कर शहादत दे। पसे पर्दा या दूर से बज़रीआ ख़त या टेलीफ़ोन, वाएरलेस और रेडियो, टी० वी० वगैरा के ज़रीए से कोई शख्स शहादत दे तो उसे शहादत नहीं कहेंगे बल्कि वह ख़बर का दर्जा पाएगी।

(हाशिया मज़ाहिरे हक़ जदीद जिल्द-2 सफ़हा-88)

### रुयते हिलाल में रेडियो का शरई हुक्म

रेडियो के ज़रीए से आमदा इत्तिलाआत व एलानात का शरई हुक्म ये है कि अगर ये एलानात व इत्तिलाआत शरई उसूल व ज़वाबित के मुताबिक़ आ जाएँ ख़्वाह किसी ख़ित्तए मुल्क से आ जाएँ। सुबूत के लिए शरअन काफी होंगे, मसलन किसी मरकज़ी शहर में जहाँ का मतला साफ़ रहता हो गुबार आलूद न रहता हो और वहाँ रेडियो स्टेशन भी हो, हुक्ूमत की जानिब से ये इत्तिज़ाम करा लिया जाए कि कोई मुसलमान हाकिम शहादते शरई के ज़रीए रुयत का सुबूत हासिल कर के बई अलफ़ाज़ ये एलान कर दिया करे कि रुयत का सुबूते शरई हासिल कर के ये एलान किया जाता है कि कल यौमे फ़लाँ से

मसलन यकुम रमजान है, या यकुम शौवाल है, तो ये एलान मोतबर होगा और उस पर अमल करना उसूले मजहब के मुताबिक सही और दुरुस्त होगा। सिर्फ इस बात को मलहूज़ रखना होगा कि उस एलान पर अमल करने से महीना बजाए उनतीस व तीस दिन का होने के अट्ठाईस या इकतीस दिन का न हो रहा हो।

अगर हुकूमत की तरफ से ऐसा बाकाएदा नज़्म न हो सके तो आपसी इंतिज़ाम से एक हिलाल कमेटी बनाई जाए, जिसके सब अफ़राद बाशरअ मुसलमान हों और उसमें एक समझदार आलिम को भी जो मसाइले मुतअल्लिका से बखूबी वाकिफ़ हो, शरीक कर लिया जाए, ताकि तमाम शरई कारवाई बावसूक तरीके से मुकम्मल हो सके। वह शरई हिलाल कमेटी, रूयते हिलाल का सुबूत हासिल कर के रेडियो स्टेशन से अपनी निगरानी में एलान नश्न करवाए कि रूयते हिलाल का शरई सुबूत फ़राहम कर के ये एलान किया जाता है। कल सुब्ह ईद है, मसलन या इस वक़्त से माहे रमजान की शब होगी सुब्ह से रोज़े रखे जाएं।

इस दूसरी सूरत में हुकूमत से सिर्फ़ इतना काम लेना है कि हुकूमत और प्रोग्रामों के साथ इस प्रोग्राम के नश्न होने की मंजूरी कर दे और हिलाल कमेटी का कोई मुस्लिम वकील या मुस्लिम नुमाइंदा वहां पहुंच कर एलान कर दिया करे। रेडिया स्टेशन उमूमन इस किसम की ख़बरें व एलानात खुद नश्न करते रहते हैं उनको इसके मंज़ूर करने में कुछ दिक्कत न होगी। सिर्फ़ इतना लिहाज़ करना होगा कि इस नशरीया के अलफ़ाज़ शरई होंगे। जिसको हिलाल कमेटी खुद मुरत्तब कर देगी।



अगर हुकूमत गैर मुस्लिम से भी ये इतिज़ाम करा लिया जाए जब भी शरअन नाफ़िज़ व सही होगा और सारे मुसलमान इसके मुताबिक़ आसानी से अमल कर सकेंगे। अगर ये इतिज़ाम कर लिया गया तो मुस्तक़िल हल निकल आएगा और ख़त व टेलीफ़ून सब से ज़्यादा क़वी व इत्मीनान बख़्श होगा और हर तरह के शरई उसूल व ज़वाबित के मुताबिक़ होगा।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-82)

### रेडियो की ख़बर के मुताबिक़ हिन्दुस्तान के मुस्लिम

#### उलमा का फ़ैसला

रेडियो की ख़बर एक एलान की हैसियत रखती है, ये एलान अगर रूयते हिलाल की बाज़ाब्ता कमेटी की जानिब से हो जो चाँद होने की बाक़ाएदा शहादत लेकर चाँद का फ़ैसला करती है, या किसी ऐसे शख़्स की जानिब से हो जिसको वहां के मुसलमानों ने काज़ी या अमीरे शरीअत की हैसियत से मान रखा है और वह बाज़ाब्ता शहादत लेकर फ़ैसला किया करता है और एलान करने वाला खुद काज़ी या अमीरे शरीअत या रूयते हिलाल कमेटी का सदर या कमेटी का मोतमद मुस्लिम नुमाइंदा हो तो मक़ामी कमेटी या काज़ी या अमीर के लिए जाइज़ होगा कि वह उस पर एतेमाद कर के रूयते हिलाल का फ़ैसला कर दे। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-186, बहवाला रूयते हिलाल रमज़ान व ईद के मसाइल व दलाइल सफ़हा-96)

#### रूयते हिलाल में टेलीफ़ोन का शरई हुकूम

उन मवाक़े पर जिनका तअल्लुक़ ख़बर व इत्तिला से

है टेलीफ़ोन का भी एतेबार है, लेकिन जहां शहादत और गवाही मतलूब है वहां महज़ फून् काफ़ी नहीं है, रुबरू हाज़िरी जरूरी है, ऐसे मवाके पर इस तदबीर पर अमल करना चाहिये कि दारुलक़ज़ा या रूयते हिलाल कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ़ अहम मक़ामात पर ऐसे जिम्मादार मुअयन हों जो रूयते हिलाल की गवाही ले लें और फिर फून् के ज़रीए मरकज़ को उसकी इत्तिला कर दें।

ख़त व तार और टेलीफ़ून की ख़बर के सिलसिले में मजलिसे तहकीकाते शरईया नदवतुलउलमा का फ़ैसला हस्बे ज़ैल है—

तार व ख़त, टेलीफ़ून की ख़बर मोतबर नहीं है, हां अगर खुसूसी इत्तिज़ाम के तहत मुतअद्द जगहों से फून् और ख़त आयें और उलमा कहें कि उनसे ज़न्ने ग़ालिब पैदा होता है तो इस बुनियाद पर उलमा का फ़ैसला काबिले क़बूल होगा।

(जदीद फ़िक्ही मसाइल सफ़हा—86, 89)

### टेलीफ़ोन के बारे में मौलाना यानवी का फ़तवा

जिन अहकाम में हिजाब मानेअए क़बूल है उसमें (टेलीफ़ून) का वास्ता ग़ैर मोतबर है और जिन में हिजाब मानेअ नहीं उनमें अगर कराइने क़वीया से मुतकल्लिम की तअयीन हो जाए कि फ़लाँ शख्स बोल रहा है तो मोतबर है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द—2 सफ़हा—78)

### मुतअद्द जगहों से टेलीफ़ोन आने का हुक्म

जब मुतअद्द जगह से या किसी एक ऐसे शहर से जहां नामवर उलमा और मुफ़ितयाने किराम हों। मुख्तलिफ़ लोगों के ये बयानात मौसूल हों कि हम ने खुद चाँद

देखा है, या हमारे शहर के काजी या हिलाल कमेटी के सदर या मुफ्ती या मोतमद अलैह शख्स ने शहादत सुन कर चाँद होने का फैसला दिया है।

और जब ऐसे ब्यान देने वालों की तादाद इतनी कसीर हो जाए कि अकलन उनके झूट बोलने का कोई एहतेमाल बाकी न रहे, और खबर मुस्तफीज़ के दर्जे में आ जाए, और उन खबरों के सही होने का यकीन या ग़लबए ज़न मक़ामी काजी या हिलाल कमेटी के सदर या मोतमद अलैह शख्सियत को हासिल हो जाए। तो उनको ईद के चाँद का एलान करने का भी हक़ हासिल हो जाएगा। एक दो फून काफी न होंगे और यही ख़त का हुक्म है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-189)

### रुयते हिलाल में ख़त का शरई हुक्म

ख़त का हुक्म ये है कि अगर ख़त लिखने वाले ने दो मोतबर व सिक़ह वाले मुसलमानों के सामने ख़त लिख कर और उन दोनों को उस पर शाहिद बना कर ख़त के हमशह भेजा है और ये दोनों ख़त लाने वाले ख़त ला कर शहादत दें कि कातिब ने हमारे सामने ये ख़त लिखा है तो ये ख़त मोतबर और हुज्जत बनेगा, पस ये ख़त लिखने वाला काजी शरई, या उसका काइम मक़ाम (जैसे रुयते हिलाल कमेटी वगैरा है) और उस ख़त में सुबूते रुयत की इत्तिला लिखी है, तो उस ख़त पर अमल करना वाजिब होगा। हाँ अगर मुख़्तलिफ़ मक़ामात से मुख़्तलिफ़ आदमियों के ख़त रुयते हिलाल के सुबूत के सिलसिले में इतनी तादाद में आ जाएँ, कि इनकार की गुंजाइश न रहे तो इस सूरत में उसका भी एतेबार हो जाएगा और मुफ़ीद

रुयत बन जाएगा। (निजामुलफतावा जिल्द-1 सफ़हा-131)

### तार की शरई हेसियत

महज तार या खत की खबर पर एतेमाद कर के रोजा रखने या इफ़तार करने का शरअन हुक्म नहीं है, अलबत्ता अगर तार या खत की वह खबर मुसद्क हो जाए या दूसरे कराइने सिद्क के साथ मुअैयद हो जाए तो अमल करना दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-376)

### जंतिरी का शरई हुक्म

उनतीस शाबान को अब्र की वजह से किसी ने चाँद नहीं देखा और जंतिरी वगैरा में उनतीस का चाँद लिखा है और सब लोगों का यही ख्याल है कि चाँद उनतीस का होगा, इस सूरत में जंतिरी और तार पर एतेबार कर के यकुम रमज़ान की तारीख मान लेना दुरुस्त है या नहीं?

इस सूरत में तीस दिन शाबान के पूरे कर के उसके बाद यकुम रमज़ान को काइम करना चाहिए, जैसे कि हदीस शरीफ़ में चाँद के बारे में आया है कि- "चाँद देख कर रोज़ा शुरू करो और चाँद देख कर इफ़तार करो।" और जंतिरी व तार पर एतेबार नहीं करना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-369, बहवाला रद्देमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-132 व मिशकात सफ़हा-174)

जिन मकामात में मुसलसल चाँद तुलूअ या गुरुब रहता हो

### वहाँ पर रमज़ान कैसे मनाएँ

जिन मकामात में चाँद रोज़ाना तुलूअ व गुरुब न होता हो, बल्कि कई कई दिन या कई कई माह मुसलसल चाँद तुलूअ रहता हो या गुरुब रहता हो। जैसा कि अर्ज

तिसईन और उसके मुजाफात के बाज़ मकामात हैं, तो उन मकामात में किसी करीबी मकाम को (जहां चाँद दो दिन के अलावा पूरे माह में रोज़ाना तुलूअ व गुरुब हो कर अपना माहाना दौर पूरा कर लेता है और आसानी से उसका इल्म व मुशहदा हो सकता हो) बुनियाद बना कर माहे रमज़ानुलमुबारक का और उसकी पहली तारीख़ का तअयुन कर के गर्दिशे लैल व नहार के मजमूआ के साथ मुन्तबिक़ कर लें, फिर एक मजमूआ को पूरी एक रात और दिन (चौबीस घंटे) करार दे और उसके निस्फ़े औवल को रात का हिस्सा करार दे कर उसके ख़त्म होने से तकरीबन दो घंटे कब्ल सहरी खा कर रोज़े की नीयत कर लिया करें, और निस्फ़े सानी (जो दिन का हिस्सा शुमार होगा) पूरा होते ही रोज़ा इफ़तार कर लें और मगरिब वगैरा की नमाज़ें अदा कर लें।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-78)

### जहां उफ़ुक़ साफ़ न रहता हो वहां सुबूते रमज़ान का शरई तरीका

**सवाल:** जिस मुमालिक में फ़ज़ा अब्रआलूद रहती हो (मसलन बरतानिया) और रूयते शहादत का इमकान ही न हो, वहां शहादते हिलाल की क्या सूरत होगी? मुसलमानों के लिए रेडियो की इत्तिला पर रूयते हिलाल मोतबर समझना दुरुस्त है या नहीं?

**जवाब:** जब किसी रेडियो के बारे में ये इल्म व यकीन हासिल हो जाए कि वह शरई सुबूत के बाद ही रूयत का एलान करता है तो उस एलान पर अमल कर लेना दुरुस्त रहेगा। बशर्ते कि उस पर अमल करने से महीना

अट्टाइस दिन या इकतीस दिन का न होता हो।

और अगर ऐसा इल्म व यकीन हासिल न हो लेकिन ज़न्ने ग़ालिब हासिल हो जाए कि रूयते हिलाल का शरई सुबूत हासिल करने के बाद ही ये एलान हुआ है तो उस पर भी अमल कर लेना दुरुस्त होगा। ख्वाह दुनिया के किसी ख़ित्ते से आए। बशर्ते कि उस पर अमल करने से महीना 28 दिन या 31 का न हो रहा हो।

और अगर ये ज़न्ने ग़ालिब भी हासिल न होता हो, लेकिन मुख्तलिफ़ अतराफ़ व मुमालिक से सुबूते रूयत की इत्तिला इतनी तादाद में आ जाए कि उतनी तादाद में आदतन किज़ब पर इत्तिफ़ाक़ नहीं होता तो इस्तिफ़ाजे की सूरत बन कर उसके मुताबिक़ भी अमल कर लेना दुरुस्त है।

**नोट:** इन सब सूरतों में अ़वाम के अमल व यकीन या ज़न्ने ग़ालिब या इस्तिफ़ाज़ा करार देने का एतेबार न होगा। बल्कि मक़ामी रूयते हिलाल की शरई कमेटी के फ़ैसला व ज़न्ने ग़ालिब का एतेबार होगा। और अगर मक़ामी शरई रूयते हिलाल कमेटी न हो, तो वहां के ख़तीबे ज़ामा मस्जिद व ईदगाह और वहां के मोतमद उलमा का फ़ैसला जब ज़न्ने ग़ालिब या इस्तिफ़ाजे के हुसूल का होगा तो वह मोतबर होगा।

अगर इन मज़क़ूरा सूरतों में कोई सूरत मुयस्सर न हो या फ़िक्हे हनफी के उसूल पर पूरी न उतरती हो और परेशानियाँ ही हों जो सवाल में मज़क़ूर हैं तो ऐसी सूरत में ये करना चाहिए कि अगर उस ख़ित्ते में शाफ़ई या हंबली या मालिकी लोग रहते हों तो जो महीना 28 या

31 दिन का न होता हो, उस सूरत में भी अ़वाम खुदराई न करें, बल्कि उलमाए अहनाफ़ से उसके बारे में फ़तवा हासिल करें। अगर ये सूरत भी मुयस्सर न हो यानी शाफ़ई, मालिकी लोग भी न बसते हों, या बसते हों मगर मज़कूरा मोतमद फ़तावा मौजूद न हों, या उनके फ़तावा आपस में मुतज़ाद हों तो फिर उलमाए अहनाफ़ ही का मोतमद फ़तवा हासिल करें, या उनके फ़िक्ह की मोतमद किताबों से रूजूअ कर के इस मजबूरी की सूरत में उनका मोतमद मसलक तलाश कर के उसके मुताबिक़ अमल करें।

(निज़ामुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-234 ता 236)

### शहादत के मआमले में जो दीन का पाबंद नहीं है

#### उसका हक़म

जो आदमी दीन का पाबंद नहीं, बराबर गुनाह करता रहता है; मसलन नमाज़ नहीं पढ़ता, या रोज़े नहीं रखता, या झूट बोला करता है, या और कोई गुनाह करता है, शरीअत की पाबंदी नहीं करता, तो शरअ में उसकी बात का कुछ एतेबार नहीं है, चाहे जितनी कस्में खा खा कर ब्यान करे, बल्कि ऐसे अगर दो तीन आदमी हों तो उनका भी एतेबार नहीं। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-5, बहवाला हिदाया अख़ीरैन सफ़हा-46)

### हिलाले ईद के लिए शरई जानाए शहादत

जब चाँद की रूयत आम न हो सके, सिर्फ़ दो चार आदमियों ने देखा हो, तो ये सूरतेहाल अगर ऐसी फ़ज़ा में हो कि मतला बिलकुल साफ़ हो, चाँद देखने में कोई बादल या धुवाँ या गुबार वगैरा मानेअ न हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ दो तीन आदमियों की रूयत और शहादत

शरअन काबिले एतेमाद नहीं होगी, जब तक कि मुसलमानों की बड़ी जमाअत देखने की शहादत न दे चाँद की रूयत तस्लीम नहीं की जाएगी, जो देखने की शहदत दे रहे हैं उसको उनका मुग़ालता, या झूट करार दिया जाएगा। हाँ अगर मतला साफ़ नहीं था, गुबार, धुवाँ, बादल वगैरा उफ़ुक पर ऐसा था जो चाँद देखने में मानेअ हो सकता है ऐसी हालत में रमज़ान के लिए एक सिक़ह की और ईदैन के लिए दो सिक़ह मुसलमानों की शहादत का एतेबार किया जा सकता है। (जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-399)

### चाँद होने की शोहरत और गवाह नदारद

शहर भर में ये ख़बर मशहूर थी कि कल चाँद हुआ, बहुत लोगों ने देखा, लेकिन बहुत दूँढा, तलाश किया, फिर भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने खुद चाँद देखा हो ऐसी ख़बर का कोई एतेबार नहीं है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-5, बहवाला रद्देमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-145)

### तन्हा चाँद देखने वाले की गवाही कबूल नहीं की गई

#### तो क्या करें?

किसी ने रमज़ान का चाँद अकेले देखा, सिवाए उसके शहर भर में किसी ने नहीं देखा और ये शरीअत का पाबंद नहीं है; उसकी गवाही से शहर वाले रोज़ा न रखें, लेकिन खुद ये रोज़ा रखे। और अगर उस अकेले देखने वाले ने तीस रोज़े पूरे कर लिए, लेकिन अभी ईद का चाँद नहीं दिखाई दिया तो इकतीसवाँ रोज़ा भी रखे और शहर वालों के साथ ईद करे।

(बहवाला बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-5, बहवाला



आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-198)

### तन्हा चाँद देखने वाला ईद न मनाए

अगर किसी ने ईद का चाँद तन्हा देखा, इस लिए उसकी ग्वाही का शरीअत ने एतेबार नहीं किया, तो उस देखने वाले आदमी को ईद करना दुरुस्त नहीं है। सुब्ह को रोज़ा रखे और अपने चाँद देखने का एतेबार न करे और रोज़ा न तोड़े। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-5, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-192)

### इक्तीसवें दिन इफ़तार कर लिया जाए

अगर दो मोतमद आदमियों की शहादत से रूयते हिलाल साबित हो जाए, ख्वाह मतला साफ़ हो या नहीं, तो इक्तीसवें दिन इफ़तार कर लिया जाए और वह दिन शौवाल की पहली तारीख़ समझी जाए। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-11 सफ़हा-104, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-192)

### अगर दिन में चाँद नज़र आ जाए

अगर तीस तारीख़ को दिन के वक़्त चाँद दिखलाई दे तो वह आइंद शब का समझा जाएगा, गुज़श्ता का न समझा जाएगा, और वह दिन आइंदा माह की तारीख़ करार न दिया जाएगा। ख्वाह ये रूयत ज़वाल से पहले हो या ज़वाल के बाद।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-104, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-149)

### बग़ैर चाँद देखे रोज़े शुरू किए फिर अद्दाईस रोज़े के बाद

#### ईद का चाँद नज़र आ गया

अगर किसी शहर के लोगों ने रमज़ान का चाँद न देखा और रोज़े रखने शुरू कर दिए। अद्दाईसवें रोज़े को

शौवाल का चाँद देखा, अगर उन्होंने शाबान का चाँद देख कर तीस दिन पूरे गिन लिए थे और रमज़ान का चाँद नहीं देखा था तो एक दिन की कज़ा करें। और अगर उन्तीसवें रोज़े को चाँद देखा था तो उन पर कुछ कज़ा लाज़िम नहीं होगी। और अगर शाबान के चाँद के तीस दिन पूरे किए थे और शाबान का चाँद नहीं देखा था और उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखे तो दो दिन की कज़ा करेंगे।

(आलमगीरी उर्दू (पाकिस्तानी) जिल्द-2 सफ़हा-9)

### 29 रमज़ान को रुयत की ग्वाही

अगर ग्वाहों ने रमज़ान की 29 तारीख़ को ये ग्वाही दी कि हम ने तुम्हारे रोज़ा रखने से एक दिन पहले चाँद देखा था, तो अगर वह उसी शहर के लोग हैं तो इमाम उनकी ग्वाही क़बूल न करे, क्योंकि उन्होंने वाजिब को तर्क किया। और अगर कहीं दूर से आए हैं तो उनकी ग्वाही जाइज़ होगी। इसलिए कि उनके जिम्मा तोहमत नहीं है। (फ़तावा आलमगीरी उर्दू (पाकिस्तानी) जिल्द-1 सफ़हा-10)

### रुयत की ख़बर दिन के बारह बजे मिलना

रुयते हिलाल की ख़बर जिस वक़्त पुख़्ता तौर से पहुंच जाए ख़्वाह गुरुबे आफ़ताब से थोड़ी देर पहले पहुंचे, बशर्ते कि शहादत मोतबर हो, महज़ तार वगैरा की ख़बर न हो, तो रोज़ा तोड़ कर इफ़तार कर लेना चाहिए। रोज़ा इफ़तार न करने की सूरत में गुनाहगार होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-493, बहवाला रद्दुलमुहतार किताबुस्सौम जिल्द-1 सफ़हा-125)

## गुरुबे आफ़ताब से पहले जो चाँद नज़र आए वह मोतबर नहीं

**सवाल:** अभी आफ़ताब गुरुब होने में दो चार मिनट की देर थी, उस वक़्त ज़ैद ने कहा ईद का चाँद नज़र आ गया, लिहाज़ा रोज़ा इफ़तार करना चाहिए, तो बकर ने इनकार किया, ताहम ज़ैद के कहने पर 15-20 आदमियों ने रोज़ा इफ़तार कर लिया तो उन इफ़तार करने वालों का रोज़ा हुआ या नहीं?

**जवाब:** गुरुबे आफ़ताब से पहले रूयते हिलाल का एतेबार नहीं है, वह दिन रमज़ान ही का है, ईद का नहीं, अब जिसने ये सोच कर इफ़तार किया कि आफ़ताब गुरुब हो गया है इसलिए चाँद नज़र आया तो उन पर रोज़ा की फ़क़त कज़ा लाज़िम है, और जो लोग जानते थे कि आफ़ताब गुरुब नहीं हुआ है और रोज़ा खोल लिया उन पर कज़ा के साथ कफ़ारा भी लाज़िम है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-20)

## शहादत के बाद इफ़तार न करना

**सवाल:** अगर मौलवी साहब ने रूयते हिलाल की शरई शहादत आने पर ईद का हुक़म दे दिया और सिर्फ़ एक शख्स ने रोज़ा इफ़तार नहीं किया तो क्या हुक़म है?

**जवाब:** वह शख्स गुनहगार हुआ तौबा करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-1 सफ़हा-493, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-125, किताबुस्सौम)

जो शख्स हाकिम के फ़ैसले शरई के बाद भी इफ़तार न करे वह गुनाहगार होगा क्यों कि ये दिन शहादते शरईया से ईद का दिन साबित हो गया और ईद के दिन रोज़ा

रखना हराम है।

(अहसनुलफतावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-415)

**एक शहर वालों ने रूयत की बिना पर 29 रोज़े रखे और**

**दूसरे शहर वालों ने चाँद ही की बिना पर तीस रखे**

साहबे हिदायत अपनी किताब "मुख्तारातुन्नवाज़िल" में फ़रमाते हैं कि— "एक शहर वालों ने रूयते हिलाल के बाद उनतीस रोज़े और दूसरे शहर वालों ने चाँद ही की बिना पर तीस रोज़े रखे, तो अगर उन दोनों शहरों में मतला का इख़िलाफ़ न हो तो उनतीस रोज़े रखने वालों को एक दिन की कज़ा करनी होगी। और अगर दोनों शहरों का मतला जुदागाना हो तो कज़ा की ज़रूरत नहीं। अल्लामा लखनवी ने इस मौजू पर मुफ़स्सल बहस करने के बाद जो जचा तुला फ़ैसला किया है वह उन्हीं के अलफ़ाज़ में नक़ल किया जाता है।

अक़ल व नक़ल हर दो लिहाज़ से सब से सही मसलक यही है कि ऐसे दो शहर जिन में इतना फ़ासिला हो कि उनके मताले बदल जाएं, जिसका अंदाज़ा एक माह की मसाफ़त से किया जाता है। उसमें एक शहर की रूयत दूसरे शहर के लिए मोतबर नहीं होनी चाहिए। और करीबी शहरों में जिनके माबैन एक माह से कम मसाफ़त हो एक शहर की रूयत दूसरे शहर के लिए लाज़िम और ज़रूरी होगी।

राकिमुलहुरूफ़ के ख़्याल में ये राए बहुत मोतदिल, मुतवाज़िन और करीनए अक़ल है। अलबत्ता इख़िलाफ़े मताले की हदें मुअयन करने में "एक माह की मसाफ़त" की क़ैद के बजाए जदीद माहिरीने फ़लकीयात के हिसाब और

उनकी राए पर एतेमाद किया जाना ज़्यादा मुनासिब होगा।  
(जदीद फेक्ही मसाइल जिल्द-1 सफ़हा-92)

### मताले के बारे में मज्लिसे तहकीकाते शरईया का फैसला

मज्लिसे तहकीकाते शरईया नदवतुलउलमा लखनऊ मुनअकिदह 3-4 मई 1967 ई0 को मुख्तलिफ़ मकातिबे फ़िक्र के उलमा और नुमाइंदा शख़िसयतों ने मिल कर इस मसअला (मताले) की बाबत जो फैसला किया था वह हस्बे जैल है।

1. नफ़सुलअम्र में पूरी दुनिया का मतला एक नहीं है बल्कि इख़िलाफ़े मताले मुसल्लम हैं और ये एक वाकिआती चीज़ है। इसमें फ़ुकहाए किराम का कोई इख़िलाफ़ नहीं है और हदीस से भी इसकी ताईद होती है।

2. अलबत्ता फ़ुकहा इस बात में मुख्तलिफ़ हैं कि रोज़ा और इफ़तार के बाब में ये इख़िलाफ़े मताले मोतबर हैं या नहीं?

मुहक्किक्कीने अहनाफ़ और उलमाए उम्मत की तसरीहात और उनके दलाइल की रौशनी में मज्लिस की मुत्तफ़का राए है कि बिलादे बर्डदा (दूर के शहर) में इस बाब में भी इख़िलाफ़े मताले मोतबर है।

3. बिलादे बर्डदा से मुराद ये है कि उनमें बाहम इस क़दर दूरी वाक़ेअ हो कि आदतन उनकी रूयत में एक दिन का फ़र्क़ होता है, एक शहर में एक दिन पहले चाँद नज़र आता है, दूसरे में एक दिन बाद, इन बिलादे बर्डदा में एक की रूयत दूसरे के लिए लाज़िम कर दी जाए तो महीना किसी जगह अट्ठाईस दिन का रह जाएगा और किसी जगह तीस दिन का करार पाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह

इब्न अब्बास की रिवायत से इस कौल की ताईद होती है।

4. बिलादे करीबा वह शहर हो जिनकी रूयत में आदतन एक दिन का फ़र्क नहीं पड़ता, फुकहा एक माह की मसाफ़त की दूरी को जो तकरीबन पाँच सौ या छः सौ मील होती है, बिलादे बईदा करार देते हैं और इससे कम को बिलादे करीबा।

मज्लिस इस सिलसिले में एक ऐसे चार्ट की ज़रूरत समझती है कि जिससे मालूम हो जाए कि मतला कितनी मसाफ़त में बदल जाता है और किन किन मुल्कों का मतला एक है।

5. हिन्दुस्तान, पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों और बाज़ करीबी मुल्कों मसलन नैपाल वगैरा का मतला एक है।

उलमाए हिन्द व पाक का अमल हमेशा इसी पर रहा है और ग़ालिबन तजरबे से भी यही साबित है इन मुल्कों के शहरों में इस क़दर बोअदे मसाफ़त नहीं है कि महीने में एक दिन का फ़र्क पड़ता हो, इस बुनियाद पर इन दोनों मुल्कों में जहां भी चाँद देखा जाए शरई सुबूत के बाद उसका मानना उन दोनों मुल्कों के तमाम अहले शहर पर लाज़िम होगा।

6. मिस्र और हिजाज़ जैसे दूर दराज़ मुल्कों का मतला हिन्द व पाक के मतला से अलाहिदा है, यहां की रूयत उन मुल्कों के लिए और उन मुल्कों की रूयत यहां वालों के लिए हर हालत में लाज़िम और काबिले कबूल नहीं है। इसलिए कि उनमें और हिन्द व पाक में इतनी दूरी है कि उमूमन एक दिन का फ़र्क वाक़ेअ हो जाता है और बाज़ औकात इससे भी ज़्यादा।

(जदीद फ़िक्ही मसाइल जिल्द-1 सफ़हा-93)

### चाँद की तारीखों की हिकमतें और फ़ाएदे

इस्लामी अहकाम का तअल्लुक चाँद की तारीखों से रखने में बहुत सी हिकमतें और फ़ाएदे हैं—

1. शरीअत के अहकाम में इस बात का ख़्याल रखा गया है कि कम इल्म व अक्ल वाला इंसान भी इन अहकाम की बजाआवरी में उलझने न पाए और एक शहरी और देहाती, पढ़ा लिखा और बे पढ़ा दोनों बराबर आसानी और सहूलत के साथ शरीअत के अहकाम की पाबंदी कर सकें, चाँद की तारीख में न कलेंडर की ज़रूरत है न डाएरी की, आदमी बस्ती में हो या जंगल में खुशकी में हो या समंद्र में हर जगह बड़ी सहूलत से कमरी महीनों और तारीखों का पता चला सकता है।

2. चाँद के महीने हमेशा हर मौसम में घूम घूम कर आते हैं इसलिए हर मौसम में हर किस्म की इबादत करने का मौका मिलता है।

3. रोज़े का तअल्लुक चाँद से रखने में ये भी हिकमत है कि जब आधी दुनिया पर सर्दी का मौसम होता है तो दूसरे आधे हिस्सा पर गर्मी होती है, क्योंकि चाँद का महीना बदल बदल कर आता रहता है। इसलिए अगर चंद साल आधी दुनिया के मुसलमानों ने गर्मी के मौसम में रोज़े रखे थे, तो चंद साल सर्दी के मौसम में रोज़े रखने को मिल जाते हैं। और अगर शम्सी महीने मुकर्रर कर दिए जाते तो हमेशा एक ही मौसम में रोज़े रखने पड़ते, और ये बात एक आलमगीर मज़हब के उसूल के खिलाफ़ होती।

### एक गुलत फहमी का इज़ाला

बाज़ हज़रात 29 का चाँद न होने की तमन्ना करते हैं, ये तमन्ना शिआरे इस्लाम के खिलाफ़ है, क्योंकि हमारे ऊपर माहे रमज़ानुलमुबारक के रोज़े रखने फ़र्ज़ हैं, अब महीना 29 का हो या 30 का, इसकी कोई तअ़यीन नहीं, खुद नबीये पाक (स.अ.व.) ने भी अपने अहदे मुबारक में बाज़ सालों में उनतीस रोज़े रखे हैं।





तीसरा बाब

## मसाइले नीयत

हर इबादत की सेहत के लिए नीयत का होना शर्त है मिश्कात की पहली हदीस "أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ" इस पर शाहिद है, कि रोज़े की सेहत भी नीयत के साथ मशरूत है और रोज़ा ख़्वाह फ़र्ज़ हो या नफ़ल क़ज़ा हो या नज़्र, नीयत के बग़ैर सही नहीं, बग़ैर नीयत के तमाम दिन कुछ खाए पिये गुज़ार देना रोज़ा नहीं कहलाएगा। हाँ नीयत के अलफ़ाज़ ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि सहरी में उठना और सहरी खाना भी नीयत में शुमार है, अलबत्ता ज़बान से नीयत का इज़हार करना ज़्यादा बेहतर है।

### रमज़ान में हर रोज़ नीयत करना ज़रूरी

रमज़ान के हर रोज़े में नीयत करना ज़रूरी है, एक रोज़ नीयत कर लेना तमाम रोज़ों के लिए काफी नहीं।

(इल्मुफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-18)

### रात से नीयत करना शर्त नहीं

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े की अगर रात से नीयत करे तब भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है। और अगर रात को रोज़ा रखने का इरादा न था, सुबह हो गई, तब भी यही ख़्याल रहा कि मैं आज रोज़ा न रखूंगा, फिर दिन चढ़े ख़्याल

आ गया कि फ़र्ज़ छोड़ देना बुरी बात है, इसलिए अब रोज़े की नीयत कर ली, तब भी रोज़ा हो गया। लेकिन अगर सुब्ह को कुछ खा पी लिया था, तो अब नीयत नहीं कर सकते। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-3)

### नीयत का आखिरी वक़्त

अगर कुछ खाया पिया न हो तो दिन के ठीक दोपहर से एक घंटा पहले पहले रमज़ान के रोज़े की नीयत कर लेना दुरुस्त है।

सुब्ह सादिक़ से गुरुबे आफ़ाब तक कुल वक़्त के निस्फ़ को निस्फ़ुन्नहारे शरई कहा जाता है, सुब्ह सादिक़ और तुलूए आफ़ताब के दरमियान जितना वक़्त होता है, निस्फ़ुन्नहारे शरई व निस्फ़ुन्नहारे उरफ़ी (वक़ते ज़वाल) के दरमियान उसका निस्फ़ होता है, मसलन सुब्ह सादिक़ से तुलूए आफ़ताब तक डेढ़ घंटा हो तो निस्फ़ुन्नहारे उरफ़ी से पौन घंटे पहले निस्फ़ुन्नहारे शरई होगा। उस वक़्त की मिक्दार हर मौसम में और हर मक़ाम में मुख़्तलिफ़ होती है, इसलिए उसकी मिक्दार घंटों से मअयन नहीं की जा सकती। ज़ाब्तए मज़कूरा के मुताबिक़ अमल किया जाए।

(अहसनुलफ़तावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-437)

### निस्फ़ुन्नहार की तअयीन का तरीक़ा

निस्फ़ुन्नहार की तअयीन का तरीक़ा ये है कि औवल देख लिया जाए कि सुब्ह सादिक़ कितने बजे होती है, और सूरज कितने बजे गुरुब होता है, उनके दरमियान के घंटों को शुमार कर के उनका निस्फ़ ले लिया जाए, उस निस्फ़ के अन्दर अन्दर नीयत कर ली गई तो रोज़ा हो जाएगा। और अगर निस्फ़ वक़्त पूरा या उससे ज़्यादा

गुज़र जाए तो रोज़ा न होगा, एक घंटा की कैद एहतियातन की गई है। (हाशिया बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-3)

### दिल के ख्याल का नाम नीयत

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े में बस इतनी नीयत कर लेना काफी है कि आज मेरा रोज़ा है, या रात को सोच ले कि कल मेरा रोज़ा है, बस इतनी नीयत से भी रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा। अगर नीयत में ख़ास ये बात न आई हो कि रमज़ान का रोज़ा है या फ़र्ज का तब भी रोज़ा हो जाएगा। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-3)

### रमज़ान के रोज़े का मुतलक नीयत से अदा हो जाना

रमज़ान के महीने में अगर किसी ने ये नीयत की कि कल मैं नफ़ल रोज़ा रखूंगा, रमज़ान का न रखूंगा, बल्कि इस रोज़े की कभी कज़ा रखूंगा, तब भी रमज़ान का ही रोज़ा होगा नफ़ल का नहीं होगा।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-3 बहवाला फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-194)

### कज़ाए रमज़ान की नीयत का हुक्म

अगर गुज़श्ता रमज़ान के रोज़े कज़ा हो गए और पूरा साल गुज़र गया अब तक उसकी कज़ा नहीं रखी फिर जब रमज़ान का महीना आ गया तो उसकी कज़ा की नीयत से रोज़ा रखा, तब भी रमज़ान का ही रोज़ा होगा, कज़ा का रोज़ा न होगा, कज़ा के रोज़े रमज़ान के बाद रखे। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-3, बहवाला फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-194)

### नज़्र के रोज़े को रमज़ान में रखना

अगर किसी ने नज़्र मानी थी कि अगर मेरा फ़ल्लौ

काम हो जाए तो मैं अल्लाह के लिए इतने रोज़े रखूंगा, फिर रमज़ान का महीना आ गया तो उसने उसी नज़र के रोज़े रखने की नीयत की, रमज़ान के रोज़े की नीयत नहीं की, तब भी रमज़ान ही का रोज़ा होगा। नज़र का रोज़ा अदा नहीं हुआ। नज़र का रोज़ा रमज़ान के बाद फिर कभी रखे, सब का खुलासा ये हुआ कि रमज़ान के महीना में जब किसी रोज़े की नीयत करेगा तो रमज़ान ही का रोज़ा होगा और कोई रोज़ा सही न होगा।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3, बहवाला कुदूरी सफ़हा-45)

**क्या नफ़ल की नीयत से 29 शाबान का रोज़ा चाँद होने की**

**सूरत में रमज़ान से बदल जाएगा?**

उन्तीसवीं शाबान को बादल की वजह से अगर रमज़ान का चाँद दिखाई नहीं दिया तो सुबह को नफ़ली रोज़ा भी न रखो, हाँ अगर ऐसा इत्तिफ़ाक़ पड़ता हो कि हमेशा पीर या जुमेरात या और किसी मुक़र्ररा दिन रोज़ा रखा करते थे और कल वही दिन है तो नफ़ल की नीयत से सुबह को रोज़ा रख लेना बेहतर है, फिर अगर कहीं से चाँद की ख़बर आ गई तो उसी नफ़ल रोज़ा से रमज़ान का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा अब उसकी कज़ा न रखे।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-3, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-119)

**29 शाबान को चाँद न दिखाई दे तो अगले रोज़ दोपहर**

**तक कुछ न खाओ**

बादल वगैरा की वजह से 29 शाबान को चाँद नहीं दिखाई दिया तो अगले रोज़ दोपहर से एक घंटे पहले तक कुछ न खाओ न पियो, अगर कहीं से ख़बर आ जाए

तो अब रोज़े की नीयत कर लो। और अगर ख़बर न आए तो खाओ पियो। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-4, बहवाला नूरुलईज़ाह)

### यौमे शक के रोज़ा का हुक्म

अगर यौमे शक (तीस शाबान) को कुछ खा पी लिया और फिर मालूम हुआ कि वह दिन रमज़ान का था, तो लाज़िम है उस दिन के बाकी हिस्से में रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बाज़ रहा जाए। और माहे रमज़ान गुज़रने पर फ़ौरन उसकी कज़ा रखी जाए। और अगर यौमे शक में इस नीयत से रोज़ा रखा कि वह रमज़ान का रोज़ा है और फिर ये पता चला कि वह दिन शाबान का था, तो वह रोज़ा सिरे से सही न होगा। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-896)

### तीस शाबान को अगर शहादत न आई और रोज़ा रख

#### लिया तो जैसी नीयत थी वैसा ही रोज़ा हो जाएगा

उन्तीस शाबान को चाँद नहीं हुआ तो ये ख़याल न करो कि कल का दिन रमज़ान का नहीं है। और मेरे ज़िम्मे पार साल के रोज़े की कज़ा है, इसलिए उसकी कज़ा ही रख लूँ। या कोई नज़र मानी थी उसका रोज़ा रख लूँ, उस दिन कज़ा का रोज़ा या कफ़ारा और नज़र का रोज़ा रखना भी मकरूह है, कोई रोज़ा न रखना चाहिए। मगर कज़ा या नज़र का रोज़ा रख ही लिया फिर कहीं से चाँद की ख़बर आ गई तो रमज़ान ही का रोज़ा अदा होगा, कज़ा और नज़र का रोज़ा फिर रख लें और अगर ख़बर नहीं आई तो जिस रोज़े की नीयत थी वही अदा हो गया। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-4, बहवाला

शरह वकाया जिल्द-1 सफ़हा-30)

### क्या एक मरतबा नीयत कर लेना काफी है?

अगर मुसलसल रोज़े रखना वाजिब हो तो सब के लिए एक मरतबा नीयत कर लेना काफी है, जैसे माह रमज़ान के रोज़े या कफ़ारए सौम या कफ़ारए जिहार के रोज़े, यानी जब तक ये सिलसिला न टूटेगा वही नीयत जारी रहेगी। और अगर कोई मरज या सफ़र पेश आ जाने की वजह से वह तसलसुल टूट गया, तो अब हर रोज़ रात को नीयत करना ज़रूरी है, अलबत्ता अगर सफ़र ख़त्म हो जाए या मरज जाता रहे तो बाकी रोज़ों के लिए एक ही बार नीयत काफी होगी।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-884)

### जो रोज़े मुसलसल वाजिब नहीं हैं उनकी नीयत का तरीका

अगर ऐसे रोज़े हों जिनका तवातुर से रखना वाजिब नहीं है जैसे माहे रमज़ान की कज़ा, या कफ़ारए कसम के रोज़े, तो ऐसे रोज़ों के लिए हर रोज़ रात से नीयत करना ज़रूरी है, उनके लिए पहले ही रोज़ नीयत कर लेना काफी नहीं है।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-884)

### नीयत का काएदा

नफ़ली रोज़े में और नज़रे मुअैयन और रमज़ान शरीफ़ के रोज़ों की रात से नीयत करे या सुब्ह को निस्फुन्नहारे शरई तक कर लेना दुरुस्त है और बाकी रोज़ों में रात से नीयत कर लेना ज़रूरी है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6

सफ़हा-346, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-116)

### सहरी खाना नीयत में शुमार होगा या नहीं?

माहे रमज़ान में हर रोज़ नीयत करनी चाहिए। सहरी खाना भी नीयत है ये और बात है कि खाते वक़्त रोज़ा रखने का इरादा न हो। (तो सहरी का खाना नीयत में शुमार न होगा) अगर औवले शब में रोज़े की नीयत की फिर तुलूए फ़ज्र से पहले नीयत तोड़ दी, तो ये नीयत का तोड़ देना हर किस्म के रोज़ों की नीयत में मोतबर होगा। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-881)

### नीयत का ज़बान से जाहिर करना ज़रूरी नहीं

नीयत का ज़बान से जाहिर करना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ दिल का इरादा काफी है, हत्ता कि सहरी का खाना खुद नीयत के काइम मक़ाम है, इसलिए कि सहरी रोज़ा रखने की ग़रज़ से खाई जाती है, हाँ अगर किसी की आदत उस वक़्त खाना खाने की हो, या कोई बदबख़्त सहरी खाता हो और रोज़ा न रखता हो, तो उसके लिए सहरी खाना नीयत के काइम मक़ाम नहीं है।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-18)

### मरीज़ और मसाफ़िर की नीयत का हुक्म

रमज़ान के महीने में मरीज़ के रोज़े की नीयत का हुक्म मज़हबे मुख़्तार के मुताबिक़ तंदुरुस्त और सही व मुक़ीम की नीयत के हुक्म के मानिन्द है, यानी अगर कोई मरीज़ आदमी रमज़ान के महीना में किसी दूसरे रोज़े की नीयत करे तो उसकी नीयत का एतेबार न होगा और रमज़ान का रोज़ा ही तमाम हालतों में समझा जाएगा।

अलबत्ता मुसाफिर रमज़ान के महीना में किसी दूसरे रोज़े की नीयत करे तो उसकी नीयत का एतेबार होगा और जिस नीयत से रोज़ा रखे, उसी का होगा (चाहे नफ़ल हो या वाजिब)।

(शामी जिल्द-2 सफ़हा-86, किताबुस्सौम)

### अय्यामे तशरीक में रोज़े की नीयत करना दुरुस्त नहीं

अगर ईदैन या अय्यामे तशरीक यानी ज़िलहिज्जा की ग्यारह, बारह तेरह तारीख़ में कोई शख्स रोज़े की नीयत करे तो उस रोज़े का पूरा करना उस पर ज़रूरी न होगा और फ़ासिद होने की सूरत में उसकी कज़ा भी लाज़िम न होगी, बल्कि उसका फ़ासिद कर लेना वाजिब है, इसलिए कि उन अय्याम में रोज़ा रखना मकरूहे तहरीमी है।

(इल्मुलफ़िक्ह सफ़हा-41)

### बग़ैर नीयत के भूका रहने से रोज़ा नहीं होगा

अगर किसी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया, शाम तक भूका प्यासा रहा, लेकिन दिल में रोज़े का इरादा न था, बल्कि भूक ही नहीं लगी, या किसी और वजह से खाने पीने की नौबत नहीं आई, तो उसका रोज़ा नहीं हुआ। अगर दिल में रोज़ा का इरादा कर लेता तो रोज़ा हो जाता। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-3)

### नीयत करने के बाद भी सुबह सादिक तक खा सकते हैं

शरीअत में रोज़े का वक़्त सुबह सादिक के वक़्त से शुरू होता है इसलिए जब तक सुबह सादिक न हो खाना पीना वग़ैरा सब कुछ जाइज़ है। बाज़ हज़रात शुरू रात में सहरी खा कर नीयत की दुआ पढ़ कर लेट जाते हैं और ये समझते हैं कि अब नीयत करने के बाद कुछ



खाना पीना न चाहिए, ये ख्याल ग़लत है, जब तक सुबह न हो बराबर खा सकते हैं, चाहे नीयत कर चुके हों या नीयत अभी न की हो। (बहिश्ती जेवर जिल्द-3 सफ़हा-3)

### दिल में नीयत कर के सोने का हुक्म

नीयत से मुराद दिल का इरादा है, ज़बान से अदाएगी ज़रूरी नहीं, इसलिए अगर कोई रात को दिल में इरादा कर के सोया था, तो फिर मज़ीद नीयत की कोई ज़रूरत नहीं।

(हाशिया फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-444)

### किन किन रोज़ों में रात से नीयत करना ज़रूरी है?

रमज़ान के कज़ा रोज़ों में और नज़रे ग़ैर मुअय्यन और कफ़ारात के रोज़ों में, इसी तरह उस नफ़ल रोज़ों की कज़ा में जिसे शुरू कर के फ़ासिद कर दिया गया हो, गुरुबे आफ़ताब के बाद से सुबह सादिक के तुलूअ होने तक नीयत कर लेना ज़रूरी है। सुबह सादिक के बाद अगर नीयत की जाएगी तो काफ़ी न होगी।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-19)

नोट: नीयत में तबरूकन "इंशाअल्लाह" कह लेना कुछ मुज़िर नहीं है (नीज़) रोज़े की हालत में इफ़तार की नीयत कर लेने से रोज़े की नीयत बातिल नहीं होती।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-19)

### ज़बान से नीयत का इज़हार बेहतर है

दिल से नीयत करना काफ़ी है, कुछ कहना ज़रूरी नहीं, बल्कि जब दिल में ख्याल है कि आज मेरा रोज़ा है और दिन भर रोज़े की ममनूआत से रुका रहा तो उसका रोज़ा हो गया। और अगर ज़बान से कह दे कि या

अल्लाह कल मैं रोज़ा रखूगा या अरबी में ये कह दे।  
 “نَوَيْتُ بِصَوْمِ عِدِّ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ” तो ये भी बेहतर है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-3)

### नीयत कर के रोज़ा तोड़ना

**सवाल:** किसी शख्स ने शबे रमज़ान में रोज़े की नीयत की, या ग़ैर रमज़ान में रात को या दिन को नफ़ल रोज़े की नीयत की, अब वह रात को या दिन को उज़्र की वजह से या बिला उज़्र नीयत तोड़ सकता है या नहीं?

**जवाब:** नीयत का रात को तोड़ना मुम्किन है इस तरीका से कि अगले दिन खाने पीनी का इरादा करे। लेकिन और दिन में जबकि रोज़ा शुरू हो गया तो अब नीयत तोड़ना लम्ब है। पस रमज़ान के रोज़े में अगर रात को नीयत कर के तोड़ दी और दिन को खा पी लिया तो सिर्फ़ कज़ा लाज़िम आएगी।

और अगर दिन में नीयत तोड़ कर खा पी लिया तो कफ़ारा भी लाज़िम आएगा। और अगर ग़ैर रमज़ान में रात को नीयत तोड़ दी तो न कज़ा है न कफ़ारा। और अगर दिन में नीयत ख़त्म कर के खा पी लिया तो सिर्फ़ कज़ा लाज़िम आएगी। और जिन रोज़ों में उनका वक़्त मुतअय्यन है उमसें बिला उज़्र नीयत तोड़ना जाइज़ नहीं। और ग़ैर मुतअय्यन में तोड़ना बग़ैर उज़्र के भी जाइज़ है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-173)

### जिस शख्स ने रोज़ा की नीयत न की तो उसके खाने का क्या हुक्म है?

**सवाल:** जिस शख्स ने रमज़ान की रात में न नीयत

रोज़ा रखने की की और न अदमे रोज़ा की तो अब दिन में उसके लिए खाना पीना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: अगर रोज़े दार ने ज़वाल से पहले तक नीयत न की तो उसका रोज़ा सही नहीं हुआ। लेकिन खाना पीना रमज़ान के एहतेराम की वजह से जाइज़ नहीं और अगर खा लिया तो सिर्फ़ कज़ा लाज़िम आएगी।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-173)



## घीया बाब

### सहरी के मसाइल व फज़ाइल

अल्लाह तआला के क़ानून का भी अजीब व ग़रीब मआमला है, उसके यहां हर चीज़ के ख़जाने हैं वह हर चीज़ पर क़ादिर मुतलक़ है, वह अपने मुतअल्लिक़ फ़रमता है— **“وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ”** वह खाता नहीं बल्कि खिलाता है।”

मशहूर है कि रहमते खुदावंदी “बहाना मी जोयद” कि खुदा की रहमत देने के लिए बहाना तलाश करती है, अब सहरी को ही देखिए जब कि सहरी खाना बंदों के अपनी अग़राज़ व मक़ासिद में से है, लेकिन चूँकि रोज़े की निस्बत सिर्फ़ खुदा ही की तरफ़ है, उसने उसमें भी मुसलमानों के लिए अज़्र व सवाब रख दिया गया है। सहरी खाना मसनून है, हदीस शरीफ़ में उसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है— **“आंहज़रत (स.अ.व.) फ़रमाते हैं कि यहूद व नसारा और हमारे रोज़ों में सिर्फ़ सहरी का फ़र्क़ है।”** (यानी वह सहरी नहीं खाते और हम खाते हैं) आप ने फ़रमाया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फ़रमाते हैं— **“अगर भूक न हो और खाने की ख़्वाहिश न हो तो इस सुन्नत पर अमल करने के लिए दो एक छुहारे खा ले, या सिर्फ़ पानी का एक घूंट ही पी ले, ताकि सुन्नत पर अमल हो जाए।”**

आप (स.अ.व.) का इरशाद है कि— "सहरी खाने में बरकत है।" यानी बदन में चुस्ती और कूवत काइम रहती है।

सहरी में ताखीर करना मुस्तहब है, सहरी खाने में ताखीर करने का मतलब ये है कि जब तक सुब्ह सादिक का यकीन न हो उस वक़्त तक खाते पीते रहना चाहिए और जब सुब्ह सादिक नमूदार हो जाए तो फिर खाना पीना तर्क कर देना चाहिए। सुब्ह सादिक की पहचान ये है कि जब सुब्ह सादिक नमूदार होती है तो मशरक में उफ़ुक के किनारों पर रौशनी की धारी नुमायाँ होती है और फिर रौशनी ग़ालिब आ कर तारीकी मिट जाती है बस यही सुब्ह सादिक है।

साहबे कश्शाफ़ ने सहरी का तरीका ये लिखा है कि तमाम रात को छः हिस्सों पर तक्सीम कर के आख़िर हिस्से में सहरी खाओ, मसलन अगर गुरुबे आफ़ताब से सुब्ह सादिक तक बारह घंटे हों तो आख़िर के दो घंटे में सहरी खाओ और उनमें भी ताखीर बेहतर है। बशर्ते कि इतनी ताखीर न हो कि रोज़े में शक होने लगे। लुगत में सहरी उस खाने को कहते हैं जो सुब्ह के करीब खाया जाए। बाज़ हज़रात तरावीह पढ़ कर खा कर सो जाते हैं, या बग़ैर सहरी के रोज़े रखते हैं, अगरचे इस तरह तो उन का रोज़ा हो जाएगा, मगर सहरी के सवाब से महरूम रहेंगे, रोज़ेदार को सहरी का एहतेमाम करना चाहिए कि उसमें अपनी ही राहत व नफ़ा और मुफ़्त का सवाब है मगर इतना जरूर है कि इफ़रात व तफ़रीत हर चीज़ें में मुज़िर है कि न इतना कम खाओ कि इबादत में कमज़ोरी महसूस होने लगे और न इतना ज़्यादा खाओ कि दिन

भर खड़ी डिकारें आती रहें, क्योंकि अहादीस में ज्यादा खाने की मुमानअत वारिद है।

### सहरी का मसनून वक़्त

रोज़ेदार को रात के आखिरी हिस्से में सुबह सादिक से पहले पहले सहरी खाना मसनून है और बाइसे बरकत व सवाब है, निस्फ़ शब के बाद जिस वक़्त भी खाएँ सहरी की सुन्नत अदा हो जाएगी लेकिन बल्कुल आखिरी शब में खाना अफ़ज़ल है। अगर मुअज़्ज़िन ने सुबह की अज़ान वक़्त से पहले दे दी तो सहरी खाने की मुमानअत नहीं है जब तक कि सुबह सादिक न हो जाए (खा सकते हैं) सहरी से फ़ारिग़ हो कर रोज़े की नीयत दिल में करना काफी है, ज़बान से भी ये अलफ़ाज़ कह ले तो अच्छा है। "بصوم غدٍ نويت من شهر رمضان"

(जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-381)

### हज़र (स.अ.व.) के ज़माने में सहरी और फ़ज़र के दरमियान वक़्फ़ा की भिक्दार

ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) रिवायत करते हैं, कि हम ने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के साथ सहरी खाई, फिर आप (स.अ.व.) नमाज़ के लिए खड़े हो गए। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने दरयाफ़्त किया कि अज़ान और सहरी में कितना वक़्फ़ा होता था, कहा पचास आयत के पढ़ने के बराबर।

(तर्जुमा बुख़ारी शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-689)

### सहरी और इफ़तार के लिए ढोल बजाना

जिस तरह निकाह और एलाने जंग के लिए दफ़ का बजाना हदीसों से साबित है उसी तरह चाँद नज़र आने

और सहरी और इफ्तार के वक़्त ज़रूरतन बतौर एलान बजाना जाइज है। बशर्ते कि बाजे के तर्ज़ पर न हो।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-40, बहवाला शामी जिल्द-5 सफ़हा-307)

**सहरी व इफ्तार के लिए घंटा, नक्कारा या तोप वगैरा का**

### **इस्तेमाल**

सवाल: रमज़ानुलमुबारक में सहरी व इफ्तार का सही वक़्त बताने के लिए जामा मस्जिद में नक्कारे का इतिज़ाम किया जाए और उसके ज़रीए से तमाम मुसलमानों को इत्तिला दी जाए तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं? बाज़ लोग नाकूस का हिन्दुओं की इबादत की मुशाबेह होने और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) और अह्द सहाबा में साबित न होने की वजह से बुरा समझते हैं क्या ये सही है?

जवाब: तबल (ढपरा) बजाने को फुकहा ने जाइज़ लिखा है, कि इफ्तार व सुहूर के वक़्त बजाने में भी कुछ हरज नहीं, मगर तबल दाखिले मस्जिद न रखा जाए और नाकूस वगैरा से उसको इसलिए मुशाबेह नहीं कह सकते कि वह लोग इस तरीक़े एलान की ख़ुसूसियत को इबादत भी समझते हैं और यहाँ ऐसा कोई मसअला नहीं समझा जाता और ख़ैरुलक़रून में उसकी मिसाल निकाह के वक़्त दफ़ का बजाना मौजूद है।

इससे भी मक्सूद एक ताअत के मुतहक्क होने का इज़हार है और उससे भी मक्सूद एक ताअत का वक़्त मुतहक्क होने का एलान है और गौर करने से दफ़ की कराहियत के मुकाबले में अ़वाम की ज़रूरत बढ़ी हुई है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-2 सफ़हा-101)

सहरी व इफ़तार के वक़्त की इत्तिला के लिए गोला छोड़ना जाइज़ है। नक्कारा बजाना भी जाइज़ है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-2 सफ़हा-234)

### सहरी की सुन्नत अदा करने के लिए पान खाना

सहरी खाना सुन्नत है, अगर भूक न हो और खाना न खाए तो कम अज़ कम दो तीन छुहारे ही खा ले या कोई और चीज़ थोड़ी बहुत खा ले, अगर कुछ भी न हो तो सादा पानी ही पी ले, अगर किसी ने सहरी न खाई और उठ कर एक आध पान ही खा लिया तो जब भी सहरी का सवाब मिल गया। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-14, बहवाला शरहुलबिदाया जिल्द-1 सफ़हा-205)

### सहरी बिल्कुल सुब्ह के वक़्त न खाएँ

सहरी में जहां तक हो सके देर कर के खान बेहतर है, लेकिन इतनी देर ने करे कि सुब्ह होने लगे और रोज़ा में शुबहा पड़ जाए। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-15, बहवाला निसाई शरीफ़ सफ़हा-205)

### सहरी जल्दी खा ली और पान आख़िर में खाया

अगर किसी ने सहरी जल्दी खाई और उसके बाद पान तम्बाकू और चाय वगैरा देर तक खाते पीते रहे और जब सुब्ह सादिक होने में थोड़ी देर रह गई तब कुल्ली कर ली, जब भी देर कर के खाने का सवाब मिल गया और इसका भी वही हुक्म है जो देर कर के खाने का हुक्म है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-1 सफ़हा-14, बहावाल शरहुलबिदाया जिल्द-1 सफ़हा-205)

### अज्ञान देर में होने पर उस वक़्त तक सहरी खाते रहना

सवाल: ज़ैद कहता है कि नावाकिफ़ लोग जो औकाते



सहरी की ख़बर नहीं रखते जब तक अज़ान न सुनें खा पी सकते हैं, सही मसअला क्या है?

**जवाब:** सुब्ह सादिक के बाद खाना पीना दुरुस्त नहीं है, ख्याह अज़ान हुई हो या न हुई हो, इस बारे में बहुत एहतियात करनी चाहिए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-345, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-110)

### अज़ान के वक़्त मुंह का लुक़मा निगल गया

**सवाल:** अज़ान होते ही सहरी छोड़ दी, लेकिन जो एक दो लुक़मा मुंह के अन्दर था उनको निगल कर पानी पी लिया। क्या रोज़ा हो गया, या कज़ा लाज़िम है?

**जवाब:** अगर ये ज़न्ने ग़ालिब हो कि सुब्ह सादिक होने के बाद अज़ान शुरू हुई है तो रोज़ा न होगा, और अगर हालते शब्हा हो तो उस वक़्त खाना पीना मकरूह है मगर रोज़ा सही हो जाएगा।

(अहसुनफ़तावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-432)

### गलती से सहरी सुब्ह सादिक के बाद खाना

अगर किसी की आँख देर में खुली और ये ख्याल हुआ कि अभी तो रात बाकी है, उसी गुमान पर सहरी खा ली फिर बाद में मालूम हुआ कि सुब्ह हो जाने के बाद सहरी खाई थी तो रोज़ा नहीं हुआ। कज़ा रखे और कफ़ारा वाजिब नहीं, लेकिन फिर कुछ खाये पिये नहीं, रोज़ादारों की तरह रहे। और इसी तरह अगर सूरज गुरुब होने के गुमान से रोज़ा खोल लिया फिर सूरज निकल आया तो रोज़ा जाता रहा, उसकी कज़ा करे कफ़ारा वाजिब नहीं, और जब तक सूरज न डूब जाए कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं। (बहिश्ती ज़ेवर हिरसा-3 सफ़हा-14,

बहवाला शरहुलबिदाया जिल्द-1 सफ़हा-205)

### बगैर सहरी का रोज़ा

सवाल: बगैर सहरी खाये रोज़ा दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: सहरी खाना रोज़ा के लिए मुस्तहब है, पस बिला सहरी के भी रोज़ा हो जाता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-496, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-156 बाब मा युफ़िसदुस्सौम)

अगर रात को सहरी खाने के लिए आँख न खुले सब के सब सो गए, तो बगैर सहरी खाए रोज़ा रखो, सहरी छूट जाने से रोज़ा छोड़ देना कम हिम्मती की बात है और बड़ा गुनाह है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-14)

### वक्त खत्म होने पर सहरी खाना

अगर इतनी देर हो गई कि सुब्ह सादिक हो जाने का शुब्ह पड़ गया, तो अब कुछ खाना मकरूह है। और अगर ऐसे वक्त कुछ खा पी लिया तो बुरा किया, और गुनाह हुआ। फिर अगर मालूम हो गया कि उस वक्त सुब्ह हो गई थी तो उसी रोज़ की कज़ा रखे। और अगर कुछ मालूम न हो शुब्ह ही शुब्ह रह जाए तो कज़ा रखना वाजिब नहीं है, लेकिन एहतियात की बात इसमें है कि उसकी कज़ा रख ले। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-14, बहवाला शरहुलबिदाया जिल्द-1 सफ़हा-205)

### सहरी के बाद बीवी से हमबिस्ती

सवाल: रमज़ानुलमुबारक में सहरी खाने के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तर हो सकता है या नहीं? और उसके बाद गुस्ल का वक्त कब तक है?

जवाब: रमज़ान शरीफ़ में सहरी खाने के बाद अगर

सुबह सादिक होने में देर हो तो अपनी बीवी से जिमाअ (सोहबत) करना दुरुस्त है, गरज़ ये है कि सुबह सादिक से पहले पहले जिमाअ से फ़रागत हो जानी चाहिए, और गुस्ल चाहे सुबह होने के बाद हो, रोज़ा में कुछ नुकसान न आएगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-496, बहवाला मिशकात शरीफ़ सफ़हा-174)

### सहरी के बाद कुल्ली करना

सवाल: सहरी खा कर अगर कुल्ली न करे और उसी तरह सो जाए तो रोज़ा में कुछ हरज तो नहीं?

जवाब: अगर दातों में अकटा हुआ खाना चने की मिक्दार, या उससे ज़्यादा हलक़ में उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा, सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी कफ़ारा नहीं। और अगर चने की मिक्दार से कम हो तो मुफ़िसद नहीं, लिहाज़ा फ़सादे रोज़ा की वजह से कुल्ली कर के सो जाना चाहिए।

(अहसनुलफ़तावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-443)

### रमज़ान में फ़ज़ की जमाअत जल्दी करना

सवाल: रमज़ान शरीफ़ के दिनों में सहरी खाने के बाद अगर एहतिमाल हो कि फ़ज़ के वक़्त आँख न खुलेगी तो औवले वक़्त में नमाज़ पढ़ लेना कैसा है? और उसी वक़्त अज़ान कह कर जमाअत कर लेना, इस वजह से कि लोगों की अक्सर जमाअत छूट जाती है और बाज़ औकात कज़ा भी हो जाती है, कैसा है?

जवाब: हामिदन व मुसल्लियन, रमज़ानुलमुबारक में सहरी के बाद औवले वक़्त फ़ज़ की नमाज़ के लिए अगर

नमाजी जमा हो जाएँ और रोजाना के वक़्ते मामूल तक ताख़ीर होने से जमाअत छूटने या कज़ा हो जाने का अंदेशा है तो औवले वक़्त जमाअत कर लेना बेहतर है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-1 सफ़हा-162)



*Maktab\_e\_Ashraf*

## पाँचवाँ बाब

### जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता

रोज़ा में कुछ बातें ऐसी हैं कि न उनसे रोज़ा टूटता है और न मकरूह होता है। उन बातों को याद रखना चाहिए। बाज़ हज़रात महज़ अपनी अक़ल व फ़हम से ये समझते हैं कि रोज़ा टूट गया, फिर कस्दन खा पी लेते हैं। हालांकि इस सूरत में मस्अला ये है कि अगर मस्अला जानते हुए भूल कर खाना खाने के बाद अमदन जिमाअ करने की सूरत में कफ़ारा भी लाज़िम होगा, और अमदन महज़ खाना खाने की सूरत में सिर्फ़ कज़ा ही है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-104)

#### भूल से खाना और सोहबत करना

अगर रोज़ादार भूल कर कुछ खा पी ले, या भूले से सोहबत हो जाए, तो उसका रोज़ा नहीं गया। अगर भूल कर पेट भर के खा पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटता, नीज़ अगर भूल कर कई मरतबा भी खा पी लिया तब भी रोज़ा नहीं गया। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-14, बहवाला कुदूरी सफ़हा-45)

#### तंदुरुस्त और जईफ़ की भूल में फ़र्क

एक शख्स को भूल कर खाते हुए देखा तो अगर वह इस क़दर ताक़तवर है कि रोज़े से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं

होती तो रोज़ा याद दिलाना वाजिब है। और अगर उस शख्स में रोज़ा रखने की क़वत व ताक़त न हो, रोज़ा से तकलीफ़ होती हो तो उसको याद न दिलाए खाने दे।

(आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-202)

### रोज़े में सुरमे, तेल और खुशबू का इस्तेमाल

रोज़ा की हालत में दिन में सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू सूंघना दुरुस्त है। इससे रोज़ा में कुछ नुक़सान नहीं आता है। बल्कि अगर सुरमा लगाने के बाद थूक या नाक की ग़लाज़त में सुरमा का असर दिखाई दे तो भी रोज़ा नहीं गया और न मकरूह हुआ।

(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-10, बहवाला कुदूरी सफ़हा-45)

### नापाकी की हालत में रोज़ा रखना

सोने की हालत में एहतेलाम हो गया, फिर बग़ैर गुस्ल किए हुए रोज़ा रख लिया तो उससे रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा। (नापाकी का गुनाह अलग होगा।)

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-31)

### रोज़ा की हालत में हलक़ के अन्दर मक्खी, मच्छर, गर्द

#### गुबार वगैरा चला जाना

रोज़ा की हालत में हलक़ के अन्दर मक्खी चली गई, या आप ही आप धुवां चला गया या, गर्द व गुबार चला गया तो रोज़ा नहीं गया, अलबत्ता अगर कस्दन ऐसा किया तो रोज़ा टूट जाएगा। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-11, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-298)

किताबुलफ़िक्ह अललमजाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-922 में तफ़सील के साथ ये मस्अला दर्ज है कि

रास्ता का गुबार, या आटे की छाँस, या मक्खी, मच्छर वगैरा उनमें से कोई भी मुंह में रोज़ा की हालत में चली जाए और मेअदा में पहुंच जाए तो रोज़ा के लिए नुकसान देह नहीं है, क्योंकि इन अशिया से बचना मुश्किल और दुश्वार है।

नीज़ यही हुक्म उसमें भी है कि अगर कोई चीज़ पीसने, या दवा कूटने का गुबार, या उसका मज़ा हलक में महसूस हो तो रोज़ा नहीं टूटता।

(आलमगीरी (पाकिस्तानी) जिल्द-2 सफ़हा-17)

### रोज़े की हालत में आँसू का मुंह में चला जाना

अगर रोज़ादार के मुंह में आँसू दाखिल हों, तो अगर थोड़े हों जैसे कि एक दो कतरे, या मिस्ल उसके तो रोज़ा फ़ासिद न होगा और अगर बहुत हों कि आँसुओं की नमकीनियत मुंह में पाए और बहुत ज़्यादा जमा हो जाएं तो फिर उनको निगल जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। इसी तरह चेहरा का पसीना रोज़ादार के मुंह में दाखिल हो तो यही हुक्म है। (फ़तावा आलमगीरी उर्दू (पाकिस्तानी) जिल्द-2 सफ़हा-17)

### रोज़े की हालत में फूल सूंधना

ख़ुशबूदार इत्रीयात, गुलाब, नर्गिस वगैरा का फूल सूंधने से या गुस्ले जनाबत (नापाकी हालत) में इतनी देर करे कि सूरज निकल जाए, बल्कि पूरे दिन नापाकी की हालत में रहने से भी रोज़ा नहीं टूटता। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-919)

### रोज़े की हालत में नक्सीर फूट जाना

सवाल: रोज़ा की हालत में नक्सीर फूट गई यहाँ

तक कि उसका अंसर थूक में भी पाया गया तो क्या रोज़ा हो गया?

जवाब: उसके रोज़ा में कुछ खलल नहीं आया। बशर्ते कि उसके पेट में खून न गया हो। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-406)

### रोज़ो में कान के अन्दर तेल या पानी जाना

कान में पानी के खुदबखुद चले जाने से या कस्दन डालने से रोज़ा नहीं टूटता, बख़िलाफ़ तेल के, उसके डालने से रोज़ा फ़ासिद हो जाता है। बशर्ते कि तेल पेट में दाख़िल हो जाए। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-32)

### नाक में पानी चला जाना

सवाल: रोज़ा की हालत में रोज़ा याद होते हुए वुजू करते वक़्त ग़लती से या जान बूझ कर दिमाग़ तक पानी पहुंच गया, या दिमाग़ तक तो नहीं पहुंचा मगर इतनी दूर तक कि उससे तकलीफ़ हुई तो शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: नाक की राह से पानी पहुंचाने से रोज़ा नहीं टूटता, अगर नाक से हलक़ में पानी चला आया, तब रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। दिमाग़ तक पहुंचने की शक़ल में तरहुद है तहकीक़ कर लें। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-172 व जिल्द-2 सफ़हा-129)

### आँख में दवा डालना

बदन के मसामों से जो तेल अन्दर (जिस्म में) दाख़िल हो जाता है उससे रोज़ा नहीं टूटता, इसी तरह जो शख़्स पानी से नहाया और उसको जिस्म के अन्दर सर्दी महसूस हुई तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नीज़ आँखों में दवा टपकाई तो रोज़ा नहीं टूटता अगरचे उसका मज़ा



हलक में महसूस हुआ। (फ़तावा आलमगीरी (पाकिस्तानी) उर्दू जिल्द-2 सफ़हा-18)

### कुल्ली करने के बाद मुंह में पानी के असरात रह जाना

कुल्ली करने के बाद पानी की तरी जो मुंह में बाकी रह जाती है, उसको निगल जाने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर उसमें ये शर्त है कि कुल्ली करने के बाद एक दो मरतबा थूक मुंह से निकाल दिया जाए। इसलिए कि कुल्ली के बाद कुछ पानी बाकी रह जाता है, हां दो एक मरतबा थूक देने के बाद फिर पानी नहीं रह जाता अलबत्ता हल्की सी तरी रह जाती है, इसमें कुछ हरज नहीं।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-32)

### नाक को हलक की जानिब चढ़ाना

नाक को रोज़े की हालत में इतनी ज़ोर से सुड़क लिया कि हलक में चली गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटा, इसी तरह मुंह की राल सुड़क कर निगल जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-12, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-278)

### रोज़े में थूक या राल निगल जाना

रोज़े की हालत में मुंह में थूक या राल जो जमा हो जाए उसको निगल ले, या दाँतों की झिरी में खाने की कोई चीज़ रह गई है उसको निगल ले तो इससे भी रोज़ा को नुक़सान नहीं पहुंचता और क़स्दन ऐसा किया तो भी रोज़ा दुरुस्त होगा। हां अगर उस चीज़ की मिक्दार इतनी हो जिसको उमूमन ज़्यादा कहा जाता है तो उसके निगलने से ख़्वाह बेइरादा ही ऐसा हुआ हो रोज़ा बातिल हो जाएगा।

(किताबुलफिक्ह अललमजाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-920)

### बातें करते वक़्त हॉट थूक में तर हो जाना

अगर किसी के हॉट बातें करते वक़्त या किसी वक़्त थूक में तर हो जाएँ, फिर उसको निगल जाए तो ज़रूरत की वजह से रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा।

इसी तरह अगर मुंह से राल थोड़ी तक बही और उसका तार मुंह के अन्दर के लुआब से मिला हुआ था, फिर वह उसको मुंह के अन्दर ले जा कर निगल गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि उसका बाहर निकलना पूरा नहीं हुआ था। और अगर उसका तार टूट गया था तो फिर उसका हुक्म मुख्तलिफ़ है। यानी मुंह के लुआब से तार टूट जाने के बाद उस राल को मुंह के अन्दर लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। (फ़तावा आलमगीरी उर्दू (पाकिस्तानी) जिल्द-2 सफ़हा-17)

### दाँतों में खिलाल करने से मुंह में रेशा चला जाना

दाँतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था, या छाली का टुकड़ा वगैरा, या कोई और चीज़ थी, उसको खिलाल करने से खा लिया, लेकिन उसको मुंह से बाहर नहीं निकाला था, आप ही आप हलक़ में चला गया तो देखो अगर चने की मिक्दार से कम है, तो रोज़ा नहीं गया, अगर चने के बराबर, या उससे ज़्यादा है, तो रोज़ा जाता रहा। अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था फिर उसके बाद निगल लिया तो हर हाल में रोज़ा टूट गया चाहे चने के बराबर हो या उससे भी कम हो, दोनों का हुक्म एक ही है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-11,

बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-208)

### रमज़ान में सोने वाले का उठ कर दाँत में खून देखना

सवाल: रमज़ान में दोपहर को एक शख्स सोता था, जब उठा तो उसके दाँत में खून था, ये यकीन नहीं कि सोते वक़्त खून मुँह में गया या नहीं, अब रोज़ा का क्या हुक्म है?

जवाब: इस सूरत में रोज़ा नहीं जाता। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-413, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-134)

### खून में मिला हुआ थूक निगल जाना

मुँह से खून निकलता है उसको थूक के साथ निगल जाए तो रोज़ा टूट गया। अलबत्ता अगर खून थूक से कम हो और खून का मज़ा हलक़ में मालूम न हो तो रोज़ा नहीं टूटता। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-13)

### पान की सुर्खी निगलना

सवाल: सहरी के बाद पान खाया, दिन निकलने पर पान की सुर्खी थूक में मौजूद है, ऐसे थूक के निगलने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं?

अगर कुल्ली, गरारा किया हो तो फिर क्या हुक्म है? बाज़ मरतबा कुल्ली करने के बाद हल्की सी सुर्खी थूक में रह जाती है जिसका दूर करना मुश्किल व दुश्वार है शरई क्या हुक्म है?

जवाब: बाहर से रंग का असर अगर थूक में हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन पान जो सुब्ह सादिक़ से पहले खा लिया और उसके अजज़ा मुँह में न रहे और कुल्ली वगैरा कर के मुँह को ख़ूब साफ़ कर लिया फिर

अगर सुब्ह को थूक में सुर्खी का असर बाकी रहा और उसको निगल लिया तो उसमें मुफ़िसदे सौम का हुक्म न होगा। थूक अगर सुर्खी माएल है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन एहतियात ज़रूरी है, और जहां तक हो सके कुछ असर न छोड़ना चाहिए, रूत मुंह को साफ़ कर लेना चाहिए, और अगर किसी को शक व शुब्हा हो तो उस रोज़ा की कज़ा कर ले। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-415, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-141, 142)

### सहरी के वक़्त मुंह में पान लेकर सो जाना

**सवाल:** रोज़े की नीयत से पान खा कर लेट गए, जब सुब्ह को जागे तो किसी के मुंह में पूरा पान था और किसी के मुंह में चने के बराबर और किसी के मुंह में कुछ भी नहीं था तो इस सूरत में किस किस का रोज़ा हुआ, शरई हुक्म क्या है?

**जवाब:** अगर सोते वक़्त मुंह में पान लेकर सोया और सुब्ह तक मुंह में रहा, तो रोज़ा जाता रहेगा, जिसके मुंह में पान न पाया गया हो तो ज़ाहिर है कि वह उसको निगल गया हो, और यही कहा जाएगा कि सुब्ह के बाद निगला है, और अगर पान सालिम भी पाया गया तब भी ग़ालिब है कि उसका अर्क हलक़ में गया होगा। दलील उसकी ये है कि हुकमा व अतिब्बा असलुस्सूस वगैरा मुंह में डाल कर सोने को बताते हैं, अगर अर्क न पहुंचता तो उससे क्या नफ़ा। जब पहुंचना साबित हो गया तो सोने की हालत में खाए पिए तो कज़ा वाजिब है और अगर सोने से पहले पान थूक दिया और गरगरा वगैरा नहीं किया तो अगर मुंह में चने के बराबर या चने से ज़्यादा

था तो कज़ा वाजिब है और उससे कम है तो रोज़ा फ़ासिद नहीं। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-172)

### मूँह में रेत चला जाना

**सवाल:** मूँह में रेत पहुंची और थूक दिया और बाद में थूक निगल गया। फिर दाँतों में रेत मालूम हुई कि रेत अन्दर ही रह गई है तो उससे रोज़ा टूटा या नहीं?

**जवाब:** इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-409, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-6 सफ़हा-134)

### मसनूई दाँत का हक़म

**सवाल:** जो शख्स मूँह में हर वक़्त मसनूई दाँत लगाए रहता है, न उनमें बू है, और न मज़ा है, रोज़े की हालत में ये दाँत मूँह में रहते हैं क्या इससे रोज़ा मकरूह होता है?

**जवाब:** मकरूह न होगा। (इमदादुलफ़तावा जदीद तरतीब जिल्द-2 सफ़हा-142)

### पाएरिया की पीप मूँह में चली जाना

**सवाल:** मरज़ पाएरिया की वजह से मसोढ़ों में पीप आती है, उसको थूक के साथ निगल जाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। मालूम ये करना है कि जो चीज़ मूँह में ही पैदा हो रही है उसके अजज़ा कस्दन या बिला कस्द थूक के साथ हलक़ में चले जाएँ तो क्या हुक़म है। जो चीज़ ख़ारिजे मूँह में रखी जाए, जैसे सोते में पान मूँह में रह गया और सुबह को आँख खुली तो क्या दोनों में फ़र्क़ है या नहीं?

**जवाब:** पाएरिया की पीप को पान की पीक पर क्यास

करना और मुफ़िसदे सौम करार देना सही नहीं है। पान खारिज से मुंह में रखा जाता है, उसकी पीक थूक पर गालिब होती है। बख़िलाफ़ पाएरिया की पीप के कि पाएरिया एक मुस्तक़िल मरज़ है, पीप मुंह में पैदा होती है। इससे एहतिराज़ मुमकिन नहीं। पीप की मिक़दार भी कम और थूक से मग़लूब होती है लिहाज़ा मुफ़िसदे सौम नहीं होना चाहिए। (फ़तावा रशीमिया जिल्द-3 सफ़हा-109, बहवाला आलमगीरी जिल्द-2 सफ़हा-131)

### डिकार के बाद मुंह में पानी आ जाना

जिस शख्स ने सहरी में इस क़दर खाया हो कि तुलूए आफ़ताब के बाद डिकारें आती हैं और उनके साथ पानी आता है इससे रोज़ा में कुछ हरज नहीं आता है।

(फ़तावा रशीदिया कामिल जिल्द- सफ़हा-371)

### खून रोकने के लिए मंजन का इस्तेमाल

**सवाल:** जब कि मसोढ़ों से खून और मवाद निकलता हो तो किसी ऐसे मंजन का जो खून को रोके और दाफ़ेए मवाद हो इस्तेमाल जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** जाइज़ है, मगर मंजन मल कर फ़ौरन मुंह धो ले और कुल्ली करे, ताकि उसका असर पेट में न जाए और मंजन ऐसा हो कि आदतन पेट में न पहुंचता हो, मगर बचना अच्छा है, इसलिए कि कराहते तंजीही तो बहरहाल है। एहतियात के साथ मंजन मलें और दाँतों को साफ़ करें कि हलक़ के अन्दर कुछ न जाए तो, मकरूह नहीं है। यानी मकरूहे तहरीमी नहीं है, ख़िलाफ़े औला ज़रूर है जिसका मतलब कराहते तंजीही है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-404, बहवाला

रदुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-153)

### मिस्वाक और कोएले से दाँत साफ़ करना

कोएला चबा कर दाँत माँजना और मंजन से दाँत माँजना मकरूह है। और अगर इसमें से कुछ हलक़ में उतर जाएगा तो रोज़ा जाता रहेगा। और मिस्वाक से दाँत साफ़ करना दुरुस्त है, ख़्वाह सूखी मिस्वाक हो या ताज़ा उसी वक़्त की तोड़ी हुई, अगर नीम की मिस्वाक है और उसका कड़वापन मुँह में मालूम होता है जब भी मकरूह नहीं। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-13, बहवाला मराकियुलफ़लाह सफ़हा-210)

### मिस्वाक का रेशा पेट में चला जाना

सवाल: मिस्वाक करते वक़्त उसका रेशा पेट में चला गया और कोशिश के बावजूद बाहर न निकला। क्या इससे रोज़ा फ़ासिद हो गया?

जवाब: दाँतों में अटका हुआ खाने का ज़र्रा अगर चने के दाने से कम मिक्दार में हलक़ में चला जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। उसकी वजह यही है कि उससे बचना मुश्किल है। इससे साबित हुआ कि मिस्वाक के रेशा से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। (अहसनुलफ़तावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-435)

### तम्बाकू का पत्ता जला कर दाँत साफ़ करना

सवाल: बाज़ औरतें तम्बाकू का पत्ता जला कर उसकी राख और मिस्सी से रमज़ान शरीफ़ में दाँत साफ़ करती हैं ये कैसा है?

जवाब: अगर दाँतों को मल कर धो लिया जाए कि पेट में उसका असर न जाए तो रोज़ा में कुछ ख़लल नहीं

आता। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-406)

### दूथ पेस्ट या दूथ पावडर का इस्तेमाल

रोज़े की हालत में फुक़हाए अहनाफ़ ने मिस्वाक की इजाज़त दी है, चाहे वह खुश्क लकड़ी की हो जिसमें एक गुना ज़ाएक़ा मौजूद होता है, लेकिन दूथ पेस्ट या दूथ पावडर का हाल इससे मुख़ालिफ़ है, इसमें बहुत महसूस ज़ाएक़ा होता है। मिस्वाक का न उस पर इतलाक़ होता है और न मिस्वाक की सुन्नत अदा करने के लिए उसकी ज़रूरत है इसलिए किसी ज़रूरत शदीदा के बग़ैर उसका इस्तेमाल कराहत से ख़ाली न होगा, हां उज़र की बिना पर किया जा सकता है।

(जदीद फ़ेक्ही मसाइल जिल्द-1 सफ़हा-102)

### रोज़े में कैय करना

सवाल: कैय करने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं?

जवाब: अगर कैय मुंह भर कर आई और एक चने की बराबर या उससे ज़ाएद जान बूझ कर अमदन वापस लौटा ली तो रोज़ा टूट गया। कज़ा फ़र्ज है, कफ़ारा नहीं, और अगर जान बूझ कर मुंह भर के कैय की तो उस सूरत में बहरहाल रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। अगरचे वापस न लौटाए। अलबत्ता मुंह भर कर कैय न हो तो रोज़ा नहीं टूटता।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-120)

### कस्दन कैय में से कुछ मुंह में तली जाना

अगर कोई शख्स कस्दन कैय करे तो अगर मुंह भर कर न होगी तो रोज़ा फ़ासिद न होगा, जो कैय कस्दन की जाए और मुंह भर कर न हो वह अगर बेइख़्तियार



हलक के नीचे उतर जाए तो रोज़ा फ़ासिद न होगा।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-32)

### अपने आप कैय हो जाना

आप ही आप कैय हो गई तो रोज़ा नहीं गया, चाहे थोड़ी सी कैय हुई या ज़्यादा, अलबत्ता अगर अपने इख़्तियार से कैय की और मुंह भर कर कैय हो गई, तो रोज़ा जाता रहा, और अगर इससे थोड़ी हो तो खुद करने से भी नहीं गया। नीज़ थोड़ी सी कैय आई फिर खुद बखुद हलक में लौट गई तब भी रोज़ा नहीं टूटा। अलबत्ता अगर कस्दन लौटा ली तो रोज़ा टूट गया।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-12, बहवाला फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-202)

### कैय होने के बाद कस्दन खाना

अगर किसी को कैय हुई और वह ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, इस गुमान पर फिर कस्दन खा लिया और रोज़ा तोड़ दिया तो भी कज़ा वाजिब है। कफ़ारा वाजिब नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-13, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-204)

### रोज़ा की हालत में सर में तेल जज़ब करना और मुश्तरक

#### हिस्सा में खुश्क चीज़ दाख़िल करना

अगर कोई शख्स सर में तेल डाले, या सुरमा लगाए या मर्द अपने मुश्तरक हिस्से के सूराख में कोई खुश्क चीज़ दाख़िल करे, और उसका सिरा बाहर रहे या तर चीज़ दाख़िल करे और वह मौज़ए हुकना तक न पहुंचे तो चूंकि ये चीज़ें जौफ़ (अन्दरूनी) हिस्सा तक नहीं पहुंचती इसलिए रोज़ा फ़ासिद न होगा न कफ़ारा वाजिब होगा।

और न कज़ा। और अगर खुश्क चीज़ मसलन रूई या कपड़ा वगैरा मर्द ने अपनी दुबुर (इजाबत के सूराख) में दाखिल की और सारी अन्दर गाइब हो गई या तर चीज़ दाखिल की और वह मौज़ए हुकना तक पहुंच गई तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। इसी तरह अगर कोई मर्द अपने ज़कर के सूराख में कोई चीज़ मसलन तेल या पानी डाले ख़्वाह पिचकारी के ज़रीए से या वैसे ही या सलाई वगैरा दाखिल करे अगरचे ये चीज़ें मसाना तक पहुंच जाएं, तो रोज़ा फ़ासिद नहीं होता।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-106)

### रोज़े की हालत में बीवी से बोस व किनार

सवाल: क्या रोज़े की हालत में बीवी से बोस व किनार जाइज़ है?

जवाब: ये उमूर जाइज़ हैं, मगर जवान आदमी ऐसा फेल रोज़े की हालत में न करे। इसमें ख़ौफ़ है कि वह जिमाअ की तरफ़ रागिब कर देगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-412, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-199)

### रोज़े में भियाँ बीवी दोनों की शर्मगाहों का मिल जाना

सवाल: ज़ैद ने रोज़े की हालत में दिन में बीवी से प्यार किया, या बग़लगीर हुआ, या एक ने दूसरे की शर्मगाह को मिलाया जिससे शह्वत पैदा हो गई, फिर दोनों अलाहिदा हो गए तो क्या रोज़ा हो गया?

जवाब: इस सूरत में रोज़ा हो गया, मगर जवान आदमी को ऐसा करना अच्छा नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-407)

### रोज़े में मज़ी का निकलना

**सवाल:** रोज़े में बीवी के साथ प्यार वगैरा करने की वजह से जोश से मज़ी आ जाए तो क्या हुक़म है?

**जवाब:** प्यार वगैरा की वजह से जो पानी निकलता है उसको मज़ी कहते हैं। इससे रोज़ा में कोई नुक़सान नहीं आता, अलबत्ता मनी के निकलने से रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़ा को ख़तरा हो तो बोस व किनार जाइज़ नहीं है, मकरूहे तहरीमी है।

(हसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-141, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-123)

### रोज़ा में महज़ देखने से इंज़ाल हो जाना

महज़ देखने से या ख़्याल करने से इंज़ाल हो जाए (मनी का इख़राज) और ये ग़ैर इरादी तौर पर हो, तो रोज़ा नहीं टूटता, जैसा कि एहतिलाम से नहीं टूटता, यानी अगर किसी शख़्स को महज़ शहवत अंगेज़ चीज़ के देखने या सोचने से इंज़ाल हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलरअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-920)

सोने की हालत में मनी के ख़ारिज होने से जिसको एहतिलाम कहते हैं अगरचे बग़ैर गुस्ल किए हुए रोज़ा रखे तो, रोज़ा फ़ासिद न होगा। इसी तरह अगर किसी औरत के ख़ास हिस्सा को देखने से या सिर्फ़ किसी बात का दिल में ख़्याल करने से मनी ख़ारिज हो जाए, जब भी रोज़ा फ़ासिद न होगा।

(बहशती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-106, बहवाला कुदूरी

सफ़हा-45 व फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-203)

### सुह सादिक होते ही बीबी से अलग हो गया

किसी शख्स ने बेसबब इसके कि उसको रोज़ा का ख्याल नहीं रहा, या अभी कुछ रात बाकी थी इसलिए जिमाअ (सोहबत) शुरू कर दिया, या कुछ खाने पीने लगा और उसके बाद जैसे ही उसको रोज़ा का ख्याल आ गया या ज्योंहि सुह सादिक हुई फौरन बीबी से अलग हो गया, या लुकमा को मुंह से फेंक दिया, अगरचे अलाहिदा हो जाने के बाद मनी भी खारिज हो जाए, जब भी रोज़ा फासिद न होगा और ये इज़ाल एहतेलाम के हुकम में होगा। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-106, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-150)

### रमज़ान में जनाबत का गुस्ल सुह को करना

सवाल: रमज़ान में गुस्ले जनाबत सुह को करने से रोज़ा में तो कुछ नुकसान नहीं आता?

जवाब: इससे रोज़ा में कुछ खलल और खराबी लाज़िम नहीं आती। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-414, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-2 सफ़हा-138, बाब मा युफिसदुस्सौम व मा ला युफिसदुह)

### रोज़ा में रुमाल भिगो कर सर पर डालना

सवाल: एक शख्स रोज़ा में कस्दन रुमाल भिगो कर इसलिए सर पर डालता है ताकि रोज़ा में तख़फ़ीफ़ हो ये फ़ेल कैसा है, क्या ये मकरूह है?

जवाब: अबूदाऊद की रिवायत और रहुलमुहतार की इबारत से मालूम होता है कि सही मुफ़ता बेह कौल यही है। ऐसा करना मकरूह नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम

जिल्द-6 सफ़हा-405, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-156, बाब मा युफ़िसदुस्सौम व मा ला युफ़िसदूह

### रोज़े में तर कपड़ा पहनना या बार बार गुस्ल करना

सवाल: रोज़े में तर कपड़ा पहनना और तीन चार मरतबा गुस्ल करना जाइज़ है या नहीं, इससे रोज़े में कुछ फ़र्क आता है या नहीं?

जवाब: इससे रोज़ा में कुछ फ़र्क नहीं आता। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-407, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-186)

### गर्मी की वजह से रोज़े में कुल्ली करना

रोज़े में गर्मी की वजह से कुल्ली करना, या नाक में पानी डालना, या मुंह पर पानी डालना, नहाना, कपड़ा पानी से तर कर कर के बदन पर डालना, इससे रोज़ा फ़ासिद नहीं होता। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-33)

### रोज़ा में खून निकलवाना

सवाल: रोज़ा की हालत में बज़रीए इंजेक्शन खून निकलवाना मुफ़िसदे सौम है या नहीं?

जवाब: इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर इसे ज़ोअफ़ व कमज़ोरी का ख़तरा हो, कि रोज़ा की ताकत न रहेगी तो मकरूह है। (अहसनुलफ़तावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-425)

## छटा बाब

### जिन चीज़ों से रोज़ा फ़ासिद हो जाता और सिर्फ़ कज़ा रखना पड़ती है

#### कज़ा किस को कहते हैं?

रोज़े में खाना पीना और जिमाअ का तर्क करना फ़र्ज है। पस जो कोई फ़ेल इस फ़र्ज के खिलाफ़ किया जाएगा तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। यानी रोज़ा जाता रहेगा। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अगर कोई ऐसी चीज़ पेट में पहुंचाई जाए जिसके नाफ़ेअ होने का ख़याल है ख़्वाह गिज़ा हो या दवा, तो ऐसी हालत में रोज़े की कज़ा रखना पड़ेगी और इस जुर्म का कफ़ारा देना होगा। और अगर कोई चीज़ क़स्दन न पहुंचाई जाए बल्कि खुद पहुंच जाए या उसके नाफ़ेअ न होने का ख़याल हो तो सिर्फ़ रोज़े की कज़ा रखना पड़ेगी।

इसी तरह अगर कोई ऐसा फ़ेल किया जाए जिसकी लज़ज़त जिमाअ की लज़ज़त के बराबर है तो कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे, वरना सिर्फ़ कज़ा।

हासिल यह है कि रोज़ा को फ़ासिद करने वाली चीज़ें दो किस्म की हैं, एक वह जिनसे सिर्फ़ कज़ा लाज़िम होती है दूसरे वह जिन पर कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं।

मुन्दरजा बाला इबारत का मफहूम आसान लफ़्जों में यूँ भी ब्यान किया जा सकता है कि जिन बातों से रोज़ा टूट जाता है उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं जाता है, मगर रोज़ा के बदले सिर्फ़ एक ही रोज़ा रखना पड़ेगा। इसको शरअ में "क़ज़ा" कहते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, उसके बाद एक रोज़ा क़ज़ा का और दो महीने के मुसलसल रोज़े मज़ीद रखने पड़ेंगे। इसको "कफ़ारा" कहते हैं। जिसका ब्यान आइंदा बाब में आ रहा है। यहाँ पर क़ज़ा के मसाइल ब्यान किए जा रहे हैं।

किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ में क़ज़ा का ये उसूल लिखा है—

जो चीज़ें पेट में इस तरह गई हों जिस तरह उसका पेट में जाना शरअन तस्लीम किया गया हो, मसलन किसी शैय का नाक से, मुंह से, कान से, आगे पीछे की राह से, या ज़ख्म है जो दिमाग तक पहुंचा हुआ हो (दाखिल करना) इसी में हुक्का नोशी और तम्बाकू और नसवार वगैरा का इस्तेमाल भी शामिल है। इन तमाम से रोज़ा बातिल हो जाता है और क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-922)

### क़ज़ा रोज़ा रखने का तरीका

क़ज़ा रोज़ों का मुसलसल रखना ज़रूरी नहीं है। ख्वाह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा हो या किसी और किस्म के रोज़ों की, क़ज़ा के रोज़ों का उज़र ज़ाएल होते

ही रखना ज़रूरी नहीं, इख्तियार है जब चाहे रखे। नमाज़ की तरह इसमें तरतीब भी फ़र्ज़ नहीं। आदा के रोज़े बे कज़ा रोज़ों के रखे हुए रख सकता है।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-39)

### कज़ा रखने का मनासिब तरीका

किसी उज़र से रोज़ा कज़ा हो गया हो, तो जब उज़र जाता रहे तो रोज़ा जल्दी अदा कर लेना चाहिए। जिन्दगी और ताक़त का भरोसा नहीं, कज़ा रोज़ों में इख्तियार है कि लगातार रखे या एक एक दो दो कर के रखे।

(जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-381)

### चंद साल के कज़ा रोज़ों में साल का मुकर्रर करना ज़रूरी है

रोज़े की कज़ा में दिन तारीख़ मुकर्रर कर के कज़ा की नीयत करना कि फ़लाँ दिन तारीख़ के रोज़े रखता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितने रोज़े कज़ा हों उतने ही रोज़े रख लेना चाहिए। अलबत्ता अगर दो रमज़ान के कुछ रोज़े कज़ा हो गए और दोनों साल के रोज़ों की कज़ा करनी है तो साल का मुकर्रर करना ज़रूरी है। यानी इस तरह से नीयत करे कि फ़लाँ साल के रोज़ों की कज़ा रखता हूँ।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-6, बहवाला कुदूरी सफ़हा-47)

### कज़ा रखने नहीं पाए थे कि दूसरा रमज़ान आ गया

अभी गुज़रता रमज़ान के कज़ा नहीं रखे थे कि दूसरा रमज़ान आ गया तो ख़ैर अब रमज़ान के अदा रोज़े रखे, ईद के बाद कज़ा रखे, लेकिन इतनी देर करना बुरी बात है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-6, बहवाला कुदूरी



सफ़हा-47)

**रमज़ान में बेहोश हो जाना**

रमज़ान के महीना में अगर कोई दिन में बेहोश रहा तो बेहोशी होने के दिन के अलावा जितने दिन बेहोश रहा उतने दिनों की कज़ा रखे, जिस दिन बेहोश रहा उस एक दिन की कज़ा वाजिब नहीं है, क्योंकि उस दिन का रोज़ा नीयत की वजह से दुरुस्त हो गया। हाँ अगर उस दिन रोज़ा ही नहीं रखा था या उस दिन हलक़ में कोई दवाई डाली गई और हलक़ से उतर गई तो उस दिन की कज़ा वाजिब है।

और अगर कोई रात को बेहोश हुआ तब भी जिस रात को बेहोश हुआ उस एक दिन की कज़ा वाजिब नहीं है बाकी और जितने दिन बेहोश रहे सबकी कज़ा वाजिब है। हाँ अगर उस रात को सुबह का रोज़ा रखने की नीयत न थी या सुबह को कोई दवाई हलक़ में डाली गई तो उस दिन का रोज़ा भी कज़ा रखे। (बहिश्ती ज़ेवर सफ़हा-3, 6 बहवाला कुदूरी सफ़हा-47)

**पूरे रमज़ान बेहोश रहना**

अगर कोई पूरे रमज़ान बेहोश रहे, जब भी कज़ा रखना चाहिए, ये न समझे कि सब रोज़े मआफ़ हो गए, अलबत्ता अगर जुनून हो गया और पूरे रमज़ान दीवानगी रही तो उस रमज़ान के किसी भी रोज़े की कज़ा वाजिब नहीं। और अगर रमज़ान शरीफ़ के महीने में किसी दिन जुनून जता रहा और अक्ल ठिकाने हो गई, तो अब से रोज़े रखने शुरू करे और जितने रोज़े जुनून में गए हैं, उनकी भी कज़ा रखनी पड़ेगी। और अगर उसको अपने नीयत

करने या न करने का हाल मालूम हो तो फिर अपने इल्म के मुवाफ़िक़ अमल करे, अगर नीयत करने का इल्म हो तो उस दिन का रोज़ा क़ज़ा न करे, और अगर नीयत न करने का इल्म हो तो उस दिन का भी रोज़ा क़ज़ा करे।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-38)

### जुनून की हालत में रोज़ा

जुनून की हालत में रोज़ा रखना मआफ़ है। यानी क़ज़ा फ़र्ज़ नहीं है, सब मआफ़ है। अगर ऐसा जुनून हो कि रात को किसी वक़्त न होता हो तो उस ज़माना के रोज़ों की क़ज़ा भी लाज़िम न होगी और अगर किसी वक़्त इफ़ाका हो जाता है, ख़्वाह रात को या दिन को तो फिर उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी।

जुनून के सबब से जो रोज़े क़ज़ा हो गए हों उनमें न क़ज़ा की ज़रूरत है न फ़िदया की। हाँ अगर किसी वक़्त इफ़ाका हो जाता है तो फिर उसी दिन की क़ज़ा ज़रूरी है। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-38, 39)

### रोज़ा में धुवें का सूंघना

अगर कोई शख्स कस्दन खुशबू की कोई चीज़ जला कर उसका धुवां अपनी तरफ़ लेगा और उसको सूंघे गा तो रोज़ा याद होने के बावजूद धुवें को दाख़िल करना ख़्वाह किसी भी सूरत से हो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। धुवां अंबर का हो, या अगरबत्ती जला कर उसका हो या इनके अलावा किसी भी चीज़ का हो, क्योंकि रोज़ादार के लिए उस धुवें से बचना मुम्किन था। और अगर किसी रोज़ादार के मुंह या हलक़ में बिला कस्द व बिला इख़्तियार धुवां चला जाए तो उससे रोज़ा फ़ासिद नहीं होता क्योंकि

उससे बचना कतअन नामुम्किन है। इसलिए कि अगर मुंह भी बंद कर ले तब भी नाक के जरीए से धुवां चला जाएगा। और रोजे की हालत में मुर्दा को धूनी वगैरा देने का मसअला इसमें शामिल नहीं है। यानी इससे रोजा फ़ासिद नहीं होगा, क्योंकि वहां पर धूनी देना है। धूनी का लेना नहीं है। और धूनी का देना अलग है। इस मसअला से अक्सर हज़रात गाफ़िल रहते हैं, इस बारे में एहतियात बहुत ज़रूरी है।

नोट: ये बात भी समझ लेनी ज़रूरी है, कि इस मसअला को मुश्क, गुलाब और दीगर खुशबू के सूंघने पर क्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि महज़ खुशबू और उस धुवें के जो पकाने के इस्तेमाल में किया जाता है इसमें और उस धुवें में जो क़रदन हलक में दाखिल किया जाए। बहुत बड़ा फ़र्क है।

### धुवें के बारे में मौलाना यानबी (रह.) का फ़तवा

अगर रोज़ेदार को ऐसे फ़ेल से बचना और एहतैराज़ करना बगैर नुक़सान व हरज के मुम्किन हो जो उसके हलक में गुबार या धुवें के दाखिल होने का बाइस हो, बावजूद इसके उस फ़ेल को करे तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-2 सफ़हा-138)

लोबान सुलगाई, फिर उसको अपने पास रख कर सूंधा तो रोज़ा जाता रहा। सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब है, अलबत्ता इत्र, केवड़ा, गुलाब का फूल वगैरा और खुशबू सूंधना जिसमें धुवां न हो दुरुस्त है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-11)

### रोज़ा में दवा सूंधना

सवाल: "अटलूस" एक दवा है, जो नौसादर और

चूना मिला कर बनती है, इसे शीशी में भर कर नाक से लगा कर सूँघा जाता है उसकी तेज़ी दिमाग तक पहुंचती है उसके सूँघने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं?

**जवाब:** इस सूरत में रोज़ा टूट गया, कज़ा लाज़िम है। जैसा कि दुर्रेमुख्तार में है कि रोज़ा के याद होते हुए हलक में धुवां जाए, अंबर या ऊद का ही क्यों न हो, तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। कज़ा वाजिब होगी। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-418, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द-2 सफ़हा-134 बाब मा युफ़िसदुस्सौम)

### रोज़ा में बेइरिख़्तार मुंह में पानी चला जाना

कुल्ली करते वक़्त हलक में पानी चला गया और रोज़ा याद था तो रोज़ा जाता रहा कज़ा वाजिब है। कफ़ारा वाजिब नहीं। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-11, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-150)

### जमाही लेते वक़्त मुंह में पानी या बर्फ़ चला जाना

अगर किसी शख्स को जमाही आई और उसने अपना सर उठाया, या उसके हलक में पानी का कतरा किसी परनाला वगैरा से टपक गया, तो उसका रोज़ा फ़ासिद हो गया, सिर्फ़ कज़ा रखे और इसी तरह से अगर बारिश का पानी या बर्फ़ किसी के मुंह में दाख़िल हो गया, तो उसका रोज़ा फ़ासिद हो गया, सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी।

नीज़ अगर किसी ने रोज़ादार की तरफ़ कुछ फेंका और वह उसके हलक में जा पड़े, तो जब भी यही हुक़म है। और इसी तरह नहाते हुए उसके मुंह में पानी चला जाए, जब भी यही हुक़म है। और अगर कोई रोज़ादार सोते हुए पानी पी ले तो उसका भी यही हुक़म है, यानी

इन सब सूरतों में सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं।  
(फ़तावा आलमगीरी उर्दू (पाकिस्तानी) जिल्द-2 सफ़हा-7)

### अमदन ख़ाँसने से कोई चीज़ हलक़ के ऊपरी हिस्सा तक

#### आ जाना

अमदन ख़ाँसने और खिंकारने से कोई चीज़ मेअदा से हलक़ के ऊपरी हिस्सा तक आ जाए, तो रोज़ा टूट जाएगा। बलग़म को अन्दर से बाहर निकाल कर थूक देना इस हुक्म में दाख़िल नहीं, क्योंकि ऐसा करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है। हाँ अगर वह मुंह में आ कर रुक जाए और उसको निगल लिया जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-923)

### रोज़े में खून का हलक़ के अन्दर चला जाना

सवाल: नक्सीर का खून हलक़ में पहुंच कर पेट में चला गया, तो उससे रोज़ा टूटा या नहीं?

जवाब: उससे रोज़ा टूट गया। सिर्फ़ कज़ा वाजिब है कफ़ारा वाजिब नहीं। (अहसनुलफ़तावा (पाकिस्तानी) जिल्द-2 सफ़हा-429)

### रोज़ा में मिट्टी खाना

अगर किसी ने ऐसी मिट्टी खाई जिससे सर धोते हैं तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा, सिर्फ़ कज़ा रखे, और अगर उस मिट्टी के खाने की उस शख्स को आदत है तो कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे।

(आलमगीरी उर्दू (पाकिस्तानी) जिल्द-2 सफ़हा-16)

### रोज़े में कंकरी या लोहे का टुकड़ा खाना

किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरा कोई ऐसी

चीज़ खाई जिसको नहीं खाया करते, और न कोई उसको बतौर दवा खाता है, तो उसका रोज़ा जाता रहा। लेकिन उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं, सिर्फ़ कज़ा वाजिब है। और अगर ऐसी चीज़ खाई या पी, जिसको लोग खाया करते हैं। या कोई ऐसी चीज़ है कि यूँ तो नहीं खाते लेकिन बतौर दवा के ज़रूरत के वक़्त खाते हैं, तो भी रोज़ा जाता रहा, कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-12)

### रोज़े में रंगीन धागा मुंह में लेकर बटना

रोज़े की हालत में रंगीन धागा मुंह में लेकर बटा, थूक में उसका रंग आ गया, तो उस थूक को अगर वह निगल गया तो रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ कज़ा लाज़िम है।

(इमंदादुलफ़तावा जिल्द-2 सफ़हा-131)

### रोज़ा में दाँत दाढ़ निकलवाना या दवा लगाना

सवाल: रोज़ा में दाँत या दाढ़ निकलवाना और मुंह में दवा लगाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: शदीद ज़रूरत के तहत जाइज़ है और बिला ज़रूरत मकरूह है, अगर खून या दवा पेट के अन्दर चली जाए और थूक पर ग़ालिब या उसके बराबर हो, या उसका मज़ा महसूस हो, तो रोज़ा टूट जाएगा। सिर्फ़ कज़ा वाजिब है। (अहसनुल फ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-426, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-107)

### क्या दाँत का खून मुफ़िसदे सौम है?

सवाल: रोज़े की हालत में दाँत से खून निकल कर हलक़ में चला गया, तो क्या रोज़ा की कज़ा वाजिब है या कफ़ारा भी?

जवाब: खून कम मिक्दार में हो, थूक का गलबा हो, तो रोज़ा फ़ासिद न होगा। हाँ अगर खून का मज़ा हलक में महसूस हो तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह खून थूक से ज़्यादा या बराबर हो तब भी रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। कज़ा वाजिब है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-108, बहवाला आमलगीरी जिल्द-2 सफ़हा-131)

### दाँत में फंसी हुई चीज़ का हुक्म

दाँत के दरमियान फंसी हुई चीज़ जिसको थूका या निगला जा सकता है उसका खा लेना भी इसी हुक्म में दाख़िल है, यानी इससे रोज़ा जाता रहेगा अगरचे उसकी मिक्दार चने से कम हो।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-933)

### नाक, कान और आँख के मसाइल

सवाल: (1) रोज़े में कान और आँख वगैरा के सूराख़ में कोई शैय मसलन तेल या अर्क या पानी वगैरा या कोई खुश्क सुफूफ़ वगैरा दवा के तौर पर डालना और सर में तक़वियते दिमाग़ के लिए तेल, अर्क या पानी वगैरा डालना कैसा है?

(2) पानी के अन्दर रीह ख़ारिज करना, गोता लगाना और गरगरा करना कैसा है?

(3) सर पर कहीं लेप लगाना, पेट पर या और कहीं गहरा ज़ख़्म हो तो उस पर मरहम, अर्क या तेल वगैरा दवा के तौर पर लगाना जाइज़ है या नहीं? और अगर जाइज़ नहीं है तो रोज़ादार मस्अला जानते हुए, या न जानते हुए इन उमूर में किसी का मुरतकिब हो जाए तो

किस सूरत में कज़ा और किस सूरत में कफ़ारा होगा?

जवाब: (1) नाक, कान में तर दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा और अगर खुश्क चीज़ का अन्दर तक पहुंचना यकीनी है तो रोज़ा फ़ासिद होगा वरना नहीं।

(2) आँख में दवा डालना और सर में तेल वगैरा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह पानी मज़कूरा मक़ामात में पहुंच जाए तो रोज़ा फ़ासिद नहीं होता।

(3) पानी में रीह ख़ारिज करने और गोता लगाने से भी कुछ नहीं होता, और अगर पानी अन्दर तक पहुंच जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। जिस तरह से इस्तिंजा करने में मुबालगा करने से अगर हुकना में पानी पहुंच जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाता है। सिर्फ़ कज़ा वाजिब होती है। और गरगरा करने में अगर पानी हलक़ से उतर गया तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। और अगर हलक़ से नीचे पानी न उतरे तो कोई हरज नहीं है।

(3) सर वगैरा पर लेप करना जाइज़ है। और अगर ज़ख़म सर या पेट में बहुत गहरा अन्दर तक पहुंचा हुआ हो तो उसमें तर दवा डालने से रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा और बाकी ज़ख़मों पर दवा डालना मुफ़िसद नहीं है, और खुश्क दवा में तफ़सील मज़कूर है। और सूरते मज़कूरा में से जिनमें रोज़ा फ़ासिद नहीं हुआ, उनमें न कज़ा है न कफ़ारा। और जिसमें फ़ासिद हो गया उनमें कज़ा है कफ़ारा नहीं। अगर अमदन हो ख़्वाह मस्अला जानता हो या न जानता हो। और अगर भूले से हो तो रोज़ा बाकी रहता है। क्योंकि जब रोज़ा में भूल कर खाने पीने से रोज़ा फ़ासिद नहीं होता, तो इन सूरतों में भूल की वजह



से बदरजए औला फ़ासिद न होगा।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-171)

कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में मुबालगा करने (यानी देर तक करने) से अगर पानी मेअदा तक चला जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा, सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-922)

### रोज़े में कान के अन्दर तेल डालना

किसी ने रोज़े में कान में तेल डाला, या नास लिया (सूंघनी सूंघी) या जुलाब में अमल लिया और पीने की दवा नहीं पी (यानी इजाबत की दवा खाई नहीं बल्कि दवा दुबुर के रास्ते से अन्दर ले ली) तब भी रोज़ा जाता रहा, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं सिर्फ़ कज़ा वाजिब है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-13, बहवाला जौहरा नैयरा जिल्द-1 सफ़हा-145)

### कान में तेल डालने से रोज़ा टूटने की वजह

सवाल: रोज़ादार कान में तेल क्यों नहीं डाल सकता? जब कि पानी जाने से रोज़ा नहीं टूटता?

जवाब: हिदाया में वज्हे फ़र्क़ ये ब्यान की है कि कान में पानी का पहुंचना या पहुंचना बदन की इस्लाह के लिए नहीं है। बख़िलाफ़ तेल के और ये भी वजह फ़र्क़ की हो सकती है कि पानी से बचना दुश्वार है और इसमें ज़रूरत है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-418)

### रोज़ा में कान सलाई वगैरा से ख़ुजाना

किसी तिनके वगैरा को लेकर कान के अन्दरूनी हिस्से में दाख़िल करने से रोज़ा टूट जाता है। क्योंकि कान का

अन्दरूनी हिस्सा शरअन पेट के हुक्म में दाख़िल है।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-922)

नोट: ये हुक्म अन्दरूनी हिस्से का है, लेकिन अक्सर बाहर के हिस्सा में ही खुजाया जाता है जिसके बारे में मज़ाहिरे हक़ जदीद में मस्अला दर्ज है—

“तिनके से कान खुजलाया और तिनके पर कान का मैल ज़ाहिर हुआ और फिर उस तिनके को कान में डाला और इसी तरह कई मरतबा किया तब भी रोज़ा फ़ासिद नहीं हुआ।” मज़ाहिरे हक़ जदीद जिल्द-2 सफ़हा-17।

मुंह, कान, नाक, मक़अद, फ़रज, शिकम (पेट) और खोपड़ी के अन्दरूनी ज़ख़्म की राह से रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें, जौफ़े मेअदा या दिमाग़ तक पहुंच जाएं तो रोज़ा फ़ासिद हो जाता है। खुलासा ये है कि कान में डाली हुई दवा और तेल दिमाग़ में बराहे रास्त या बिलवास्ता मेअदा में पहुंचने से रोज़ा फ़ासिद हो जाता है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-17, बहवाला मराकियुलफ़लाह सफ़हा-133)

### रोज़े में सुबह के वक़्त रात समझ कर जिमाअ करना

सवाल: एक शख़्स सर्दी के रमज़ान में रात को सहरी की नीयत से लेट गया, आँख खुली तो रात के ख़्याल से बीवी से जिमाअ कर लिया, बाहर आ कर देखा तो सुबह हो गई थी। पस उन दोनों ने इस ख़्याल से कि रोज़ा नहीं हुआ पानी पी लिया, इस सूरत में कफ़ारा है या सिर्फ़ कज़ा, और अगर पानी न पीते तो उन पर कफ़ारा होता या कज़ा?

जवाब: जब रात के गुमान से जिमाअ किया और बाद में सुबह का होना मालूम हुआ तो ये रोज़ा सही नहीं हुआ लेकिन तमाम दिन खाना पीना न चाहिए और कफ़ारा लाज़िम न आएगा, और अगर दिन में पानी पी लिया तो रमज़ान की ताज़ीम का तारिक हुआ। कफ़ारा लाज़िम नहीं है। कज़ा हर सूरत में है ख़्वाह पानी पिया हो या न पिया हो।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-171)

### रोज़े में मुर्दा औरत से जिमाअ करना

किसी ने मुर्दा औरत से या ऐसी कमसिन नाबालिग बच्ची से जिसके साथ उमूमन जिमाअ की रग़बत नहीं होती, या किसी जानवर से जिमाअ किया, या किसी से बग़लगीर हुआ और बोसा लिया, या जलक का मुरतकिब हुआ और इन सब सूरतों में मनी ख़ारिज हो गई तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। कफ़ारा वाजिब न होगा, सिर्फ़ कज़ा वाजिब है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-104, बहवाला शरह वकाया जिल्द-1 सफ़हा-262)

### रोज़े में प्यार करने की वजह से इंज़ाल हो जाना

सवाल: एक शख्स ने माहे रमज़ान में दिन में अपनी बीवी को प्यार किया, जिसकी वजह से इंज़ाल हो गया (मनी ख़ारिज हो गई) इस सूरत में शरई क्या हुक्म है?

जवाब: इस सूरत में सिर्फ़ उस रोज़े की कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता, मगर इसी के साथ रमज़ान का एहतोराम ज़रूरी है, उसके बाद दिन में कुछ ख़ाये पिये नहीं। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-417,

बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-142)

### रोज़े में बीवी से बग़लगीर होने पर इंज़ाल हो जाना

**सवाल:** एक शख्स माहे रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बग़लगीर हुआ, कुछ देर तक उसा हालत में रहने के बाद इंज़ाल हो गया। उस रोज़े का कफ़ारा वाजिब है या सिर्फ़ कज़ा?

**जवाब:** इस सूरत में महज़ उस रोज़े की कज़ा लाज़िम है कफ़ारा वाजिब नहीं।

### बीवी के पास सिर्फ़ बैठने से इंज़ाल हो जाना

**सवाल:** एक शख्स रमज़ानुलमुबारक में दिन के वक़्त अपनी बीवी के पास बैठा और कमज़ोरी की वजह से उसको इंज़ाल हो गया तो उस पर कज़ा है या कफ़ारा भी आएगा?

**जवाब:** अगर कोई शख्स रमज़ानुलमुबारक में दिन के वक़्त अपनी बीवी के पास बैठे और कमज़ोरी की वजह से उसको इंज़ाल हो जाए तो इस सूरत में उस रोज़े की कज़ा लाज़िम है, कफ़ारा नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-424, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-142)

### मुबाशरते फ़ाहिशा का हुक़म

मुबाशरते फ़ाहिशा यानी शर्मगाहों का आपस में मिलाना (बग़ैर दुखूल के) अगर इस सूरत में इंज़ाल हो जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा, कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरह बोसा लेने और छूने से इंज़ाल हो जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1

सफ़हा-923)

**क्या हाथ से मनी निकालना मुफ़िसदे सोम है**

**सवाल:** अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में हाथ से मनी जाएल करे तो रोज़ा हो जाता है या नहीं?

**जवाब:** हाथ से मनी निकालने से रोज़ा टूट जाता है और कज़ा लाज़िम होती है, फिर ये भी वाज़ेह रहे कि ये फ़ेल बहुत बुरा है इस पर लानत भेजी गई है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-417, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-142)

**पाखाने के रास्ते कांच निकलना**

**सवाल:** अगर किसी की कांच निकल आए (पाखाने के मक़ाम से निकल आती हैं) और उसको तर कर के चढ़ाए तो उससे रोज़ा होगा या नहीं?

**जवाब:** रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा, कांच को तर कर के चढ़ाने से रोज़ा टूट जाता है, इसलिए कि ये मक़ामे हुक़ना तक पहुंच जाती है। (अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-429-430, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-108)

**इस्तिंजा करने में मुबालगा करना**

अगर किसी ने उंगली को पानी या तेल में तर कर के अपनी मक़अद में डाला, या इस्तिंजा करने में पानी अन्दरूनी हिस्से में पहुंच गया तो रोज़ा उस वक़्त फ़ासिद होगा जब मक़अद (पाखाने के मक़ाम) में डाली जाने वाली चीज़ हुक़ना तक पहुंच जाए। यानी जहाँ पर पिचकारी वगैरा के ज़रीए दवा पहुंचाई जाती है, और ये उस वक़्त नहीं हो सकता जब तक इरादा और कोशिश के साथ न

किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ कज़ा लाज़िम हागी।

और यही हुक्म उस सूरत में है जब कि मक़अद में कोई कपड़े की धज्जी या लकड़ी डाली, यानी हुकना की तरह और उसका सिरा कुछ भी बाहर न रहे तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर उसका कुछ हिस्सा बाहर रहा सारी अन्दर नहीं गई, तो रोज़ा फ़ासिद न होगा, इसी तरह अगर किसी औरत ने अपनी उंगली तेल या पानी से तर कर के या हुकना की लकड़ी शर्मगाह के अन्दर पूरी दाख़िल कर दी, तो सब सूरतों में सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी कफ़ारा वाजिब न होगा।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-918)

### रोज़ा में हुक्का पीना

सवाल: रोज़े में हुक्का पीने से कज़ा लाज़िम आती है या कफ़ारा भी?

जवाब: हुक्के से रोज़ा टूट जाता है, सिर्फ़ कज़ा लाज़िम आती है, और बाज़ सूरतों में कफ़ारा भी लाज़िम होता है। मसलन उसने नफ़ाबख़्श समझ कर पिया था, तो कफ़ारा और कज़ा दोनों लाज़िम होंगे, वरना सिर्फ़ कज़ा, और यही हुक्म बीड़ी सिगरेट वगैरा का है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-419, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-133)

### बगैर सहरी के रोज़े को प्यास की वजह से तोड़ दिया

सवाल: तरावीह के बाद रोज़े की नीयत कर के सो गए थे, सहरी के वक़्त आँख न खुली, सुबह को ज़बान

खुशक थी, प्यास की वजह से मालूम हुआ कि आज रोज़ा बगैर सहरी के पूरा नहीं हो सकता, एक रोज़ा हम ने छोड़ दिया, शरई हुक्म क्या है?

जवाब: दुरमुख्तार की इबारत से मालूम होता है कि जैद को नीज़ उसके घर वालों को अगर ज़न्ने ग़ालिब था कि रोज़ा पूरा न कर सकेंगे और मरज़ या हलाकत का ख़ौफ़ था, तो इस सूरत में उन पर सिर्फ़ उसी रोज़े की कज़ा लाज़िम है। कफ़ारा वाजिब नहीं। और ये सब कुयूद उस वक़्त हैं कि रोज़े की नीयत कर ली हो, और अगर रोज़ा की उस दिन नीयत न की हो तो भी कज़ा वाजिब है, कफ़ारा तो जब ही होगा जब बगैर ख़ौफ़ के अमदन रोज़ा की नीयत कर के तोड़ दे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-427, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-159)

### **भूक, प्यास की वजह से रोज़ा तोड़ देना**

जिस शख्स को भूक का इस क़दर ग़लबा हो कि अगर कुछ न खाया तो जान जाती रहेगी, या अक्ल में फ़ुतूर आ जाएगा, तो उसको भी रोज़ा न रखना जाइज़ है, अगर नीयत कर लेने के बाद ऐसी हालत पैदा हो जाए तब भी उसको इख्तियार है कि रोज़ा तोड़ेगा तो सिर्फ़ कज़ा लाज़िम होगी, कफ़ारा नहीं होगा, और यही हुक्म प्यास की शिदत में है कि रोज़ा न रखना या रखे हुए को तोड़ देना जाइज़ है। बशर्ते कि प्यास की शिदत इस दर्जा की हो जिस दर्जा की भूक में शर्त लगाई गई है।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-41)

### मुलाज़िम का काम की शिद्दत से रोज़ा ताड़ देना

सवाल: ज़ैद फ़ौज़ में मुलाज़िम है, रोज़े की हालत में अफ़सर ने धूप में काम करने का हुक़्म दिया, जिससे उसकी सेहत ख़राब होने का अंदेशा था, यहाँ पर दवा नहीं मिलती, दवा के लिए दूर जाना पड़ता है, इसलिए रोज़ा तोड़ दिया, ज़ैद मस्अला से नावाक़िफ़ था, इसलिए उसने रोज़ा तोड़ दिया तो अब शरई हुक़्म क्या है?

जवाब: अगर शिद्दते प्यास वगैरा से हलाक़त या मरज़ का अंदेशा था तो कफ़ारा नहीं है, सिर्फ़ क़ज़ा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-422, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-158)

### आतिश ज़दगी की वज़ह से रोज़ा तोड़ देना

सवाल: गाँव में रमज़ानुलमुबारक में सख़्त आग लगी। बाज़ मर्द और औरत ने रोज़े तोड़ दिए, तो उनके लिए क्या हुक़्म है?

जवाब: अगर उस आतिश ज़दगी में शिद्दते भूक व प्यास या ख़ौफ़े जान की वज़ह से रोज़ा तोड़ा, तो उन पर सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम होगी, कफ़ारा वाजिब न होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-445)

### गुरुबे आफ़ताब समझ कर इफ़तार कर लिया, बाद में सूरज

#### नज़र आ गया

सवाल: रमज़ान शरीफ़ में बहुत घटा थी, और ये समझ कर कि इफ़तार का वक़्त हो गया, तो सूरज गुरुब हो गया, इफ़तार कर लिया, इफ़तार करने के बाद सूरज निकल गया तो अब क्या हुक़्म है?

जवाब: उस रोज़े की क़ज़ा लाज़िम है, कफ़ारा वाजिब



नहीं, और कुछ गुनाह भी नहीं हुआ, मगर रोज़ा की कज़ा लाज़िम है, ज़रूर करनी चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-436, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-207)

### सुब्ह सादिक के वक़्त दूध पी लेना

**सवाल:** अगर कोई शख्स सुब्ह सादिक के वक़्त दूध पी कर रोज़ा रख ले, तो उस पर रोज़े की कज़ा है या कफ़ारा?

**जवाब:** अगर रमज़ान शरीफ़ का रोज़ा है, और सुब्ह सादिक हो जाना उसको मालूम है, फिर दूध पिया है। तो कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम है, और अगर उसको सुब्ह सादिक का होना मालूम न था और उसने ये समझ कर सहरी खाई कि अभी सुब्ह नहीं हुई तो सिर्फ़ कज़ा लाज़िम है कफ़ारा वाजिब नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-439, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-147-149, बाब मायुफ़िसदुस्सौम)

### नफ़ल रोज़े का नीयत के बाद वाजिब हो जाना

जो नफ़ल रोज़ा क़स्दन शुरू किया गया हो, शुरू करने के बाद उसका तमाम करना ज़रूरी है। फ़ासिद होने की सूरत में उसकी कज़ा ज़रूरी है, ख़्वाह क़स्दन फ़ासिद कर ले या बिला क़स्द फ़ासिद हो जाए।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-41)

### भूले से खाने की दो सूरतें

एक शख्स को रोज़े का ख़्याल न रहा, जिसकी वजह से उसने कुछ खा पी लिया, या जिमाअ कर लिया, बाद में रोज़े का ख़्याल आया और समझा कि मेरा रोज़ा जाता

रहा। इस ख्याल से फिर कस्दन कुछ खा पी लिया, तो उसका रोज़ा उस सूरत में फ़ासिद हो जाएगा। कफ़ारा लाज़िम न होगा, सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी, और अगर वह मस्अला जानता है, फिर भूल कर ऐसा करने के बाद अमदन रोज़ा तोड़े, तो अब बाद में जिमाअ करने की सूरत में कफ़ारा भी लाज़िम होगा और महज़ खाने की सूरत में उस वक़्त भी सिर्फ़ कज़ा है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-104, बहवाला शरहुत्तनवीर सफ़हा-150)

### **कैय और एहतिलाम होने के बाद अमदन खाना**

किसी को बेइख़्तियार कैय हो गई, या एहतिलाम हो गया, या सिर्फ़ औरत वगैरा को देखने से इंज़ाल हो गया और मस्अला न मालूम होने के सबब वह ये समझा कि मेरा रोज़ा जाता रहा, फिर उसने अमदन खा पी लिया तो रोज़ा फ़ासिद हो गया, सिर्फ़ कज़ा लाज़िम होगी, कफ़ारा नहीं, और अगर मस्अला मालूम हो कि इससे नहीं टूटता फिर अमदन इफ़तार किया तो अब जिमाअ करने की सूरत में कफ़ारा भी लाज़िम होगा, और सिर्फ़ खाने की सूरत में कज़ा लाज़िम होगी।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-104, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-140)

### **कज़ा के चंद मसाइल**

- (1) कोई मुसाफ़िर बाद निस्फ़ुन्नहार मुकीम हो जाए।
- (2) किसी औरत का हैज़ या निफ़ास बाद निस्फ़ुन्नहार बंद हो जाए।
- (3) बाद निस्फ़ुन्नहार किसी मजनून या बेहोश को इफ़ाका हो जाए।
- (4) कोई मरीज़ बाद

निस्फुन्नहार अच्छा हो जाए। (5) किसी ने बहालते इकराह रोज़ा फ़ासिद कर दिया हो, और बाद निस्फुन्नहार उसकी मजबूरी जाती रहे। (6) कोई नाबालिग़ बाद निस्फुन्नहार बालिग़ हो जाए। (7) कोई काफ़िर बाद निस्फुन्नहार इस्लाम लाए, तो इन सब लोगों को बाकी दिन में रोज़ेदारों की तरह खाने पीने से इज्तिनाब करना मुस्तहब है, और उस दिन की क़ज़ा उन पर वाजिब होगी, अलावा नाबालिग़ और काफ़िर के।

(इल्मुलफ़िक्ह हिस्सा-2 सफ़हा-41)

### रोज़ा टूटने के बाद का हुक़्म

रमज़ान शरीफ़ में अगर किसी का रोज़ा टूट गया, तो रोज़ा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं, सारे दिन रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-13, बहवाला हिदाया जिल्द-2 सफ़हा-30)



## सातवों बाब

### जिन चीजों से कज़ा और कफ़ारा दोनों बाज़िब होते हैं

मिशकात शरीफ़ की एक हदीस में आंहज़रत (स.अ.व.) का इरशाद गिरामी है। जिसने बग़ैर किसी मजबूरी या बीमारी के रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, वह अगर ज़िन्दगी भर रोज़े रखे तब भी उसका बदल नहीं हो सकता।

आप (स.अ.व.) के इस फ़रमान का मतलब ये नहीं है कि अब रोज़े की कज़ा नहीं हो सकती। बल्कि मक़सद ये है कि जो इनआम व इकराम और सवाब रमज़ान में रोज़ा रखने से मिलता है वह बाद में हरगिज़ नहीं मिलता है। अपने वक़्त पर काम करने में कुछ बात ही और है।

कज़ा के मसाइल (जिनमें रोज़ा फ़ासिद होने की बिना पर एक रोज़े के बदले सिर्फ़ एक ही रोज़ा रखना पड़ता है।) गुज़श्ता बाब में आ चुके हैं, अब यहां उन सूरतों का तज़िक़रा है जिनमें रोज़ा के फ़ासिद होने पर कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होते हैं।

किसी ने रोज़ा रख कर बग़ैर किसी मजबूरी के जान बूझ कर तोड़ दिया, तो उसने सख़्त ग़लती की, और हुकूकुल्लाह की ख़िलाफ़ वरज़ी की। अब उसको अल्लाह तआला से मआफी मांगनी चाहिए, और मआफी की सूरत ये है कि एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखे, और एक गुलाम आज़ाद करे, और अगर ये मुम्किन न हो तो दो

माह के मुतवातिर रोज़े रखे, और अगर ये भी ताक़त न होने की वजह से मुम्किन न हो तो फिर आखिरी सूरत ये है कि साठ मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिला दे, या साठ आदमियों को एक एक फ़ितरा की कीमत दे, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कफ़ारा सिर्फ़ उसी वक़्त आता है जब रमज़ान का रोज़ा रमज़ान ही के महीने में जान बूझ कर तोड़ दिया जाए, और अगर रमज़ान के महीने के अलावा और दिनों का रोज़ा हो, या रमज़ान की क़ज़ा का रोज़ा ही क्यों न हो, उसको तोड़ दिया जाए, तो सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं होगा।

हासिल ये है कि जब किसी शुब्हा से रोज़ा फ़ासिद किया जाएगा तो कफ़ारा वाजिब न होगा, इसलिए कफ़ारा एक किस्म की सज़ा है, और सज़ा का मुस्तहिक़ वही शख्स होता है जो दीदा व दानिस्ता ख़िलाफ़ वरज़ी करे।

### सिर्फ़ दो बातों से क़ज़ा और कफ़ारा वाजिब होता है

अहनाफ़ (रह.) के नज़दीक दो बातें हैं जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। औवल ये कि बग़ैर किसी उज़्रे शरई के कोई ग़िज़ा या ग़िज़ा जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए, यानी खाई जाए या पी जाए। और वह ऐसी हो कि उसकी जानिब तबीअत राग़िब हो और पेट की तलब पूरी की जाए। दोम ये कि उससे ख़्वाहिशे नफ़्सानी पूरी की जाए।

फिर इन दोनों सूरतों में क़ज़ा मअ कफ़ारा वाजिब होने के लिए दो शर्तें हैं: पहली शर्त ये है कि रमज़ान का रोज़ा तोड़ा गया हो अगर रमज़ान के अलावा और कोई

रोज़ा हो मसलन कज़ाए रमज़ान का या नज़र का रोज़ा या कफ़ारे का रोज़ा या नफ़ली रोज़ा तो उसम कफ़ारा वाजिब न होगा। बाज़ सूरतों में कज़ा लाज़िम आएगी।

दूसरी शर्त ये है कि रोज़ा कस्दन तोड़ा गया हो, अगर भूले से या ग़लती से या किसी उज़र स मसलन मरज़ लाहिक हो जाने से, या सफ़र पेश आ जाने की वजह से रोज़ा तोड़ा, तो सिर्फ़ कज़ा वाजिब होगी।

(किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-906-913)

### कफ़ारे के लिए रोज़े की तमाम शराइत का पाया जाना

#### ज़रूरी है

वह शख्स जिसमें रोज़ा की तमाम शराइत पाई जाती हों। रमज़ान के उस अदा रोज़े में जिसकी नीयत सुबह सादिक से पहले कर चुका हो। अमदन मुंह के ज़रीए पेट में कोई ऐसी चीज़ पहुंचा दे जो इंसान की गिज़ा या दवा में इस्तेमाल होती हो। यानी उसके इस्तेमाल से किसी किस्म का नफ़ा या लज़ज़त मक्सूद हो, और उसके इस्तेमाल से सलीमुत्तबअ इंसान की तबीअत नफ़रत न करती हो। गो वह बहुत ही कम मिक्दार में हो, हत्ता कि एक तिल के बराबर, या जिमाअ करे या कराए (लवातत भी उसी हुक्म में है) जिमाअ के वक़्त उज़्वे मख्सूस सुपारी का दाख़िल हो जाना काफ़ी है, मनी का निकलना शर्त नहीं है।

इन सब सूरतों में कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे, मगर ये बात शर्त है कि जिमाअ (सोहबत) ऐसी औरत से किया जाए जो काबिले जिमाअ हो, बहुत कम उम्र लड़की न हो, जिसमें जिमाअ की बिल्कुल काबिलीयत न पाई जाए। (दुर्रमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-151)

### नीयत पर ही कफ़ारा है

किसी ने रमज़ान शरीफ़ में रोज़ा की नीयत ही नहीं की इसलिए खा पी रहा है, उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं, कफ़ारा जब ही है कि नीयत कर के रोज़ा तोड़ दे। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-12, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-204)

### सोहबत करने से कफ़ारा वाजिब होना

सोहबत करने से रोज़ा टूट जाता है, उसकी क़ज़ा भी रखे और कफ़ारा भी, जब मर्द के उज्वे मख़सूस की सुपारी अन्दर चली गई, तो रोज़ा टूट गया। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे, ख़्वाह मनी निकले या न निकले, नीज़ अगर मर्द ने पाख़ाने की जगह अपना उज्व कर दिया और उसकी सुपारी अन्दर चली गई, तब भी औरत और मर्द दोनों का रोज़ा जाता रहा। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-70, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-151)

जिस शख्स ने दोनों रास्तों में से किसी भी रास्ता में जान बूझ कर मुजामअत की, तो उस पर क़ज़ा व कफ़ारा दोनों लाज़िम होंगे और उन दोनों मक़ामों की मुजामअत में इंज़ाल का होना (मनी का निकलना) शर्त नहीं है। (फ़तावा हिन्दीया जिल्द-2 सफ़हा-20 किताबुस्सौम)

### रोज़े में इग़लाम बाज़ी

सवाल: अगर किसी ने रोज़े की हालत में इग़लाम बाज़ी की और उज्वे मख़सूस की सुपारी अन्दर चली गई लेकिन इंज़ाल न हुआ तो रमज़ान शरीफ़ के रोज़े का कफ़ारा वाजिब होगा या नहीं?

जवाब: लवातत करने में जबकि हशफ़ा गाइब हो गया, अगरचे मनी न निकले यानी इंज़ाल भी न हो तो कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-438)

### एक ग़लत मस्अला की इसलाह

सवाल: मर्द अपना आलए तनासुल औरत की शर्मगाह में दाख़िल करे और फिर बाहर निकाल कर देखे कि अगर वह खुशक है तो रोज़ा नहीं टूटा। ये मस्अला एक मौलवी साहब ने ब्यान किया है। क्या ये सही है?

जवाब: मर्द के मख्सूस हिस्से की सुपारी औरत की शर्मगाह में दाख़िल हो गई, तो मर्द और औरत दोनों का रोज़ा टूट गया दोनों पर कज़ा और कफ़ारा लाज़िम होगा।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-447)

### जिमाअ में आक़िल होना शर्त नहीं

जिमाअ में औरत और मर्द दोनों का आक़िल होना शर्त नहीं, यहां तक कि अगर एक मजनून हो दूसरा आक़िल तो आक़िल पर कफ़ारा लाज़िम है, मसलन मर्द आक़िल हो और औरत मजनून तो मर्द पर, या बिलअक्स हो तो औरत पर कफ़ारा लाज़िम होगा।

अगर औरत जिमाअ कराए तो कफ़ारा वाजिब होने के लिए मर्द का बालिग़ होना शर्त नहीं है। हत्ता कि अगर कोई औरत किसी नाबालिग़ बच्चे या मजनून से जिमाअ कराए तो भी औरत को कज़ा और कफ़ारा दोनों का हुक़म है। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-28)

अगर औरत जिमाअ कराने में राज़ी है तो उसका भी यही हुक़म है। और अगर ज़बरदस्ती मजबूर थी तो सिर्फ़



कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब न होगा। और अगर इब्लिदा में ज़बरदस्ती थी फिर रज़ा मंद हो गई तो भी यही हुक्म है। यानी कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। (फ़तावा हिन्दीया जिल्द-2 सफ़हा-20 किताबुस्सौम)

### दिन में सोहबत करना कैसा है और रात में कब तक

#### इजाज़त है

सवाल: (1) रमज़ान में मर्द अपनी बीवी के पास सोहबत के लिए आए तो किस कदर गुनाह है और कफ़ारा क्या है? (2) और रात के वक़्त कब से कब तक सोहबत कर सकता है? (3) और किस वक़्त गुस्ल करना चाहिए?

जवाब: (1) दिन में बीवी से सोहबत करना गुनाहे कबीरा है और इस सूरत में कफ़ारा मअ कज़ा के वाजिब है और कफ़ारा ये है कि एक गुलाम आज़ाद करे, और अगर ये न हो सके तो साठ रोज़े मुतवातिर रखे और अगर ये भी न हो सके तो साठ मिस्कीनों को दोनों वक़्त खाना खिलाए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-442, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-147)

(2) सोहबत रात में गुरुबे आफ़ताब के बाद से सुबह सादिक से पहले पहले तक करना दुरुस्त है। (कुरआन मर्जीद सूरए बकरा पारा-2 रुकूअ-7)

(3) गुस्ले जनाबत (नापाकी का गुस्ल) सुबह के बाद भी कर सकता है। (रद्दुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-138)

### तीसवें रमज़ान को चाँद देख कर इफ़तार कर लेना

सवाल: तीसवें रमज़ान को जुहर के बाद चाँद देखे तो रोज़ा तोड़ना जाइज़ है या नहीं? और अगर कोई शख्स रोज़ा तोड़े तो उस पर कज़ा है या कफ़ारा? और

अगर ज़वाल से पहले चाँद देखे तो क्या हुक्म है?

**जवाब:** वह चाँद तो अगली रात का है लिहाज़ा रोज़ा तोड़ना दुरुस्त नहीं? कज़ा और कफ़ारा उस पर वाजिब है। बादे ज़वाल तो बइत्तिफ़ाके राए अइम्माए सलासा कज़ा और कफ़ारा वाजिब है और ज़वाल से पहले चाँद देखने में इमाम आज़म और इमाम मुहम्मद (रह.) कज़ा व कफ़ारा वाजिब फ़रमाते हैं और उसी पर फ़तवा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-434, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 किताबुस्सौम)

### धूप कर मुसलमान होने वाले का रोज़ा तोड़ देना

**सवाल:** एक हिन्दू बातिन में इस्लाम ले आया, चुनाँचे रमज़ान के रोज़े भी रखे, राज़ खुलने की वजह से रोज़ा तोड़ दिया, फिर खुल्लम खुल्ला मुस्लिम हो गया उस पर कफ़ारा लाज़िम आएगा या नहीं।

**जवाब:** जबकि वह शख्स मुसमलान हो गया, अल्लाह और उसके रसूल (स.अ.व.) पर ईमान ले आया और तमाम अहकामे इस्लाम को कबूल कर लिया, तो वह इन्दल्लाह मुसलमान हो गया, अगरचे लोगों पर उसका इस्लाम जाहिर न हुआ हो, पस अगर रमज़ान शरीफ़ का रोज़ा रख कर उसने तोड़ डाला, तो कफ़ारा उस पर लाज़िम आएगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-425, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-152, किताबुस्सौम)

### महबूब का थूक निगलने पर कफ़ारा

महबूब का थूक निगल गया, तो रोज़ा फ़ासिद हो गया कज़ा लाज़िम है, कफ़ारा लाज़िम न होगा। अगर अपना थूक हाथ में लगा कर फिर निगल जाए तो रोज़ा फ़ासिद

हो जाएगा, कफ़ारा लाज़िम न होगा। सिर्फ़ कज़ा आएगी। लेकिन अगर महबूब का थूक है तो कफ़ारा भी लाज़िम होगा। (आलमगीरी उर्दू जिल्द-2 सफ़हा-16, किताबुस्सौम)

### बुजुर्ग का थूक तबरुकन चाटने पर हुक्मे शरई

अगर कोई शख्स रोज़े में किसी बुजुर्ग का थूक तबरुकन चाट ले, तो रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होंगे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-433, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-148 बाब मायुफ़िसदुस्सौम व मा ला युफ़िसदुस्सौम)

### कच्चे चावल या कच्चा गोश्त खा लेना

सवाल: एक शख्स ने रोज़े की हालत में जान बूझ कर कच्चा गोश्त या कच्चा चावल खा लिया तो उस पर कज़ा वाजिब है या कफ़ारा?

जवाब: जान बूझ कर कच्चा गोश्त या चावल खाने से कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होंगे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-442, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-148)

### रोज़े में अमदन हुक्का पीना

जो लोग हुक्का पीने के आदी हों, वह रोज़े की हालत में अमदन हुक्का पियें तो उन पर कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। इसी तरह अगर कोई ऐसा शख्स जो अगरचे हुक्के का आदी नहीं है, लेकिन किसी फ़ाएदे के लिए रोज़े में अमदन हुक्का पिये तो उस पर भी कज़ा व कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-105, बहवाला शरहुत्तनवी जिल्द-1 सफ़हा-149)

## आठवाँ बाब

### कफ़ारे के मसाइल

#### कफ़ारा किस को कहते हैं?

कफ़ारे के रोज़े कई किस्म के होते हैं, यहां हम सिर्फ़ रमज़ान के कफ़ारा को ब्यान करते हैं। एक रोज़े के कफ़ारा में एक गुलाम आज़ाद करना चाहिए, अगर ये मुम्किन न हो (ख़्वाह इस्तिताअत न होने की वजह से या उस मक़ाम पर गुलाम न मिलने की बिना पर) तो साठ रोज़े रखना वाजिब है, अगर किसी वजह से साठ रोज़े भी न रख सके तो साठ मुहताज़ों को खाना खिलाना वाजिब है, और उन साठ रोज़ों का मुसलसल रखना वाजिब है, दरमियान में नागा न हाने पाए। और अगर किसी वजह से नागा हो जाए तो फिर नए सिरे से रोज़े रखने होंगे। पिछले रोज़ों का एतेबार न होगा। हाँ अगर किसी औरत को हैज़ आ जाए और इस वजह से दरमियान में रोज़े नागा हो जाएँ तो उसे ये नागा मअ़ाफ़ होगा और हैज़ के बाद सिर्फ़ इतने रोज़े रखने ज़रूरी होंगे। जितने बाकी रह गए हैं।

बेहतर ये है कि पहले क़ज़ा के रोज़े रखे जाएँ, उसके बाद मुसलसल कफ़ारा के रोज़े रखे जाएँ। अगर कोई पहले कफ़ारा के रोज़े रख ले और उसके बाद क़ज़ा के

रोज़े रखे तब भी जाइज़ है।

जिमाअ के अलावा अगर किसी वजह से कफ़ारा वाजिब हुआ हो, और अभी एक कफ़ारा अदा न करने पाया हो कि उस पर दूसरा वाजिब हो जाए, तो उन दोनों के लिए एक ही कफ़ारा वाजिब है। अगरचे दोनों कफ़ारे दो रमज़ान के हों। हाँ जिमाअ के सबब जितने रोज़े फ़ासिद हुए हों हर एक का कफ़ारा अलाहिदा रखना होगा। अगरचे पहला कफ़ारा न अदा किया हो। अगर कोई कफ़ारे के तीनों तरीकों पर कादिर हो यानी गुलाम भी आज़ाद कर सकता हो, साठ रोज़े भी रख सकता हो, साठ मुहताजों को खाना भी खिला सकता हो तो उसमें से जो तरीका उस पर शाक़ गुज़रता हो उसे उसका हुक़्म देना चाहिए। इसलिए कि कफ़ारे से मक्सूद ज़ज़ व तौबीख़ और तंबीह है, इसलिए ज़ाहिर है कि आसान सूरत इख़्तायार करने में उसे कोई तंबीह न होगी।

साहबे बहरुर्राइक़ लिखते हैं कि अगर बादशाह पर कफ़ारा वाजिब हो तो उसको गुलाम के आज़ाद करने या साठ मुहताजों को खाना खिलाने का हुक़्म न देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उसके नज़दीक़ कुछ दुश्वार नहीं, और उनसे इसे कुछ तंबीह न होगी। बल्कि साठ रोज़े रखने का हुक़्म देना चाहिए कि उस पर गिराँ गुज़रे और आइंदा फिर रमज़ान के रोज़े को इस तरह फ़ासिद न करें।

(इल्मुलफ़िका जिल्द-3 सफ़हा-40)

एक शर्त ये भी है कि साठ मुहताजों को दो वक़्त पेट भर खिलाना वाजिब है, इस तरह चाहे तो उन्हें एक ही दिन दो वक़्त यानी सुबह व शाम खिला दे, चाहे दो दिन

सुबह के वक़्त, या दो दिन शाम के वक़्त, या इशा व सहर के वक़्त खिला दे, मगर शर्त ये है कि जिन मुहताजों को खाना खिलाया जाए दूसरे वक़्त भी उन्हीं मुहताजों को खाना खिलाना होगा। चुनांचे अगर किसी ने एक वक़्त साठ मुहताजों को खाना खिला दिया और फिर दूसरे वक़्त उनके अलावा दूसरे साठ मुहताजों को खिलाया, तो ये काफ़ी न होगा, बल्कि कफ़ारा उसी वक़्त अदा होगा कि उन दोनों जमाअतों में से किसी एक जमाअत को फिर दो बारह एक वक़्त और खाना खिलाए। हां अगर कोई शख्स एक ही मुहताज को मुसलसल साठ रोज़ तक खाना लिखाए या मुसलसल साठ रोज़ तक हर रोज़ नए मुहताज को खिलाए तो कोई मुज़ाएका नहीं। इसी तरह कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर कोई शख्स एक ही रोज़ साठ या उनसे कुछ कम मुहताजों के खाने के बक़दर किसी एक मुहताज को सदका दे दे तो इससे उन सब का हिस्सा अदा न होगा, बल्कि एक ही मुहताज का अदा होगा। जिन मुहताजों को खाना खिलाया जाए उनका भूका होना भी ज़रूरी है, अगर पेट भरों को खिलाया तो इससे कफ़ारा अदा न होगा, बल्कि भूकों को दोबारा खिलाना ज़रूरी होगा। (मज़ाहिरे हक़ जदीद जिल्द-2 किस्त-5 सफ़हा-12)

**नोट:** ये तमास शराइत व क्यूद इसलिए हैं कि लोग रमज़ान के रोज़े का एहतिराम करें और उसे बिला वजह तोड़ने की हिम्मत न करें। (मुहम्मद रफ़अत कासमी, मुरत्तिब)

### **कफ़ारे की कुल कीमत एक फ़कीर को दे देना**

रोज़ा के कफ़ारे में एक मुहताज को एक दिन में

ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन का फ़िदया अदा होगा, और यही हुक्म कसम के कफ़ारा का है, इसमें दस मिसकीनों को खाना खिलाना, या एक मिसकीन को दस रोज़ तक खाना खिलाना ज़रूरी है। अब अगर एक फ़कीर को ज्यादा मिक्दार में दे दिया तो वह एक ही दिन का होगा। ज्यादा शुमार न होगा। अलबत्ता शैख़ फ़ानी का (जिसको रोज़ा रखने की ताकत न हो) रमज़ान के पूरे रोज़ों का फ़िदया एक ही मुहताज को देना चाहिए, या एक एक मुहताज को कई कई रोज़ों का फ़िदया दे तो ये जाइज़ है। इस तरह उसका फ़िदया अदा हो जाएगा। लेकिन कफ़ारा का हुक्म मुख़्तलिफ़ है, रोज़े के कफ़ारा में साठ मिसकीनों को खाना, अनाज या नक़द देना, या एक मिसकीन को साठ दिन देना ज़रूरी है। एक मिसकीन को एक दिन से ज्यादा देने में एक दिन का ही अदा होगा। गरज़ कफ़ारा में तअद्दुदे फुक़रा का या तअद्दुदे अयाम का होना ज़रूरी है और फ़िदया में इसकी ज़रूरत नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-451, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-163 जिल्द-3 किताबुस्सौम फ़स्ल फ़िलअवारिज़)

साठ दिन का अनाज हिसाब कर के एक फ़कीर को एक ही दिन दे दिया तो दुरुस्त नहीं, इस तरह एक ही फ़कीर को एक दिन अगर साठ दफ़ा कर के दे दिया तब भी एक ही दिन का अदा हुआ। एक कम साठ (59) मिसकीनों को फिर देना चाहिए। इसी तरह कीमत देने का भी हुक्म है, यानी एक दिन में एक मिसकीन को एक रोज़े के बदले में दी जाए, ज्यादा देना दुरुस्त नहीं। नीज़

अगर किसी फ़कीर को सदकए फ़ित्र की मिक़दार से कम दिया तो कफ़ारा सही नहीं हुआ।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-16, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-250)

### क़स्दन रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम

सवाल: फ़ुक़हा की किताबों में जो ये लिखा है कि रमज़ान शरीफ़ में बिना उज़रे शरई रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा और कफ़ारा वाजिब है तो अब ये मालूम करना है कि क़ज़ा और कफ़ारा के मजमूई तौर पर रोज़े रखे या कफ़ारा व क़ज़ा एक साथ साठ रोज़े रखने से दोनों अदा हो जाएंगे?

जवाब: रमज़ान शरीफ़ का रोज़ा क़स्दन तोड़ने से कफ़ारा और क़ज़ा दोनों लाज़िम होते हैं, यानी एक रोज़ा क़ज़ा का और साठ रोज़े कफ़ारा के वाजिब हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-429, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-149, बाब मायुफ़िसदुस्सौम)

### कफ़ारे के ६० रोज़े

सवाल: कफ़ारे के रोज़े क्या दो माह हैं जो अड्डावन या साठ या उन्सठ दिन भी हो सकते हैं? तो क्या साठ दिन पूरे करने ज़रूरी हैं?

जवाब: अगर कमरी महीने की पहली तारीख़ से रोज़े शुरू किये तो चाँद के हिसाब से दो माह पूरे कर ले, दोनों का एतेबार है। और अगर पहली तारीख़ से शुरू नहीं किए तो साठ पूरे करे।

(अहसनुलफ़तावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-450, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-631)



अगर चाँद देख कर रमज़ान के कफ़ारे रोज़े रखे जाएँ तो साठ रोज़े पूरे करना ज़रूरी नहीं, बल्कि पूरे दो महीने के रोज़े रखना काफी है, ख़्वाह साठ से कम हों।

(किफ़ायतुल मुफ़ती जिल्द-4 सफ़हा-228)

अगर ये रोज़े कमरी तारीख़ महीने की पहली तारीख़ से शुरू किए गए तो पूरे दो कमरी महीनों के रोज़े रखना चाहिए। और अगर ये रोज़े कमरी महीने के दरमियान से शुरू किए गए तो उस महीने को पूरा कर के अगले पूरे माह के रोज़े रखना और फिर तीसरे माह में इतने दिन के रोज़ा रखना चाहिए कि पहले महीने के दिन मिला कर पूरे 30 दिन हो जाएँ।

(किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-941)

### कफ़ारे में तसलसुल ज़रूरी

ज़रूरी है कि दो माह के रोज़े मुसलसल हों, अगर एक दिन का भी रोज़ा रह गया ख़्वाह उसका कोई शरई उज़र हो, मसलन सफ़र दरपेश आ जाए तो जो रोज़े रखे गए वह नफ़ल हो जाएँगे और फिर अज़ सरे नौ रोज़े रखने होंगे। क्योंकि रोज़ों का तसलसुल ज़रूरी था और वह पूरा नहीं हुआ। और अगर कोई शख़्स शदीद तकलीफ़ वग़ैरा के बाइस रोज़ा न रख सके तो साठ मिस्कीनों को (दोनों वक्त पेट भर कर) खाना खिलाए (वाज़ेह रहे कि) कफ़ारा जो फ़र्ज़ है उसमें साठ रोज़ ऐसे मुहताजों को खिलाना वाजिब है जो कफ़ारा देने वाले के अपने खानदान के लोग न हों, और खानदान से मुराद ये है कि जिस का नफ़का उस पर वाजिब है। मसलन उसके बाप दादा वग़ैरा या बेटे, पोते और बीवी वग़ैरा न हों।

(किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-941)

### खाना खिलाने में तसलसुल की ज़रूरत नहीं

अगर साठ तक खाना नहीं खिलाया बल्कि बीच में कुछ दिन नागा हो गया तो कुछ हरज नहीं, ये भी दुरुस्त है। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-18, बहवाला मराकियुलफ़लाह सफ़हा-206)

खाना खिलाने में तसलसुल की ज़रूरत नहीं, मुतफ़रि़क़ अय्याम में खिलाने से भी कफ़ारा अदा हो जाता है।

(अहसनुल फ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-441)

### हैज़ की वजह से कफ़ारा का तसलसुल ज़रूरी नहीं

रमज़ान शरीफ़ के रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि दो महीने के रोज़े बराबर लगातार रखे। थोड़े कर के रोज़े रखना दुरुस्त नहीं, अगर किसी ने बीच में एक दो रोज़े नहीं रखे तो अब फिर नए सिरे से रोज़े रखे, हां अगर औरत के हैज़ की वजह से कुछ रोज़े छूट जाएं तो वह मआफ़ हैं, उनके छूट जाने से कफ़ारा में कुछ नुक़सान नहीं आया, लेकिन पाक होने के फ़ौरन बाद फिर से रोज़े रखने शुरू कर दे और साठ रोज़े पूरे कर ले।

(बहिश्ती ज़ेवर सफ़हा-15, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-150)

अहसनुल फ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-442 में है—  
“माहवारी की वजह से कफ़ारे के रोज़ा में फ़स्ल मुज़िर नहीं, माहवारी ख़त्म होते ही फ़ौरन रोज़े शुरू कर दे, इसी तरह साठ रोज़े पूरे कर ले, अगर माहवारी ख़त्म होने के बाद एक दिन का भी नागा किया तो नए सिरे से

साठ रोजे रखने पड़ेंगे।

### निफ़ास की वजह से कफ़ारा सही न होगा

निफ़ास (बच्चा की वलादत के बाद आने वाले खून) की वजह से बीच में रोजे छूट गए और वह लगातार रोजे नहीं रख सकी तो उसका कफ़ारा सही न होगा उसे सब रोजे फिर से रखने पड़ेंगे। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-15, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-1 सफ़हा-151)

नोट: इसकी वजह ये है कि हैज़ तो हर माह औरत को होता है और कफ़ारा में साठ रोजे हैं इसलिए उसे परेशानी और मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए कभी भी कफ़ारे के साठ रोजे मुसलसल रखना मुम्किन नहीं। बरख़िलाफ़ निफ़ास के क्योंकि निफ़ास का खून जिसमें नमाज़ मआफ़ है और रोज़ा की कज़ा है। बच्चा की पैदाइश पर ही आता है, और ये कम से कम साल भर में एक मरतबा ही पेश आता है। इसलिए दोनों में फ़र्क़ जाहिर है। (मुरत्तिब- मुहम्मद रफ़अत कासमी)

### बीमारी या रमज़ान का, कफ़ारे के दरमियान आ जाना

अगर दुख, बीमारी, की वजह से बीच में कफ़ारा के कुछ रोजे छूट गए तब भी तंदुरुस्त होने के बाद फिर से रोजे रखने पड़ेंगे। इस तरह अगर बीच में रमज़ान शरीफ़ आ जाए तब भी कफ़ारा सही अदा न होगा। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-15, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-2 सफ़हा-150)

### रोज़े की ताक़त न हो तो

अगर किसी को रोज़ा रखने की ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को सुबह व शाम पेट भर कर खाना खिला

दे, जितना उनके पेट में समाए, यानी भूके न रहें। शिकम सैर हो कर खाएँ। (बहिश्ती जेवर सफ़हा-15, बहवाला दुर्मुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-250)

### कफ़ारे में ज़ामिन बनाना

अगर किसी ने दूसरे से ये कह दिया कि तुम मेरी तरफ़ से कफ़ारा अदा कर दो, और साठ मिस्कीनों को खाना खिला दो, और उसने उसकी तरफ़ से खाना खिला दिया, या अनाज दे दिया, तब भी कफ़ारा अदा हो जाएगा। और बग़ैर उसके कहे किसी ने उसकी तरफ़ से दे दिया तो कफ़ारा सही नहीं हुआ। (बहिश्ती जेवर जिल्द-3 सफ़हा-16, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-83)

### कफ़ारे सौम में तदाखुल की तफ़सील

सवाल: मुतअद्दिद रोज़ों के कफ़ारों में तदाखुल होगा या नहीं, यानी एक ही कफ़ारा होगा, या नहीं तफ़सील क्या है?

जवाब: इसमें तीन कौल हैं।

(1) मुतलकन तदाखुल है, ख़्वाह एक रमज़ान के रोज़े हों या मुख्तलिफ़ रमज़ानों के, ख़्वाह जिमाअ से फ़ासिद किए हों, या ग़ैर जिमाअ से।

(2) दो रमज़ान के कफ़ारों में तदाखुल नहीं, ख़्वाह जिमाअ से हो, या ग़ैर जिमाअ से।

(3) दो रमज़ान के कफ़ारे जिमाअ के सबब से हों, तो तदाखुल नहीं। बकिया सब सूरतों में तदाखुल है। तीसरा कौल राजेह है। (अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-424, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-120)

अगर जिमाअ के अलावा किसी और सबब से कफ़ारा

वाजिब हुआ हो और एक कफ़ारा अदा न करने पाया हो, दूसरा वाजिब हो जाए, तो उन दोनों के लिए एक ही कफ़ारा काफी है। अगरचे दोनों कफ़ारे दो रमज़ान के हों, हां जिमाअ के सबब से जितने रोज़े फ़ासिद हुए हों तो अगर वह एक ही रमज़ान के रोज़े हैं तो एक ही कफ़ारा काफी है, और अगर दो रमज़ान के हैं तो हर एक रमज़ान का कफ़ारा अलग देना होगा। अगरचे पहला कफ़ारा न अदा किया हो। हासिल ये है कि जिमाअ के अलावा में तो मुतलकन तदाखुल हो सकता है और जिमाअ में एक रमज़ान के कफ़ारों में तदाखुल हो सकता है। दो रमज़ान के कफ़ारों में नहीं, क्योंकि जिमाअ से मुतलकन तदाखुल न होना ख़िलाफ़े ज़ाहिरे रिवायत है, यानी एक रमज़ान के कफ़ारों में तदाखुल हो सकता है, जबकि अभी तक कोई कफ़ारा अदा न किया हो, दो रमज़ान के कफ़ारों में तदाखुल नहीं हो सकता है। इसमें जिमाअ और ग़ैर जिमाअ सब मुसावी हैं, मगर हम ने ग़ैर जिमाअ में कौले सही और मोतमद अलैहि को लिया है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-106)

हनफ़ीया के नज़दीक कफ़ारा वाजिब करने वाले अमल का मुतअद्द बार इरतिकाब करने से उतनी ही बार कफ़ारा देना वाजिब नहीं है। ख़्वाह ये इरतिकाब एक ही दिन में कई बार हो, या मुतअद्द अय्याम में, लेकिन अगर कफ़ारा वाजिब करने वाले अमल का इरतिकाब किया और कफ़ारा देने के बाद फिर इरतिकाब किया तो अगर ये दोबारा इरतिकाब एक ही दिन में हुआ तो एक ही कफ़ारा वाजिब है और अगर उसका इआदा मुख़लिफ़ दिनों में किया

गया तो पहली दफ़ा के बाद जिसका कफ़ारा दिया जा चुका है, फिर उसका कफ़ारा देना होगा। इसमें इतनी तफ़सील मज़ीद ज़रूरी है कि अगर कफ़ारा का मूजिब मुबाशरत (हमबिस्तरी) था तो दूसरी बार देना होगा, वरना नहीं।

(किताबुलाफ़िक्ह अललमजाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-944)

### कफ़ारे में ताख़ीर

सवाल: जिसके जिम्मा रोज़े का कफ़ारा हो और वह तालिबे इल्म हो या हिफ़ज़े कलामुल्लाह में लगा हुआ हो। तो अगर वह रोज़ा रखता है इल्म हासिल करने में नुक़सान होता है, अगर नहीं रखता है तो मुवाख़ज़ा सख़्त है इसलिए अगर वह पढ़ने के बाद कफ़ारे के रोज़े रखे तो ये दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: कफ़ारे के रोज़ों में ताख़ीर न करना चाहिए अगरचे हिफ़ज़े कुरआन और तहसीले इल्म में हरज लाज़िम आए। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़हा-373)

### कफ़ारे में दो माह का ख़ाना मुकर्र कर देना

सवाल: रोज़े के कफ़ारे में ख़ाना दो माह का मुकर्र कर देना। यानी साठ वक़्त का, तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब: रोज़े के कफ़ारे में साठ दिन एक तालिबे इल्म को दोनों वक़्त बिठा कर पेट भर कर खाना खिलाना दुरुस्त है और इससे कफ़ारा अदा हो जाता है। मगर बिठा कर खिलाना चाहिए। क्योंकि देने में हर रोज़ा पूरी मिक्दार पौन दो सेर एक फ़ितरा की बक़द या उसकी कीमत देने की ज़रूरत है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-4

सफ़हा-448)

ये रिआयत इसलिए रखी गई है, कि आम तौर पर जब किसी का खाना मुकर्रर किया जाता है, तो सिर्फ़ चार रोटियाँ होती हैं, हालाँकि बाज़ अफ़राद की खुराक ज्यादा होती है। (मुरत्तिब)

### **छोट बच्चों को खिलाने से कफ़ारा अदा नहीं होगा**

अगर उन मिस्कीनों में बाज़े बिल्कुल छोटे बच्चे हों तो जाइज़ नहीं। उन बच्चों के बदले और मिस्कीनों को फिर खिलाए। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-16, शामी जिल्द-1 सफ़हा-503)

आठ, दस बरस के बच्चों को जो करीबुलबुलूग़ न हों खाना खिला देने से कफ़ारा अदा नहीं होता। अलबत्ता अगर उनको कफ़ारे की मिक्दार का मालिक बना दिया जाए। मसलन निस्फ़ साअ गंदुम या उसकी कीमत हर एक बच्चा की मिल्क कर दी जाए तो दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-452, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-802 बाबुलकफ़ारा)

### **कफ़ारे में हर मिस्कीन को दो वक़्त खाना खिलाना**

सवाल: रोज़े के कफ़ारा में अगर एक सौ बीस मसाकीन को एक ही वक़्त खाना खिला दिया जाए और इसी तरह क़सम के कफ़ारा में बीस मसाकीन को एक ही वक़्त खाना खिला दिया जाए तो कफ़ारा अदा होगा या नहीं?

जवाब: एक वक़्त खिला देने से कफ़ारा अदा नहीं हुआ, रोज़े के कफ़ारे में उन मसाकीन में से साठ को और क़सम के कफ़ारा में से दस को दूसरे वक़्त भी

खिलाना वाजिब है, खाह उसी दिन खिलाए या किसी दूसरे दिन खिलाए। (अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-440, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-635)

एक मिस्कीन को एक दिन में ज़्यादा देगा तो एक दिन का ही अदा होगा। अलहासिल कफ़ारे में फुकरा की तादाद का या दिनों की तादाद का होना ज़रूरी है और फ़िदया में फुकरा की तादाद या दिनों की तादाद की ज़रूरत नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम क़दीम जिल्द-3 सफ़हा-73)

### कफ़ारे में अनाज या कीमत देना

अगर खाना न खिलाए बल्कि साठ मिस्कीनों को कच्चा अनाज दे दे तब भी जाइज़ है, हर एक मिस्कीन को इतना दे कि जितना सदकए फ़ित्र दिया जाता है, अगर उतने अनाज की कीमत दे तो भी जाइज़ है।

(बहिश्ती जेवर जिल्द-3 सफ़हा-16, बहवाला दुर्मुख़्तार जिल्द-1 सफ़हा-25)

### एक मिस्कीन को खिलाना

अगर एक मिस्कीन को साठ दिन तक सुबह व शाम खाना खिला दिया, या साठ दिन तक कच्चा अनाज या कीमत देते रहे, तब भी कफ़ारा सही हो गया। (बहिश्ती जेवर जिल्द-3 सफ़हा-16, बहवाला कुदूरी सफ़हा-157)

### कफ़ारे की रक़म से मदरसा का टाट ख़रीदना या मरिजद

#### की तामीर करना

सवाल: रोज़ा का कफ़ारा साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना है। अगर उस खाने की कीमत से मदरसा में टाट ख़रीद कर तलबा के लिए इंतिज़ाम कर दें या



मस्जिद में सर्फ़ कर दें तो क्या ये जाइज़ है?

जवाब: अगर साठ रोज़ों की ताकत न हो तो फिर एक रोज़े के एवज़ साठ मिस्कीनों को दोनों वक़्त खाना खिलाना, या हर एक मिस्कीन को पौने दो किलो गेहूँ या उसकी कीमत देना, ज़रूरी है, मदरसा का टाट ख़रीदना या उससे मदरसे की मरम्मत और तामीर दुरुस्त नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम सफ़हा-449, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-149, बाब मायुफ़िसदुस्सौम)

कफ़ारा की रकम से मस्जिद और मदरसा में देना दुरुस्त नहीं है। इससे कफ़ारा अदा न होगा, अलबत्ता मदरसा में अगर तलबा के खिलाने में लगा दें तो दुरुस्त है, बशर्ते कि साठ तलबा को दोनों वक़्त खिला दिया या बकद्रे फ़ितरा हर एक को पौने दो सेर गंदुम या उसकी कीमत दे दें। (फ़तावा दारुलउलूम सफ़हा-454, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुस्सर्फ़ जिल्द-2 सफ़हा-79)

### कफ़ारे के रोज़े के बजाए नक़द रकम देना

सवाल: ज़ैद के ज़िम्मे रमज़ान का एक कफ़ारा है और वह दो माह के रोज़े नहीं रख सकता, अगर वह अदना दर्जा की ख़ूराक की कीमत दो माह की मदरसा के अन्दर जमा करा दे तालिबे इल्म के लिए, तो कफ़ारा अदा होग या नहीं?

या अगर ज़ैद किसी ग़रीब को तीन पाव आटा दो माह तक दे दे और लकड़ी व तरकारी के लिए कुछ पैसे दे दे तो क्या कफ़ारा अदा हो जाएगा?

जवाब: रोज़ा में तकलीफ़ होने की वजह से ये दुरुस्त नहीं है कि रोज़ा को छोड़ कर मिस्कीन को खाना खिलाने

की तरफ़ रज़ूअ करे, क्योंकि कुरआन मजीद में **فَمَنْ لَّمْ** "فَمَنْ لَّمْ" की क़ैद है, जिसका हासिल ये है कि उसमें ताक़त ही रोज़े की न हो, यानी बवज्हे मरज़े ला इलाज के या बवज्हे शौख़ फ़ानी (बिल्कुल कुदरत न रहे) होने के उस वक़्त खाना खिलाना दुरुस्त है। फिर जब दो माह के रोज़े से आजिज़ हो बेवज्ह बुढ़ापे, या मरज़े शदीद लाइलाज के, तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना ज़रूरी है। उसकी दो सूरतों हैं, या हर एक मिस्कीन को आधा साअ गंदुम, यानी पौने दो किलो या उसकी कीमत हर एक मिस्कीन को दे दे, या साठ मिस्कीन को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाए।

पस तीन पाव आटा रोज़ाना किसी ग़रीब को दो माह तक देने से कफ़ारा अदा न होगा। बल्कि पौने दो किलो आटा या उसकी कीमत देने से अदा होगा, इसी तरह किसी तालिबे इल्म को मुजमलन रूपया भेज देने से कफ़ारा अदा न होगा, बल्कि ये लिखा जाए कि साठ आदमियों को एक दिन में दो वक़्त या एक आदमी को दो माह तक दोनों वक़्त पेट भर कर कफ़ारा की नीयत से खिलाया जाए और उसमें जो कुछ सर्फ़ हो वह मुझ से ले लिया जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-456, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब फ़िलकफ़ारा जिल्द-2 सफ़हा-150 व जिल्द-2 सफ़हा-801)

### **कफ़ारे में मोहतमिमे मदरसा की वक़ालत**

सवाल: मदरसा का मोहतमिम कफ़ारा का खाना खिलाने का वकील हो कर तलबा के खाने में रूपया को

सर्फ़ कर सकता है, जो कफ़ारा अदा करने की नीयत से रखे हैं? या मोहतमिम कपड़ा ख़रीद कर दे सकता है?

जवाब: इस तरह कर सकता है कि कफ़ारे के पूरे रूपये का कपड़ा ख़रीद कर मुहताज तलबा की मिल्क में दे, ये दुरुस्त है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-452, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-802)

### रोज़े के कफ़ारा की तौबा से मअफ़ी

सवाल: ज़ैद ने जिसको कफ़ारा का इल्म न था अपनी औरत से रोज़ा की हालत में सोहबत की, तो उन पर कफ़ारा वाजिब हुआ है, वह उसको किसी तरह अदा नहीं कर सकता है, इस सूरत में उसकी तौबा कबूल होगी या नहीं?

जवाब: अदाए कज़ा व कफ़ारा इस सूरत में ज़रूरी है, तौबा भी जब ही कबूल होगी। अगर दो महीने के रोज़ों की पै-दर-पै मुसलसल ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिला दें।

”فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِيعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا“ (المجادلة)

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-450, बहवाला कुरआन मजीद सूरए मुजादला रुकूअ-1, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब मायुफ़िसदुस्सौम जिल्द-2 सफ़हा-149)

## नवाँ बाब

### औरतों के मसाइल

#### हैज की तारीफ और उसके मसाइल

मसअला (1) हर महीना जो आगे की राह से (औरतों को) मामूली खून आता है उसको हैज कहते हैं। मसअल (2) कम से कम हैज की मुदत तीन दिन तीन रात है और ज्यादा से ज्यादा दस दिन दस रात है। किसी को तीन दिन तीन रात से कम खून आया है तो वह हैज नहीं है बल्कि इस्तिहाजा है जो किसी बीमारी वगैरा की वजह से ऐसा हो गया है। और अगर दस दिन रात से ज्यादा खून आया है तो जितने दिन दस से ज्यादा आया है वह भी इस्तिहाजा है। मसअला (3) अगर तीन दिन तो हो गए, लेकिन तीन रातें नहीं हुईं, जैसे जुमा की सुबह से खून आया और इतवार को शाम के वक़्त बादे मगरिब बंद हो गया तब भी ये हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा है। अगर तीन दिन रात से ज़रा भी कम हो तो वह हैज नहीं, बल्कि इस्तिहाजा है। मसअला (4) हैज की मुदत के अन्दर सुर्ख, ज़र्द, सब्ज़, खाकी, मटियाला, सियाह, जो रंग आए वह सब हैज है। जब तक गद्दी (जो कपड़ा रखती हैं) बिल्कुल सपेद न दिखलाई दे, और जब बिल्कुल सपेद रहे जैसी कि रखी गई थी, तो अब हैज से पाक हो गई। मसअला

(5) नौ बरस से पहले, और पचपन साल के बाद, किसी को हैज़ नहीं आता। इसलिए अगर नौ बरस से छोटी लड़की को खून आएगा तो वह हैज़ नहीं है। बल्कि इस्तिहाज़ा है। यानी नौ साल से पहले तो बिल्कुल हैज़ नहीं आता है। इसलिए जो खून नौ साल से पहले आएगा वह किसी सूरत में हैज़ नहीं हो सकता। और पचपन साल के बाद आम तौर पर जो आदत है वह यही है कि हैज़ नहीं आता, लेकिन आना मुम्किन है इसलिए कि अगर पचपन बरस बाद खून आ जाए तो उन ख़ास औरतों में जिन का ज़िक्र किया गया है उसको हैज़ कहा जाएगा। अलबत्ता अगर उस औरत को इस उम्र से पहले भी ज़र्द या सबज़ या ख़ाकी रंग आता हो तो पचपन बरस बाद भी ये रंग हैज़ समझे जाएंगे। और अगर आदत के खिलाफ़ ऐसा हुआ तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। मसअला (6) किसी को हमेशा तीन दिन या चार दिन खून आता है। फिर किसी महीने में ज़्यादा आ गया लेकिन दस दिन से ज़्यादा नहीं आया वह सब हैज़ है। और अगर दस दिन से भी ज़्यादा बढ़ गया तो जितने दिन पहले से औरत के हैं उतना तो हैज़ है बाकी सब इस्तिहाज़ा है। उसकी मिसाल ये है कि किसी को हमेशा तीन दिन हैज़ आने की आदत है लेकिन किसी महीना में नौ दिन या दस दिन रात, तो ये सब हैज़ है। और अगर दस दिन रात से एक लहज़ा भी ज़्यादा खून आए तो वह ही तीन दिन हैज़ के हैं और बाकी दिनों का सब इस्तिहाज़ा है। इन दिनों की नमाज़ें क़ज़ा पढ़ना वाजिब हैं। मसअला (7) एक औरत है जिसकी कोई आदत मुक़र्रर नहीं है, कभी चार

दिन खून आता है और कभी सात दिन इसी तरह बदलता रहता है, कभी दस दिन भी आ जाता है। तो ये सब हैज़ है, ऐसी औरत को अगर कभी दस दिन रात से ज़्यादा खून आए तो देखो इससे पहले महीना में कितने दिन हैज़ आया था, बस उतने ही दिन हैज़ के, और बाकी सब इस्तिहाज़ा है। मस्अला (8) किसी को हमेशा चार दिन आता है और फिर एक महीना में पाँच दिन खून आया और उसके बाद दूसरे महीना में पन्द्रह दिन खून आया तो उस पन्द्रह दिन में से पाँच दिन हैज़ के हैं और दस दिन इस्तिहाज़ा और पहली आदत का एतेबार नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि आदत बदल गई और पाँच दिन की आदत होगी। मस्अला (9) किसी को दस दिन से ज़्यादा खून आया और उसको अपनी पहली आदत बिल्कुल याद नहीं कि पहले महीने में कितने दिन खून आया था, तो उसके मस्अले बहुत बरीक हैं, जिनका समझना बहुत मुश्किल है और ऐसा इत्तिफ़ाक भी कम पड़ता है। इसलिए हम उसका हुक्म ब्यान नहीं करते, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो किसी आलिम से पूछना चाहिए और किसी ऐसे वैसे मामूली मौलवी से न पूछा जाए। मस्अला (10) किसी लड़की ने पहले पहल खून देखा तो अगर दस दिन या उससे कम आए सब हैज़ है और जो दस दिन से ज़्यादा आए तो पूरे दस दिन हैज़ है और जितना ज़्यादा हो वह सब इस्तिहाज़ा है। मस्अला (11) किसी ने पहले पहल खून देखा और वह किसी तरह बंद नहीं हुआ, कई महीने तक बराबर आता रहा, तो जिस दिन खून आया है उस दिन से लेकर दस दिन रात हैज़ है। इसके बाद बीस दिन

इस्तिहाजा है इसी तरह बराबर दस दिन हैज और बीस दिन इस्तिहाजा समझा जाएगा। मसअला (12) दो हैज के दरमियान में पाक रहने की मुदत कम से कम पन्द्रह दिन हैं और ज्यादा की कोई हद नहीं। सो अगर किसी वजह से किसी को हैज आना बंद हो जाए तो जितने महीने तक खून न आएगा पाक रहेगी। मसअला (13) अगर किसी को तीन दिन रात खून आया, फिर पन्द्रह दिन पाक रही, फिर तीन दिन रात खून आया तो तीन दिन पहले के और तीन दिन ये जो पन्द्रह दिन के बाद हैं हैज के हैं, और बीच में पन्द्रह दिन पाकी का जमाना है। मसअला (14) अगर एक दिन या दो दिन खून आया फिर पन्द्रह दिन पाक रही, फिर एक या दो दिन खून आया, तो बीच में पन्द्रह दिन तो पाकी का जमाना ही है। इधर उधर एक या दो दिन जो खून आया है वह भी हैज नहीं है, बल्कि इस्तिहाजा है। मसअला (15) अगर एक दिन या कई दिन खून आया, फिर पन्द्रह दिन से कम पाक रही, इसका कुछ एतेबार नहीं है, बल्कि यूँ समझेंगे कि गोया औवल से आखिर तक बराबर खून जारी रहा, पस जितने दिन हैज आने की आदत हो, उतने दिन तो हैज के ही हैं, बाकी सब इस्तिहाजा है। मिसाल उसकी ये है कि किसी को हर महीने की पहली और दूसरी और तीसरी तारीख को हैज आने का मामूल है फिर किसी महीना में ऐसा हुआ कि पहली तारीख को खून आया फिर चौदह दिन पाक रही, फिर एक दिन खून आया तो ऐसा समझेंगे कि सोला दिन बराबर खून आया, पस इसमें से तीन दिन औवल के तो हैज के हैं और तेरह दिन इस्तिहाजा है।

और अगर चौथी या पाँचवीं, छठी तारीख़ हैज़ की आदत थी तो ये ही तारीख़े हैज़ की हैं। और तीन दिन औवल के और दस दिन बाद के इस्तिहाज़ा के हैं। और अगर इसकी कुछ आदत न हो बल्कि पहले पहल खून आया हो तो दस दिन हैज़ है और छः दिन इस्तिहाज़ा है। मस्अला (16) हमल के ज़माने में जो खून आए वह भी हैज़ नहीं, बल्कि इस्तिहाज़ा है, चाहे जितने दिन आए। मस्अला (17) बच्चा पैदा होने के वक़्त बच्चा निकलने से पहले जो खून आए वह भी इस्तिहाज़ा है, बल्कि जब तक बच्चा आधे से ज़्यादा न निकल आए तब तक जो खून आएगा उसको इस्तिहाज़ा ही कहेंगे।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-2 सफ़हा-61)

### हाएज़ा का हुक्म

हैज़ के ज़माने में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। इतना फ़र्क़ है कि नमाज़ तो बिल्कुल मआफ़ हो जाती है, पाक हो जाने के बाद भी उसकी कज़ा वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा मआफ़ नहीं होता। पाक होने के बाद कज़ा रखनी पड़ेगी। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-2 सफ़हा-59, बहवाला बहरुराइक सफ़हा-194)

### निफ़ास वाली औरत

निफ़ास में भी नमाज़ बिल्कुल मआफ़ है और रोज़ा मआफ़ नहीं है, बल्कि उसकी कज़ा रखनी चाहिए और रोज़ा नमाज़ वगैरा के वही मसाइल हैं जो हैज़ के अहकामात हैं। बच्चा की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसको निफ़ास कहते हैं। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-2 सफ़हा-62, बहवाला बहरुराइक सफ़हा-194)



### इस्तिहाज़ा का हुक्म

इस्तिहाज़ा का हुक्म ऐसा है जैसे किसी के नक्सीर फूटे और बंद न हो, ऐसी औरत नमाज़ भी पढ़े और रोज़ा भी रखे, कज़ा न करना चाहिए। इस्तिहाज़ा के अहकाम बिल्कुल माज़ूर के अहकाम की तरह हैं। जो बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-1 सफ़हा-54 में तफ़सील के साथ ब्यान हो चुके हैं। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-2 सफ़हा-61, बहवाला शरह वकाया जिल्द-1 सफ़हा-113)

### रोज़ा रखने के बाद दिन में हैज़ आ जाना

अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया, तो वह नमाज़ मआफ़ होगी। पाक होने के बाद उसकी कज़ा न पढ़े, और अगर नफ़ल या सुन्नत में हैज़ आ गया तो उसकी कज़ा पढ़नी होगी। और अगर आधे रोज़े के बाद हैज़ आया तो वह रोज़ा टूट गया, जब पाक हो तो कज़ा रखे। और अगर नफ़ल रोज़ा में हैज़ आ जाए तो उसकी कज़ा रखे। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-2 सफ़हा-59, बहवाला जौहरतुन्नैयरा जिल्द-1 सफ़हा-32)

### कफ़ारे के रोज़े के दरमियान हैज़ आ जाना

माहवारी की वजह से कफ़ारा के रोज़ों में नागा मुज़िर नहीं, माहवारी ख़त्म होते ही फ़ौरन रोज़ा शुरू कर दे, इसी तरह साठ रोज़े पै-दर-पै पूरे करे, अगर माहवारी ख़त्म होने के बाद एक दिन का भी नागा किया तो नए सिरे से साठ रोज़े रखने होंगे।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-442)

### दिन में पाक हो जाने का हुक्म

अगर रमज़ान शरीफ़ में दिन में पाक हुई तो अब

पाक होने के बाद कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं है। शाम तक रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है, लेकिन ये दिन रोज़ा में शुमार न होगा, बल्कि उसकी कज़ा रखनी पड़ेगी।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-2 सफ़हा-61, बहवाला शरह वकाया जिल्द-1 सफ़हा-316)

### रात में पाक हो जाने का हुक्म

और अगर रात को पाक हुई और पूरे दस दिन रात हैज़ आया है, तो अगर ज़रा सी रात बाकी हो जिसमें एक दफ़ा अल्लाहुअकबर भी न कह सके, तब भी सुब्ह का रोज़ा वाजिब है। और अगर दस दिन से कम हैज़ आया है तो अगर इतनी रात बाकी हो कि जल्दी से गुस्ल तो कर लेगी लेकिन गुस्ल के बाद एक दफ़ा भी अल्लाहुअकबर न कह पाएगी तो भी सुब्ह का रोज़ा वाजिब है। अगर इतनी रात तो थी, लेकिन गुस्ल नहीं किया, तो रोज़ा न तोड़े, बल्कि रोज़ा की नीयत कर ले और सुब्ह को नहा ले, और अगर इससे भी कम रात हो, यानी गुस्ल भी न कर सके तो सुब्ह का रोज़ा जाइज़ नहीं है, लेकिन दिन को कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं, बल्कि सारे दिन रोज़ादारों की तरह रहे फिर उसकी कज़ा रखे।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-2 सफ़हा-61, बहवाला शरह वकाया जिल्द-1 सफ़हा-129)

अगर रात को पाक हुई, तो अब सुब्ह को रोज़ा न छोड़े, अगर रात को न नहाई हो तब भी रोज़ा रख ले सुब्ह को नहा ले, अगर सुब्ह होने के बाद पाक हुई तो अब पाक होने के बाद रोज़ा की नीयत करना दुरुस्त

नहीं, लेकिन कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं है अब दिन भर रोज़ादारों की तरह रहना चाहिए।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-70, बहवाला जौहरा नैयरा जिल्द-1 सफ़हा-148)

नोट: गुस्ल करना उसी वक़्त ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि इतना वक़्त होना चाहिए कि जिसमें गुस्ल कर सके, फिर अगर गुस्ल बाद में कर ले यानी सुबह के बाद और रोज़ा रख ले तब भी सही है रोज़ा में कोई हरज नहीं आएगा। और रमज़ान के रोज़ा में जिस वक़्त भी औरत को हैज़ आ जाएगा चाहे दिन का थोड़ा सा हिस्सा बाकी हो, वह रोज़ा टूट गया, बाद में उसकी कज़ा कर ले, फ़र्ज़ हो या नफ़ल। (मुरत्तिब रफ़अत कासमी)

### पाक होते ही कज़ा रखना वाजिब

रोज़ा के लिए औरतों को हैज़ व निफ़ास के खून से पाक होना शर्त है चुनाँचे हैज़ व निफ़ास वाली औरत पर न रोज़ा वाजिब है, और न रोज़ा रखना दुरुस्त है। दोनों किस्म की औरतों में से कोई अगर फ़जर से एक लहज़ा भर पहले पाक होगी तो (उसी वक़्त) रात ही से रोज़ा की नीयत कर लेना वाजिब है। हैज़ व निफ़ास वालियों पर ज्योंहि ये रोज़े से बाज़ रखने वाली हालत दूर हो जाए तो माहे रमज़ान के रोज़ों की जो रह गए हैं, कज़ा वाजिब है। (किताबुलफ़िक्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-883)

### औरत को एहतिलाम हो जाना

औरत दिन में सो गई, और ऐसा ख़्वाब देखा जिससे नहाने की ज़रूरत हो गई, तो रोज़ा नहीं टूटता।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-61, जौहरा नैयरा जिल्द-1 सफ़हा-142)

### गुस्ले जनाबत न करने पर रोज़े का हक़म

रात को नहाने की ज़रूरत हुई, मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाई, तब भी रोज़ा हो गया। अगर दिन भर यानी तमाम दिन गुस्ल न करे, तब भी रोज़ा नहीं जाता, अलबत्ता उसका गुनाह अलग होगा। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-70, बहवाला नूरुलईज़ाह सफ़हा-141)

### रोज़ा में मर्द के साथ लेटना

मर्द और औरत का साथ लेटना, हाथ लगाना, प्यार करना, ये सब दुरुस्त है, लेकिन अगर जवानी का इतना जोश हो कि इन बातों से सोहबत करने का डर हो, तो ऐसा न करना चाहिए। मकरूह है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-70, बहवाला नूरुलईज़ाह सफ़हा-147)

### औरत के होंट चूमना

औरत का बोसा (प्यार) लेना, और उससे बग़लगीर होना, मकरूह है, जबकि इज़ाल का ख़ौफ़ हो, या अपने नफ़स के बेइख़्तियार हो जाने का, और ऐसी हालत में जिमाअ करने का अंदेशा हो। और अगर ये ख़ौफ़ और अंदेशा न हो तो फिर मकरूह नहीं। नीज़ किसी औरत वग़ैरा के होंट मुंह में लेना और मुबाशरते फ़ाहिशा यानी ख़ास बदन, शर्मगाह का आपस में मिलाना, बिदून दुखूल के हर हाल में मकरूह है, ख़्वाह मनी निकलने का या जिमाअ (सोहबत) करने का ख़ौफ़ हो या न हो।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-106, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-198)

### हमबिस्तरी

अगर मर्द से हमबिस्तरी हुई तब भी रोज़ा जाता रहा उसकी कज़ा भी रखे और कफ़ारा भी दे। जब मर्द के पेशाब के मक़ाम की सुपारी अन्दर चली गई तो रोज़ा टूट गया, कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे, चाहे मनी निकले या न निकले। नीज़ अगर मर्द ने पाख़ाना की जगह अपना उज़्व (ज़कर) कर दिया और सुपारी अन्दर चली गई, तब भी औरत मर्द दोनों का रोज़ा जाता रहा। कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-70, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-151)

### ज़बरदस्ती सोहबत करना

कोई औरत गाफ़िल सो रही थी, या बेहोश पड़ी थी, उससे किसी ने सोहबत कर ली, तो रोज़ा जाता रहा। फ़क़त कज़ा वाजिब है। कफ़ारा वाजिब नहीं है, और मर्द पर कफ़ारा भी वाजिब है। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-70, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-143)

किसी रोज़ादार औरत से ज़बरदस्ती या सोने की हालत में या बहालते जुनून जिमाअ किया तो औरत का रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा और औरत पर सिर्फ़ कज़ा लाज़िम आएगी, और मर्द रोज़ादार हो तो उस पर कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम हैं।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-105)

### नाबालिग़ या मजनून से सोहबत करना

अगर कोई औरत किसी नाबालिग़ या मजनून से जिमाअ कराए तब भी रोज़ा जाता रहा। उसको कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम हैं।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-11 सफ़हा-105, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-203)

### औरतों का आपस में लुत्फ़ अंदोज़ होना

अगर दो औरतें आपस में साहिका करें, यानी आपस में मशगूल और लुत्फ़ अंदोज़ हों और दोनों को इंज़ाल हो जाए और मनी निकल जाए तो दोनों का रोज़ा टूट जाएगा। और अगर इंज़ाल न हो तो नहीं टूटेगा। और इंज़ाल की सूरत में कफ़ारा लाज़िम न आएगा।

(फ़तावा हिन्दिया जिल्द-2 सफ़हा-20)

### रिहम में रबड़ का छल्ला दाख़िल करना

**सवाल:** औरत को कजीए रिहम की शिकायत है, उसके इलाज के लिए शर्मगाह में दो माह तक एक रबड़ का छल्ला चढ़ा रहता है जो कि रिहम के अन्दरूनी हिस्सा में दाख़िल किया जाता है। क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा?

**जवाब:** खुद रोज़ा की हालत में ये छल्ला चढ़ाना मुफ़्सिदे सौम है, लेकिन अगर बग़ैर रोज़ा की हालत में चढ़ाया हुआ, रोज़ा की हालत में दाख़िले बदन बाकी रहे तो उससे रोज़ा में कोई ख़लल नहीं आता है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-2 सफ़हा-144)

### रोज़े की हालत में शर्मगाह के अन्दर दवा रखना

**सवाल:** इफ़तार के बाद कोई औरत बीमारी की वजह से दवा की थैली बाँध कर रात के वक़्त ही अपनी शर्मगाह में रखे और इफ़तार के बाद वह थैली निकाले, या रोज़ा की हालत में दिन में थैली रखे, शरई हुकम क्या है?

**जवाब:** रोज़े शुरू होने से दाख़िले फ़रज में रखी हुई दवा से रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा। हाँ रोज़ा की हालत में

दवा रखने से रोज़ा टूट जाएगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-38)

### रोज़े की हालत में शर्मगाह में ट्यूब लगाना

**सवाल:** रोज़ा की हालत में दिन में औरत को अपनी शर्मगाह में ट्यूब यानी दवा लगाना जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** इससे रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता फ़रजे दाख़िल दवा पहुंचने से रोज़ा टूट जाएगा। ऊपर के मुस्ततील सूराख़ के आख़िर में गोल सूराख़ से फ़रजे दाख़िल शुरू होता है। (अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-438)

औरतों की शर्मगाह के अन्दरूनी हिस्सा में कोई चीज़ रखी जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाता है, इसलिए कि औरतों के अन्दर ये फ़ितरी मनफ़ज़ मौजूद है जो पेट तक पहुंचता है, अगर मर्द के उज्वे तनासुल में कोई चीज़ डाली जाए तो रोज़ा हमारे नज़दीक नहीं टूटेगा। इसलिए कि मेअदा और उसकी नाली के दरमियान बराहे रास्त मनफ़ज़ नहीं है, बल्कि मसाना का वास्ता है, जहां से क़तरा क़तरा पेशाब नीचे आ कर जमा हो जाता है। आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-104 में है कि मर्द के पेशाब की राह में क़तरा डाले तो इमाम अबूहनीफ़ा (रह0) और इमाम मुहम्मद (रह0) के यहाँ रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता औरत की शर्मगाह में क़तरा टपकाने की सूरत में बिला इख़्तिलाफ़ रोज़ा टूट जाएगा और ये ही सही है।

(जदीद फ़िक्ही मसाइल जिल्द-1 सफ़हा-97, बहवाला फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-104)

### क्या हमल दिखलाने से रोज़ा टूट जाएगा

हज़रत मोहतरम मुफ़ती साहब

ज़ीद मजदुकुम

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह

मुन्दरजा सूरत में क्या हुक्म है।

शुरू अय्यामे हमल में हामिला की शर्मगाह में डॉक्टरनी, या दाया, बाज़ मरतबा दस्ताना बारीक झिल्ली नुमा पहन कर, और बाज़ मरतबा बगैर दस्ताना के उंगली डाल कर मुआएना करती है। इस सूरत में रोज़ा का क्या हुक्म है।

वस्सलाम

सऊदुरमान, शम्स मंज़िल

मुहल्ला बड़े भाईयान, देवबंद

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

22/12/86 ई०

अलजवाब 729

हुवल मुवाफ़िक़ वल मुईन: अगर उस डॉक्टरनी या दाया के दस्ताना पर पानी वगैरा का असर नहीं है, तो इस तरह हाथ डालने से रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा, और अगर उस पर तरी होगी तो रोज़ा फ़ासिद होगा।

”أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ الْيَابِسَةَ فِيهِ أَيْ دَبْرَهُ أَوْ فَرَجَهَا الْخَلْعَ لَمْ يَفْطُرْ

(درمختار) ولو مُبْتَلَةً فَسَدَ (ردالمحتار)

अलजवाबु सहीहुन

वल्लाहु आलमु

कफ़ीलुर्रहमान नशात

मुहम्मद जफ़ीरुद्दीन

नाइब मुफ़ती दारुलउलूम, देवबंद

मुफ़ती दारुलउलूम, देवबंद

22 रबीउस्सानी 1407 हिजरी

**शर्मगाह में उंगली दारिदल करना**

रोज़ा में पेशाब की जगह दवा रखना, या तेल वगैरा की कोई चीज़ डालना, दुरुस्त नहीं, अगर किसी ने रोज़ा



के दौरान दवा रख ली तो रोज़ा जाता रहा, क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं।

और अगर किसी ज़रूरत से दाई ने पेशाब की जगह उंगली डाली, या खुद उसने अपनी उंगली डाली, फिर सारी उंगली या थोड़ी सी उंगली निकालने के बाद फिर कर दी, तो रोज़ा जाता रहा, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं। और अगर निकालने के बाद फिर नहीं की तो रोज़ा नहीं गया, हाँ अगर पहले से ही पानी वगैरा या किसी चीज़ में उंगली भीगी हुई हो तो औवल ही दफ़ा करने से रोज़ा जाता रहेगा।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-70, बहवाला दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-149)

### उंगली दाख़िल करने से रोज़ा पर असर

**सवाल:** औरत की शर्मगाह में अगर मर्द ने अपनी उंगली फेरी तो क्या रोज़ा टूट जाएगा?

**जवाब:** बीवी की शर्मगाह में उंगली दाख़िल करने से मर्द का रोज़ा नहीं टूटेगा, और औरत के रोज़े में ये तफ़सील है कि अगर उंगली गीली दाख़िल की या खुश्क उंगली दाख़िल करने के बाद पूरी या ज़रा सी खींच कर फिर आगे की, तो औरत का रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब है, औरत पर कफ़ारा नहीं।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-447)

### उंगली डालने को मुफ़िसदे सौम समझ कर जिमाअ करना

**सवाल:** बीवी की शर्मगाह में दवा डालने के लिए उंगली अन्दर दाख़िल की और शहवत ग़ालिब आई तो ख़्याल हुआ कि रोज़ा टूट गया, उसके बाद सोहबत कर

ली, अब उस का क्या हुक्म है?

**जवाब:** रोज़ा की कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है। (अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-444, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-118)

### हामिला का हुक्म

हामिला औरत को रोज़ा न रखना जाइज़ है। बशर्ते कि अपनी या अपने बच्चे की मुज़रत का गुमाने ग़ालिब हो, ख़्वाह वह गुमान उसका वाक़ेअ के मुताबिक़ निकले या नहीं, अगर किसी औरत को रोज़ा की नीयत करने के बाद अपने हामिला होने का इल्म हुआ, तब भी उसको रोज़ा का फ़ासिद कर देना जाइज़ है। सिर्फ़ कज़ा लाज़िम आएगी। (आलमगीरी उर्दू पाकिस्तानी जिल्द-2 सफ़हा-33, किताबुस्सौम)

हामिला औरत को ऐसी बात पेश आ गई जिससे अपनी जान या बच्चा की जान का डर है, तो रोज़ा तोड़ डालना दुरुस्त है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-17)

### दर्देजेह से रोज़ा तोड़ देना

**सवाल:** अगर किसी हामिला औरत को हमल की वजह से काफ़ी तकलीफ़ है और वह रोज़ा रख कर तोड़ देती है, महज़ तकलीफ़ की वजह से, और सूरज गुरुब के वक़्त बच्चा की वलादत हो जाती है। शरई हुक्म क्या है?

**जवाब:** अगर रोज़ा न तोड़ने से औरत या बच्चा को कोई नुक़सान पहुंचने का ज़न्ने ग़ालिब हो तो रोज़ा तोड़ देना जाइज़ है, सिर्फ़ कज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं, बग़ैर ऐसे ख़तरा के रोज़ा तोड़ना गुनाह है और कफ़ारा वाजिब है, अलबत्ता अगर उसी दिन गुरुबे आफ़ताब से पहले

बच्चा पैदा हो गया तो कफ़ारा साक़ित हो जाएगा।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-442)

### जच्चा और कमज़ोर औरत का हक़म

सवाल: ज़च्चा (विलादत के बाद) या कमज़ोर औरत जो रोज़ा न रख सके फ़िदया दे तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब: इस सूरत में फ़िदया देना काफ़ी नहीं है, अगर फ़िदया दे दिया और फिर सेहत हो गई और कुदरत आ गई तो उस रोज़ा की कज़ा करना लाज़िम है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-478, बहवाला हिदाया जिल्द-2 सफ़हा-204)

### दूध पिलाने वाली की रिआयत

दूध पिलाना, जिस औरत के मुतअल्लिक किसी बच्चे का दूध पिलाना हो ख़्वाह बच्चा उसी का हो या किसी दूसरे का, बा उजरत पिलाती हो, या मुफ़्त, बशर्ते कि बच्चा की मुज़रत का गुमाने ग़ालिब हो, जैसा कि अक्सर मुशाहदा किया गया है कि रोज़ा की हालत में दूध खुशक हो जाता है, बच्चा भूक की वजह से तड़पता है और कुछ हरारत भी दूध में आ जाती है, वह भी बच्चा को नुक़सान करती है। हाँ अगर मुफ़्त दूध पिलाती हो और कोई दूसरी दूध पिलाने वाली मिल जाए और वह बच्चा भी उससे पीने से राज़ी हो जाए तो ऐसी हालत में उसको रोज़ा न रखना जाइज़ नहीं। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-36 व फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-464)

### दूध पिलाने की नौकरी की फिर रमज़ान आ गया

दूध पिलाने वाली ने दूध पिलाने की नौकरी की फिर रमज़ान आ गया, और रोज़ा से बच्चा की जान का डर है

तो अन्ना (दूध पिलाने वाली को) भी रोज़ा न रखना दुरुस्त है। (बहिश्ती जेवर हिस्सा-3 सफ़हा-19, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-159)

### क्या दूध पिलाने से औरत का रोज़ा टूट जाएगा?

**सवाल:** दूध पिलाने से औरत का रोज़ा या उसका वुजू टूट जाएगा?

**जवाब:** रोज़ा और वुजू बातिल नहीं, रोज़ा तो इसलिए नहीं टूटता कि दूध बाहर निकल रहा है और रोज़ा नाम है मुफ़्तिरात के रोकने का।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-408, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-110, किताबुस्सौम)

### हाएजा का रमज़ान में खाना पीना

**सवाल:** अगर रमज़ान में औरत अयामे हैज़ की वजह से रोज़ा न रखे तो उसको दिन में खाना पीना दुरुस्त है या नहीं?

**जवाब:** अगर हैज़ की वजह से रोज़ा नहीं रखा, या रोज़ा रखने के बाद हैज़ आ गया, तो खाना पीना जाइज़ है। लेकिन दूसरों के सामने न खाए और अगर दिन को हैज़ से पाक हुई तो दिन का बाकी हिस्सा रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-428)

### दूध पिलाने की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी कि हमल करार पा

#### गया

**सवाल:** एक हामिला हमल के नुक़सान पहुंचने की वजह से रोज़ा न रख सकी, बच्चा की पैदाइश के बाद दूध पिलाने की वजह से माज़ूर रही और अभी दूध की

मुदत पूरी न हुई थी कि फिर हमल करार पा गया। इस तरह पर तवातुर काइम हो गया, तो अब हामिला रोज़ा किस तरह रखे?

**जवाब:** अगर हालते हमल में उसको रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, या बच्चा की तरफ़ से अंदेशा है, तो जिस वक़्त उसका तवातुरे हमल मुनकता हो उसी वक़्त कज़ा करे। (फ़तावा रासूलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-462, बहवाला रदुलमुहतार फ़स्ल फ़िलअवारिज जिल्द-2 सफ़हा-159)

### रोजे में औरत का बच्चे को चबा कर खिलाना

अपने मुंह से चबा कर छोटे बच्चे को कोई चीज़ खिलाना मकरूह है, अलबत्ता अगर इसकी ज़रूरत पड़े और मजबूरी और नाचारी हो जाए तो मकरूह नहीं है।

(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-13, बहवाला शरह वकाया जिल्द-1 सफ़हा-313)

और चबा कर खिलाने के उज़्र में से एक ये भी है, कि किसी औरत के पास कोई हैज़ वाली या निफ़ास वाली या कोई बेरोज़ादार न हो कि जो उसके बच्चा को खाना खिलाए और उसको नर्म पका हुआ खाना और दूध भी नहीं मिलता है, तो इस सूरत में चबा कर खिलाना जाइज़ है। (फ़तावा आलमगीरी उर्दू पाकिस्तानी जिल्द-2 सफ़हा-11)

### चबाते वक़्त लुक़्मा निगल जाना

अगर किसी ने लुक़्मा दूसरे के खिलाने के लिए चबाया, फिर उसको निगल गया, तो कफ़ारा न होगा सिर्फ़ कज़ा वाजिब है।

(फ़तावा आलमगीरी जिल्द-2 सफ़हा-16 किताबुस्सौम)

अगर ज़बान से कोई चीज़ चख कर थूक दे, तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन बेज़रूरत ऐसा करना मकरूह है। हाँ अगर किसी का शौहर बड़ा बदमिज़ाज हो और ये डर हो कि अगर सालन में नमक पानी दुरुस्त न हो, तो परेशान कर देगा उसका नमक चखना दुरुस्त है और मकरूह नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-13, बहवाला शरह वकाया जिल्द-1 सफ़हा-313)

### खाना पकाने की वजह से घ्यास से बेताब हो जाना

खाना पकाने की वजह से बेहद घ्यास लग आई और इतनी बेताबी हो गई कि अब जान जाने का खौफ़ है, तो रोज़ा खोल डालना दुरुस्त है, लेकिन अगर खुद उसने कस्दन इतना काम किया जिससे ऐसी हालत हो गई तो गुनहगार होगी। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-17, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-159 और रदुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-152)

### रोज़े में होंटों पर सुर्खी लगाना

सवाल: औरत को रोज़ा की हालत में होंटों पर सुर्खी लगाना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: जाइज़ है, अलबत्ता मुंह के अन्दर जाने का एहतिमाल हो तो मकरूह है। (अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-424)

### औरत का नफ़ल रोज़ा

औरत को बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त के नफ़ल रोज़ा रखना मकरूह है, लेकिन अगर उसका शौहर मरीज़ या रोज़ादार, या हज, या उमरा के एहराम में है, तो मकरूह नहीं है। और गुलाम व बांदी को बग़ैर इजाज़त

अपने मालिक के रोज़ा रखना जाइज़ नहीं।

और अगर उनमें से किसी ने रोज़ा रख लिया तो शौहर को इख़्तियार है। तोड़ा दे। और यही हुक्म मालिक का है। और औरत उस रोज़ा की उस वक़्त कज़ा रखे जब शौहर इजाज़त दे, या शौहर से जुदा हो जाए। और अगर शौहर मरीज़ या एहराम में हो तो उसको ये जाइज़ नहीं कि अपनी बीवी को नफ़ल रोज़ा से मना करे। और अगर मना करे तो भी इस सूरत में नफ़ल रोज़ा रखना जाइज़ है। (आलमगीरी जिल्द-2 सफ़हा-14 किताबुस्सौम)

### औरत की तरफ़ से शौहर का कज़ा रखना

**सवाल:** अगर किसी औरत के माहे रमज़ान के रोज़े कज़ा हो जाएँ और उसका शौहर उसकी तरफ़ से रख दे तो दुरुस्त है या नहीं?

**जवाब:** औरत ही को रोज़े रखने चाहिएँ, शौहर के रखने से औरत के रोज़े अदा न होंगे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-422, बहवाला बाबुलहज अनिलगैर जिल्द-2 सफ़हा-326)



## दसवाँ बाब

### बच्चों के मसाइल

#### औलाद अमानत है

औलाद इंसान के पास एक अमानत है, उसके सिलसिले में उस पर बहुत सी शर्इ, अखलाकी और कानूनी जिम्मादारियाँ आएद होती हैं। इस्लाम चाहता है कि इंसान के अन्दर शुरू ही से दीनी और दुनवी जिम्मादारियों का शुऊर व एहसास ताज़ा रहे और वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम की रौशनी में करें। बच्चों पर अगरचे नमाज़ रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, लेकिन आदत डलवाने के लिए बच्चों से भी नमाज़ पढ़वाई जाए और रोज़े भी रखवाए जाएँ, अगर ज़्यादा न रखवाए जाएँ तो एक दो ही काफी हैं। क्योंकि आइंदा रमज़ान में उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसी तरह इबादत करना आदत बन जाएगी और यही इस्लाम चाहता है। बच्चा ताज़ा शाख़ की मानिन्द होता है, जिस तरफ़ भी शुरू में मोड़ देंगे (आदत डाल देंगे) मुड़ जाएगी। बाज़ औरतें मामता में आ कर ये ख़्याल करती हैं कि बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, सेहत पर असर पड़ेगा। और अगर बच्चा अपने शौक में रोज़ा रख भी लेता है तो फूल सा मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता और रोज़ा इफ़तार कराना चाहती हैं, भला कोई उनसे पूछे, कल जब



अल्लाह के यहाँ रोज़ा और अहकामे इलाही की पाबंदी न करने पर सख़्त से सख़्त सज़ा दी जाएगी और हौलनाक अज़ाब होगा, उसको कैसे बरदाश्त करेंगी?

सहाबए किराम (रज़ि.) के भी बच्चे थे और वह भी अपने माँ बाप के चहेते थे, लेकिन उन हज़रात की मुहब्बत अक़लमंदी के साथ थी, और वह हज़रात कल की बड़ी मुसीबत से बचने के लिए दुनिया की थोड़ी सी देर की तकलीफ़ बरदाश्त करते थे। उनके बच्चे जब भी रोज़ा रखने के काबिल, बल्कि पहले ही से रोज़ा रखवाने की कोशिश फ़रमाते थे। एक मरतबा हज़रात उमर (रज़ि.) ने रमज़ान में एक शराबी से फ़रमाया तेरी ख़राबी हो हमारे बच्चे (तक) तो रोज़ादार हैं, फिर उसको मारा। (बुख़ारी)

जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो रसूलुल्लाह (स.अ.व.) आशूरा के दिन सुबह के वक़्त एलान करा देते थे कि जिसने अभी कुछ खाया पिया न हो वह रोज़ा रख ले। सहाबए किराम (रज़ि.) फ़रमाते हैं—

“ये एलान सुन कर हम भी रोज़ा रखते थे और अपने छोटे बच्चों को भी रखवाते थे और उनको लेकर मस्जिद की तरफ़ निकल जाते थे और उनके लिए रंगीन ऊन वगैरा के खिलौने बना देते थे, जब कोई बच्चा खाने के लिए रोता तो हम उसको खिलौना दे कर बहला देते थे और इसी तरह इफ़्तार का वक़्त हो जाता था।”

(नैलुल औतार जिल्द-2 सफ़हा-209)

इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चों की क्या उम्र होगी, जो खेल खिलौने से बहल जाते थे और उन बच्चों के वालिदैन पर क्या गुज़रती होगी। लेकिन ये

सब कुछ इसलिए बरदाश्त फ़रमाते थे कि उनके नज़्दीक बच्चों के दीनदार होने की अहमियत आज कल के अहमकाना लाड और चोंचलो से ज्यादा थी।

(मुरत्तिब रफ़अत कासमी)

### जवाल से पहले बालिग़ हो जाना

अगर कोई जवाल से पहले बालिग़ हुआ और अभी तक कुछ खाया नहीं है और नफ़ल रोज़ा की नीयत की तो रोज़ा हो जाएगा।

(आलमगीरी पाकिस्तानी उर्दू जिल्द-2 सफ़हा-36)

### बच्चे में रोज़े की ताक़त हो तो

जब बच्चा में रोज़ा रखने की ताक़त हो, तो उसको रोज़ा का हुक़म किया जाए और ये उस सूरत में है कि जबकि बच्चा को रोज़ा रखने से कोई ज़रूर न हो, और अगर ज़रूर हो तो हुक़म न किया जाए। और जब हुक़म किया और उसने रोज़ा न रखा तो उस पर कज़ा वाजिब नहीं है। (आलमगीरी उर्दू पाकिस्तानी जिल्द-2 सफ़हा-36)

### दस साल के बच्चा का हुक़म

अबूहफ़स (रह.) से पूछा गया कि दस बरस के बच्चा को रोज़ा न रखने पर क्या मारें, तो उन्होंने जवाब दिया इसमें इख़्तिलाफ़ है और सही ये है वह बमंज़िलए नमाज़ के ही है। (आलमगीरी उर्दू जिल्द-2 सफ़हा-36)

### नाबालिग़ बच्चे का रोज़ा तोड़ देना

सवाल: नाबालिग़ बच्चा रोज़ा फ़ासिद कर दे, या उसके वालिद रहम की वजह से रोज़ा खुलवा दें, या फ़ासिद कर दे, तो क्या उस पर कज़ा या कफ़ारा वाजिब है?

जवाब: नाबालिग़ रोज़ा तोड़ दे तो उसकी कज़ा

रखवाना ज़रूरी नहीं, नमाज़ तोड़ दे तो दोबारा पढ़वाना (जबकि समझदार हो) वाजिब है, सात साल का हो तो प्यार और मुहब्बत से कहा जाए। और अगर दस बरस का हो तो मार कर नमाज़ पढ़ाई जाए। (अहसनुल फतावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-430, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-117)

### बच्चे के लिए रोज़ा रखना बेहतर है या पढ़ने में मेहनत करना?

**सवाल:** नाबालिग़ तलबा को रमज़ानुलमुबारक में रोज़ा रखना बेहतर है या पढ़ने में मेहनत करना ज़रूरी है? जबकि रोज़ा रखने से उनको ज़ोअफ़ होता है और वह तालीम में मसरूफ़ रहते हों।

**जवाब:** दुर्रेमुख्तार की इबारत से मालूम होता है कि नाबालिग़ लड़कों का हुक्म रोज़े के बारे में नमाज़ की तरह है कि सात बरस की उम्र में नमाज़ और रोज़ा का हुक्म किया जाए, और दस साल की उम्र में मार कर नमाज़ रोज़ा रखवाया जाए कि रमज़ान में बच्चों से तहसीले इल्म की मेहनत कम ली जाए। इस वजह से मदारिसे इस्लामिया में उमूमन रमज़ान शरीफ़ की तातील कर दी जाती है।

(फतावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-491, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-326 किताबुस्सलात जिल्द-2 सफ़हा-147 किताबुस्सौम)

### रमज़ान में दिन में बालिग़ हो जाना

अगर कोई दिन में मुसलमान हो जाए या दिन में जवान (बालिग़) हो जाए तो दिन में खाना पीना दुरुस्त

नहीं है। और अगर कुछ खा लिया तो उस रोज़ा की कज़ा रखनी भी उस नौ मुस्लिम या नए बालिग़ पर वाजिब नहीं है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-19, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-303)

### आज कल की रस्में

आज कल, लोगों ने ब्याह, शादी, वलीमा, ख़तना और अकीका और उन जैसे और बहुत से उन कामों को जो ख़ालिस दीन हैं अपनी बेवकूफी से उन्हें रस्म व रिवाज के शिकंजों में कस कर अपने ऊपर मुसीबत बना लिया है और आसान से आसान चीज़ को सख़्त से सख़्त और मुशिकल से मुशिकल कर लिया है। यही हाल बहुत सी जगहों पर बच्चों के पहले रोज़ा का भी है कि जब बच्चा पहले पहल का रोज़ा रखता है तो चाहे, कोई कितना ही ग़रीब और तंगदस्त हो लेकिन कर्ज़ लेकर, भीक माँग कर किसी न किसी तरह बच्चे के लिए नए कपड़े बनाएगा, रिश्तादारों, मुहल्लादारों और कुंबा वालों को दावत देगा और बेहतर से बेहतर खाने पीने का इंतिज़ाम करेगा और किस्म किस्म के फल मेवे मिठाइयाँ बच्चे के इफ़्तार के लिए लाएगा और इन तमाम बखेड़ों के साथ बच्चे का पहला रोज़ा पूरा होगा। और जब तक इतनी हिम्मत न हो बच्चों का रोज़ा नहीं रखवाया जा सकता, चाहे वह जवान हो जाएँ, मैंने अपनी आँख से ऐसे बच्चे देखे हैं जो जवान हो गए लेकिन सिर्फ़ इस वजह से अभी रोज़े शुरू नहीं किए कि वालिदैन के पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि धूम धाम से बच्चे का पहला रोज़ा रखवा सकें।

“لا حول ولا قوة”

सच कहा है इकबाल मरहूम ने!

हकीकत खुराफ़ात में खो गई

ये उम्मत रिवायात में खो गई

अल्लाह तआला हम सब मुसलमानों को अक्ल नसीब  
फरमाए और हमारी इबादतों को रस्म व रिवाज के शिकंजों  
से आज़ाद कर दे। आमीन! (रमज़ान क्या है?)



ग्यारहवाँ बाब

## मरीज़ा के मसाइल

### मरीज़ का नीयत के बावजूद इफ़तार कर लेना

सवाल: एक शख्स रमज़ान शरीफ़ में मरीज़ था, बाज़ दिन रोज़ा रखता था और बाज़ दिन इफ़तार करता था। इत्तिफ़ाक़न एक दिन रोज़ा की नीयत की फिर सुब्ह की नमाज़ के बाद इफ़तार कर लिया तो इस सूरत में क्या हुक्म है, कज़ा या कफ़ारा?

जवाब: इस सूरत में उस रोज़ा की कज़ा वाजिब होगी। कफ़ारा वाजिब न होगा, क्योंकि वह पहले से मरीज़ था, लिहाज़ा उसको रोज़ा इफ़तार करना जाइज़ था।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-425, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-150)

### रोज़ा रखने के बाद बीमार हो जाना

सवाल: एक शख्स रोज़ा रखने के बाद बीमार हो गया और हालत नाजुक थी, अगरचे मौत का ख़ौफ़ न था। इस हालत में डॉक्टर ने दवा पिलाई, तो क्या ये शख्स गुनहगार होगा? कज़ा वाजिब है या कफ़ारा?

जवाब: अगर रोज़ा छोड़ने की सूरत में मरज़ की शिद्दत या मौत में इज़ाफ़ा का ज़न्ने ग़ालिब हो, तो इफ़तार जाइज़ है, सिर्फ़ कज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। अगर इंजेक्शन

से इलाज हो सके तो रोज़ा तोड़ना जाइज़ नहीं है।

(अहसनुलफतावा (पाकिस्तानी) जिल्द-4 सफ़हा-422)

### मजबूरी में इफ़तार का हुक्म

**सवाल:** एक शख्स ने बुखार में रोज़ा रखा और तीसरे दिन भी उसने नीयत रोज़ा की कर के रोज़ा शुरू किया और बुखार की शिद्दत की वजह से ये तीसरा रोज़ा इफ़तार करना पड़ा और उसके बाद दस दिन बराबर बीमार रहा और दस दिन रोज़ा न रख सका। शरअन ऐसे शख्स पर कफ़ारा है? या कज़ा?

**जवाब:** उस शख्स पर कज़ा सिर्फ़ उस रोज़े की है और नीज़ उन रोज़ों की जो उसके बाद इफ़तार किए (यानी बीमारी की हालत में जो रोज़े नहीं रखे थे) कज़ा वाजिब है, क्योंकि इस बारे में खुद रोज़ादार मरीज़ का ग़लबए ज़न भी मोतबर है। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-422, बहवाला रदुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-158)

### सेहत याब होने से पहले इंतिकाल हो जाना

**सवाल:** एक शख्स फ़ौत हो गया, उस पर सात दिन की नमाज़ें मरज़ की वजह से रह गई हैं और दो माह के रोज़े कज़ा हो गए हैं, मुआलिज रोज़ा रखने से मना करता है, अगर उसके वारिस उसकी तरफ़ से कफ़ारा अदा करें तो क्या हुक्म है?

**जवाब:** अगर उस मरज़ से सेहत न हुई हो, तो जिसमें रोज़े फ़ौत हुए थे, और उसी मरज़ में इंतिकाल हो गया तो उन नमाज़ों की कज़ा लाज़िम नहीं है। लिहाज़ा उन नमाज़ों का फ़िदया अदा करना भी लाज़िम नहीं है। अलबत्ता नमाज़ों का फ़िदया वारिसवों को अदा कर देना

चाहिए, अगरचे मैयत ने वसीयत न की हो, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तआला कफ़ारा नमाज़ों का हो जाएगा।

सात दिन की नमाज़ें 42 होती हैं, वित्र के साथ, और हर एक नमाज़ का फ़िदया मिस्ले सदकए फ़ित्र के पौने दो किलो गेहूं या उसकी कीमत देनी चाहिए, और रोज़ों का फ़िदया अरचे वाजिब नहीं, लेकिन अगर दे दिया जाए तो कुछ हरज नहीं है, मैयत को सवाब पहुंच जाएगा। और फ़िदया एक रोज़ा का मिस्ल एक नमाज़ के है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-465)

### रोज़ा रखने से नक्सीर फूट जाना

**सवाल:** एक शख्स को भूका रहने की वजह से नक्सीर वगैरा फूट जाती है, ऐसी हालत में दो रमज़ान गुज़र गए हैं और आइंदा भी कम उम्मीद है, तो ये शख्स गुज़रता रमज़ान का फ़िदया दे या सेहत का इंतज़ार करे?

**जवाब:** ये शख्स मरीज़ है, शैख़ फ़ानी नहीं है, और मरीज़ का हुक्म शरीअत में ये है कि अगर मरज़ से अच्छा होने के बाद इतनी मुद्त उसको मिले कि उसमें क़ज़ा कर सकता है, तो रोज़े की क़ज़ा उसके जिम्मा वाजिब है, वरना क़ज़ा भी नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-75, कदीम अज़ीज़िया)

### नज़ले में दवा सूघना

क्या फ़रमाते हैं मुफ़ितयाने किराम ज़ैल की सूरत में, नज़ला में आज कल दवा खाने पीने की बजाए विक्स (एक किस्म की दवा है जिसके सूघने से उसकी तेज़ी दिमाग़ में पहुंचती है, जिससे नज़ला ठीक हो जाता है) का इस्तेमाल करते हैं यह रोज़ा की हालत में जाइज़ है



या नहीं?

वस्सलाम

रज़ी अहमद शम्स मंज़िल

मुहल्ला बड़े भाईयान, देवबंद 18-4-1407 हिजरी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

### अलजवाब

“هوالموفق والمعین”

रोज़ा की हालत में विक्स का इस्तेमाल एहतियात के खिलाफ़ है, अगर उसमें सुफूफ़ नहीं होता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, जैसे खुशबू, इत्र वगैरा, या गुलाब के फूल सूंघने से रोज़ा नहीं फ़ासिद होता है।

“انه كشم الورد ومائه والمسك لو ضوح الفرق بين

هواء تطيب بريح المسك وشبهه” (ردالمحتار)

अलजवाबु सहीहुन

वल्लाहु आलमु

कफ़ीलुरुहमान नशात

ज़फ़ीरुद्दीन गुफ़िरलहू

नाइब मुफ़ती, दारुलउलूम, देवबंद

नाइब मुफ़ती, दारुलउलूम, देवबंद

22 रबीउस्सानी 1407 हिजरी

### हेजे और पेट का मरीज़

सवाल: (1) मरज़े हैज़ा फ़ैला हुआ था, एक शख्स को कैय और दस्त आने लगे, वह रोज़ा से था, जब कैय आई तो उस शख्स ने और उसके आस पास वालों ने ये समझा कि अब रोज़ा टूट गया। मरीज़ ने पानी माँगा ओर लोगों ने पानी पिला दिया। अब उसके जिम्मा कज़ा है या कफ़ारा भी?

(2) और इसी तरह एक शख्स के पेट में दर्द हुआ, उसको दवा दी गई, उस पर कज़ा है या कफ़ारा?

जवाब: दोनों के जिम्मे सिर्फ़ कज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। (किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-2 सफ़हा-230)

### जोअफ़े दिमाग़ का मरीज़

सवाल: ज़ैद जोअफ़े दिमाग़ के मरज़ में मुब्तला है जिसकी वजह से कभी कभी मरज़े रअशा (कपकपाहट) में मुब्तला हो जाता है, रोज़ा रखने से मजबूरी है और रोज़ा रखने की हलात में मुलाज़मत का काम अंजाम नहीं दे सकता है, रोज़ा रखे? या कज़ा करे या कफ़ारा दे?

जवाब: मरीज़ को रोज़ा इफ़तार करना उस वक़्त जाइज़ होता है कि ज़्यादतीये मरज़ का अंदेशा हो, और तकलीफ़ बढ़ने का ख़ौफ़ हो, ऐसी हालत में इफ़तार करना दुरुस्त है और बाद में कज़ा लाज़िम है, फ़िदया देना उसको जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-487)

### दमा का मरीज़

सवाल: ज़ैद रमज़ान शरीफ़ में ख़ाँसी और दमा के मरज़ में मुब्तला है एक रोज़ा रख कर फिर नहीं रख सका, चुनांचे वह ही मरज़ अब भी है, अगर ज़ैद साठ मिस्कीनों को खाना खिला दे तो क्या रोज़ों की मआफ़ी हो सकती है?

जवाब: ज़ैद मरीज़ ब मरज़ मज़कूर के ज़िम्मा रोज़ों की कज़ा लाज़िम है, फ़िदया देना काफ़ी नहीं है, यानी कज़ा उससे साक़ित न होगी, बल्कि जिस ज़माना में वह मरज़ न हो, उस वक़्त कज़ा करे, फ़िदया एक रोज़ा का एक मिस्कीन को दोनों वक़्त खाना खिलाना है, या सदकए फ़ित्र की मिक्दार के बराबर, या उसकी कीमत देना है,

मगर ये फ़िदया शैख़ फ़ानी (रोज़ा की कभी भी कूवत की उम्मीद न हो) के हक़ में दुरुस्त है, दीगर बीमारों को रोज़ा की क़जा करना लाज़िम है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-462, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-160 बाब फ़िलअवारिज़)

### रोज़े में पेशाब बंद हो जाना

पेशाब बंद होने की सूरत में डॉक्टर मसाने में नल्की डाल कर पेशाब कराते हैं। रोज़े की हालत में ऐसी सूरत पेश आ जाए तो रोज़े का क्या हक़म है, बहवाला जवाब इनायत फ़रमाएँ।

इस सूरत में रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा, इसलिए कि मसाने और उज्वे तनासुल का तअल्लुक पेट से नहीं होता। दुर्रेमुख्तार में है कि:

”أَوْ أَقْطَرَفِي إِحْلِيلِهِ مَاءً أَوْ ذَهْنًا وَإِنْ وَصَلَ إِلَى الْمَثَانَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ  
(درمختار) اَي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٍ مَعَهُ فِي الظَّهْرِ الْخِ وَالظَّهْرُ  
إِنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ وَالْأَيْ جَمْعُ الْبَوْلِ فِيهَا بِالتَّرْشِيحِ كَذَلِكَ يَقُولُ الْأَطْبَاءُ  
زَيْلَعِي الْخِ فَإِنَّ الْمَثَانَةَ لَا مَنْفَعَةَ لَهَا عَلَى قَوْلِهِمَا (ردالمحتار)

खुलासा ये है कि मसाना में नल्की डाल कर पेशाब कराने से रोज़ा नहीं टूटता है।

”الجواب: كَفَيْلُ الرَّحْمَنِ نَشَاطُ نَائِبِ مَفْتَى دَارِ الْعُلُومِ، دِيوبَنْد

٢٢-٢-١٣٠٤ هـ

वल्लाहु आलमु, मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन गुफ़िरलहू मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद 22-4-1407 हिजरी

### रोज़े में अनीमा कराना

सवाल: पाखाना बंद होने की सूरत में अनीमा कराया जाता है। उस सूरत में रोज़ा बाकी रहेगा या नहीं?

जवाब: अनीमा भी बतौर दवा अन्दर लगाते हैं, लिहाज़ा उससे रोज़ा टूट जाएगा और उस पर उसकी कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं आएगा। दुर्मुख्तार में है कि:

أَوْحَيْتَنَ وَأَسْتَعَطَّ الْخِ قَضَىٰ فِقْط (درمخار)

अलजवाबु सहीहुन: कफ़ीलुर्रहमान नशात नाइब मुफ़्ती, दारुलउलूम देवबंद। वल्लाहु आलमु: मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन मुफ़ितये दारुलउलूम 22-4-1407 हिजरी

### खूनी बवासीर का मरीज़

सवाल: एक शख्स खूनी बवासीर के मरज़ में मुब्तला है, जब भी रोज़ा रखता है खून आने लगता है, और मस्से भी बवासीर के फूल जाते हैं, और बड़ी तकलीफ़ होती है, रोज़ा अगर न रखे तो सही रहता है, उसके लिए शरई हुक्म क्या है?

जवाब: ऐसे मरीज़ को रमज़ान शरीफ़ में रोज़ा इफ़्तार करने की इजाज़त है, फिर जब तंदुरुस्त हो जाए और रोज़ा रखने के काबिल हो जाए, उस वक़्त कज़ा करे, फ़िदया देना उसको काफ़ी नहीं है, अलबत्ता ऐसे मरीज़ को जिसका मरज़ दाएमी हो जाए और सेहत से नाउम्मीद हो तो फ़िदया देना जाइज़ है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-484, बहवाला रदुलमुहतार, जिल्द-2 सफ़हा-163) फ़स्लुन फ़िलअवारिज़।

### बवासीर के मस्सों पर मरहम लगाना

सवाल: अगर रोज़ा की हालत में मक़अद (दुबुर) के अन्दर बवासीर के मस्सों के ज़ख़्म पर मरहम या तेल उंगली से लगाए, या अन्दर से ख़ूब धोए, तो रोज़ा सही होगा या नहीं?

जवाब: रोज़ा उसका सही है, मगर एहतियात बेहतर है। (हाशिया में ये लिखा है कि सूरते मस्कूला में अन्दर इस हद तक दवा पहुंच जाए, या पानी जहाँ से मेअदा उसको ज़ब्त कर लेता है, या वह खुद मेअदा में पहुंच जाता है, तो रोज़ा फ़ासिद हो गया, और इसी वजह से हज़रत मुफ़ती अल्लाम ने एहतियात को बेहतर कहा है, इसलिए इसका लिहाज़ व ख़्याल हर शख़्स के लिए मुम्किन नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-411, बहवाला रदुलमुहतरी जिल्द-2 सफ़हा-135)

### **बवासीर के मस्से बाहर निकल आना**

सवाल: एक शख़्स को बवासीर का मरज़ है, इजाबत के वक़्त (पाख़ाना के वक़्त) बवासीर के मस्से बाहर आ जाते हैं, इस्तिंजा करने के बाद दबाने से अन्दर जाते हैं। हाथ को पानी से तर कर के मस्सों को, या ख़्वाह मस्सों को तर कर के दबाया जाए, और मस्सों का अन्दर जाना किसी वक़्त ग़ैर मुम्किन और किसी वक़्त सख़्त दुश्वारी का बाइस और तकलीफ़ देह होता है, और बाज़ मरतबा तो इस तरह से दबाने से ख़ून भी जारी हो जाता है। सवाल ये है कि इस तरह करने से रोज़ा बाकी रहेगा या नहीं?

जवाब: ऐसी हालत में रोज़ा उसका काइम रहेगा। रोज़ा में किसी तरह का नुक़सान न आएगा, इसलिए कि मस्सों की जगह जो किनारए दुबुर है उस जगह पानी पहुंचने से रोज़ा नहीं टूटता, न माज़ूर का और न ग़ैर माज़ूर का।

जवाब दोम: रोज़ा की हालत में हाथ को पानी से

तर कर के मस्सों को दबाना, या तहारत मस्सों की पानी से कर के मस्सों को दबाना मुफ़सिदे रोज़ा नहीं है। इसलिए कि जो रुतूबत पानी की मस्सों पर रह जाती है और मस्सों के साथ जौफ़ में दाख़िल होगी उससे एहतिराज़ मुम्किन नहीं खुसूसन मरीजे बवासीरे शदीद को और जो उस किस्म की चीज़ जौफ़ में दाख़िल हो जिससे एहतिराज़ (बचना) मुम्किन न हो वह नाकिजे रोज़ा नहीं होती है, जैसे कि पानी की रुतूबत कुल्ली करने के बाद रह जाती है। इसलिए बावजूद रुतूबत मस्सों के ज़्यादा होती है। (फ़तावा रशीदिया कामिल, सफ़हा-372) बवासीरी मस्से मौज़ए हुक़ना से बहुत नीचे होते हैं और बराहे मक़अद दाख़िल होने वाली चीज़ जब तक मौज़ए हुक़ना तक न पहुंचे मुफ़सद नहीं। लिहाज़ा मस्सों को पानी से तर कर के चढ़ाने से और मस्सों पर दवा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता काँच को तर कर के चढ़ाने से रोज़ा टूट जाता है। इसलिए कि ये मौज़ए हुक़ना तक पहुंच जाती है। (अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-430)

### बेहोश और पागल का हुक़म

अगर माहे रमज़ान में किसी दिन जुनून लाहिक़ हो गया, या पहले से जुनून तारी था और माहे रमज़ान में किसी दिन इफ़ाका हो गया, तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब है, हाँ अगर पूरे दिन या इससे ज़्यादा अरसा तक हालते जुनून तारी रही तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है। बख़िलाफ़ उसके कि जिसको बेहोशी लाहिक़ हो उस पर रोज़ा की क़ज़ा वाजिब है ख़्वाह बेहोशी कितने ही अरसा तक रही हो।

नशा में डूबे हुए और सोए हुए का वही हुक्म है जो बेहोशी का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नशा का आदी हो या न हो।

(किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-885)

### ज़ियाबीतस (शक्कर) का मरीज़

सवाल: ज़ैद कई साल से ज़ियाबीतस के मरज़ में मुब्तला है। जिसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है और नकाहत भी, रोज़ा रखना दुश्वार है, खुसूसन सख़्त गर्मी में, उसके लिए क्या हुक्म है?

जवाब: ऐसे मरीज़ पर कि वह रोज़ा न रख सके जोअफ़ की वजह से, या मरज़ की वजह से इफ़तार करना यानी रोज़ा न रखना रमज़ान शरीफ़ में दुरुस्त है, लेकिन जब तक तवक्को सेहत की हो, फ़िदया देना काफ़ी नहीं बल्कि सेहत के बाद कज़ा लाज़िम है, और फिर अगर सेहत की उम्मीद न रहे और मरज़ का इज़ाला न हो, तो उन रोज़ों का फ़िदया दे दे। और हर एक रोज़े का फ़िदया सदकए फ़ित्र के बराबर है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-474, बहवाला रहुलमुहतार फ़स्तून फ़िलअवारिज़ जिल्द-2 सफ़हा-159)

### टीबी (पतेदिक) का मरीज़

हमारे गाँव में टीबी का मरीज़ है, कम व बेश छः माह से ज़ेरे इलाज है। इससे कब्ल एकसरे लिया गया था जिसमें फेफ़ड़े में खराबी बताई गई है, और दूसरा एकसरे चार माह बाद लिया गया था, उसमें दस बारह आना फ़ाएदा मालूम हुआ है, दवा जारी है। हकीम साहब का कहना है कि रोज़ा न रखे, शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: टीबी के मरीज़ को नुक्सान पहुंचने के अंदेशा की वजह से जनाब हकीम साहब रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देते, तो उसके मुताबिक अमल करना चाहिए वह खुद आलिम हैं और हाज़िक हकीम हैं, उनकी राय मोतबर है बाद सेहत कज़ा रखे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-39)

### बीमारी के बाद जोअफ़ बाकी रहना

अगर बीमारी से अच्छा हो जाए, लेकिन अभी कमज़ोरी बाकी है, और ये ग़ालिब गुमान है कि अगर रोज़ा रखा तो फिर बीमार पड़ जाएगा, तब भी न रखना जाइज़ है।

(दुर्रेमुख्तार जिल्द-11 सफ़हा-153)

### घोड़े पर बैठने से मनी ख़ारिज हो जाना

सवाल: एक शख्स को बाज़ औकात ये बात पेश आती है कि जिस वक़्त घोड़े पर सवार हो कर दौड़ता है तो शर्मगाह हरकत कर के मनी कूद कर ख़ारिज हो जाती है। हसबे इत्तिफ़ाक़ एक रोज़ रमज़ान में घोड़े पर सवार हो कर जा रहा था, ये वाकिआ पेश आ गया। इस बारे में जो शरई हुक्म हो मुत्तला फ़रमाएँ। क्या कफ़ारा होगा या कज़ा?

जवाब: उस पर न कज़ा है और न कफ़ारा, बल्कि उसका रोज़ा सही और बाकी है। दुर्रेमुख्तार में है कि सोच विचार से एहतेलाम या इंज़ाल हो जाए, या जानदार की शर्मगाह को हाथ लगाया, प्यार किया, इंज़ाल हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-170)

### रोज़े में टीका लगवाना

सवाल: अगर रोज़ा की हालत में टीका लगाया जाए



जो कि बाजू में या किसी जगह बदन में लगाया जाता है उसका क्या हुक़्म है। क्या रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा?

जवाब: इससे रोज़ा हो जाता है। फ़ासिद नहीं होता।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-407, बहवाला अलबदाए वस्सनाए जिल्द-2 सफ़हा-93)

### रोज़े में इंजेक्शन लगवाना, ग़लक़ोज़ और ख़ून चढ़वाना

इंजेक्शन के ज़रीए जो चीज़ें जिस्म में दाख़िल की जाती हैं वह उमूमन रगों के वास्ता से क़ल्ब और दिमाग़ या मेअदा तक पहुंचती हैं और एक ऐसी राह से गुज़रती हैं जो उसकी हकीकी राह (और फुक़हा की ज़बान में मनफ़ज़) नहीं है। कुतुबे फ़िक्ह की मुख़्तलिफ़ नज़ाइर को सामने रखने से अंदाज़ा होता है कि फुक़हा ऐसी सूरतों को मुफ़िसदे सौम करार नहीं देते हैं, मसलन ज़ख़्म दो किस्म के हैं जिसमें दवा डालने को मुफ़िसदे सौम (रोज़ा) करार दिया है—

(1) एक आमा, दूसरे जाएफ़ा।

आमा सर के उस गहरे ज़ख़्म को कहते हैं जो अस्तल दिमाग़ तक पहुंच गया हो और उसके ज़रीए दवा भी वहां तक पहुंच जाती हो।

(2) जाएफ़ा, पेट के उस ज़ख़्म को कहते हैं जो मेअदा तक गहरा हो, और उसके ज़रीए दवाएँ पेट तक पहुंच जाती हों, इस तरह गोया ये ज़ख़्म मेअदा और दिमाग़ तक पहुंचने के लिए बिला वास्ता राह और मनफ़ज़ पैदा कर देते हैं, उसमें दवा डालना मुफ़िसदे सौम है। उसके बरख़िलाफ़ दूसरे ज़ख़्मों पर दवा डालना मुफ़िसदे सौम नहीं है। चाहे वह कोई भी ज़ख़्म हो, जो जिस्म के अन्दरूनी

हृद तक पहुंचा हो, उसमें डाली गई दवाएँ बिलवास्ता मेअदा तक या दिमाग तक पहुंच ही जाती हैं, मगर उससे रोज़ा नहीं टूटता है।

हिदाया जिल्द औवल सफ़हा-200 मुफ़िसदाते सौम में है कि अगर पेट या दिमाग के अन्दर पहुंचे हुए ज़ख़्म का दवा के ज़रीए इलाज करे फिर दवा पेट या दिमाग के अन्दर तक पहुंच जाए तो इमाम आज़म के नज़दीक रोज़ा टूट जाएगा और इस तरह मरतूब दवा ही पहुंच सकती है।

हासिल ये है कि इंजेक्शन के ज़रीए चाहे खून पहुंचाया जाए या दवा मुफ़िसदे सौम न होगा, चूंकि गुलूकोज़ वगैरा की नौइयत भी यही होती है कि रगों के वास्ते से पहुंचाया जाता है। मेअदा या दिमाग के किसी मनफ़ज़ के ज़रीए नहीं पहुंचाया जाता है। इसलिए रोज़ा नहीं टूटेगा।

(जदीद फ़िक्ही मसाइल जिल्द-1 सफ़हा-96)

### इंजेक्शन के बारे में उलमाए देवबंद का फ़तवा

ये ज़ाहिर है कि इंजेक्शन का तरीका अह्ददे रिसालत में मौजूद था और न अइम्माए मुजतहिदीन (रह.) के ज़माने में, इसलिए उसका हुक्म न हदीस में मिल सकता है और न अइम्माए दीन के ज़माना में, इसलिए फ़िक्ही उसूल व कवाएद पर कयास कर के ही उसका हुक्मे शरई मालूम किया जा सकता है। सो उसकी वाज़ेह मिसाल यह है कि अगर किसी को बिच्छू या साँप काट ले तो मुशाहदा है कि ज़हर बदन के अन्दर जाता है। साँप का ज़हर अक्सर दिमाग पर ही असर अंदाज़ हो जाता है, और बाज़ जानवरों के काटने से बदन फूल जाता है। जिससे

जहर अन्दर जाना यकीनी हो जाता है। मगर किसी दुनिया के फेक्ही आलिम ने उसको मुफ़िसदे सौम करार नहीं दिया। ये इंजेक्शन की वाजेह मिसाल है, बल्कि सुना गया है कि इंजेक्शन की ईजाद इसी तरह हुई है कि जहरीले जानवरों के काटने पर तजरबा करते करते इस नतीजा पर पहुंचा गया है कि दवा का फ़ौरी असर इस तरह बदन में पहुंचाया जा सकता है।

साँप बिच्छू और दूसरे जहरीले जानवरों के काटने को किसी ने मुफ़िसदे सौम करार नहीं दिया है, इसकी वजह वही हो सकती है जो बदाए की इबारत से दो बातें साबित होती हैं: औवल ये कि किसी चीज़ का बदन के किसी हिस्सा में दाखिल होना मुतलकन रोज़ा को फ़ासिद नहीं करता, बल्कि उसके लिए दो शर्तें हैं।

(1) औवल ये कि वह चीज़ जो जौफ़े मेअदा या दिमाग में पहुंच जाए।

(2) दूसरे ये कि ये पहुंचना भी मनफ़जे असली के रास्ता से हो, अगर कोई चीज़ मनफ़जे असली के अलावा किसी दूसरे कीमियाई तरीके से जौफ़े मेअदा या दमाग में पहुंचाई जाए वह भी मुफ़िसदे रोज़ा नहीं। इंजेक्शन के ज़रीए बिला शुब्हा दवा या उसका असर पूरे बदन के हर हिस्से में पहुंच जाता है मगर ये पहुंचना मनफ़जे असली के रास्ते से नहीं, बल्कि रगों के रास्ता से, ये रास्ता मनफ़जे असली नहीं है। इसलिए गर्मी के मौसम में कोई शख्स अगर ठंडे पानी से गुस्ल करता है तो प्यास कम हो जाती है। क्योंकि अजजा मसामात के रास्ता से अन्दर जाते हैं, मगर उसको किसी ने मुफ़िसदे सौम नहीं करार

दिया, इससे ये शुब्हा भी दूर हो गया कि गुलूकोज़ वगैरा के इंजेक्शन ऐसे हैं कि उनके ज़रीए बदन को गिज़ा जैसी कूवत पहुंच जाती है। इसलिए उसका हुक्म गिज़ा का सा होना चाहिए था। जवाब वाज़ेह है कि कूवत पहुंचाना मुतलकन मुफ़िसद नहीं है, जैसे ठंडक पहुंचाना मुफ़िसद नहीं, बल्कि मनफ़जे असली के रास्ता किसी चीज़ का जौफ़े मेअदा या दिमाग़ में पहुंचना मुफ़िसद है, वह इंजेक्शन में नहीं पाया जाता, अगरचे कूवत उससे पहुंच जाए।

अलजवाबु सहीहुन

● अशरफ़ अली थानवी।

● बंदा असगर हुसैन उफिया अन्हु मुदरिस दारुलउलूम देवबंद।

● बंदा मुहम्मद शफीअ अफ़ल्लाहु अन्हु।

11 रबीउलऔवल 1350 हिजरी

हुसैन अहमद गुफिरलहू, मुदरिस दारुलउलूम, देवबंद  
मुहम्मद एज़ाज़ अली गुफिरलहू मुदरिस दारुलउलूम, देवबंद  
“अलाते जदीदा के शरई अहकाम”

बहवाला बदाए सनाए (जिल्द-2 सफ़हा-93)

रोज़ा उस चीज़ से फ़ासिद होता है जो किसी मनफ़जे के ज़रीए मेअदा या दिमाग़ में पहुंच जाए। इंजेक्शन से दवा बज़रीए मनफ़जे नहीं जाती, बल्कि उरूक (रग़ों) और मसामात के ज़रीए मेअदा में पहुंचती है, लिहाज़ा रोज़ा नहीं टूटता।

(अहसनुलफ़तावा रहीमिया जिल्द-4 सफ़हा-423)

बज़रीए इंजेक्शन जिस्म में दवा या गिज़ा पहुंचाने से

रोज़ा नहीं टूटता है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-39)

### कुत्ते के काटे का इंजेक्शन

जिस इंजेक्शन के ज़रीए बिअैनिही दवा जौफ़े मेअ़दा में पहुंचा दी जाए, रोज़ा टूट जाता है। पागल कुत्ते के काटने के इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है।

(मुहम्मद रफ़अत कासमी गुफ़िरलहू)

### इंजेक्शन की हकीकत

इंजेक्शन के मुतअल्लिक जहां तक तहकीक की गई है ये मालूम हुआ कि उससे बज़रीए मसामात दवा बदन में पहुंचाई जाती है, इसलिए नाकिजे रोज़ा नहीं, नाकिजे सौम वह है जो बज़रीए किसी मनफ़ज़ के बदन के अन्दर पहुंचे न बज़रीए मसामात और दाख़िले बदन में दवा का असर पहुंच जाने से फ़सादे रोज़ा लाज़िम नहीं आता है, जैसे गुस्ल का असर, ज़हरीले जानवर के काटने का असर, बदन के अन्दर सिरायत कर जाता है मगर बइत्तिफ़ाक़ मुफ़िसदे रोज़ा नहीं, इसी तरह इंजेक्शन भी मुफ़िसदे रोज़ा नहीं।

नोट: इस मसअला की तहकीक अहकर के रिसाला "मक़ालातुलमुफ़ीदा फ़िलआलतिल जदीदा" में मज़कूर है।

(बंदा मुहम्मद शफ़ी फ़तावा दारुलउलूम क़दीम जिल्द-3 सफ़हा-68)

### मरीज़ के रोज़े की क़ज़ा का हक़म

अगर किसी शहर के लोगों ने रमज़ान का चाँद देख कर 29 रोज़े रखे और उनमें बाज़ मरीज़ थे, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो उन पर 30 दिन की क़ज़ा लाज़िम होगी, और अगर मरीज़ को शहर वालों का हाल मालूम न हुआ

तो वह 30 दिन के रोज़ों की कज़ा करेगा। ताकि यकीनन वाजिब अदा हो जाए। (फ़तावा आलमगीरी उर्दू पाकिस्तानी जिल्द-2 सफ़हा-11)

### सैहत के बाद गुरुब तक खाना पीना

**सवाल:** हिन्दा के रोज़ा की हालत में पेट में शदीद दर्द हो गया। दवा इस्तेमाल की, आराम हो गया, ता गुरुब तक रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है या मुस्ताहब?

**जवाब:** वाजिब है, जिस तरह से मुसाफ़िर, हाएज़ा व निफ़ास वाली और मजनून वगैरा को, जब इफ़ाका हो जाए शाम तक खाने पीने से रुके रहना और रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-432)



## बारहवाँ बाब

### मुसाफ़िर के मसाइल

#### सफ़र की तारीफ़

सफ़र ख्वाह जाइज़ हो, या नाजाइज़, या बेमशक्कत हो, जैसे रेल वगैरा का, या बामशक्कत जैसे पैदल का घोड़े वगैरा की सवारी पर, हर हाल में रोज़ा न रखना जाइज़ है। मगर बेमशक्कत सफ़र में मुस्तहब यही है कि रोज़ा रख ले। हाँ अगर चंद लोग उसके हमराह हों और वह रोज़ा न रखें और तन्हा उसके रोज़ा रखने में, खाने वगैरा के इंतज़ाम में उन लोगों को तकलीफ़ हो तो फिर अगर मशक्कत भी न हो तब भी न रखे।

(इल्मुलफ़िक्ह हिस्सा सोम सफ़हा-35)

सफ़र में रोज़ा रखना दुरुस्त है, और सवाब है, अलबत्ता अगर न रखे तो रुख़सत (इजाज़त) है, और सफ़र की मिक्दार अड़तालीस मील होना ज़रूरी है।

(कदीम फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-3 सफ़हा-73)

#### क्या रोज़े में भी कस्र है?

सवाल: जिस तरह नमाज़ में कस्र है क्या उसी तरह रोज़े में भी कस्र है, या नहीं? यानी अगर सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़े, तो गुनहगार होगा, क्योंकि यह कुफ़राने नेमत है, क्या ये हुक्म रोज़ों से मुतअल्लिक भी है?

जवाब: रोज़ा के लिए सफ़र में ये हुक्म है कि बाद में कज़ा उन रोज़ों की करें जो सफ़र में न रखे हों।

“فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”

(सूरए बकरह पारा-2 रुकूअ-6)

नमाज़ के लिए हदीस शरीफ़ में ये हुक्म आ गया है कि इस तख़फ़ीफ़ (कमी) को क़बूल करो, लिहाज़ा इमाम आज़म (रह.) इस अम्र को वुजूब के लिए लेते हैं, कि क़स्र करना नमाज़ में ज़रूरी फ़रमाते हैं। रोज़ा के लिए नस्से कुरआनी से एहतियात साबित होता है, कि चाहे रखो चाहो तो फिर कज़ा कर लो, अगर सफ़र सुहूलत का है और रोज़ा में कुछ दुश्वारी नहीं है तो रोज़ा रखना बेहतर है, जैसा कि फ़रमाया गया है— “وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرَ لَكُمْ”

(सूरए बकरह रुकूअ-6)

पस मालूम हुआ कि सफ़र में बहालते अदमे मशक्कत रोज़ा न रखने की फ़ज़ीलत और ख़ैरीयत खुद अल्लाह तआला ने फ़रमा दी है। और नमाज़ में क़स्र न करने में कुफ़राने नेअमत, आंहज़तर (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि वह भी हुक्म खुदा तआला ही का है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-472, बहवाला रदुलमुहतार फ़स्तुन फ़िलअवारिज़ जिल्द-2 सफ़हा-160)

### हालते तरहुद में रोज़ा

सवाल: जो लोग तरहुद में क़स्र नमाज़ पढ़ते हैं उनको रमज़ान शरीफ़ में रोज़ा कज़ा करना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: मुसाफ़िर को जब तक वह किसी जगह पन्द्रह दिन क़याम की नीयत न करे और तरहुद में हो, नमाज़ क़स्र करना चाहिए, और रोज़ा को भी इफ़तार कर सकता



है, बाद में कज़ा करे। गरज़ जिस हालत में नमाज़ कस्र जाइज़ है रोज़ा का इफ़तार करना भी दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-475, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-158, फ़स्तुन फ़िलअवारिज़)

### एक दिन का सफ़र

सवाल: एक रोज़ के सफ़र में भी कज़ा कर सकता है, या तीन ही दिन के सफ़र में कज़ा कर सकता है?

जवाब: 48 मील का सफ़र हो जब ही रोज़ा इफ़तार करना दुरुस्त है, इससे कम के सफ़र में रोज़ा इफ़तार करना दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-473, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-158, फ़स्तुन फ़िलअवारिज़)

### पन्द्रह दिन की नीयत का हुक्म

अगर रास्ता में पन्द्रह दिन रहने की नीयत से ठहर गए, तो अब रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरअ की नज़र में अब वह मुसाफ़िर नहीं है, अलबत्ता पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नीयत की हो तो रोज़ा न रखना दुरुस्त है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा सोम सफ़हा-19, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-168)

### सुक़ सादिक़ के बाद सफ़र करना

सवाल: ज़ैद का दिन में सफ़र में जाने का इरादा है तो अगर वह सहरी खा ले मगर रोज़ा की नीयत न करे तो जाइज़ है या नहीं?

जवाब: जो शख्स सुक़ के वक़्त सफ़र में न हो, उसके लिए रोज़ा छोड़ना जाइज़ नहीं, अगरचे दिन में सफ़र का

पुख़्ता इरादा हो। (अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-437)

### दोपहर से पहले ही घर पहुंच जाना

सफ़र में रोज़ा न रखने का इरादा था, लेकिन दोपहर से एक घंटा पहले ही (ज़वाल) से अपने घर पहुंच जाए, या ऐसे वक़्त में पन्द्रह दिन की नीयत से कहीं रहना पड़े और अब तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो अब रोज़ा की नीयत कर ले। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा सोम सफ़हा-19, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-203)

अगर कोई मुक़ीम रमज़ान में रोज़ा की नीयत के बाद सफ़र करे तो उस पर उस दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर उस रोज़ा को फ़ासिद कर दे तो कफ़ारा न होगा। इसी तरह कोई मुसाफ़िर निस्फ़ नहार (दोपहर) से पहले मुक़ीम हो जाए और अभी तक कोई फ़ेल रोज़ा के खिलाफ़ नहीं हुआ, मसलन खाने पीने वगैरा का उससे सादिर न हुआ हो, तो भी रोज़ा रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर फ़ासिद कर दे तो कफ़ारा न देना पड़ेगा।

(इल्मुलफ़िक्ह हिस्सा सोम सफ़हा-35)

### रोज़ादार मुसाफ़िर का रोज़ा फ़ासिद कर देना

अगर कोई मुक़ीम रोज़ा की नीयत करने के बाद मुसाफ़िर बन जाए और थोड़ी दूर जा कर किसी भूली हुई चीज़ को लेने के लिए अपने घर वापस आए और वहां पहुंच कर रोज़ा को फ़ासिद कर दे, तो उसको कफ़ारा देना होगा, इसलिए कि उस पर उस वक़्त मुसाफ़िर का इतलाक़ न था। गो वह ठहरने की नीयत से न गया हो, और न वहां ठहरा। (इल्मुलफ़िक्ह हिस्सा सोम सफ़हा-36)

### रोज़े से बच कर सफ़र करना

सवाल: अगर रोज़ा से बच कर हीलए सफ़र या मरज़ वगैरा कर के रोज़ा कज़ा करे, तो कैसा है?

जवाब: मुसाफ़िरे शरई और मरीज़ को इफ़्तार करना डुरुस्त है, और हीला करना मज़मूम और कबीह है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-496, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-158 फ़स्लुन फ़िलअवारिज़)

### मुसाफ़िर का रोज़ा रख कर तोड़ देना

सवाल: ज़ैद ने सफ़र में रोज़ा की नीयत की, मगर बाद में नीयत बदल दी, और खा पी लिया, तो क्या गुनहगार होगा?

जवाब: कफ़ारा नहीं, अलबत्ता रोज़ा रखने के बाद सफ़र शुरू करना वुजूबे कफ़ारा में इख़िलाफ़ है और राज़ेह ये है कि इस सूरत में भी कफ़ारा वाजिब नहीं।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-448, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-132)

### क्या सफ़र में आँहज़रत (स.अ.व.) ने रोज़ा रख कर तोड़

#### दिया था?

सवाल: हुज़ूर (स.अ.व.) ने सफ़र की हालत में रोज़ा तोड़ा था और अपने रुफ़का (साहाबा रज़ि.) से इफ़्तार कराया था, क्या ये बात मुस्तनद है?

जवाब: हाँ सफ़र की हालत में हुज़ूर (स.अ.व.) और सहाबए किराम (रज़ि.) के रोज़ा के इफ़्तार का वाकिआ सही और मुस्तनद है। हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि.) का ब्यान है कि आँहज़रत (स.अ.व.) रमज़ान शरीफ़ में मदीना से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए तो रास्ता में मक़ामे

असक़ान पर पानी मंगवाया और सहाबा (रज़ि.) को बता कर इफ़्तार फ़रमाया। फिर मक्का पहुंचने तक रोज़ा न रखा।

ये अपनी मर्जी पर है, जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे इफ़्तार करे। दूसरी रिवायतों में ये भी तसरीह है कि रोज़ा की वजह से सहाबए किराम (रज़ि.) की हालत दिगर गूँ थी। इसलिए आप (स.अ.व.) ने ऐसा किया। हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि बाज़ अस्हाब ने इफ़्तार नहीं किया था। जब आँहुज़ूर (स.अ.व.) को ख़बर की गई तो आप (स.अ.व.) ने (बअंदाजे ख़ाफ़गी) फ़रमाया कि ये नाफ़रमान हैं, क्योंकि आप (स.अ.व.) ने रुख़्सत पर अमल किया औ आप (स.अ.व.) की ख़्वाहिश थी कि सब रुख़्सत पर अमल करें। खुसूसन इसलिए कि आँहज़रत (स.अ.व.) फ़तहे मक्का के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये सफ़रे जिहाद था, बहरहाल कुछ साहबान ने अमल नहीं किया तो आप (स.अ.व.) को नागवारी हुई। एक रिवायत में है कि एक सफ़र में एक सहाबी की हालत बहुत ख़राब हो गई, सहाबा जमा हो कर उसकी ख़िदमत करने लगे, उन पर साया का इंतिज़ाम किया गया, ये देख कर आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया— “सफ़र में (जान पर जुल्म कर के) रोज़ा ही कोई नेकी नहीं है।”

इन अहादीस की रौशनी में फ़ुक़हाए किराम (रह.) फ़रमाते हैं कि सफ़र की हालत में रोज़ा रखना ज़रूरी और वाज़िब नहीं है। अगर रखा तो अज़ीमत पर अमल किया, और न रखा तो रुख़्सत पर अमल हुआ।

अगर रोज़ा रखने से तबीअत ख़राब न होने, या तकलीफ़ पहुंचने का डर न हो, तो रख लेना बेहतर है।

अगर उसको या उसके साथियों को नुकसान या तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा हो तो रोज़ा छोड़ देना बेहतर है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-36, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-160 व मुस्लिम शरीफ़ जिल्द-2 सफ़हा-356)

### सफ़र में लू की वजह से रोज़ा तोड़ देना

**सवाल:** अगर किसी शख्स को माहे रमज़ान में ऐसा सफ़र पेश आए जिससे वह शरअन मुसाफ़िर नहीं हो सकता, इस वजह से रोज़ा की हालत में सफ़र करे, और दोपहर को सख़्त धूप और लू की वजह से बेबरदाश्त हो कर रोज़ा तोड़ दे तो उस पर कज़ा है या कफ़ारा भी लाज़िम आएगा?

**जवाब:** इस सूरत में उस शख्स पर कफ़ारा लाज़िम न होगा, सिर्फ़ कज़ा लाज़िम होगी। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-444, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-158 फ़स्तुन फ़िलअवारिज़)

### प्यास की शिद्दत या सफ़र की वजह से रोज़ा तोड़ देना

**सवाल:** रोज़ादार शदीद प्यास की वजह से रोज़ा तोड़ दे या सफ़र में रोज़ा तोड़ दे, तो उसके लिए क्या हुक्म है?

**जवाब:** प्यास अगर ऐसी शदीद है कि उसमें मर जाने का अंदेशा है, या अक्ल के जाते रहने का ख़ौफ़ है, तो इस हाल में कज़ा लाज़िम है। इसी तरह सफ़र में बरोज़े सफ़र रोज़ा तोड़ना न चाहिए, लेकिन अगर तोड़ दिया तो कज़ा लाज़िम है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-440, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-158)

### मुसाफ़िर का फ़िदया देना

सवाल: मुसाफ़िर ने सफ़र में चंद रोज़े नहीं रखे और फ़िदया दे दिया तो क्या ये दुरुस्त है?

जवाब: उन रोज़ों की बाद में कज़ा करना ज़रूरी है, फ़िदया काफ़ी नहीं है, जैसा कि आयते कुरआनी में है। "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (पारा-2 सूरा बकरह रुकूअ-6, फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-463)

### सफ़र में फ़ौत शुदा रोज़ों का हक्म

सवाल: सफ़र की हालत में फ़ौत शुदा रोज़ों की कज़ा ज़रूरी है या नहीं?

जवाब: हाँ कज़ा का वक़्त मिले तो कज़ा रखना ज़रूरी है, और न रखे तो फ़िदया देने की वसीयत लाज़िम है। बशर्ते कि माल छोड़ गया हो, और सफ़र की हालत में मर गया हो या मुक़ीम हो कर मरा लेकिन कज़ा का वक़्त नहीं मिला तो फ़िदया देने की वसीयत लाज़िम नहीं, अगर चंद रोज़े कज़ा रखने का वक़्त मिला तो उतने रोज़ों की कज़ा लाज़िम है, अगर कज़ा न कर सका तो उन दिनों का फ़िदया देने की वसीयत ज़रूरी है। मसलन सफ़र की हालत में दस दिन रोज़े फ़ौत हो गए और पाँच रोज़ा रखने का वक़्त मिला, लेकिन कज़ा नहीं की, तो उन पाँच रोज़ों के फ़िदया की वसीयत लाज़िम है, इससे जाएद की नहीं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-34, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-160)

अगर मुसाफ़िर सफ़र से लौटने के बाद, या मरीज़ सेहत यांब होने के बाद इतना वक़्त न पाये जिसमें कज़ा

शुदा रोज़े अदा करे, तो उसके जिम्मा क़ज़ा लाज़िम नहीं, सफ़र से लौटने या बीमारी से सेहत याब होने के बाद जितने दिन भी मिलें उतने ही की क़ज़ा लाज़िम होगी।

(जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-381)

### घटे हुए रोज़े रखने का मौका नहीं मिला

**सवाल:** मरज़ या हैज़ व निफ़ास की वजह से रोज़े छूट गए, क़ज़ा रखने से पहले ही इंतिक़ाल हो गया तो क्या गुनाह होगा?

**जवाब:** अगर क़ज़ा करने का वक़्त ही नहीं मिला, तो ये रोज़े मआफ़ हैं, और अगर हालते इक़ामत, सेहत और तहारत में क़ज़ा रखने का मौका मिल गया हो, तो तरका से फ़िदया अदा करने की वसीयत करना वाजिब है।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-448, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-125)

### रोज़ेदार मुसाफ़िर का सफ़र में इंतिक़ाल हो जाना

**सवाल:** एक शख्स रमज़ान शरीफ़ में मुसाफ़िर हुआ, और वह रोज़े से नहीं था, और वह इंतिक़ाल कर गया, उसके रोज़े का क्या हुक्म है?

**जवाब:** उसके जिम्मा रोज़ा की क़ज़ा लाज़िम नहीं हुई और फ़िदया या फ़िदया की वसीयत भी लाज़िम नहीं हुई। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-432, बहवाला दुर्रुमुख़्तार जिल्द-2 सफ़हा-160)

रमज़ान के रोज़े अगर किसी शरई मजबूरी की वजह से छूटे थे और अभी वह मजबूरी खत्म नहीं हुई थी कि दुनिया से कूच (इंतिक़ाल) कर गया, तो उस पर कोई शरई मुतालबा नहीं है। क्योंकि उसको अदा करने का

मौका ही नहीं मिला था। हाँ अगर मौका मिल गया था मगर उसने सुस्ती कर के रोज़ों की कज़ा नहीं की, तो ये फ़रीज़ा उसके ज़िम्मा वाजिब रहा, खुदा के यहां पकड़ होगी। और अगर सफ़र या मरज़ की वजह से दस रोज़े रह गए थे और फिर उस सफ़र या मरज़ से फ़ारिग़ हो कर पाँच दिन ज़िन्दा रहा और रोज़े शुरू नहीं किए थे, तो पाँच ही दिन कज़ा उसके ज़िम्मा वाजिब रही, क्योंकि उसको इतना ही वक़्त मिला।

अब उसके रिश्तादारों और मुतअल्लिकीन को चाहिए कि रोज़ों का फ़िदया दे दें। उसके ज़िम्मा से रोज़े अदा हो जाएंगे। और अगर वह शख्स माल छोड़ कर मरा है और फ़िदया देने की वसीयत भी कर गया, तो वारिसों के ऊपर फ़िदया देना वाजिब और ज़रूरी है। और अगर वसीयत की, लेकिन माल नहीं छोड़ा, या इतना कम है कि एक तिहाई हिस्से में उसके रोज़ों का बदला पूरा नहीं होता, या माल तो काफ़ी छोड़ा मगर वसीयत नहीं की, तो इन सब सूरतों में वारिसों पर उसके रोज़ों का फ़िदया देना वाजिब नहीं है।

मगर मरने वाले के साथ हमदर्दी और तअल्लुक इसमें ही है कि उसकी आख़िरत की भलाई की नीयत से दे देना अच्छा है। मरने वाले की तरफ़ से उसके रिश्तादार या मिलने वाले फ़िदया तो दे सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ़ से नमाज़ या रोज़ा की कज़ा नहीं कर सकते हैं।

(मुरत्तिब मुहम्मद रफ़अत कासमी)



Maktab\_e\_Ashraf

तेरहवों बाब

## मुतफ़रिक् मसाइल

रमज़ान में एलानिया खाना पीना

**सवाल:** रमज़ानुलमुबारक में जो बिला उज़र रोज़ा न रखे और एलानिया तौर पर खाए, पीए तो क्या हुक्म है?

**जवाब:** ऐसा शख्स फ़ासिक और इस्लामी शिआर की तौहीन करने वाला है। खलीफ़ा हो तो ऐसे बे-बाक और बे-हया को कत्ल की सज़ा दे। दुर्रेमुख्तार में है कि अगर कोई बिला उज़रे शरई रोज़ा न रखे और बिल क़स्द एलानिया खाए पीए, तो खलीफ़ए इस्लाम के हुक्म से कत्ल कर दिया जाएगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-104, बहवाला शामी जिल्द-1 सफ़हा-151)

गर्मियों में दिन बड़ा होने की वजह से रोज़े का फ़िदया

**सवाल:** मौसमे गर्मा में जबकि अट्ठारह घंटे रोज़ा रखना पड़े, तो क्या रोज़े के बदले कफ़ारए अनाज दिया जा सकता है?

**जवाब:** रोज़ा ही रखे, फ़िदया देना बिलाउज़र के सही नहीं है। अगर किसी बीमारी वगैरा की वजह से रमज़ान शरीफ़ में रोज़ा न रखा, तो कज़ा उसके बाद में करे, फ़िदया उसको भी देना जाइज़ नहीं। फ़िदया ख़ास है शैख़ फ़ानी के लिए, शैख़ फ़ानी वह बूढ़ा है जो किसी

तरह रोज़ा न रख सके। (फ़तावा दारुलउलूम, क़दीम अज़ीज़ुलफ़तावा ज़िल्द-3 सफ़हा-72)

शैख़ फ़ानी उस मर्द और औरत को कहते हैं जो ज़िन्दगी के आख़िरी स्टेज पर पहुंच चुके हों, अदाएंगीये फ़र्ज़ से क़तअन मजबूर और आजिज़ हों और जिस्मानी ताक़त, क़ूवत वग़ैरा रोज़ बरोज़ घटती चली जा रही हो, यहाँ तक कि जोअफ़ व तवानाई के सबब उन्हें ये क़तअन उम्मीद न हो कि आइंदा कभी रोज़ा रख सकेंगे।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद ज़िल्द-2 क़िस्त-21)

### क्या सर्दियों में रोज़ा रखने का सवाब कम मिलता है?

**सवाल:** जिन लोगों के रोज़े माहे रमज़ान में किसी उज़र के सबब क़ज़ा हो जाते हैं उनको मौसम सरमा में अदा करने से क्या सवाब में कमी आती है?

**जवाब:** सर्दियों के दिनों में रोज़ा की क़ज़ा करने से सवाब में कुछ कमी नहीं होती है।

(फ़तावा दारुलउलूम ज़िल्द-2 सफ़हा-499)

### बे-नमाज़ी का रोज़ा

**सवाल:** जो शख्स रमज़ान शरीफ़ में रोज़ा रखता हो, और नमाज़ न पढ़ता हो, उसका रोज़ा होता है या नहीं?

**जवाब:** रोज़ा हो जाता है, नमाज़ छोड़ने का गुनाह रहता है। नमाज़ की क़ज़ा उसके ज़िम्मा फ़र्ज़ है। (हाशिया में है) दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे पर मौकूफ़ नहीं हैं। (फ़तावा दारुलउलूम ज़िल्द-6 सफ़हा-499)

### जाँकनी (नज़अ) की हालत में रोज़ा

**सवाल:** अगर कोई रोज़ादार जाँकनी के आलम में हो तो उसको रोज़ा इफ़तार करा कर शरबत देना चाहिए या

नहीं?

जवाब: ऐसी हालत में रोज़ा इफ़तार करा देना चाहिए और शरबत वगैरा देना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-470)

**बगैर इफ़तार किये इंतिक़ाल हो जाने पर नमाज़े जनाज़ा**

**का हुक्म**

सवाल: एक शख्स रोज़ा की हालत में प्यास व भूक की शिद्दत से मर गया है, लेकिन उसने शरीअत का हुक्म नहीं माना, इफ़तार नहीं किया। उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए या नहीं, क्योंकि उसने शरीअत की ख़िलाफ़ वरज़ी की है?

जवाब: इस सूरत में अगर वह शख्स रोज़ा की हालत में फ़ौत हो गया तो माज़ूर है, यानी इंदल्लाह अज़र व सवाब पाएगा, गुनहगार नहीं हुआ। पस उसकी नमाज़ के जवाज़ में कुछ शब्दा नहीं हो सकता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-471, बहवाला रदुलमुह्तार जिल्द-2 सफ़हा-158)

**तवील औकात वाले एलाके में रोज़ा**

रोज़ा के औकात के सिलसिले में इस बात की कुरआन व हदीस में तसरीह है कि तुलूए फ़ज़र से उसका आगाज़ और गुरुबे आफ़ताब पर उसका इख़िताम होता है। नीज़ इस पर उम्मत का इजमाअ भी है, बाज़ जुब्दी बातों पर थोड़ा सा इख़िलाफ़ है, मगर इस हद तक सब का इत्तिफ़ाक़ है। इसी लिए तो ये जाहिर है कि रोज़ा के अस्ल औकात ये ही हैं।

जुगराफ़ियाई और मौसमी हालात के लिहाज़ से उनमें

कमी व बेशी हो सकती है और होती रहती है। खुद हिन्दुस्तान में भी ऐसा तफ़ावुत होता रहता है। अब अगर कहीं औकात का थोड़ा बहुत फ़र्क हो, दिन बारह के बजाए सोला या सत्तरा घंटे का हो जाए तो जाहिर है कि रोज़ा का यही हुक्म रहेगा, और अगर ग़ैर मामूली फ़र्क हो जाए मसलन बीस या बाईस घंटों का दिन हो जाए और दो चार घंटों की रात रह जाए तो भी कुरआन व हदीस के उमूमी अहकाम का तकाज़ा है कि रोज़ा तुलूए फ़ज़र से गुरुबे आफ़ताब तक हो, फ़तवा इसी पर है।

अलबत्ता बसाऔकात इसकी वजह से ग़ैर मामूली मशक्कत पैदा हो जाएगी और उम्र रसीदा और कमज़ोर आदमियों के लिए रोज़ा रखना दुश्वार हो जाएगा। उनको ये खुसूसी सहूलत दी जा सकती है कि वह रमज़ानुलमुबारक में रोज़ा न रखें, आइंदा जब मौसम हल्का और काबिले तहम्मूल हो जाए और दिन के औकात निस्बतन कम हो जाएं तो कज़ा कर लें, जैसा कि फुक़हा ने भूक व प्यास की हलाकतख़ेज़ शिद्दत को भी रोज़ा तोड़ने के लिए उज़र करार दिया है। फ़तावा आलमगीरी में उसकी तसरीह जिल्द-1 सफ़हा-106 पर मौजूद है। लेकिन जहाँ पर एक तवील अरसा का दिन और फिर उसी तरह रात का सिलसिला रहता है वहाँ जिस तरह नमाज़ के औकात का अंदाज़ा से तअयुन किया जाएगा उसी तरह माहे रमज़ान की आमद और रोज़ा के औकात का भी। ऐसे मक़ाम के बाशिंदों को उन मक़ामात के मुताबिक़ अमल करना चाहिए। जो उनसे करीब हैं और वहाँ मामूल के मुताबिक़ दिन रात की आमदोरफ़त का सिलसिला है।

(जदीद फ़िक्ही मसाइल सफ़हा-94)

**हवाई सफ़र में दिन बहुत छोटा हो जाने पर रोज़े का हुक्म**

सवाल: ज़ैद हवाई जहाज़ के ज़रीए मगरिब की सिम्त जा रहा है, सूरज गुरुब हो रहा है, तो नमाज़ किस तरह अदा करे, और रोज़ा किस वक़्त इफ़तार करे? और उसके बरअक्स मशरिक की तरफ़ जा रहा है तो उसका दिन बिल्कुल छोटा रहेगा। उसकी नमाज़ और रोज़े के मुतअल्लिक क्या हुक्म है?

जवाब: रदुलमुहतार सफ़हा-339 में हदीस दज्जाल के तहत जो मसाइल दर्ज हैं उससे साबित हुआ कि मगरिब की तरफ़ जाने वाला शख्स अगर चौबीस घंटा में पाँच वक़्त नमाज़ें उनके औकात में अदा कर सकता हो तो हर नमाज़ उसका वक़्त दाख़िल होने पर अदा करे, और अगर उसका दिन इतना तवील हो गया कि चौबीस घंटे में पाँच नमाज़ों का वक़्त नहीं आया, तो आम अयाम में औकातें नमाज़ के फ़स्ल का अंदाज़ा कर के उसके मुताबिक़ नमाज़ें पढ़े, और यही हुक्म रोज़ा का है, कि अगर तुलूए फ़जर से लेकर चौबीस घंटे के अन्दर गुरुब हो जाए तो गुरुब के बाद इफ़तार करे। जिन मुमालिक में मुस्तक़िल तौर पर दिन इतने तवील हों कि चौबीस घंटे में सिर्फ़ बक़द्रे किफ़ायत खाने पीने का वक़्त मिलता हो, उनमें सूरज गुरुब होने से पहले इफ़तार की इजाज़त नहीं, तो आरज़ी तौर पर शाज़ोनादिर एक दिन तवील हो जाने से बतरीके औला उसकी इजाज़त न होगी, अलबत्ता अगर चौबीस घंटे के अन्दर गुरुब न हो, तो चौबीस घंटे पूरे होने से इतना वक़्त पहले कि उसमें बक़द्रे ज़रूरत खा पी

सकता है तो इफ़तार कर ले, अगर इब्तिदाए सुब्ह सादिक के वक़्त भी सफ़र में था तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, बाद में क़ज़ा रखे, और अगर उस वक़्त मुसाफ़िर न था तो रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर इतने तवील रोज़ा का तहम्मूल न हो तो सफ़र नाजाइज़ है।

जो शख़्स जानिबे मशरिक जा रहा है, नमाज़ के औकात उस पर गुज़रते रहेंगे, उन औकात में नमाज़ अदा करेगा और रोज़ा गुरुबे आफ़ताब के बाद इफ़तार करे, क्योंकि सौम (रोज़ा) के माना हैं तुलूए फ़ज्र से गुरुबे शम्स (सूरज) तक इमसाक (रुकना) का।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-71, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-88)

### सफ़र की वजह से रोज़ों का कम या ज्यादा हो जाना

**सवाल:** एक शख़्स जद्दा में काम करता है, वहां उसने रमज़ान के रोज़े रखने शुरू किए (वहाँ पर रमज़ान का रोज़ा जुमा को हुआ और हमारे यहां हिन्द में सनीचर को पहला रोज़ा हुआ) फिर वह शख़्स यहां आ गया और यहां पर उन्तीस का चाँद नहीं हुआ और उस शख़्स के तीस रोज़े पूरे हो गए अब वह यहां वालों के साथ क्या इक्तीसवाँ रोज़ा रखे?

**जवाब:** ये शख़्स इतवार को यहां वालों के साथ रोज़ा रखे, चाहे इक्तीस रोज़े हो जाएँ। जिस तरह किसी ने तन्हा चाँद देखा और उसकी गवाही कबूल न की गई तो उसको अपनी रूयत के एतेबार से रमज़ान का रोज़ा रखना चाहिए, और इत्तिफ़ाक़ से तीस रोज़े पूरे करने के बाद चाँद नज़र न आए तो उसको तन्हा इफ़तार करना

जाइज़ नहीं, बल्कि उसके लिए हुक्म ये है कि वह लोगों के साथ रोज़ा रखे और सब के साथ ईद करे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-181, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-123)

**रोज़ा रख कर उमरे के लिए गया तो वहाँ रोज़े की तारीखों**

**में फ़र्क था**

सवाल: एक शख्स ने बमबई में रोज़े रखने शुरू किए और फिर वह शख्स रमज़ान में उमरा करने के लिए मक्का चला गया, वहाँ वाले एक दो दिन आगे थे, अब वह शख्स वहाँ वालों के साथ ईद मनाए, या क्या हुक्म है?

जवाब: ये शख्स वहाँ वालों के साथ ईद कर ले बाद में बाकी मांदा रोज़ों की क़ज़ा कर ले, यानी अगर सत्ताईस रोज़े हुए तो दो रोज़े रखे और अगर 28 हुए तो एक रोज़ा रखे कि महीना उन्तीस दिन से कम का नहीं होता है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-181)

**रोज़े की हालत में लिफ़ाफ़े का गोंद ज़बान से तर कर के**

**चिपकाना**

सवाल: रोज़ा की हालत में ज़बान से लिफ़ाफ़ा का गोंद लगा कर चस्पॉ (बंद) करना बिला कराहत दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: अगर ज़बान से लिफ़ाफ़ा का गोंद चाट कर थूक निगल गया तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर चाटने के बाद थूक दिया तो उससे रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा। मगर ऐसा करना मकरूहे तंज़ीही है।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-443, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-122)

### सरजरी और आज़ा की तब्दीली

रोज़ा को फ़ासिद करने वाली दरअस्ल वह चीज़ें हैं जो दिमाग़ या बत्न (पेट) के जौफ़ तक पहुंच जाएं। इससे ये बात तो वाज़ेह होगई कि ऐसे ऑपरेशन जो जिस्म के दूसरे हिस्से या हाथ पाँव वगैरा के हों, उनका तो रोज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह कान, शर्मगाह, सुरीन, नाक वगैरा के आज़ा जिनसे दिमाग़ या पेट की जानिब मनफ़ज़ (असली राह) नहीं हैं। उनका भी सिर्फ़ ऑपरेशन मुफ़सिदे सौम न होगा। यानी रोज़ा को नुक़सान न होगा, और न आज़ा की तब्दीली, इसलिए कि मुफ़सिदे सौम तो किसी ऐसी चीज़ का दाख़िल करना है जो बदन को दुरुस्त करे और दिमाग़ और पेट तक पहुंच जाए, या ग़ालिब इम्कान उसके पहुंचने का हो, यहां ये मसनूई आज़ा अपनी जगह लगे रह जाएंगे। हाँ अगर ऑपरेशन के साथ कोई दवा डाली जाए, तो रोज़ा टूट जाएगा। इनके अलावा अगर खुद पेट या दिमाग़ का ऑपरेशन इस तरह हो कि कुछ काट कर निकाल दिया जाए और कोई नई चीज़ दाख़िल न की जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर अन्दर कोई दवाई लगाई या मसनूई आज़ा लगाया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसकी नज़ीर फ़ुक़हा का ये जुज़ईया है कि अगर नेज़ा इस जोर से मारा कि जौफ़े बत्न तक पहुंच गया फिर उसको निकाल लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर पेट के अन्दर रह गया तो बाज़ लोगों की राए है कि रोज़ा नहीं टूटेगा। और बाज़ हज़रात इसके काएल हैं कि टूट जाएगा। यहाँ गो कि सही तर कौल रोज़ा का न टूटना है।



मगर इस आजिज़ के ख्याल में सरजरी इलाज की मज़कूरा सूरत में सही रोज़ा का टूट जाना है, इसलिए कि नेज़ा मारने का मक़सद जिस्म को नुक़सान पहुंचाना है और इस सरजरी का मन्शा जिस्म की इस्लाह और दुरुस्तगी है। और अगर ये सूरत हो कि मेअदा के ऑपरेशन में कोई उज्व, सरजरी के दौरान बाहर निकाला जाए फिर अपनी जगह फिट कर दिया जाए तो भी रोज़ा टूट जाएगा। इसकी नज़ीर कैय है, कि अगर मुंह से बाहर आ जाने के बाद उसे खा लिया जाए, या लुआबे देहन मुंह से निकाल कर हाथ में जमा किया जाए और फिर खा लिया जाए तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। इसी तरह ये उज्व जब बाहर ले आया गया और फिर उसको जौफ़े बत्न में फिट कर दिया गया तो रोज़ा टूट जाएगा।

(जदीद फ़िक्ही मसाइल सफ़हा-99)

### सोने की हालत में मसोदों से खून मुंह में चला जाना

सवाल: मेरे मसोदों से खून निकलता है। आज कल रोज़ा में दोपहर के बाद खून बहुत जारी रहता है, ये कैफ़ियत ख़ास तौर पर सोने की हालत में होती है। खून थूक पर ग़ालिब रहता है। जागने की सूरत में तो एहतियात करता हूँ, लेकिन सोने की हालत में थूक हलक़ से नीचे उतर जाता है, अब तक रमज़ान में ऐसा दो मरतबा हुआ है, मेरा रोज़ा हुआ या कज़ा रखना होगा? आज कल नींद रात को पूरी नहीं होती, अगर दिन में न सोऊँ तो रात को इबादत में ख़लल होगा और नौकरी करना भी मुहाल होगा। मेरे लिए क्या हुक़म है?

जवाब: खून अगर सिर्फ़ हलक़ में गया मगर पेट में

नहीं पहुंचा तो रोज़ा नहीं टूटा और अगर खून मगलूब हो यानी थूक का रंग सुर्ख के बजाए जर्द हो तो पेट में जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता खून मगलूब होने के बावजूद हलक में उसका मज़ा महसूस हो तो पेट में जाने से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह खून ग़ालिब हो यानी थूक सुर्ख हो तो पेट में जाने से रोज़ा टूट जाएगा अगरचे मज़ा महसूस न हो।

जिन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है उनमें अगर सोने की हालत में या और कोई उज़र से खून बिलाइख़्तियार पेट में उतर जाता हो तो रोज़ा न टूटने के कौल की गुंजाइश मालूम होती है। शामी में इसी तरह है। बेहतर ये है कि अगर मुस्तक़बिल करीब में सेहत की तदक्को हो तो रोज़ा न रखें, बाद में क़ज़ा करें, और अगर रोज़ा की हालत में ग़ैर इख़्तियारी तौर पर खून पेट में चला गया तो सेहत के बाद एहतियातन इस रोज़े की क़ज़ा करें।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-438)

### **ऐसा तंदुरुस्त जिस में रोज़ा रखने की ताक़त नहीं**

सवाल: एक शख्स देखने में जवान और तंदुरुस्त है और किसी किस्म की अलामते जाहिरा उसको नहीं है मगर कमज़ोर बहुत है, और रमज़ान का रोज़ा उससे नहीं रखा जाता, रोज़ा रखने से उसको बहुत कमज़ोरी होती है, अगर वह रोज़ा छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है?

जवाब: मस्अला ये है कि शैख़ फ़ानी को रोज़ा न रखना और फ़िदया दे देना दुरुस्त है। शैख़ फ़ानी के ये माना हैं कि उसकी क़ुवत फ़ना हो गई हो, और रोज़ा की ताक़त न हो। पस अगर वह शख्स ख़िलक़तन ऐसा ज़ईफ़

व कमज़ोर है कि किसी तरह रोज़ा नहीं रख सकता है। उसको दुरुस्त है कि रोज़ा न रखे और फ़िदया दे दे, हाशिया फ़तावा दारुलउलूम में है: लेकिन अगर वह ऐसा नहीं है बल्कि आरज़ी तौर पर मरज़ की वजह से ऐसा है तो इफ़तार की इजाज़त है, सेहत के बाद क़ज़ा वाजिब है। बल्कि शैख़ फ़ानी के लिए भी यही हुक्म है कि बाद में अगर वह रोज़ा रखने के काबिल हो जाएगा, क़ज़ा करेगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-468, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-163 फ़स्लुन फ़िलअवारिज़)

### रोज़ा रखने से बीमार हो जाना

**सवाल:** एक शख्स नमाज़ रोज़ा का पाबंद है, लेकिन रमज़ान शरीफ़ शुरू होने पर तीन चार रोज़े रखने से फ़ौरन बीमार हो जाता है ग़रीब आदमी अयालदार है दवा वगैरा करने की या मिस्क्रीन को खाना खिलाने की ताक़त नहीं रखता और अगर सर्दियों में भी क़ज़ा करता है तब भी वैसा ही बीमार क़रीबुलमर्ग हो जाता है इस सूरत में इसके लिए क्या हुक्म है?

**जवाब:** ऐसे मरीज़ के लिए जो रोज़ा रखने पर कादिर न हो हमेशा रमज़ान के रोज़ा रखने से या क़ज़ा करने से उसका मरज़ बढ़ता हो, और किसी तरह रोज़ा न रख सकता हो, फ़िदया देना फुक़हा ने जाइज़ लिखा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-478, बहवाला रद्दुलमुहतार फ़सल फ़िलअवारिज़ जिल्द-2 सफ़हा-163)

### क्या रमज़ान में इम्तिहान आ जाने पर रोज़ा छोड़ सकते हैं?

**सवाल:** दुन्यवी उलूम मसलन बी0 काम0, बी0 ए0

वगैरा के इम्तिहान के तहत रोज़ा की हालत में इम्तिहान में खलल वाके होने का अंदेशा हो तो क्या करे? रोज़ा, रखे या फिर कज़ा करे?

जवाब: सूरते मसऊला में रोज़ा छोड़ने या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। रोज़ा के साथ ही इम्तिहान दे, खुदा मदद फ़रमाएंगे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-34)

### रोज़ा में बाजा, बाँसुरी बजाना

सवाल: कोई आदमी रोज़ा की हालत में बाँसुरी, बाजा और दीगर गाने बजाने की अशिया दम घूँट कर बजाए तो रोज़ा में कुछ खलल होगा या नहीं?

जवाब: रोज़ा में तंबूरा वगैरा बजाना गुनाह का काम है, लेकिन रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-38)

### क्या इख़्तिलाज की वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं?

सवाल: उमर को इख़्तिलाज या कोई मरज़ है जिससे उसको रोज़े की मुतलक बरदाश्त नहीं होती उसको क्या करना चाहिए?

जवाब: रोज़ा मआफ़ नहीं हो सकता, अगर किसी कवी शरई उज़र की वजह से रमज़ान में रोज़ा न रख सके तो बाद में कज़ा करना वाजिब है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-483, बहवाला रद्दुलमुहतार फ़स्लून फ़िलअवारिज़ जिल्द-2 सफ़हा-160)

### क्या मआशी मेहनत की वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं?

सवाल: रमज़ान शरीफ़ के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन मआशी की वजह से मसलन काश्तकारी, या खाना वगैरा पकाने

की वजह से, क्या रोज़ा की कज़ा कर सकते हैं?

**जवाब:** इन उज़्रों की वजह से रमज़ान शरीफ़ के रोज़ा कज़ा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि मुनासिब है कि रमज़ान शरीफ़ में ऐसे सख्त मेहतन के काम न किए जाएँ जिनकी वजह से कज़ा करने की नौबत आए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-466, बहवाला रदुलमुहतार बाब मायुफ़िसदुस्सौम जिल्द-2 सफ़हा-157)

### जान के ख़तरा की हालत में इफ़्तार

**सवाल:** रोज़ा की वजह से जान ख़तरे में हो तो रोज़ा तोड़ना वाजिब है या रुख़्सत?

**जवाब:** अगर मरज़ या भूक या प्यास की शिद्दत से जान का ख़तरा हो तो रोज़ा तोड़ना वाजिब है, अगर रोज़ा न तोड़ा और मर गया तो गुनहगार होगा, और बहालते इकराह यानी जब कोई रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर रहा हो और न तोड़ने की सूरत में जान से मार देने की धमकी दे रहा हो तो रोज़ा तोड़ देना वाजिब नहीं जाइज़ है, और न तोड़ना अफ़ज़ल है, जान दे दी तो सवाब है, अलबत्ता रोज़ादार मरीज़ या मुसाफ़िर हो तो इकराह की सूरत में भी रोज़ा तोड़ना वाजिब है।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-441, बहवाला बदाए सनाए जिल्द-2 सफ़हा-94, 96)

### रोज़े में गुस्ल करते वक़्त गरगरा

**सवाल:** किसी शख्स को रोज़ा की हालत में गुस्ल की ज़रूरत हुई, गुस्ल करते वक़्त गरगरा नहीं किया और न नाक के नर्म हिस्सा में उसने पानी पहुंचाया तो उसका गुस्ल हुआ या नहीं? और इस तरह गुस्ल कर के नमाज़

पढ़ी तो नमाज़ दुरुस्त हुई या नहीं?

जवाब: रोज़ादार के लिए गरगरा और नाक के नर्म हिस्सा में पानी पहुंचाने का हुक्म नहीं है कि रोज़ा टूटने का अंदेशा है, और जो नमाज़ पढ़ी है वह सही है इआदा की ज़रूरत नहीं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-198, बहवाला मराकियुलफ़लाह सफ़हा-39)

### क्या रोज़े में इस्तिंजे का पानी खुशक करना ज़रूरी है?

सवाल: नूरुलईज़ाह से मालूम होता है कि रोज़ादार को इस्तिंजा करने के बाद खास मक़ाम को किसी चीज़ से अच्छी तरह खुशक कर ले, ताकि पानी अन्दर की तरफ़ ज़ब न होने पाए, क्या ये कौल मुफ़ताबिही है?

जवाब: इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस्तिंजा से रोज़ा पर अंसर नहीं पड़ता, अलबत्ता अगर पानी मौज़ए हुक़ना तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, मगर इस्तिंजा में ऐसा नहीं होता। (असनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-427, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-108)

### क्या गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है?

सवाल: इमाम साहब ने नमाज़ के बाद ये हदीस पढ़ कर सुनाई कि दो शख्स जिन्होंने नमाज़े जुहर या अस्त्र आप (स.अ.व.) की इक़्तिदा में पढ़ी थी। नमाज़ के बाद आप ने उनसे फ़रमाया तुम्हारा वुजू और नमाज़ नहीं हुई कि तुम ने गीबत की थी, और अपना रोज़ा पूरा कर लो, दूसरे दिन उसकी कज़ा करना। क्या गीबत करने से नमाज़ और रोज़ा नहीं होगा? क्या इआदा ज़रूरी है?

जवाब: हदीस में वुजू, नमाज़ और रोज़े के इआदा का हुक्म खास के लिए है हकीकतन, और अवाम के

लिए ज़जरन और एहतियातन है। गीबत हराम है, इससे इबादत में खलल वाके होता है। लिहाज़ा गीबत से बचने का पूरा एहतेमाम किया जाए, ये मतलब नहीं कि वुजू, नमाज़ और रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। उलमा ने लिखा है कि रोज़ा के तीन दरजात हैं।

(1) आदमी रोज़ा की नीयत से खाने पीने और जिमाअ से दिन भर रुका रहे, ये अवाम का रोज़ा है।

(2) आदमी रोज़ा की नीयत से खाने पीने और जिमाअ से रुकने के अलावा आँख, नाक, कान, ज़बान, हाथ, पैर और तमाम आज़ा को तमाम गुनाहे कबीरा व सगीरा से रोके रखे। ये सालेहीन और नेक मोमिनीन का रोज़ा है।

(3) रोज़े की नीयत से खाने पीने और जिमाअ से दिन भर रुकने के अलावा तमाम आज़ा को गुनाहों से रोके और कल्ब को भी दुन्यवी ख्यालात और फ़िकरों से रोके। इस तरह कि अल्लाह के अलावा कोई ख्याल ही कल्ब में न आए। एक हदीस में हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि "रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया जो रोज़ा रख कर बातिल कलाम और बातिल काम न छोड़े (यानी गीबत और गुनाह करता रहे) तो उसके भूके प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं। मालूम हुआ कि रोज़ा मक़बूल होने के लिए आदमी खाना पीना और जिमाअ छोड़ने के अलावा मासियात और मुनकरात मिस्ल झूट, गीबत, चुगलखोरी वगैरा से भी ज़बान की हिफ़ाज़त करे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-196)

### एक हदीस की तररीह

सवाल: हदीस "हाथ में प्याला हो और अज़ान हो

जाए तो पानी पी ले।" इससे बज़ाहिर मालूम होता है कि सुब्ह सादिक के बाद भी ख़ना पीना जाइज़ है हदीस का क्या मतलब है?

जवाब: हज़रत मुहदिसीन ने इस हदीस की मुख़ालिफ़ तौजीहें ब्यान फ़रमाई हैं।

(1) जब रोज़ादार को ज़न्ने ग़ालिब हो कि अज़ान वक़्त से पहले हुई है।

(2) हज़रत बिलाल (रज़ि.) की अज़ान मुराद है, जो सुब्ह सादिक से पहले जगाने के लिए होती थी।

(3) यह इफ़तार से मुतअल्लिक है। मक़सद ये है कि इफ़तार की हालत में अज़ान सुनने या उसका जवाब देने के लिए इफ़तार में तवक्कुफ़ नहीं करना चाहिए।

नोट: बंदा के ख़्याल में इसकी मन्दरजा ज़ैल तौजीहें भी हो सकती हैं।

(1) उसका रोज़ा से कोई तअल्लुक नहीं, बल्कि मक़सद ये है कि जब पानी पीने के लिए प्याला हाथ में ले लिया हो और उस हाल में अज़ान शुरू हो जाए तो पानी पी ले, अज़ान के सुनने और जवाब के लिए पानी न छोड़े।

(2) हदीस में "निदा" का लफ़ज़ है जिससे इक़ामत मुराद ली जा सकती है, यानी ऐसी हालत में इक़ामत शुरू हुई कि प्याला हाथ में है तो पानी पी कर इत्मीनान से जमाअत में शरीक हो।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-444)

### रमज़ानुलमुबारक में दिन में होटल खोलना

सवाल: रमज़ानुलमुबारक में दिन में होटल खोलना कैसा है? होटल में बिला तफ़रीके मज़हब व मिल्लत हर



किस्म के लोग आते हैं, अगर खुला रखना नाजाइज़ हो तो, क्या सिर्फ़ ग़ैर मुस्लिमों के लिए खोल सकते हैं?

**जवाब:** माहे रमज़ानुलमुबारक के एहतिराम की खातिर दिन के वक़्त होटल बंद रखना ज़रूरी है, ख़्वाह खाने पीने वाले किसी भी मज़हब के हों।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-197)

### ईदल फ़ित्र के रोज़े

ईद के महीने (शौवाल) में ईद के दिन के बाद ख़त्म महीने तक चाहे जिस तारीख़ में छः रोज़े रख लेने चाहिएं, ये रोज़ा रमज़ान शरीफ़ के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद ऐसे हैं जैसे फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सुन्नतें और नफ़लें होती हैं।

मिशकात शरीफ़ में सफ़हा-179 में है- जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर ईद के बाद छः रोज़े रखे तो उसने गोया हमेशा (पूरे साल) के रोज़े रखे।

**तशरीह:** साल भर के रोज़ों के बराबर हो जाने का मतलब ये है कि अल्लाह तआला के यहां हर नेकी का सवाब दस गुना दिया जाता है। रमज़ान के एक महीने के रोज़े तो दस महीनों के बराबर होंगे। बाकी बचे दो माह तो ये छः रोज़े दस गुने हो गए यानी एक साल के बराबर हो जाते हैं। कितना सहल काम और मेहनत बहुत कम और सवाब ज़्यादा।

### शरा ईद के रोज़े कब से शुरू करे

**सवाल:** माहे शौवाल में छः रोज़े नफ़ली रखे जाते हैं, इन रोज़ों को ईद के अगले ही दिन से शुरू करे? अगर अगले दिन से शुरू न करे तो बाकी महीने में रखे या नहीं?

जवाब: शौवाल के छः रोज़े शश ईद के नाम से मशहूर हैं। दुर्रमुख्तार में लिखा है कि मुतफर्रिक तौर पर उनका रखना बेहतर और मुस्तहब है और पै-दर-पै यानी मुसलसल रखना भी मकरूह नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-491, बहवाला रहुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-171)

### शश ईद में कज़ा रोज़ों का हक़म

सवाल: रमज़ान में छः रोज़े कज़ा हुए और उनको शौवाल में कज़ा रखे, तो हदीस के बमोजिब शश ईद के रोज़ों का सवाब मिलेगा या नहीं?

जवाब: रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं उसकी नफ़ल में नीयत करने से रमज़ान का रोज़ा सही न होगा। और अगर नीयत नफ़ल शश ईद की गई हो तो रमज़ान के कज़ा अदा न होंगे। (फ़तावा दारुलउलूम, क़दीम अज़ीज़िया जिल्द-3 सफ़हा-40)



## चौदहवाँ बाब

### नज़ के रोज़ों के मसाइल

#### नज़ की दो किस्में

नज़ की दो किस्में हैं मुअल्लक और गैर मुअल्लक। मुअल्लक वह नज़ है जिसमें किसी शर्त का एतेबार किया गया हो। ख्वाह वह शर्त मक्सूद हो जैसे कोई मरीज़ कहे कि अगर मुझ को इस मरज़ से सेहत हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूंगा। या गैर मक्सूद, जैसे कोई कहे कि अगर मैं नमाज़ न पढ़ूँ तो इस कदर रोज़े रखूंगा। नज़ गैर मुअल्लक किसी ज़माने या किसी जगह के साथ खास नहीं होती, अगरचे मुतकल्लिम (नज़ मानने वाला) तख़सीस करे मिसाल— (1) कोई शख्स ये नज़ करे कि मैं जुमा के दिन रोज़ा रखूंगा और वह दोशंबा के दिन रख ले तब भी नज़ पूरी हो जाएगी।

(2) कोई शख्स नज़ करे कि मैं मक्का मुअज़्जमा में रोज़े रखूंगा और वह अपने घर में ही रख ले तब भी जाइज़ है। नज़ गैर मुअल्लक रोज़ों में अलबत्ता इस शर्त की पाबंदी करना होगी, जिसका उसमें लिहाज़ किया गया हो, जो शख्स ये नज़ करे कि मैं फ़लाँ मक्सद में कामियाब हो जाऊँ तो इस कदर रोज़े रखूंगा, और कामियाबी से पहले रोज़े रख ले तो उसकी नज़ पूरी न होगी, और

कामियाबी के बाद फिर उसको रोज़े रखने होंगे।

नज़्र और कसम में फ़र्क़ ये है कि कसम के रोज़ों को अगर फ़ासिद कर दे तो कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा, और अगर उम्र भर न रखे तो उसके कफ़ारा की वसीयत कर जाना उस पर ज़रूरी है। बख़िलाफ़े नज़्र के कि उसके रोज़ों के फ़ासिद करने में सिर्फ़ कज़ा लाज़िम होती है, कफ़ारा लाज़िम नहीं होता। हाँ वसीयत करना इस में भी ज़रूरी है। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-43)

### नज़्र की शर्तें

(1) पहली शर्त ये है कि जिस चीज़ की नज़्र करे उसकी जिन्स से शरअन कोई वाजिब हो, इसलिए कि मरीज़ की अयादत की नज़्र सही नहीं। (2) दूसरे ये कि वह मक्सूद बिज़्ज़ात हो, वसीला न हो पस वुजू और सज्दए तिलावत की नज़्र सही न होगी। (3) तीसरे ये कि जिस चीज़ की नज़्र करे वह फ़िलहाल या किसी और वक़्त में वाजिब न हो। पस अगर कोई जुहर की नमाज़ या किसी वक़्त की नमाज़ की नज़्र करे तो सही नहीं। (4) चौथी ये कि जिस चीज़ की नज़्र करे वह अपनी ज़ात में गुनाह का काम न हो। पस अगर कोई यूँ कहे कि अल्लाह के लिए कुरबानी के दिन रोज़ा रखूंगा, और रोज़ा न रखे और फिर कज़ा करे तो ये नज़्र सही है इसके लिए रोज़ा रखना बिज़्ज़ात मशरूअ है और मना दूसरी वजह से हो गया है। (5) पाँचवीं शर्त ये है कि ये ज़रूरी है कि जिस काम के लिए नज़्र करे उस काम का होना मुहाल न हो, मसलन किसी गुज़श्ता रोज़ रोज़े की नज़्र की तो ये नज़्र सही न होगी।

(आलमगीरी उर्दू जिल्द-2 सफ़हा-25)

**कोई नज़्र पूरी न करे तो?**

जब कोई नज़्र माने तो उसका पूरा करना वाजिब है अगर न पूरा करेगा तो गुनहगार होगा। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-8, बहवाला नूरुलईजाह सफ़हा-150)

**नज़्र की नीयत का तरीका**

(1) नज़्र दो तरह की है, एक तो ये कि दिन मुक़र्रर कर के नज़्र मानी कि या अल्लाह आज अगर फ़लौं काम हो जाएग तो कल ही रोज़ा रखूंगा। या इस तरह कहे कि या अल्लाह मेरी फ़लौं मुराद पूरी हो जाए तो परसों जुमा के दिन रोज़ा रखूंगा। ऐसी नज़्र में अगर रात से रोज़ा की नीयत न की तो दोपहर से एक घंटा पहले नीयत करे, ये भी दुरुस्त है। नज़्र अदा हो जाएगी।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-8, कंज़ुदकाइक सफ़हा-66)

(2) दूसरी नज़्र ये है कि दिन तारीख़ मुक़र्रर कर के नज़्र नहीं मानी, बस इतना ही कहा कि या अल्लाह अगर मेरा काम हो जाए तो एक रोज़ा रखूंगा, या किसी काम का नाम नहीं लिया वैसे ही कह दिया कि पाँच रोज़े रखूंगा। ऐसी नज़्र में रात से नीयत करना शर्त है, अगर सुबह हो जाने के बाद नीयत की तो नज़्र का रोज़ा नहीं हुआ, बल्कि वह रोज़ा नफ़ल हो गया। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-8, बहवाला शरह वकाया जिल्द-1 सफ़हा-36 व आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-210)

**वाहियात नज़्र का हुक्म**

किसी काम पर इबादात की कोई नज़्र मानी, फिर वह काम हो गया जिसके लिए मिन्नत मानी थी, तो अब

मिन्नत का पूरा करना वाजिब है, अगर मिन्नत पूरी नहीं करेगा तो बहुत गुनहगार होगा, लेकिन अगर कोई वाहियात नज़्र हो जिसका शरीअत में कुछ एतेबार नहीं तो उसका पूरा करना वाजिब नहीं।

(बहिश्ती जेवर हिस्सा-3 सफ़हा-47, बहवाला जौहरतुन्नैयरा जिल्द-2 सफ़हा-263)

### पाँच रोज़ों की मिन्नत रखने का तरीका

अगर किसी ने कहा कि या अल्लाह अगर मेरा फ़लों का काम हो जाए तो मैं पाँच रोज़े रखूंगा, तो जब काम हो जाए तो पाँच रोज़े रखने पड़ेंगे। और अगर न हो तो न रखे। अगर फ़क़त इतना ही कहा था कि पाँच रोज़ा रखूंगा तो इसमें इख़्तियार है कि पाँचों रोज़े एक साथ लगातार रखे चाहे एक एक दो दो कर के पूरे पाँचों रोज़े रख ले। दोनों सूरतों में दुरुस्त हैं। और अगर नज़्र करते वक़्त ये कह दिया कि पाँचों रोज़े लगातार रखूंगा या दिल में ये नीयत थी, तो सब एक साथ रखने पड़ेंगे। अगर पाँच में एक आध छूट जाए तो दोबारा रखने पड़ेंगे।

(दुर्रेमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-155)

### नज़्र के बाद नफ़ल रोज़े की नीयत करना

जुमा के दिन रोज़ा रखने की नीयत (नज़्र) की और जब जुमा आया तो बस इतनी नीयत कर ली कि आज मेरा रोज़ा है, ये मुकर्रर नहीं किया कि ये नज़्र का रोज़ा है, या कि नफ़ल की नीयत कर ली तब भी नज़्र का रोज़ा अदा हो गया। अलबत्ता जुमा को अगर क़ज़ा रोज़ा रख लिया और नज़्र का रोज़ा रखना याद नहीं रहा, या याद था मगर क़स्दन क़ज़ा का रोज़ा रख लिया तो नज़्र

का रोज़ा अदा न होगा, बल्कि कज़ा का रोज़ा हो जाएगा, नज़्र का रोज़ा फिर रखे। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-8, बहवाला शरह वक़ाया जिल्द-1 सफ़हा-306)

### ईद के दिन रोज़ा रखने की नज़्र मानना

अगर कोई शख्स ईद के दिन रोज़ा रखने की मिन्नत माने, तब भी उस दिन रोज़ा दुरुस्त नहीं, उसके बदले किसी और दिन रखना चाहिए। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-9, बहवाला शरह वक़ाया जिल्द-1 सफ़हा-318)

### पूरे साल रोज़ा रखने की नज़्र मानना

अगर किसी ने ये मिन्नत मानी कि मैं पूरे साल रोज़े रखूंगा, साल में किसी दिन का भी रोज़ा न छोड़ूंगा तब भी ये पाँच रोज़े न रखे: (ईद के दिन, ज़िलहिज्जा की दस, ग्यारह, बारहर, तेरह) बाकी सब रखे, फिर इन पाँच रोज़े की कज़ा रख ले। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-9, बहवाला शरह वक़ाया जिल्द-1 सफ़हा-318)

### नज़्र में जुमा की कैद लगाना

अगर ये कहा जाए कि जुमा का रोज़ा रखूंगा, या मुहर्रम की पहली तारीख़ से दसवीं तारीख़ तक रोज़े रखूंगा, तो ख़ास जुमा को रोज़ा रखना वाजिब नहीं, और मुहर्रम की ख़ास उन्हीं तारीख़ों में रोज़ा रखना वाजिब नहीं, जब चाहे दस रोज़े रख ले, लेकिन दसों लगातार रखना पड़ेंगे, चाहे मुहर्रम में रखे चाहे और किसी महीने में रखे सब जाइज़ है, इसी तरह अगर ये कहा कि आज मेरा ये काम हो जाए तो कल ही रोज़ा रखूंगा। जब भी इख़्तियार है जब चाहे रख ले।

नीज़ किसी ने नज़्र करते वक़्त यूँ कहा कि मुहर्रम के

महीने के रोज़े रखूंगा तो मुहर्रम के पूरे महीने के रोज़ा लगातार रखना पड़ेंगे। बीच में किसी वजह से दस पाँच रोज़े छूट जाएँ तो उसके बदले इतने रोज़े रख ले, सारे रोज़े न दुहराए, और ये भी इख़्तियार है कि मुहर्रम के महीना में न रखे किसी और महीने में रख ले। लेकिन सब लगातार रखे। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-48, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द-1 सफ़हा-299)

### नज़्र मान कर बीमार हो गया

सवाल: जो शख़्स नज़्र रोज़ा की करने के बाद बीमार हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है?

जवाब: सेहत का इन्तिज़ार करे और सेहत के बाद नज़्र का रोज़ा रखे, अगर अच्छा न हो तो वसीयत फ़िदया की करे कि उसके माल में से उसके वारिस फ़िदया अदा करें। और फ़िदया एक रोज़ा का फ़ित्रा के बराबर है, जिन्दगी में फ़िदया देना उसको दुरुस्त नहीं है, यानी इस फ़िदया से रोज़े अदा न होंगे, तंदुरुस्त हो कर फिर रोज़े रखने होंगे, वरना वसीयत करना लाज़िम होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम, कदीम फ़तावा अज़ीज़िया जिल्द-3 सफ़हा-74)



## पन्द्रहवाँ बाब

### नफ़ल रोज़े के मसाइल

फ़र्ज़ रोज़ा जान बूझ कर तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी शरीअत ने सज़ा (कफ़ारा) मुकर्रर की है, लेकिन नफ़ली रोज़ा बग़ैर किसी सख़्त मजबूरी के भी तोड़ सकते हैं। मसअला में गुंजाइश है, जबकि अपने पर क़ज़ा रखने का पूरा भरोसा हो, मगर रखने के बाद तोड़ना अच्छा नहीं है, हाँ अगर कोई बहुत ही ज़रूरत पेश आ जाए तो शरीअत ने रुख़्सत दे दी है, मसलन कोई मेहमान ऐसा आ जाए कि उसके साथ खाना नहीं खाया तो अफ़सोस करेगा, या किसी ने दावत की कि अगर उसमें शिरकत न की तो मेहमान नवाज़ की दिलशिकनी होगी। तो नफ़ल रोज़ा तोड़ देना जाइज़ है, मगर क़ज़ा रखना वाजिब है। क्योंकि नफ़ल शुरू करने के बाद वाजिब हो जाता है।

मेरे मोहतरम व मुकर्रम उस्ताद फ़कीहुलउम्मत मुफ़्ती महमूद साहब दामत बरकातुहुम मुफ़्तीए आज़म दारुलउलूम, देवबंद, दारुलइफ़ता में अपने साथियों को बाज़ मरतबा हुक्म दे कर नफ़ली रोज़ा तुड़वा देते हैं और फिर फ़रमाया करते हैं कि उसकी क़ज़ा रखना, अब तुम को डबल सवाब मिलेगा। पहले तो सिर्फ़ नफ़ली रोज़ा था उसका ही सवाब

मिलता, लेकिन नफ़ल शुरू करने के बाद वाजिब हो जाता है और उसका पूरा करना भी वाजिब ही है।

**तंबीह:** बाज़ हज़रात बीमारी या सफ़रे शरई में रोज़ा की वजह से बिल्कुल लबेदेहन हो जाते हैं। मगर रोज़ा नहीं तोड़ते, ये तरीका ग़लत और ख़िलाफ़े शरीअत है, क्योंकि शरीअत ने मरीज़ और मुसाफ़िर को इजाज़त दे रखी है। इससे फ़ाएदा उठाना चाहिए।

मुहम्मद रफ़अत कासमी (मुरत्तिब)

### नफ़ल रोज़ा के बारे में आँहज़रत (स.अ.व.) का मामूले

हज़रत आएशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी करीम (स.अ.व.) जब नफ़ल रोज़े रखने शुरू करते तो हम कहते कि अब आप रोज़े रखना ख़त्म नहीं करेंगे और जब रोज़े रखने पर आते तो हम कहते कि अब कभी रोज़े नहीं रखेंगे।

**तशरीह:** मतलब ये है कि आँहज़रत (स.अ.व.) हमेशा नफ़ल रोज़ा नहीं रखते थे, बल्कि इस सिलसिले में आप (स.अ.व.) का मामूले मुबारक ये था कि कभी तो मुसलसल काफ़ी अरसा तक रोज़े रखते थे यहां तक कि आप (स.अ.व.) के रोज़ों की कसरत और तसलसुल को देख कर लोग गुमान करने लगते थे कि अब रोज़ों का ये सिलसिला शाएद आप (स.अ.व.) कभी भी ख़त्म न करें। और कभी ऐसा होता है कि आप मुसलसल काफ़ी अरसा तक रोज़ा रखते ही नहीं थे, यहाँ तक कि लोग सोचते कि शाएद अब आप (स.अ.व.) कभी नफ़ल रोज़ा रखेंगे ही नहीं।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद जिल्द-2 किस्त-5 सफ़हा-43)

### नफ़ल रोज़ा में ख़फ़ीफ़ उज़्र

सही ये है कि नफ़ल रोज़े का भी बग़ैर उज़्र के इफ़तार करना जाइज़ नहीं, हाँ इस क़दर फ़र्क़ है कि नफ़ल रोज़ा में ख़फ़ीफ़ उज़्र के सबब भी इफ़तार करना जाइज़ है। बख़िलाफ़ फ़र्ज़ रोज़ा के, मसलन रोज़ादार किसी की दावत करे और मेहमान बग़ैर उसकी शिरकत के खाना न खाए, या रंजीदा हो जाए, तो ऐसी हालत में अगर उसको अपने नफ़स पर कामिल वसूक हो कि उसकी क़ज़ा रख लेगा तो नफ़ल रोज़ा तोड़ डाले वरना नहीं।

(इल्मुलफ़िक्ह हिस्सा-3 सफ़हा-42)

### नफ़ल रोज़ा की नीयत का तरीक़ा

नफ़ल रोज़े की नीयत अगर ये मुक़र्रर कर के करे कि मैं नफ़ल का रोज़ा रखता हूँ, जब भी सही है, अगर फ़क़त इतनी नीयत करे कि मैं रोज़ा रखता हूँ जब भी सही है। नफ़ल रोज़ा में दोपहर से एक घंटा क़ब्ल तक नफ़ल की नीयत कर लेना दुरुस्त है, तो अगर दिन के दस बजे तक मसलन रोज़ा रखने का इरादा न था लेकिन अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, फिर दिल में ख़्याल आ गया और रोज़ा रख लिया तो भी दुरुस्त है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-9, बहवाला कुदूरी सफ़हा-45 व फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-164)

नफ़ल का रोज़ा नीयत करने के बाद वाजिब हो जाता है। सो अगर सुब्ह सादिक़ से पहले रोज़ा रखने की नीयत कर ली कि आज मेरा रोज़ा है, फिर उसके बाद तोड़ दिया, तो अब उसकी क़ज़ा रखे, नीज़ अगर किसी ने रात को इरादा किया कि मैं कल रोज़ा रखूंगा। लेकिन

सुबह सादिक होने से पहले इरादा बदल गया और रोज़ा नहीं रखा तो कज़ा वाजिब नहीं।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-9 कुदूरी सफ़हा-45 व आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-193)

### औरत का नफ़ल रोज़ा

औरतों को बग़ैर शौहर की इजाज़त के नफ़ल रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, अगर बग़ैर इजाज़त के रोज़ा रखा तो शौहर के तुड़वाने से तोड़ देना दुरुस्त है, फिर जब शौहर इजाज़त दे तब उसकी कज़ा रखे।

**नोट:** ये हुक़म जब है कि जब शौहर मकान पर मौजूद हो। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-10, बहवाला फ़तावा ख़ानिया बर-हाशिया आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-194)

### ईद के दिन नफ़ल रोज़ा रखना

किसी ने ईद के दिन नफ़ल रोज़ा रख लिया और नीयत कर ली, तब भी तोड़ देना ज़रूरी है, और उसकी कज़ा रखना भी वाजिब नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-10, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-208)

### मुहर्रम और जिलहिज्जा के रोज़े

मुहर्रम की दस्वीं तारीख़ को रोज़ा रखना मुस्तहब है, हदीस शरीफ़ में आया है कि- "जो कोई ये रोज़ा रखे उसके गुज़रे हुए एक साल के गुनाह मआफ़ हो जाते हैं।" उसके साथ नौवीं या ग्यारहवीं तारीख़ का रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। इसी तरह बकरईद की नौवीं तारीख़ का रोज़ा रखने का भी बड़ा सवाब है, इससे एक साल के अगले और एक साल के पिछले गुनाह मआफ़ हो जाते हैं। और अगर शुरू चाँद से नौवीं तारीख़ तक

बराबर रोज़े रखे तो बहुत ही बेहतर है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-10, बहवाला फ़तावा हिन्दीया सफ़हा-200 व आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-200)

### शबेबराअत के रोज़े

शबेबराअत (शाबान) की पन्द्रहवीं और ईद के छः दिन नफ़ल रोज़े रखने का भी और नफ़लों से यानी जिन रोज़ों की कोई ख़ास बुज़रगी साबित नहीं, ज़्यादा सवाब है, और इसी तरह हर महीने की तेरहवीं, चौदहवीं, पन्द्रहवीं तीन दिन रोज़ा रख लिया करे तो गोया उसने साल भर बराबर रोज़े रखे। हुज़ूर (स.अ.व.) ये तीन रोज़े रखा करते थे। एसे ही हर दो शंबा व जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखा करते थे, अगर कोई हिम्मत करे तो उनका भी सवाब है।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-10, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-200 व मराकियुलफ़लाह सफ़हा-193)

### कुछ और रोज़ों का हक़म

अगर महीने की तेरहवीं, चौदहवीं, पन्द्रहवीं तीन दिन रोज़ा रख लिया करे, तो गोया उसने साल भर बराबर रोज़े रखे। हुज़ूर (स.अ.व.) ये तीन रोज़े रखा करते थे। इसी तरह हर दोशंबा व जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखा करते थे, अगर कोई हिम्मत करे तो उनका भी सवाब बहुत है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-10, बहवाला मराकियुलफ़लाह सफ़हा-194)

## सोलहवाँ बाब

वह उज़्र जिनकी वजह से रोज़ा न रखने की इजाज़त

होती है

ये मजबूरियाँ ऐसी हैं कि उनमें रमज़ान के अन्दर रोज़ा न रखने की इजाज़त हो जाती है:

(1) बीमारी की वजह से रोज़ा की ताक़त न हो, या मरज़ बढ़ने का शदीद ख़तरा हो, तो रोज़ा न रखना जाइज़ है। रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा लाज़िम है।

(2) जो औरत हमल से हो और रोज़ा में बच्चा को, या अपनी जान को नुक़सान पहुंचने का अंदेशा हो, तो रोज़ा न रखे, बाद में क़ज़ा करे।

(3) जो औरत अपने या किसी ग़ैर के बच्चा को दूध पिलाती है, अगर रोज़ा से बच्चा को दूध नहीं मिलता, तकलीफ़ पहुंचती है, तो रोज़ा न रखे, फिर क़ज़ा करे।

(4) मुसाफ़िर शरई (जो कम अज़ कम अड़तालीस मील के सफ़र की नीयत पर घर से निकला हो) उसके लिए इजाज़त है कि रोज़ा न रखे, फिर अगर कुछ तकलीफ़ व दिक्क़त न हो, तो अफ़ज़ल ये है कि सफ़र ही में रोज़ा रखे, लेकिन अगर खुद अपने आप को या अपने साथियों को इससे तकलीफ़ हो तो रोज़ा न रखना ही अफ़ज़ल है।

(5) रोज़ा की हालत में सफ़र शुरू किया, तो उस

रोज़ा का पूरा करना ज़रूरी है, और अगर कुछ खाने पीने के बाद सफ़र से वतन वापस आ गया, तो बाकी दिन खाने से एहतिराज़ करे। और अगर कुछ खाया पिया नहीं था कि वतन में ऐसे वक़्त आ गया जबकि रोज़ा की नीयत हो सकती है, यानी ज़वाल से डेढ़ घंटा क़ब्ल, तो उस पर लाज़िम है कि रोज़ा की नीयत कर ले।

(6) किसी को क़त्ल की धमकी दे कर रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, तो उसके लिए तोड़ देना जाइज़ है फिर कज़ा करे।

(7) किसी बीमारी या भूक प्यास का इतना ग़ल्बा हो जाए कि किसी मुसलमान दीनदार माहिर तबीब या डॉक्टर के नज़दीक जान का ख़तरा लाहिक़ हो तो रोज़ा तोड़ देना जाइज़ बल्कि वाजिब है, फिर कज़ा लाज़िम होगी।

(8) औरत के लिए अयामे हैज़ में और बच्चा की पैदाइश के बाद जो ख़ून आता है यानी निफ़ास के दौरान में रोज़ा रखना जाइज़ नहीं। इन दिनों में रोज़ा न रखे, बाद में कज़ा करे। बीमार, मुसाफ़िर, हैज़ और निफ़ास वाली औरत के लिए रमज़ान में रोज़ा न रखना और खाना पीना जाइज़ है, उनको भी लाज़िम है कि रमज़ान का एहतेराम करें, सब के सामने खाते पीते न फ़िरें।

(जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-381)

### रोज़ा न रखने में अपनी राय

अगर ऐसी बीमारी है कि रोज़ा नुक़सान करता है, और ये डर है कि अगर रोज़ा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, या देर में सेहत होगी, या जान जाती रहेगी, तो रोज़ा न रखे, जब सेहत हो जाए तो उसकी कज़ा रख ले, लेकिन

फकत अपने दिल से ऐसा ख्याल कर लेने से रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार तबीब कह दे कि तुम को रोज़ा नुक्सान करेगा, तब छोड़ना चाहिए। नीज़ अगर हकीम या डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना खुद तजरबा है और कुछ निशानियाँ मालूम हुईं जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोज़ा नुक्सान करेगा, तब भी न रखे। और अगर खुद तजरबा कार न हो, और उस बीमारी का कुछ हाल मालूम न हो, तो फकत ख्याल का एतेबार नहीं। अगर दीनदार हकीम के बग़ैर बताए और बग़ैर तजरबा के अपने ख्याल ही ख्याल पर रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया, तो कफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर रोज़ा न रखेगा तो गुनहगार होगा।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-18, बहवाला दुर्मुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-153)

जिन सूरतों में रोज़ा न रखना जाइज़ है उन सूरतों में दूसरों के सामने अपने बे-रोज़ा होने को जाहिर करना जाइज़ नहीं है, क्योंकि इसमें डबल गुनाह है, एक तो ये कि गुनाह कर के उसको जाहिर करना भी गुनाह है और अगर सब से कह दे तो दोहरा गुनाह है।

अवाम में जो मशहूर है कि खुदा से चोरी नहीं, तो बंदों से क्या चोरी, ये ग़लत बात है, हर वह बात जो खुदा को मालूम है, क्या बंदों के सामने जाहिर की जाती है? बल्कि जो किसी उज़्र से रोज़ा न रखे उसको मुनासिब है कि सब के रू-ब-रू न खाए।

मुहम्मद रफ़अत कासमी (मुरत्तिब)





## सत्तरहवॉ बाब

### बह उज़ जिसकी वजह से रोज़ा तोड़ देना जाइज़ है

(1) अचानक ऐसा बीमार पड़ जाए कि अगर रोज़ा न तोड़े गा तो जान खतरा में हो जाएगी, या बीमारी बढ़ जाएगी। तो रोज़ा तोड़ देना बेहतर है, जैसे अचानक पेट में ऐसा दर्द उठे कि बेताब हो जाए, या साँप ने काट लिया, तो ऐसी सूरत में दवा पी लेना और रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है, ऐसे ही अगर ऐसी प्यास लगी कि हलाकत का डर है, तो भी तोड़ देना दुरुस्त है।

(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-17, हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-201 व मराकियुलफ़लाह सफ़हा-212)

(2) हामिला औरत को कोई ऐसी बात पेश आ गई कि जिससे अपनी जान का, या बच्चा की जान का डर है, तो रोज़ा तोड़ डालना बेहतर है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-17, बहवाला शरहुलबिदाया जिल्द-1 सफ़हा-202)

(3) खाना पकाने की वजह से बेहद प्यास लग आई और इतना बेताब हो गया कि अब जान का ख़ौफ़ है तो रोज़ा खोल डालना दुरुस्त है, लेकिन अगर खुद क़स्दन उसने इतना काम किया जिससे ऐसी हालत हो गई तो गुनहगार खुद होगा। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-17, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-159 व दुर्मुख़ार जिल्द-2 सफ़हा-152)



अदररहवाँ बाब

मकरुहाते रोज़ा

रोज़ा की हिफ़ाज़त कीज़िए

हर चीज़ का काएदा है कि अपना सही असर उसी वक़्त दिखाती है जब कि उसको नुक़सान देने वाली और उसके असर को ख़त्म करने वाली चीज़ों से महफूज़ रखा जाए। अगर हिफ़ाज़त न की जाए तो फ़ाएदा के बजाए नुक़सान भी हो सकता है, मसलन डॉक्टरी एलाज के बाद अगर उसके बताए हुए परहेज़ पर अमल न किया जाए तो नतीजा जाहिर है।

रोज़ा एक बहुत ही अहम और कीमती और अपने अन्दर बेशुमार फ़ाएदे लिए हुए है, लेकिन अगर उसकी हिफ़ाज़त न की गई, शरई बताया हुआ परहेज़ न किया गया, यानी खाने पीने और मुत्ताफ़ीए रोज़ा के साथ साथ लग़वीयात, बेहूदा गोई, लड़ाई, झगड़ा, झूट, गीबत, चुगलखोरी, धोका देही और इसी किस्म की और चीज़ों से अगर न बचा गया, तो रोज़ा तो हो जाएगा, मगर रोज़ा का जो फ़ाएदा होना चाहिए था वह नहीं होगा।

मिशकात शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-177 में इस बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं, मसलन- "आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें सिवाए भूक

व प्यास के कुछ नहीं मिलता है, और रातों को जागने और इबादतें करने वाले कितने ही ऐसे हैं, जिन्हें जागने की परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं। जो शख्स रोज़ा रखे और बेकार बातें और बेहूदा हरकतें न छोड़े तो अल्लाह को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई परवाह नहीं।”

मतलब पूरी तरह वाज़ेह है कि, जब तक रोज़ा के साथ साथ उसका पूरा पूरा परहेज़ ने किया जाए, तो उस रोज़ा का कोई फ़ाएदा नहीं होगा।

गौर करने की बात ये है कि जो काम मसलन खाना पीना वगैरा रोज़ा की नीयत से पहले हलाल थे, नीयत के बाद उनसे भी रोक दिया गया, और जो रोज़ा से पहले ही से हराम व नाजाइज़ हैं, उनकी किस क़दर बुराई बढ़ गई होगी। लेकिन कितने ही अफ़राद ऐसे हैं जो सिर्फ़ खाने पीने और जिमाअ से रुकने के अलावा बाकी किसी बुराई से नहीं बचते हैं, उनमें औरतों का तो क्या ही कहना, बल्कि मर्द हज़रात भी वक़्त काटने के लिए मशगूल हो जाते हैं। ये बातें बज़ाहिर मामूली सी मालूम होती हैं लेकिन वह बहुत ही नुक़सान देह और रोज़ा का अज़र व सवाब को ख़त्म कर देने वाली हैं।

मुहम्मद रफ़अत कासमी (मुरत्तिब)

**वह चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता मगर मकरूह हो जाता है**

(1) किसी चीज़ का चखना, जबकि वह मेअदा में न जाए, ख़्वाह रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ़ल, अलबत्ता अगर ऐसा करना ज़रूरी हो तो जाइज़ है, मसलन किसी औरत का ख़ाविंद बदमिज़ाज हो तो खाने का नमक चख लिया करे और यही हुक्म बावरची, नान बाई का भी है।

(2) किसी चीज़ का चखना बगैर किसी उज़र के, अगर माजूरी हो तो, जैसे कोई औरत अपने बच्चे को चबा कर कुछ खिलाना चाहे और कोई बगैर रोज़ादार न हो।

(3) अपनी बीवी का बोसा (प्यार) लेना मकरूह है, ख्वाह ये बोसा फ़ाहिशा हो, मसलन उसके होंटों को चूसना या फ़ाहिशा न हो।

(4) अपने मुंह में जमा शुदा लुआब को निगल जाना मकरूह है, क्योंकि उसमें रोज़ा टूटने का अंदेशा है।

(5) ऐसा कोई काम करना जिसकी बाबत गुमान ये हो कि उससे रोज़ा की हालत में कमज़ोरी हो जाएगी, अगर कमज़ोरी का गुमान ग़ालिब न हो तो मकरूह नहीं।

(6) दिन के वक़्त दाँतों के खनदाने में बीज दनदान का एक मरज़ है दवा लगाना मकरूह है, अगर रात तक रुकने से ज़रर का अंदेशा है, या सख़्त अजीयत का अंदेशा हो, तो दवा का डालना वाजिब है। (अगर दवा का असर पेट में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा)।

(7) कतान (अलसी) का ज़ाएका हो, कातना मकरूहात में से है, और कतान अलसी वह है, जबकि मरतूबात में डाल कर सड़ाया जाता हो, ये मकरूह उस सूरत में जब कि कातने वाला कातने के काम पर मजबूर न हो। वरना मकरूह नहीं है, उस पर लाज़िम है कि उसके असर से मुंह में पानी भर, आए तो उसको मुसलसल थूका जाए।

(8) एक कतान वह होती है जिसको दरया में डाल कर सड़ाया जाता है, ऐसी कतान का कातना मकरूह नहीं है, अगरचे बगैर मजबूरी के हो।

(9) फ़सल का काम भी रोज़ादार के लिए मकरूह है

और उसका मकरूह होना भी उस सूरत में है जबकि मजबूरन ऐसा करना पड़े, मजबूरी हो तो मकरूह नहीं, अलबत्ता खेती के मालिक को इजाज़त है कि काटते वक़्त वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि उसके लिए (गल्ला की) हिफ़ाज़त और देख भाल करना ज़रूरी है।

(10) जिमाअ के मुहर्रिकात मसलन बोसा लेना (और शहवत अंगेज़) ख्यालात में पड़ना, और ऐसी अशिया का देखना मकरूह है, जबकि मज़ी के निकलने या इंज़ाल होने की तरफ़ से इत्मीनाने नफ़्स न हो, और अगर उसमें शक हो, या इत्मीनान नहीं है, या कोई शख्स ये जानता है कि बच नहीं सकेगा, तो ये बातें हराम हैं, ताहम अगर ऐसी सूरत में मज़ी आ जाए, तो रोज़ा की क़ज़ा लाज़िम है, अलबत्ता अगर बिला इरादा और मुसलसल नज़र किए बग़ैर महज़ मज़ी ख़ारिज हो जाए, तो क़ज़ा वाजिब नहीं है, अगर (ऐसी हरकात से) इंज़ाल हो जाए और रमज़ान का रोज़ा हो तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होंगे बशर्ते कि जिन मुहर्रिकाते जिमाअ से इरतिकाब किया गया वह उसके लिए हराम हों, मसलन देखने वाले को अपने नफ़्स पर इत्मीनान न हो कि इंज़ाल या जिमाअ से महफूज़ रहेगा, या ऐसा हो जाने का अंदेशा रहा हो, लेकिन इन मुहर्रिकात का इरतिकाब महज़ मकरूह था बई तौर कि उससे नफ़्स पर इत्मीनान था, कि ऐसा न होगा ताहम ऐसा हो गया तो क़ज़ा वाजिब होगी, बशर्ते कि उन मुहर्रिकात के इरतिकाब में सहल अंगारी से काम न लिया गया हो जिसके बाइस इंज़ाल हो गया, तो इस सूरत में भी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे।

(11) हरी मिस्वाक को इस्तेमाल करना, जो किसी क़दर मुंह में घुल जाती हो, मकरूह है, अगर ऐसी न हो तो तमाम दिन जाइज़ है, बल्कि अग्रे मुस्तहब है।

(12) सुबह होने तक नापाकी की हालत में रहना खिलाफ़ औला है, बेहतर यही है कि रात के अन्दर नहा (गुस्ल) लिया जाए। (किताबुलफ़िक्ह मज़ाहिबिलअरबआ जिल्द-1 सफ़हा-923)

(13) फ़स्द कराना, किसी मरीज़ के लिए अपना ख़ून देना जो आज कल डॉक्टरों में राइज़ है ये भी उसमें दाख़िल है। (यानी मकरूह है)

(14) गीबत, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना ये हर हाल में हराम है, रोज़ा में इसका गुनाह और बढ़ जाता है।

(15) रोज़ा में लड़ना, झगड़ना, गाली देना, ख़्वाह इंसान को हो, या किसी बेजान चीज़ को, या जानदार को, इनसे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है।

(16) रोज़ा में टूथ पेस्ट, टूथ पावडर, या मनजन या काएला से दाँत साफ़ करना भी मकरूह है।

(जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-379)

(17) फ़स्द और पछने (ख़ून निकलवाना) रोज़ादार के लिए मकरूह है, (ये भी मकरूह जब है कि कोई मरीज़ हो)

(18) और ये अंदेशा हो कि शाएद मरज़ की ज़्यादती के बाइस रोज़ा तोड़ना पड़े, अगर ज़्यादतीए मरज़ से महफूज़ रहने का यकीन हो तो दोनों बातें जाइज़ हैं।

(19) लुआबे देहन को मुंह में जमा कर के उसको निगल लेना, और ऐसी चीज़ का जो घुलने वाली न हो,

मकरूह है, और घुलने वाली चीज का चबाना हराम है, अगर उसका शीरा निगल न गया हो।

(20) बिला ज़रूरत खाने को चखना मकरूह है, अगर खाने को किसी खास गरज़ से चखा गया हो तो मकरूह नहीं है। ताहम अगर बिला ज़रूरत ऐसा करने से कुछ हलक तक पहुंच गया, तो रोजा जाता रहा।

(21) खूराक का ज़र्रा दाँतों में फंसा रहने देना, और ऐसी अशिया का सूँघना जिसके हलक में पहुंच जाने की तरफ से इत्मीनान न हो मकरूह है, मसलन मुश्क, काफूर का सुफूफ और ऊद वगैरा के बुखूरात, बख़िलाफ़ उन अशिया के जिनकी तरफ़ से इत्मीनान हो कि (उनका असर) हलक तक नहीं पहुंचेगा, सूँघना मकरूह नहीं है।

(22) बीवी का प्यार लेना (बोसा) और दूसरी महर्रिकाते जिमाअ मसलन चिमटना, लिपटना और हाथ फेरना और बार बार देखना, जबकि इन अशिया से शहत की तहरीक हो, मकरूह है, और अगर ऐसा न हो तो मकरूह नहीं। अगर प्यार और दूसरी मुहर्रिकाते जिमाअ (सोहबत) से अगर इंज़ाल हो जाने का अंदेशा या गुमान हो तो ऐसा करना हराम है। (किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-927)



## उिन्नसर्वो बाब

वह चीज़े जिनसे रोज़ा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता

(1) मिस्वाक करना (2) सुरमा या मोछों पर तेल लगाना (3) आँखों में दवा या सुरमा डालना (4) खुशबू सूंघना (5) गर्मी या प्यास की वजह से गुस्ल करना (6) किसी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाना (7) भूल कर खाना पीना (8) हलक में बिला इख़्तियार धुवां या गर्द व गुबार या मक्खी वगैरा चला जाना (9) कान में पानी डालना या बिला कस्द चला जाना (10) दाँतों से खून निकले मगर हलक में न जाए, तो रोज़ा में खलल आया नहीं (11) सोते हुए एहतेलाम (गुस्ल की हाजत) हो जाना (12) खुद ब-खुद कैय आ जाना। (13) अगर ख्वाब में, या सोहबत से गुस्ल की ज़रूरत हुई और सुबह सादिक होने पहले गुस्ल नहीं किया और ऐसी हालत में रोज़ा की नीयत कर ली तो रोज़ा में खलल नहीं आया।

(जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-379)

(14) कुल्ली करना नाक में पानी डालना, ख्वाह ये अमल वुजू के अलावा में हो, गुस्ल करना (15) बदन पर भीगा हुआ कपड़ रख कर जिस्म को ठंडक पहुंचाना। (16) पछने (खून निकलवाना) लगवाना अगर रोज़ादार को कमज़ोरी न हो। (किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-924)





## बीसवों बाब

### मसहब्बाते रोज़ा

(1) सूरज डूबते ही रोज़ा खोलने में जल्दी करना।

(2) खजूर या छुहारे से इफ़तार करना, उसके बाद पानी का दरजा है।

(3) और जिस चीज़ से रोज़ा इफ़तार किया जाए वह ताक अदद में हो, मसलन तीन या उससे ज़्यादा (कोई ताक) अदद हो।

(4) इफ़तार के बाद दुआए मासूरा का पढ़ना मसलन—

”اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ“

(5) कुछ न कुछ सहरी के वक़्त खाया जाए, ख़्वाह थोड़ा सा ही हो, या सिर्फ़ पानी का एक घूंट हो। क्योंकि आँहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि सहरी खाया करो, बिना शुब्हा सहरी में बरकत है। सहरी का वक़्त आख़िरी निस्फ़े शब है उसमें जितनी भी ताख़ीर की जाए अफ़ज़ल है।

(6) लेकिन इतनी देर न की जाए कि सुब्ह होने का अंदेशा होने लगे।

(7) ज़बान को बेहूदगी से बाज़ रखा जाए, रहा हराम अफ़आल मसलन गीबत और चुग़ली का करना तो उससे तो बचना बहरहाल वाजिब है, और रमज़ान शरीफ़ में तो ख़ास तौर से बचने की ताकीद है।

(8) रिश्तादारों मुहताजों और मिस्कीनों को सदक़ात व

खैरात से नवाज़ना, और हुसूले इल्म में मशगूल रहना और कुरआन शरीफ़ की तिलावत, दुरुद शरीफ़, जिफ़्रे इलाही में हत्तलइमकान दिन रात लगे रहना और एतिकाफ़ करना। (किताबुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-937)



## इक्कीसवाँ बाब

### फ़िदया के मसाइल

#### शैख़ फ़ानी की तारीफ़

उमर रसीदा, नहीफ़ व नातवाँ बूढ़ा, या बुढ़िया, ऐसा बुढ़ापा आ गया हो कि अब ताक़त आने की कोई उम्मीद भी नहीं, या ऐसा बीमार हो गया कि अब सेहत के आसार नज़र नहीं आते, शैख़ फ़ानी का ये मतलब है कि जो ज़िन्दगी के आख़िरी स्टेज पर पहुँच चुका हो, अदाएगीए फ़र्ज से क़तअन मजबूर और आजिज़ हो, और जिस्मानी क़ूवत व ताक़त रोज़ बरोज़ घटती चली जा रही हो यहाँ तक कि ज़ोअफ़ व नातवानी के सबब ये क़तअन उम्मीद न हो कि आइंदा भी कभी रोज़ा रख सके, सिर्फ़ शैख़ फ़ानी ही के लिए जाइज़ है कि अपने रोज़ों का फ़िदया (माली बदला) दे दें।

हाँ उस शख्स के लिए भी फ़िदया दे देना जाइज़ है जिसने हमेशा रोज़ा रखने की नज़र मानी हो, और उससे आजिज़ हो, यानी असबाबे मईशत के हुसूल या किसी और उज़्र की वजह से अपनी नज़र को पूरी न कर सके तो उसके लिए जाइज़ है कि वह रोज़ा न रखे, रोज़ा के बदले फ़िदया दे दिया करे। और फ़िदया की मिक़दार एक फ़ित्रा के बराबर है, या सुब्ह व शाम हर रोज़ा के बदले

एक मिस्कीन को पेट भर कर खिलाए (फ़िदया यानी रोज़ों का माली बदला) इनके अलावा तमाम उज़र का मस्अला ये है कि उज़र जाएल हो जाने के बाद रोज़ों की कज़ा ज़रूरी है। फ़िदया देना दुरुस्त नहीं है, यानी फ़िदया देने से रोज़ा मआफ़ नहीं होगा।

अगर कोई माज़ूर अपने उज़र की हालत में मर जाए तो उस पर उन रोज़ों के फ़िदया की वसीयत करना वाजिब नहीं है, जो उसके उज़र की वजह से फ़ौत हुए हैं, और न उसके वारिसों पर ये वाजिब होगा कि वह फ़िदया अदा करें, ख़्वाह उज़र बीमारी का हो, या सफ़र का, या कोई शरई उज़र हो, हाँ अगर कोई इस हाल में इंतिकाल करे कि उसका उज़र जाएल हो चुका था और वह कज़ा रोज़ा रख सकता था, मगर उसने कज़ा रोज़े नहीं रखे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह उन दिनों के रोज़ों का फ़िदया की वसीयत कर जाए, जिनमें मरज़ से नजात पा कर सेहतमंद रहा था, या सफ़र पूरा कर के मुकीम था और या जो भी उज़र रहा हो वह जाएल हो चुका था।

अगर कोई शख्स शैख़ फ़ानी सफ़र की हालत में इंतिकाल कर जाए तो उसकी तरफ़ से उन दिनों के रोज़ों का फ़िदया देना ज़रूरी नहीं होगा जिनमें वह सफ़र में रहा, क्योंकि जिस तरह अगर कोई दूसरा शख्स सफ़र की हालत में मर जाए तो उसके अँयामे सफ़र के रोज़े मआफ़ होते हैं और उसके लिए भी उन दिनों के रोज़े मआफ़ हैं।

फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-470 में शैख़ फ़ानी की ये तारीफ़ की है कि इस क़दर बूढ़ा हो कि

उसमें बिल्कुल कूवत नहीं रही और करीब मौत के पहुंच गया, उम्र की कोई हद नहीं है, कूवत और अदमे कूवत पर मदार है, जब तक रोज़ा रख सके, अगरचे बतकल्लुफ़ हो रोज़ा रखे। कज़ा के रोज़े मुतवातिर रखना जरूरी नहीं है। मुतफ़रिक् रखे, फ़िदया देना उस वक़्त तक काफी नहीं है जब तक बिल्कुल रोज़ा न रखने की ताक़त रहे और किसी तरह भी रोज़ा न रख सके।

### फ़िदया का काएदा कुल्लीया

और अगर कसम के कफ़ारा के रोज़े थे और शैख़ फ़ानी होने की वजह से रोज़ा से आजिज़ हो गया था तो उनके बदले खाना खिलाना जाइज़ नहीं। और काएदा कुल्लीय ये है कि जो रोज़ा कि खुद अस्ल हो और किसी दूसरे का एवज़ न हो उसके एवज़ में जब रोज़ा रखने से मायूस हो तो खाना दे सकता है। और जो रोज़ा कि दूसरे का बदल हो ख़्वाह अस्ल न हो उसके एवज़ खाना नहीं दे सकता। अगरचे आइंदा रोज़ा रखने से मायूस हो गया हो।

मसलन कसम के कफ़ारा के रोज़ा के बदले में खाना देना जाइज़ नहीं। इसलिए कि वह खुद दूसरे के बदल हैं और कफ़ारए जिहार और कफ़ारए रमज़ान में अपनी गुरबत की वजह से गुलाम आज़ाद करने से, या बूढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने से आजिज़ हो, तो उसके एवज़ में साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकता है, इसलिए कि ये फ़िदया रोज़ा के एवज़ में नस्स से साबित हुआ है।

(अलमगीरी उर्दू पाकिस्तानी जिल्द-2 सफ़हा-24)

### क्या फ़िदया रमज़ान से पहले देना जाइज़ है?

**सवाल:** रमज़ान के रोज़ों के फ़िदया की रक़म अगर

रमज़ान आने से कब्ल एडवांस में दी जाए तो क्या ये सही है या नहीं? यानी अभी रोज़े नहीं आए और रोज़ों का फ़िदया पहले ही दे दिया।

**जवाब:** फ़िदया रोज़ों का बदल है, और रमज़ान के आने से वाजिब होता है, लिहाज़ा रमज़ान शुरू होने से कब्ल फ़िदया देना वजूदुस्सबब होने की वजह से दुरुस्त नहीं, अलबत्ता रमज़ान शुरू होने पर आइंदा अयाम का फ़िदया भी एक दम दे सकते हैं। उसके बरख़िलफ़ सदक़ए फ़ित्र का वजूब अफ़राद पर है, जो रमज़ान से कब्ल देना सही है बल्कि कई सालों का पेशगी भी दे सकते हैं।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-436)

### फ़िदया की मिक्दार

हर रोज़ा के बदले एक मिस्कीन को सदक़ए फ़ित्र के बराबर ग़ल्ला दे दे, या सुब्ह व शाम पेट भर कर खाना उसको खिला दे, शरीअत में उसको फ़िदया कहते हैं। अगर ग़ल्ला के बदले उस कदर ग़ल्ला की कीमत दे दे जब भी जाइज़ है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-20, बहवाला दुर्रमुख्तार जिल्द-1 सफ़हा-163)

मज़ाहिरे हक़ जदीद जिल्द-2 किस्त-5 सफ़हा-21 में काएदा कुल्लीया इस तरह लिखा है: हर दिन के रोज़े के बदले फ़िदया की मिक्दार निस्फ़ साअ में एक किलो 633 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत है। फ़िदया और कफ़ारा में जिस तरह तमलीक जाइज़ है उसी तरह इबाहते तआम भी जाइज़ है, यानी चाहे तो हर दिन के बदले मज़कूरा वाला मिक्दार किसी मुहताज को दे दी जाए और चाहे हर दिन दोनों वक़्त भूके को पेट भर खाना खिला दिया

जाए। दोनों सूरतें जाइज़ हैं। सदकए फ़ित्र के बरख़िलाफ़ कि उसमें ज़कात की तरह तमलीक ही ज़रूरी है। इस बारे में उसूल समझ लीजिए कि जो सदक़ा लफ़ज़ "इतआम या तआम" (खिलाने) के साथ मशरूअ है उसमें तमलीक और इबाहत दोनों जाइज़ हैं, और सदक़ा लफ़ज़ "ईता या अदा" (देने) के साथ शुरू है, उसमें तमलीक शर्त और ज़रूरी है इबाहत कतअन जाइज़ नहीं है।

### ग़ज़रता सालों के फ़िदया में किस वक़्त की कीमत का एतेबार किया जाए?

**सवाल:** अगर बालिग़ होने के बाद शुरू उम्र में रोज़े कज़ा हो गए हों, अब ज़ईफ़ी की वजह से कज़ा रखने से माजूरी है, तो क्या फ़िदया में गंदुम की कीमत चालीस साल कब्ल की लगाई जाएगी कि जब रोज़े कज़ा हुए थे या मौजूदा निख़ का एतेबार किया जाए?

**जवाब:** फ़िदया में अस्ल वाजिब खुद गेहूं है, कीमत उसके काइम मुक़ाम है, इसलिए बहरसूरत अदा के वक़्त की कीमत का एतेबार होगा।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-431)

### क्या बीमार फ़िदया दे सकता है?

**सवाल:** एक शख्स बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता उसका फ़िदया क्या है?

**जवाब:** सेहत के बाद उसकी कज़ा रखना फ़र्ज़ है अलबत्ता अगर सेहत की कोई उम्मीद नहीं रही और आख़िर दम तक रोज़ा रखने की ताक़त लौटने से बिल्कुल मायूसी है, छोटे और ठंडे दिनों में भी रोज़ा रखने की ताक़त नहीं, तो एक रोज़ा के एवज़ पौने दो किलो गेहूं की

कीमत किसी मिस्कीन को दे दे।

(अहसनुल फ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-432)

### मुतअद्दद रोज़ों का फ़िदया एक शरब को देना

**सवाल:** एक रोज़ा का फ़िदया दो मिस्कीनों को, इसी तरह मुतअद्दद रोज़ों का फ़िदया एक मिस्कीन को देना दुरुस्त है या नहीं?

**जवाब:** एक फ़िदया के गेहूं थोड़े थोड़े मुतअद्दद मसाकीन को देना दुरुस्त है, इसी तरह उसकी कीमत भी, और इसी तरह से मुतअद्दद रोज़ों का फ़िदया एक मिस्कीन को देना भी सही है। कफ़ारा की तरह नहीं बल्कि सदकए फ़ित्र की तरह है, लिहाज़ा मुतअद्दद रोज़ों का फ़िदया एक मिस्कीन को देना दुरुस्त है, और उसमें परेशानी से सहूलत है, हिफ़ाज़त है, वरना बड़ी रकम में बड़ी दुश्वारियों का सामना होगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-199)

### फ़िदया के मसारिफ़ क्या हैं?

फ़िदया वाजिबा के मसारिफ़ वह ही हैं जो ज़कात के मसारिफ़ हैं, उसमें मुहताज व मुफ़िलस को मालिक बनाना ज़रूरी है। ख़्वाह वह गुरबा व मसाकीन किसी भी जगह के हों, उनकी मिल्क होना ज़रूरी है। पस जिन मसारिफ़ में तमलीक किसी की नहीं होती उन मसारिफ़ में रकम का खर्च करना दुरुस्त नहीं। जैसे तामीरे मस्जिद, मदरसा व कुवां, कुतुबे अहादीस व फ़िक्ह वग़ैरा इसमें सर्फ़ करना बिना किसी तमलीक के जाइज़ नहीं। मगर इस हीला से कि किसी ग़ैर मालिके निसाब की मिल्क कर के उसकी तरफ़ से मज़कूरा बाला मसरफ़ में खर्च कर सकते हैं। यतीम, नाबालिग़ मुफ़िलस के मसारिफ़ में सर्फ़ करने के



लिए उसके वली को दे देना दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-459, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-79 व 85 बाबुलमसरफ़)

### फ़िदया की रकम से किसी मुफ़िलस का कर्ज़ अदा करना

सवाल: फ़िदया की रकम से किसी मुफ़िलस कर्ज़दार का कर्ज़ जाइज़ अदा किया जा सकता है या नहीं? वह कर्ज़ खुद अदा कर दिया जाए, या उस रुपये को किसी मुफ़िलस को देकर अदा कर दिया जाए?

जवाब: इस रकम से खुद कर्ज़ अदा कर देना किसी मुफ़िलस मकरूज़ का दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता उस मकरूज़ मुफ़िलस को दे देना दुरुस्त है कि वह अपना कर्ज़ अदा कर ले। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-258, बहवाला रद्दुलमुहतार बाबुलमसरफ़ जिल्द-2 सफ़हा-85)

### फ़िदया की रकम यतीम ख़ाना में देना

सवाल: फ़िदया की रकम किसी यतीम ख़ाना के मसारिफ़ में दी जा सकती है या नहीं, और किसी यतीम नाबालिग़ के वली को उस नाबालिग़ के मसरफ़ के लिए दे देना जाइज़ है या नहीं?

जवाब: यतीम नाबालिग़ मुफ़िलस के मसारिफ़ में सर्फ़ करने के लिए उसके वली को दे देना दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-258, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-85 बाबुलमसरफ़)

### फ़िदया की रकम से कपड़ा ख़रीद कर तक्सीम करना

सवाल: फ़िदया में गुरबा अशखास को कपड़ा दे सकते हैं या नहीं? मौजूदा वक़्त में एक नमाज़ या रोज़ा का फ़िदया नक़द की सूरत में एक रुपया होता है, अगर बीस

रुपये का कम्बल ख़रीद कर एक शख्स को दे दिया जाए तो एक रोज़ा का फ़िदया होगा, बाईस का, या बीस का होगा?

जवाब: फ़िदया में गेहूँ की कीमत के बराबर कपड़ा वगैरा देना भी जाइज़ है और मुतअद्द रोज़ों के फ़िदया की रक़म एक फ़कीर को देना भी जाइज़ है, इसलिए बीस रुपये का कम्बल देने से बीस रोज़ों का फ़िदया अदा हो गया। गुल्ला की कीमत या उतनी कीमत का सामान देना भी जाइज़ है, नाबालिग़ का बाप अगर मिस्कीन हो तो उसको सद्का देना जाइज़ है, अलबत्ता नाबालिग़ को खाना खिलाना काफ़ी नहीं है।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-439)



## बाईसवाँ बाब

### इफ़तार के मसाइल

#### रिज़्के हलाल की अहमियत

इफ़तार के वक़्त अक़ले हलाल की पाबंदी की जाए और हराम के शुब्हा से भी गुरेज़ किया जाए, क्योंकि इस सूरत में रोज़ा के कोई माना नहीं कि तमाम दिन हलाल खाने से रुका है और जब इफ़तार करने बैठा तो हराम रिज़्क से रोज़ा इफ़तार किया।

ये रोज़ादार उस शख़्स की मानिन्द है जो एक महल तामीर कराए और एक शहर मुन्हदिम (तुड़वाए) कराए इसलिए कि हलाल खाने की कसरत मुज़िर होती है और रोज़ा उस कसरत का ज़ोर ख़त्म करता है।

जो शख़्स बहुत सी दवाएँ खाने के डर से ज़हर खाए तो यकीनन वह शख़्स बेवकूफ़ कहलाने का मुस्तहिक़ है हराम भी एक ज़हर है, जिस तरह ज़हर जिस्म के लिए मोहलिक़ है उसी तरह रिज़्के हराम भी दीन के लिए मोहलिक़ है। और हलाल खाने की मिसाल एक दवा की सी है, जिसकी कम मिक्दार मुफ़ीद है और ज़्यादा मुज़िर है।

रोज़ा का मक्सद ये है कि हलाल खाना भी कम

खाया जाए, ताकि मुफ़ीद हो। एक रिवायत निसाई में हज़रत इब्न मसऊद (रज़ि.) से आप (स.अ.व.) के अलफ़ाज़ मनकूल हैं— “बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनके रोज़ा का हासिल भूक और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं।”

इस हदीस की मुख्तलिफ़ तफ़सीर मनकूल हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक इससे मुराद वह शख्स है जो हलाल रिज़क से रुका रहे और लोगों के गोश्त यानी ग़ीबत से रोज़ा इफ़्तार करे। बाज़ लोगों की राय है कि वह शख्स मुराद है जो अपने आज़ा को गुनाहों से न बचाए।

इफ़्तार के वक़्त हलाल रिज़क भी इतना न खाया जाए कि पेट फूल जाए, अल्लाह के नज़दीक कोई ज़र्फ़ इतना बुरा नहीं है जितना बुरा वह पेट है जो हलाल रिज़क से भर दिया गया हो।

रोज़ा का अस्ल मफ़हूम (मक्सद) है कि पेट ख़ाली रहे और नफ़्स की ख़्वाहिशात ख़त्म हो जाएं। और रोज़ा से ये भी मक्सद होता है कि रोज़ादार के नफ़्स में तक्वा पैदा हो और ज़्यादा खाने की सूरत में ये मक्सद ख़त्म हो जाता है और ये जब ही हो सकता है कि जब ग़िज़ा में कमी की जाए और कमी की मीआद ये है कि इफ़्तार में इतना खाया जाए जितना कि आम रातों में खाया जाता है, ये नहीं कि सुबह से शाम तक के औकात का कोटा जमा कर लिया जाए। अगर ऐसा किया जाए तो ऐसे रोज़ा से यकीनन अस्ल मक्सद हासिल नहीं होगा।

(एहयाउलउलूम जिल्द-1 किस्त-4 सफ़हा-596)

पाँचवीं चीज़ इफ़्तार के वक़्त हलाल माल से भी इतना ज़्यादा न खाए कि शिकम सैर हो जाए। इसलिए कि

रोज़ा की गरज़ इससे फ़ौत हो जाती है। मक्सूद रोज़ा से कूवते शहवानिया और बहाएमीया का कम करना है और कूवते नूरानिया और मलकीयत का बढ़ाना है। ग्यारह महीने तक बहुत कुछ खाया पिया है, अगर एक महीना उसमें से कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान चली जाएगी? मगर हम लोगों का हाल ये है कि इफ़्तार के वक़्त तलाफ़िये माफ़ात में और सहर के वक़्त हिफ़जे मातक़दुम में इतनी ज़्यादा मिक्दार खा लेते हैं कि बग़ैर रमज़ान के और बग़ैर रोज़ा की हालत में इतनी मिक्दार खाने की नौबत ही नहीं आती, रमज़ानुलमुबारक भी हम लोगों के लिए ख़ौद का काम करता है। (फ़ज़ाइले रमज़ान सफ़हा-29)

### रोज़ा इफ़्तार कराने का सवाब

मिशकात शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-173 पर इफ़्तार कराने के बारे में अहादीस आई हैं। जिनका मफ़हूम ये है कि— “अगर कोई रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार कराए तो उसके सगीरा गुनाह बरख़्श दिए जाते हैं, और जहन्नम की आग से नजात मिलती है, और उसको इतना ही सवाब मिलता है कि जितना रोज़ादार को रोज़ा रखने का।” इस पर मज़ीद लुत्फ़ और खुदा तआला का एहसान कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी नहीं होती, बल्कि हक़ तआला अपने फ़ज़ल व करम से अपनी तरफ़ से रोज़ा इफ़्तार कराने वाले को रोज़ादार के बराबर सवाब मरहमत फ़रमाएंगे।

सहाबए किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह अगर किसी में रोज़ा खुलवाने की गुंजाइश न हो तो वह कैसे इस सवाब को हासिल करेगा, क्योंकि हम में से हर एक इस लाएक नहीं है कि किसी को इफ़्तार कराए,

आप ने फ़रमाया— “ये सवाब तो अल्लाह तआला एक घूंट लस्सी पिलाने, या एक खजूर खिलाने या एक घूंट पानी पिलाने पर भी दे देते हैं। और जिसने पेट भर खाना खिला दिया उसको अल्लाह तआला मेरी हौज़े (कौसर) से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसकी अदना तासीर ये होगी कि जन्नत में दाखिल होने तक फिर कभी उसको प्यास न लगेगी।

बाज़ जाहिल किसी के यहाँ रोज़ा इफ़तार नहीं करते और ये समझते हैं कि रोज़ा का सवाब जाता रहेगा। और अगर किसी के यहां दावत कबूल कर लेते हैं तो इफ़तार करने के लिए अपने घर से कोई चीज़ ले जाते हैं, ये बहुत बड़ी जिहालत और कम इल्मी की बात है। फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-493 में इसी ही के बारे में फ़तवा है।

**सवाल:** बाज़ हज़रात का ये ख़्याल होता है कि ग़ैर की इफ़तारी से रोज़ा न खोला जाए, क्योंकि रोज़ा का सवाब उसको पहुंच जाएगा। क्या ये सही है?

**जवाब:** ये अकीदा फ़ासिद है कि दूसरे की इफ़तारी से रोज़ा न खोला जाए कि रोज़ा का सवाब इफ़तार कराने वाले को पहुंच जाएगा। हदीसे नबवी (स.अ.व.) का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ़तार कराए उसके गुनाह मआफ़ कर दिए जाते हैं, और इफ़तार कराने वाले को रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है, रोज़ादार के सवाब में कोई कमी नहीं आती है।

(मिशकात शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-174)

मोहम्मद रफ़अत कासमी (मुरत्तिब)

### इफ़तार के लिए घंटा वगैरा का इस्तेमाल

सहरी का, या इफ़्तारी का अगर वक़्त मालूम न होता हो और रोज़ों के फ़साद का अंदेशा हो तो, नक्कारा बजाना, या घंटा बजाना, या गोला वगैरा का इस्तेमाल दुरुस्त है, लेकिन मस्जिद या उसकी छत पर नहीं होना चाहिए बल्कि मस्जिद से हट कर किसी दूसरे मकान, या बुलंद मकाम पर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एहतेरामे मस्जिद के खिलाफ़ हैं। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-292)

### जल्दी इफ़तार करने का हुक्म

हुजूर अकरम (स.अ.व.) का इरशाद है कि— “रोज़ा इफ़तार करने में जल्दी करनी चाहिए और इफ़तार में जल्दी करने वाले बंदे खुदा को बहुत प्यारे हैं।” एक हदीस में है कि— “जब तक मुसलमान रोज़ा इफ़तार करने में जल्दी करते रहेंगे दीन का ग़लबा रहेगा।”

और इफ़तार में जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि आफ़ताब गुरुब होने से पहले ही रोज़ा खोल लें बल्कि मतलब ये है कि जब सूरज का गुरुब होना मुतहक्कक़ व यकीनी हो जाए, तो फिर इफ़तार में महज़ शुब्हा और वहम की बिना पर इफ़तार में देर नहीं करनी चाहिए। हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया— “कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मेरे बंदों में ज़्यादा महबूब बंदा वह है जो इफ़तार में जल्दी करे।”

इफ़तार जल्दी करने को ग़लत न समझा जाए, इसलिए आप (स.अ.व.) ने आम फ़हम काएदा ये बताया कि— “जब रात आ जाए और दिन चला जाए और सूरज गुरुब हो

जाए तो इफ़तार का वक़्त हो गया।" (तिरमिज़ी शरीफ़)

ये तीन कलिमात ताकीद और तौज़ीह के लिए इरशाद फ़रमाए गए हैं ताकि कोई ये गुमान न करे कि सूरज का सिर्फ़ किनारा गुरुब होने से, या उसके बग़ैर रात की सी तारीकी (जैसा कि अब्र के दिन) हो जाने से इफ़तार दुरुस्त हो जाएगा। (मिशकात शरीफ़ जिल्द-1 सफ़हा-174, बहवाला मआरिफे मदीना जिल्द-10 सफ़हा-10)

### इफ़तार में घड़ी और जन्त्री का इस्तेमाल

**सवाल:** नमाज़े मगरिब व इफ़तार का हुक्म ऐसे वक़्त देना जबकि चंद अशखास को गुरुबे आफ़ताब में कलाम हो कैसा है? और इन दोनों का सही वक़्त क्या है?

**जवाब:** ये अम्र तजरबा और मुशाहदा पर मौकूफ़ है और उसके जानने वाले हर वक़्त में मौजूद रहते हैं और सही घड़ी से और जन्त्री तुलूअ व गुरुब से भी इसमें मदद मिलती है। पस जो जन्त्री तुलूअ और गुरुब की सही हो और उसका तजरबा हो चुका हो सही घड़ी से उसके मुताबिक़ इफ़तार और मगरिब की नमाज़ का हुक्म किया जाएगा और अक्सर ज़मानों में मुशाहदा और अलामात से भी मालूम हो जाता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-498)

फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-108 में इस तरह दर्ज है— मगरिब की अज़ान, नमाज़ और इफ़तार का मदार गुरुबे आफ़ताब पर है न कि घड़ी या जन्त्री पर, घड़ी और जन्त्री गुरुब के ताबेअ हैं ये ग़लत भी हो सकती हैं, इनसे एक हद तक इमदाद ली जा सकती है, इन पर मदार नहीं रखा जा सकता है, लिहाज़ा अगर आप देख



लें कि आफ़ताब छुप गया या दूसरे के ख़बर देने और क्राइन से यकीन हो जाए कि सूरज गुरुब हो गया तो जरूर इफ़तार कर लीजिए, और जैसे ही यकीन हो जाए तो फ़ौरन इफ़तार कर लीजिए, अब एहतियात वगैरा के तसव्वुर (चक्कर) में ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। और जब तक आप खुद अपने मुशाहदा, या यकीन, ख़बर, या एलान की बिना पर यकीन हासिल न हो, बल्कि तरद्दुद हो तो सिर्फ़ जन्त्रिरी या घड़ी पर एतेमाद कर के नमाज़ पढ़ना और इफ़तार करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर मतला साफ़ न हो जिसकी वजह से आफ़ताब को डूबता हुआ न देख सकें तो फिर चंद मिनट की ताख़ीर की जा सकती है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-108)

### मस्जिद में इफ़तार व सहर करना

सवाल: मस्जिद में रोज़ा इफ़तार करना, ऐसे ही सहरी खाना कैसा है? अगर मकान पर इफ़तार किया जाए तो नमाज़ फ़ौत हो जाती है लिहाज़ा क्या करे?

जवाब: बेहतर ये है कि ऐसी सूरत में एतेकाफ़ की नीयत करे, मस्जिद में इफ़तार करना या सहरी खाना दुरुस्त है, लेकिन जहां तक मुम्किन हो मस्जिद को ख़राब (गंदा) न किया जाए। (फ़तावा महमूदिया जिल्द-1 सफ़हा-508)

### ग़राब से कबल अज़ान पर इफ़तार

सवाल: मुअज़्ज़िन ने अज़ान तकरीबन सात मिनट पहले दे दी, मैंने उस अज़ान पर रोज़ा इफ़तार कर लिया। क्या मेरा रोज़ा हो गया या नहीं?

जवाब: रोज़ा नहीं हुआ, अगर आपको इस अज़ान के सही वक़्त पर होने का ज़न्ने ग़ालिब था, तो सिर्फ़ क़ज़ा

वाजिब है, कफ़ारा नहीं। और अगर शुब्हा था तो कफ़ारा भी वाजिब है।

(अहसनुलफ़तावा पाकिस्तानी जिल्द-4 सफ़हा-446)

### ज़कात के पैसे से मस्जिद में इफ़तार कराना?

सवाल: क्या ज़कात के पैसे को मस्जिद या सहरी या इफ़तारी या शबीना में खर्च कर सकते हैं?

जवाब: रमज़ान की इफ़तारी का, या शबीना में ज़कात का देना, इस तरह जाइज़ है कि इफ़तार खाने वाले या शबीना का खाने वाले मिस्कीन हों और तमलीकन (मालिक बना दिया जाए) उनको इफ़तार या खाना तक्सीम कर दिया जाए। अगर ग़नी, मालदार होंगे, तो जाइज़ नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-4 सफ़हा-258, बहवाला फ़तावा हिन्दीया सफ़हा-201)

### इफ़तार का सही वक़्त

आफ़ताब के गुरुब होने का यकीन हो जाने के बाद इफ़तार में देर करना मरूह है। हाँ अगर बादल वगैरा की वजह से शुब्हा हो तो दो चार मिनट इंतज़ार कर लेना बेहतर है, और तीन मिनट की एहतियात बहरहाल करना चाहिए। खजूर और खुरमा से इफ़तार करना अफ़ज़ल है और अगर किसी दूसरी चीज़ से इफ़तार करें तो इसमें भी कोई कराहत नहीं। (जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द-1 सफ़हा-381)

### इफ़तारी क्या होनी चाहिए

खजूर और छूहारे से इफ़तार करना अफ़ज़ल है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-494, बहवाला मिश्कात शरीफ़ किताबुस्सौम जिल्द-1 सफ़हा-175)

ताज़ा खजूर से इफ़तार मुस्तहब है, वह तो न हो

खुश्क खजूर से और अगर वह भी न हो तो पानी से।

(अहसनुल फतावा जिल्द-4 सफहा-436)

### ऑहजरत (स.अ.व.) की इफ्तारी

हजरत अनस (रजि.) फरमाते हैं कि नबी करीम (स.अ.व.) मगरिब की नमाज़ से पहले चंद ताज़ा खजूरों से इफ्तार फरमाते थे और ताज़ा खजूर न होती थीं तो खुश्क खजूरों से इफ्तार फरमाते थे। और अगर खुश्क खजूरें भी न होतीं तो चंद (यानी तीन) चुल्लू पानी पी लेते। तिरमिज़ी की एक और हदीस में ये भी आया है कि आप (स.अ.व.) तीन खजूरों से या किसी ऐसी चीज़ से जो आग की पकी हुई न होती थी रोज़ा खोलना पसंद फरमाते थे।

**तशरीह:** खजूर या पानी से इफ्तार करने में बज़ाहिर हिकमत ये मालूम होती है कि जब मेअदा ख़ाली होता है और खाने की ख़्वाहिश पूरी तरह होती है उस सूरत में जो चीज़ खाई जाती है उसको मेअदा अच्छी तरह कबूल व हज़्म करता है, लिहाज़ा ऐसी हालत में जब शीरीनी मेअदा में पहुंचती है तो बदन को बहुत ज़्यादा फ़ाएदा पहुंचता है क्योंकि शीरीनी (मिठाई) की ये ख़ासियत होती है कि उसकी वजह से कुवाए जिस्मानी में कूवत जल्द सिरायत करती है। खुसूसन कूवते बासिरा (निगाह) को शीरीनी से बहुत फ़ाएदा पहुंचता है और चूंकि अरब में शीरीनी अक्सर खजूर ही होती थी और अहले अरब के मिज़ाज इससे बहुत ज़्यादा मानूस थे, इसलिए खजूर से इफ्तार करने के लिए फरमाया गया है, और खजूर न होने की सूरत में पानी से इफ्तार करने के लिए फरमाया गया है, क्योंकि ये ज़ाहिरी और बातिनी तहारत व पाकीज़गी

के लिए फ़ाले नेक है। इब्न मालिक (रह.) फ़रमाते हैं कि बेहतर ये है कि इसकी इल्लत शारेअ अलैहिस्सलाम के हवाला कर दी जाए। (मज़ाहिरे हक़ जिल्द-4 सफ़हा-95)

### इफ़तार की वजह से जमाअत में ताख़ीर

**सवाल:** इफ़तार के वक़्त लोगों की लाई हुई इफ़तारी खा कर मग़रिब की नमाज़ अदा करते हैं, एक शख्स इस पर मोतरिज़ है कि नमाज़ के बाद खाओ, और अज़ान होते ही सिर्फ़ छुहारे से रोज़ा इफ़तार कर के फ़ौरन नमाज़ को खड़े हो जाओ, और वह शख्स नाराज़ हो कर मग़रिब की नमाज़ अलग पढ़ता है, शरअन क्या हुक़म है?

**जवाब:** इफ़तारी की वजह से मग़रिब की नमाज़ में कुछ देर करना जाइज़ है, इसमें कुछ हरज नहीं है, इत्मीनान से रोज़ा इफ़तार कर के और पानी पी कर और कुछ खा कर जो मौजूद हो नमाज़ पढ़नी चाहिए। पस जो शख्स ऐसी मामूली ताख़ीर की वजह से नाराज़ हुआ और अलाहिदा नमाज़ पढ़ने लगा उसने ख़ता की, उसको चाहिए जमाअत में शरीक हो कर और इस ताख़ीर को जो रोज़ा इफ़तार करने की वजह से है ख़िलाफ़े शरअ न समझे, ये अैन शरीअत का हुक़म है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-2 सफ़हा-45, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-49)

जब वक़्त में गुंजाइश है और एक ज़रूरी अम्र की वजह से ज़रा देर की जाती है, तो उसमें क़तअन कोई मुज़ाएका नहीं, मिश्कात शरीफ़ की हदीस बाब ताजीलुस्सलात जिल्द-1 सफ़हा-61 से मालूम होता है कि जब तक सितारे ज़्यादा तादाद में आसमान पर निकल कर फैल न जाएं, ताख़ीर में कोई मुज़ाएका नहीं है।

(मुहम्मद रफ़अत कासमी (मुरत्तिब)

### मशातरका इफ़्तारी का सवाब किस को मिलेगा?

**सवाल:** चार अशखास इफ़्तारी के लिए चार रोटी लाए और एक जगह रख दी, पाँच, सात अफ़राद थे, ऊपर की रोटी से रोज़ा इफ़तार कर लिया, बाकी तीनों को भी इफ़्तारी का सवाब मिलेगा या नहीं?

**जवाब:** उन तीनों को भी सवाब मिलेगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-495)

### गैर मुस्लिम की चीज़ से इफ़तार करना

**सवाल:** एक हिन्दू मुशरिक, हर माह रमज़ान में दूध और खांड और बर्फ़ ख़रीद कर मुसलमानों के हवाले कर देता है, उससे रोज़ा इफ़तार करने में कुछ हरज तो नहीं?

**जवाब:** इसमें कुछ हरज नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-494)

किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-4 सफ़हा-234 पर ये दर्ज है— गैर मुस्लिम की भेजी अशिया क़बूल करना और उन चीज़ों को इफ़तार के वक़्त इस्तेमाल करना जाइज़ है।

### तवाइफ़ की इफ़्तारी से इफ़्तारी करना

**सवाल:** तवाइफ़ की भेजी हुई इफ़्तारी से रोज़ा इफ़तार करने का क्या हुक्म है?

**जवाब:** ख़िलाफ़े तक़वा है, (गो अज़ राहे फ़तवा ये सूरत अदमे इल्मे हुरमत दुरुस्त है) यानी हराम माल का इल्म न होने की सूरत में दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-494)

### गैर मुस्लिम के पानी से रोज़ा खोलना

**सवाल:** एक रोज़ादार ने हिन्दू से पानी लेकर रोज़ा

इफ़तार किया, एक शख्स कहता है कि रोज़ा जाता रहा, वह पानी हराम है, हिन्दू काफ़िर हैं, सही क्या है?

जवाब: उस रोज़ादार का हिन्दू मजकूर से पानी ले कर वक्त पर रोज़ा इफ़तार करना, जाइज़ और हलाल है। झगड़ा करने वाले का झगड़ना ग़लत है, उसको झगड़ा न करना चाहिए। ये उसकी नावाकिफ़ीयत और बेइल्मी की बात है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-456)

### नमक की कंकरी से इफ़तार करना

छुहारे से रोज़ा खोलना बेहतर है या और कोई मीठी चीज़ हो तो उससे इफ़तार कर ले, अगर वह भी न हो तो पानी से इफ़तार कर ले। बाज़ हज़रात नमक की कंकरी से इफ़तार करते हैं और उसमें सवाब समझते हैं ये ग़लत अक़ीदा है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-15, बहवाला तिरमिज़ी)

### दवा से रोज़ा इफ़तार करना

सवाल: जो शख्स मरीज़ हो, वह दवा से रमज़ान शरीफ़ में रोज़ा इफ़तार कर सकता है या नहीं?

जवाब: वह शख्स दवा से रोज़ा इफ़तार करे, उसमें कुछ हरज नहीं। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-495)

### हुक्का से इफ़तार करना

सवाल: जिस शख्स ने रोज़ा रखा और इफ़तार किया हुक्का से और बेहोश हो गया, उसका रोज़ा जाइज़ है या नहीं?

जवाब: उसका रोज़ा हो गया। हाशिया में ये है— इसलिए कि रोज़ा सुब्ह सादिक़ से गुरुबे आफ़ताब तक रोज़ा की नीयत के साथ खाना पीना और जिमाअ के छोड़ देने का नाम है और इस पर उसने अमल किया।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-498, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-110)

### इफ़तार के वक़्त कबूलियत का हक़म

रोज़ादार को हर इफ़तार के वक़्त एक ऐसी दुआ की इजाज़त होती है, जिसके कबूल करने का ख़ास वादा है।  
(अलहदीस हाकिम, बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-71)

### इफ़तार की दुआ

हदीस में है कि जब तुम में से किसी के सामने खाना करीब किया जाए इस हाल में कि वह रोज़ादार हो। यानी रोज़ा इफ़तार करने के लिए कोई चीज़ उसके पास रखी जाए तो चाहिए कि इफ़तार से पहले ये दुआ पढ़े—

”بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ  
أَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَقَبَّلْ مِنِّي  
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.“

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-73, बहवाला दारेकुतनी)

### मुअज़्ज़िन पहले इफ़तार करे या अज़ान दे?

सवाल: रमज़ान में इफ़तार के बाद कितनी देर से अज़ान दी जाए?

जवाब: गुरुबे आफ़ताब के बाद इफ़तार कर के अज़ान पढ़े, इफ़तार की वजह से जमाअत में पाँच सात मिनट ताख़ीर की गुंजाइश है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-38)

### इफ़तार और मग़रिब की नमाज़ का वक़्त

सवाल: मग़रिब की नमाज़ का वक़्त और इफ़तार का वक़्त सूरज गुरुब पर ही हो जाता है, या कुछ देर बाद में, जब कि पहाड़ छः सात कोस मग़रिब की जानिब फ़ासिला पर वाक़ेअ हो और आफ़ताब पहाड़ के पीछे हो

जाए, तो इफ़तार व मगरिब की नमाज़ का वक़्त हो जाता है या नहीं?

**जवाब:** इफ़तार और मगरिब की नमाज़ का वक़्त सूरज गुरुब होते ही हो जाता है, कुछ देर की ज़रूरत नहीं, अगरचे जानिबे मगरिब पहाड़ वाक़ेअ हो, क्योंकि गुरुब के ये माना नहीं कि दुनिया में कहीं भी सूरज नज़र न आए ऐसा तो मुम्किन नहीं। कहीं गुरुब होता है और कहीं तुलूअ।

बल्कि गुरुब के माना ये हैं, कि हमारे उफ़ुक से गुरुब हो जाए और मशरिफ़ में तारीकी नमूदार हो जाए, हाँ अगर कोई शख्स पहाड़ पर खड़ा हुआ आफ़ताब देख रहा है उसको इफ़तार हलाल नहीं, क्योंकि उसके उफ़ुक से आफ़ताब गाइब नहीं हुआ है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-170, बहवाला शामी जिल्द-2 सफ़हा-80)

मजाहिरे हक़ जदीद जिल्द-2 किस्त-4 में है कि शहरों में आफ़ताब गुरुब होने की अलामत ये है कि मशरिफ़ की जानिब सियाही बुलंद हो जाए, यानी जहां से सुह्र सादिक़ शुरु होती है वहां तक पहुंच जाए। आसमान के बीचों बीच सियाही का पहुंचना शर्त नहीं है।

### इफ़तार की वजह से जमाअत में ताख़ीर

**सवाल:** माहे रमज़ान में इफ़तार के वक़्त मगरिब की नमाज़ किस क़दर ताख़ीर से कर सकते हैं?

**जवाब:** इफ़तार के लिए जमाअते मगरिब में पाँच सात मिनट की ताख़ीर की गुंजाईश है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-2 सफ़हा-37, बहवाला कबीरी सफ़हा-233)





## तेईसवाँ बाब

## सदकए फ़ित्र के मसाइल

ईद का दिन बहुत मुबारक और खुदा की मेहमानी का दिन है। आज के दिन हम सब खुदा के मेहमान हैं, इसकी वजह से आज का रोज़ा हराम हो गया। क्योंकि जब खुदा ने हमें मेहमान बना कर खाने पीने का हुक्म दिया है तो हम को उससे मुंह मोड़ना हरगिज़ न चाहिए। आज के दिन रोज़ा रखना गोया खुदा की मेहमानी का रद करना है। ये हम मुसलमानों का बहुत बड़ा तेहवार है। हमारे तेहवार में खेल तमाशा और नाच गाना वगैरा नहीं होता। किसी को तकलीफ़ देना, सताना नहीं होता, बल्कि जिसको खुदा ने दिया है वह दूसरे ज़रूरत मंदों की ज़रूरतें पूरी करता है। मालदार जब अपने फूल से बच्चों को उजले उजले कपड़ों में खुशी खुशी उछलता कूदता देखता है तो गरीब के मुस्झाए हुए चेहरे और उसके बच्चों की हसरत भरी नज़रें उससे देखी नहीं जातीं। मुसलमान दौलतमंद अपने घर के किस्म किस्म के खुशबूदार और लज़ीज़ खानों को उस वक़्त तक हाथ नहीं लगाता जब तक कि मुफ़िलस पड़ोसी के घर में से धुवां उठता न देख ले। भला मेरी क्या ईद अगर मेरा पड़ोसी आज के दिन भी भूका रहा, भला मेरी जगमग बीवी मुझे कैसे भा

सकती है, जब कि बराबर में एक नादार की बीवी के कपड़ों में तीन तीन पेंद हैं। अगर खुदा नखास्ता हम इतने ग़ैरत मंद नहीं हैं और मुसलमान ग़ैरतमंद क्यों न हो? तो हमारा ग़य्यूर खुदा तो इसको बरदाश्त नहीं कर सकता कि मेरा एक मुहताज बंदा अपने मैले कपड़ों की वजह से ईद की नमाज़ तक में शरीक होने से शरमा रहा है, और उसके छोटे छोटे बच्चे जब अपने साथ खेलने वाले बच्चों के पास झिल मिल करते हुए शानदार कपड़े और खनाखन बजते हुए पैसे देख कर अपनी माँ से मुंह बिसोर कर "अम्माँ हम भी ऐसा ही लेगें" कहते हैं फिर उनकी माँ बच्चों को कलेजे से लगाते हुए आँसू पोंछते हुए कहती है कि— "बेटा हाँ तुम को भी दिलाएंगे।" और ये कहते हुए मारे ग़म के बेइख़्तियार उसकी चीख निकल पड़ती है और उसके दुखी दिल पर फ़िक्र व ग़म के बादल छा जाते हैं, तो ये मंज़र खुदाए रहीम व करीम से देखा नहीं जाता और कौन ग़ैरतमंद देख सकता है? इसलिए खुदा ने अपने खुशहाल बंदों पर ये लाज़िम कर दिया है कि जब तक वह मेरे ग़रीब बंदों और बंदियों के आँसू न पोंछ दें, जब तक उनका तन न ढाँप दें, जब तक उनका चूल्हा गर्म न कर दें, जब तक उनके नौनिहालों को मुस्कुराता न देख लें खुद ईद न मनाएँ, जब तक उनके दिल की कली न खिल जाए मेरे सामने न आएँ, जब तक उसकी बीवी की सुख से ईद मनाने का इंतिज़ाम न हो जाए अपनी बीवी की पाज़ेब को बेड़ी और हार को तौक समझें। आपस की इस हमदर्दी के कम से कम और ज़रूरी से हिस्से का नाम "सदकए फ़ित्र" है सदकए फ़ित्र

मुसलमानों की आपस की हमदर्दी का वह कम से कम और गिरे से गिरा हिस्सा है कि अगर इतना भी न हो तो मालदारों पर खुदाई कहर उतरता है, उनकी कमाईयों की बरकतें खत्म हो जाती हैं। खुदाए कहहार उनके पीछे ऐसी उलझनें लगा देता है कि सदकए फ़ित्र से कहीं ज्यादा पैसा बरबाद हो जाता है और किसी ग़रीब के एक दिन के रोने की परवा न करने की सज़ा में खुदाए गय्यूर उस बेग़ैरत दौलतमंद को कभी कभी बरसों घुटनों में सर दे कर रुलाता है और जब ये बंदे खुशियों और मुसरतों में दूसरों को अपना शरीक नहीं बनाते तो खुदाए दाना व बीना ग़मों, तकलीफ़ों, आँसुवों और हिचकियों में दोनों को शरीक कर के अपने तमाम बंदों को यक्साँ कर देता है।

(रमज़ान क्या है? सफ़हा-175)

### सदकए फ़ित्र के शराइत

सदकए फ़ित्र वाजिब है, फ़र्ज नहीं, और सदकए फ़ित्र के वाजिब होने के लिए सिर्फ़ तीन चीज़ें शर्त हैं। (1) आज़ाद होना (2) मुसलमान होना (3) किसी ऐसे माल के निसाब का मालिक होना जो असली ज़रूरतों से फ़ारिग़ हो, और कर्ज़ से बिल्कुल या बक़दर एक निसाब के महफूज़ हो। इस माल पर साल का गुज़र जाना शर्त नहीं न माल का तिजारती होना शर्त है, न साहबे माल का बालिग़ होना और आक़िल होना शर्त है। यहाँ तक नाबालिग़ बच्चों और मजनूनों पर सदकए फ़ित्र वाजिब है उनके औलिया को उनकी तरफ़ से अदा करना चाहिए और अगर वली न अदा करे और वह उस वक़्त खुद मालदार हों तो बालिग़ हो जाने के बाद या जुनून जाएल हो जाने

के बाद खुद उकनो अदम बुलूग या जुनून के ज़माने का सदकए फ़ित्र अदा करना चाहिए।

सदकए फ़ित्र का हुक्म नबी कसीम (स.अ.व.) ने उसी साल दिया था जिस साल रमज़ानुलमुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए थे।

सदकए फ़ित्र की मसलिहत ये मालूम होती है कि वह दिन खुशी का है और उस दिन इस्लाम की शान व शौकत, कसरते जमईयत के साथ दिखाई जाती है और सदका देने से ये मक़सद ख़ूब कामिल हो जाता है। अलावा इसके उसमें रोज़ा की तकमील है। सदकए फ़ित्र के देने से रोज़ा मक़बूल हो जाता है और इस सदका में हक़ तआला का अज़ीमुश्शान एहसान है कि उसने माहे मुबारक से मुशर्रफ़ किया और उसमें रोज़ा रखने की हम को तौफ़ीक़ दी और कुछ अदाए शुक्र भी है।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-4 सफ़हा-51)

सदकए फ़ित्र अदा करना उस शख्स के जिम्मा वाजिब हे जो साहबे निसाब मालदार हो, यानी 52 तोला चाँदी या साढ़े सात तोला सोना हो। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-326, दुर्रेमुख्तार जिल्द-3 सफ़हा-99)

### जरूरते असलीया क्या है

किसी के पास बड़ा भारी घर है अगर बेचा जाए तो हजार पाँच सौ का बिके और पहनने के लिए कीमती कीमती कपड़े हैं मगर उनमें सच्चा (चाँदी सोने का) गोटा नहीं है और ख़िदमत के लिए दो चार ख़िदमतगार हैं। घर में हजार पाँच सौ का ज़रूरी असबाब भी है, मगर ज़ेवर नहीं और वह सब काम में अया करता है, या कुछ

सामान ज़रूरत से जाएद भी मौजूद है और कुछ सच्चा गोटा और ज़ेवर वगैरा भी है, लेकिन वह इतना नहीं जितने पर ज़कात वाजिब होती है, तो ऐसे पर सदकए फ़ित्र वाजिब नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-34, बहवाला नवायलइज़ाह जिल्द-1 सफ़हा-161)

नीज़ किसी के पास ज़रूरी सामान से जाएद असबाब है लेकिन वह कर्ज़दार भी है, तो कर्ज़ का अंदाज़ा (तख़मीना) लगा कर देखो क्या बचता है, अगर इतनी कीमत का सामान बच जाए जितने पर ज़कात वाजिब हो जाए तो सदक़ा वाजिब है और अगर इससे कम बचे तो वाजिब नहीं। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-34, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-189)

### ख़ाली मकान ज़रूरते असलीया में दाख़िल है या नहीं?

किसी के दो घर हैं, एक में खुद रहता है और एक ख़ाली पड़ा है, या किराया पर दे रखा है, तो दूसरा मकान ज़रूरत से जाएद है, अगर उसकी कीमत इतनी हो जितने पर ज़कात वाजिब होती है, तो उस पर सदकए फ़ित्र वाजिब है। और ऐसे को तो ज़कात का पैसा देना भी जाइज़ नहीं है, अलबत्ता अगर मालिके मकान की इसी पर गुज़र औकात है (यानी कोई आमदनी का ज़रीआ नहीं है) तो ये मकान भी ज़रूरी असबाब में दाख़िल हो जाएगा और उस पर सदकए फ़ित्र वाजिब नहीं होगा और ज़कात का पैसा लेना दुरुस्त होगा।

ख़ुलासा ये हुआ कि जिसको ज़कात व सदकए वाजिबा का पैसा लेना दुरुस्त है, उस पर सदकए फ़ित्र वाजिब नहीं है। और जिसको सदक़ा और ज़कात का लेना देना

दुरुस्त नहीं उस पर सदकए फ़ित्र वाजिब है।

(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द-3 सफ़हा-35, बहवाला फ़तावा खानिया जिल्द-1 सफ़हा-226)

जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज है उस पर सदकए फ़ित्र भी वाजिब है, लेकिन फ़र्क़ ये है कि ज़कात के निसाब में तो सौना, चाँदी या तिजारत का माल ही होना ज़रूरी है और सदकए फ़ित्र वाजिब होने के लिए सिर्फ़ यही तीन चीज़ें नहीं बल्कि उसके निसाब में हर किस्म का माल हिसाब में लिया जाता है। हाँ ये बात दोनों निसाबों में शर्त है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से ज़ाएद हो और कर्ज़ से बचा हुआ हो।

चुनांचे अगर एक शख्स के पास रोज़ाना पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ और कपड़े रखे हों, या रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़ाएद तौबे, पीतल, स्टील, चीनी वगैरा के बरतन रखे हों या उसका कोई मकान खाली पड़ा हुआ हो या और किसी किस्म का सामान है जो रोज़ाना की ज़रूरत से ज़ाएद है तो अगर इन चीज़ों की कीमत मिल कर निसाब के बराबर या उससे ज़ाएद हो जाती है तो उस पर ज़कात तो फ़र्ज नहीं लेकिन सदकए फ़ित्र वाजिब है। और इसी तरह सदकए फ़ित्र के निसाब पर साल गुजरना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर उसी दिन इतने माल का मालिक हुआ हो तब भी सदकए फ़ित्र अदा करना वाजिब है। (रमज़ान क्या है? सफ़हा-177)

### जो साहबे निसाब न हो उसके लिए हुक्म

एक हदीस में फ़रमाया गया है कि— “ग़नी भी सदकए फ़ित्र अदा करे और फ़कीर भी सदका दे।” इन दोनों के

बारे में फ़रमाया गया है—“अल्लाह तआला उस मालदार को तो उसके सदकए फ़ित्र देने की वजह से पाकीजा बना देता है और फ़कीर (जो मालिके निसाब न हो) उसको इससे ज़्यादा इनायत फ़रमाता है जितना उसने सदकए फ़ित्र के तौर पर बराबर दिया है।”

ये बशारत अगरचे मालदार के लिए भी है कि अल्लाह तआला उसके माल में उससे कहीं ज़्यादा बरकत अता फ़रमाते हैं जितना उसने दिया है, मगर इस बशारत को फ़कीर के साथ मख़सूस इसलिए फ़रमाया ताकि उसकी हिम्मत अफ़जाई हो, और वह सदकए फ़ित्र देने में पीछे न रहे। (मज़ाहिरे हक़ जदीद किस्त-3 जिल्द-2 सफ़हा-58)

### सदकए फ़ित्र किस वक़्त वाजिब होता है?

सदकए फ़ित्र का वुजूब ईदुलफ़ित्र की फ़ज्र तुलूअ होने पर होता है, लिहाज़ा जो शख्स कब्ल तुलूए फ़ज्र के मर जाए, या फ़कीर हो जाए उस पर सदकए फ़ित्र वाजिब नहीं, इसी तरह जो शख्स बाद तुलूए फ़ज्र के इस्लाम लाए और माल पा जाए, या जो लड़का, लड़की फ़ज्र तुलूअ होने से पहले पैदा हुआ हो, या जो शख्स फ़ज्र के तुलूअ होने से पहले इस्लाम लाया या माल पा जाए उस पर सदकए फ़ित्र वाजिब है।

(इल्मुलफ़िक्ह हिस्सा-4 सफ़हा-51)

ईद के दिन जिस वक़्त फ़ज्र का वक़्त आता है उसी वक़्त ये सदक़ा वाजिब होता है। तो अगर कोई फ़ज्र का वक़्त आने से पहले ही मर गया तो उस पर सदकए फ़ित्र वाजिब नहीं, उसके माल में से न दिया जाए। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-35, बहवाला आलमगीरी

जिल्द-1 सफ़हा-196)

### रमज़ान से पहले सदकए फ़ित्र देना

**सवाल:** सदकए फ़ित्र की अदाएगी का क्या वक़्त है? रमज़ान से पहले, मसलन शाबान या रजब में अदा करे तो जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** इख़तिलाफ़ी मसअला है, रमज़ान से पहले का कौल भी है। इस पर अमल करना ख़िलाफ़े एहतियात है। माहे रमज़ान में भी अदा करने में इख़तिलाफ़ है, मगर क़वी ये है कि दुरुस्त है और सदका अदा हो जाएगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-176, बहवाला जिल्द-2 अलबहूरुर्इक सफ़हा-255)

सदकए फ़ित्र रमज़ान शरीफ़ में देना दुरुस्त है ख़्वाह किसी भी अशरा में दे दे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-305)

### सदकए फ़ित्र किस किस की तरफ़ से देना वाजिब है?

सदकए फ़ित्र का अदा करना अपनी तरफ़ से भी वाजिब है और अपनी नाबालिग़ औलाद की तरफ़ से भी और बालिग़ औलाद की तरफ़ से भी, बशर्ते कि वह फ़कीर यानी साहबे निसाब न हो हों, और अपनी ख़िदमतगार लौंडी, गुलामों की तरफ़ से भी, अगरचे वह काफ़िर हों, नाबालिग़ औलाद अगर मालदार हों तो उनके माल से अदा करे, और अगर मालदार नहीं हैं तो अपने माल से। बालिग़ औलाद अगर मालदार हों तो उनकी तरफ़ से सदकए फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं। हाँ एहसानन अगर अदा कर दे तो जाइज़ है यानी फिर उन औलाद को देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर बालिग़ औलाद



मालदार तो हों मगर मजनून हों तब भी उनकी तरफ़ से सदक़ए फ़ित्र अदा करना वाजिब है मगर उन्हीं के माल से। जो लौंडी, गुलाम खिदमत के न हों बल्कि तिजारत के हों उनकी तरफ़ से सदक़ए फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं।

बाप अगर मर गया हो तो दादा बाप के हुक्म में है, यानी पोते अगर मालदार हैं तो उनके माल से वरना अपने माल से उनका सदक़ए फ़ित्र अदा करना वाजिब है।

(इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-3 सफ़हा-52)

फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-324, बहवाला आलमगीरी में इस तरह लिखा है- "औरत पर जब कि साहबे निसाब हो तो फ़ित्रा उसी पर वाजिब है, अगर शौहर अदा कर देगा तो अदा हो जाएगा, बाप पर नहीं है।"

### सदक़ए फ़ित्र में इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं?

सवाल: जिस तरह किसी दूसरे शख्स की ज़कात उसकी इजाज़त के बग़ैर अदा नहीं होती तो क्या ये ही हुक्म सदक़ए फ़ित्र का भी है, या कुछ फ़र्क़ है?

जवाब: हाँ यही हुक्म सदक़ए फ़ित्र का भी है, इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन चूँकि सदक़ए फ़ित्र की मिक़दार कम और मालूम है इसलिए बीवी और औलाद की तरफ़ से जो उसके अयाल (ज़ेर किफ़ालत) हैं अदा कर देता है, और आदतन उसकी इजाज़त होती है। इसलिए इस्तेहसानन जाइज़ है, बख़िलाफ़ ज़कात के उसकी मिक़दार ना मालूम और ज़्यादा होती है, बग़ैर कहे अदा करने की आदत नहीं है इसलिए इजाज़त और वक़ालत ज़रूरी है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-173, बहवाला शामी

जिल्द-1 सफ़हा-103)

### जिसने रोजे न रखे हों उसका हुक्म

जिसने किसी वजह से रमज़ान के रोजे नहीं रखे उस पर भी सदकए फ़ित्र वाजिब है। और जिसने रोजे रखे उस पर भी वाजिब, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं, बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-35, बहवाला आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-192 और फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-114 पर- "जिसने रोजे न रखे हों तब भी उस पर सदकए फ़ित्र वाजिब है, न अदा किया हो तो अब दे दे, जब तक वह अदा न करे बरिउज़्जिम्मा न होगा।"

### शादी लड़की का फ़ित्रा किस पर वाजिब है?

सवाल: लड़की की शादी हो चुकी हो और वह लड़की अपने माँ बाप के घर है, नाबालिग़ है, उसका फ़ित्रा किस पर है, माँ बाप पर, या ससुराल वालों पर?

जवाब: अगर वह लड़की मालदार है, तो खुद उसके माल में सदकए फ़ित्र वाजिब है, ख़्वाह बालिग़ हो, या नाबालिग़, और अगर मालदार नहीं तो अगर बालिग़ है तो किसी के ज़िम्मा नहीं, और अगर मालदार नहीं और नाबालिग़ है और रुख़सती नहीं हुई तो बाप के ज़िम्मा, और अगर रुख़सती हो गई है तो बाप के ज़िम्मा नहीं।

(इमदादुलफ़तावा जदीद जिल्द-2 सफ़हा-80)

### माल तक्सीम होने के बाद साहबे निसाब न हो तो क्या

#### फ़ित्रा वाजिब है?

सवाल: चार भाईयों का माल मुशतरक है अगर तक्सीम किया जाए तो किसी का हिस्सा बकद्रे निसाब नहीं होता है, क्या कुर्बानी या सदका वाजिब है?

जवाब: इस सूरत में कि किसी एक भाई का हिस्सा कद्रे निसाब नहीं पहुंचता, किसी पर भी फ़ित्रा और कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-308, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब सदकए फ़ित्र जिल्द-2 सफ़हा-99)

**जो जवान लड़के अपनी कमाई बाप को देते हैं उनके फ़ित्रे**

**का हक़म**

सवाल: एक शख्स के दो लड़के हैं, जो कुछ कमाते हैं बाप को देते हैं, लड़कों के पास कुछ नहीं है, तो ऐसी हालत में उन भाईयों पर सदकए फ़ित्र, ज़कात या कुर्बानी वाजिब है या नहीं?

जवाब: उन पर ज़कात और सदकए फ़ित्र और कुर्बानी वाजिब है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-311, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-2 सफ़हा-99)

**क्या साहबे निसाब बच्चा बालिग़ होने के बाद फ़ित्रा अदा करे?**

सवाल: अगर बच्चा मालिके निसाब है और उसका वली उसकी तरफ़ से सदकए फ़ित्र अदा न करे तो उस बच्चा पर बालिग़ होने के बाद अदा करना क्या वाजिब है?

जवाब: हाँ उसको बालिग़ होने के बाद सदकए फ़ित्र अदा करना होगा, अगर बच्चा साहबे निसाब न हो गो बाप साहबे निसाब था, और उसने अदा न किया तो बच्चा पर बालिग़ होने के बाद अदा करना वाजिब नहीं है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द-2 सफ़हा-78)

**सब का फ़ित्रा अदा करने की गुंजाइश न हो तो?**

अगर किसी शख्स के पास इतना ही ग़ल्ला मौजूद हो कि कुछ लोगों का सदका अदा कर सकता है और

कुछ लोगों का अदा नहीं कर सकता, तो उन लोगों का सदका पहले अदा करे जिनके नफका की ताकीद ज्यादा हो, आँहजरत (स.अ.व.) ने औलाद के नफका (खर्चा) को बीवी के नफका पर और बीवी के नफका को खादिम के नफका पर मुकद्दम फरमाया है।

मुसलमान मर्द पर उसका, उसकी बीवी, बच्चों, गुलामों और उन रिश्तादारों का सदकए फित्र अदा करना वाजिब है, जिनका खर्चा उस पर है, जैसे बाप, दादा, माँ, नानी, वगैरा। हदीस में उन लोगों का सदका अदा करना आया है जिनका खर्च तुम उठाते हो। (एहयाउलउलूम जिल्द-1 किस्त-5, सफ़हा-527, बहवाला अबूदाऊद शरीफ)

### फित्रा ईद गुजर जाने से मआफ़ नहीं होता

अगर किसी ने ईद के दिन सदकए फित्र न दिया हो तो मआफ़ नहीं हुआ, अब किसी दिन भी दे देना चाहिए।

(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-3 सफ़हा-35, बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-191)

### सदकए फित्र की भिक्दार

सदकए फित्र में गेहूँ या गेहूँ का आटा, या गेहूँ का सत्तु दे तो उसी के सेर यानी आधी छटांक और पौने दो सेर (पौने दो किलो) बल्कि एहतियात के लिए पूरे दो सेर या कुछ ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होने में कुछ हरज नहीं है, बल्कि बेहतर है। और अगर जौ या जौ का आटा दे तो उसका दोगुना देना चाहिए, और अगर जौ के अलावा कोई और अनाज दे जैसे चना, जुवार, चावल तो इतना दे कि उसकी कीमत उतने गेहूँ के बराबर हो जाए जिसमें पौने दो किलो गेहूँ आ सकें।

(बहिश्ती जेवर हिस्सा-3 सफ़हा-35, बहवाला फ़तावा आलमगीरी जिल्द-2 सफ़हा-192)

### क्या चावल देने से फ़ित्रा अदा हो जाएगा

**सवाल:** हमारे यहां बंगाल में आम तौर पर फ़र्द की गिज़ा चावल है, इस सूरत में हम लोग पौने दो सेर चावल से फ़ित्रा अदा कर सकते हैं?

**जवाब:** दुर्रेमुख्तार में हैं कि अगर कोई शख्स सदकए फ़ित्र में चावल अदा करना चाहे तो उस चावल का कोई वज़न या पैमाना मोतबर नहीं, बल्कि वह चावल इस क़दर हो कि कीमत में बराबर निस्फ़ साअ (पौने दो किलो) गेहूं, या एक साअ जौ के हो जाएं, तो उस वक़्त सदकए फ़ित्र आदा होगा, अगर किसी ने पौने दो किलो चावल दे दिया और वह कीमत में अशियाए मज़कूरा से कम हो तो सदकए फ़ित्र अदा न होगा। (इमदादुलफ़तावा जिल्द-1 सफ़हा-156)

सदकए फ़ित्र अगर गेहूं, गेहूं के आटे, या सत्तु का दे तो पौने दो किलो दिया जाए, या उसकी कीमत अदा की जाए। अगर गेहूं न दे बल्कि कोई अनाज (चावल वगैरा) दे तो इतना दे कि उसकी कीमत पौने दो किलो गेहूं के बराबर हो जाए। और अगर जौ या जौ का आटा दे तो पौने दो सेर का दोगुना दे। फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-192 किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-4 सफ़हा-293 में है गैर मनसूस अशिया में हुक्म ये है कि साअ या निस्फ़ साअ (पौने दो किलो) गेहूं की कीमत में जिस क़दर चावल आते हैं उस क़दर दे।

### सदकए फ़ित्र में मैदा या उसकी कीमत देना

**सवाल:** यहाँ पर जज़ीरा मौरिशस में लोग गेहूं की

रोटी नहीं खाते हैं, बल्कि बाहर से तैयार मैदा आता है उसकी रोटी खाते हैं और उसके पाँच सौ ग्राम की कीमत तकरीबन पचास पैसे हैं, और जिसको खास ज़रूरत हो वह लोग गेहूँ खरीद कर खाते हैं। सवाल ये है कि हम मैदा की कीमत का एतेबार कर के सदकए फ़ित्र अदा करें या गेहूँ की कीमत का?

जवाब: जब आटा (मैदा) गेहूँ का हो, उसमें किसी और चीज़ की मिलावट न हो और पौने दो किलो दिया जाए तो सदकए फ़ित्र अदा हो जाएगा। इसी तरह उसकी कीमत दी जाए तो भी सदकए फ़ित्र अदा हो जाएगा, हां अगर उस मैदा में किसी और चीज़ की मिलावट हो तो पौने दो किलो देने से सदकए फ़ित्र अदा न होगा, और उसकी कीमत भी सदकए फ़ित्र की अदाएगी के लिए काफी न होगी। ख़ालिस गेहूँ की कीमत से सदकए फ़ित्र अदा किया जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-177 बहवाला हिदाया जिल्द-1 सफ़हा-190)

### जो मुख्तलिफ़ ग़ल्ला इस्तेमाल करता हो वह क्या दे?

सदकए फ़ित्र उसी ग़ल्ले में से अदा करे जो खुद इस्तेमाल करता हो, अगर कोई शख्स गेहूँ इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जौ का देना सही न होगा, अगर मुख्तलिफ़ ग़ल्ले इस्तेमाल करता हो तो वह ग़ल्ला दे जो सब से अच्छा हो, अगर कोई मामूली ग़ल्ला भी दे देगा तो सदका फ़ित्र अदा हो जाएगा। (एहयाउलउलूम जिल्द-1 सफ़हा-526, बहवाला अबूदाऊद शरीफ़)

### क्या सदकए फ़ित्र में कंट्रोल की कीमत का एतेबार है?

सदकए फ़ित्र में अस्ल तो ये है कि गेहूँ वगैरा का

गल्ला दिया जाए, गल्ला आला किस्म का या औसत या अदना जो भी दिया जाए सदकए फ़ित्र अदा हो जाएगा। कीमत अदा करनी हो तो बाज़ारी दाम से अदा करनी होगी। ये ज़रूरी नहीं कि आला किस्म के गेहूँ की कीमत हो, औसत और अदना किस्म के गेहूँ की कीमत भी मोतबर है, मगर कीमत हो तो बाज़ारी दाम (कीमत) के गेहूँ की। कन्ट्रोल (राशन) की कीमत मोतबर नहीं। फ़कीर के हाथ में इतनी रकम पहुंचनी चाहिए कि अगर वह उसके गेहूँ ख़रीदना चाहे तो पौने दो किलो (एक किलो 633 ग्राम) गेहूँ बाज़ार से मिल जाएँ, कन्ट्रोल (सरकारी राशन) के हिसाब से कीमत दी जाएगी तो बाज़ार से उतने गेहूँ नहीं मिलेंगे और कन्ट्रोल से हासिल करने के लिए राशन कार्ड का होना ज़रूरी है और कार्ड हर फ़कीर के पास नहीं होता है, इसलिए कन्ट्रोल का हिसाब लगा कर अदा करना और उसके हिसाब के मुताबिक़ कीमत अदा करना सही नहीं होगा।

अगर गेहूँ के अलावा और कोई गल्ला बाज़ार, चावल वगैरा दिया जाए तो उसमें गेहूँ की कीमत का एतेबार होगा यानी जिस क़दर पौने दो किलो गेहूँ की कीमत हो उतनी रकम का दूसरा गल्ला दिया जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-172)

अगर आटा की कीमत गेहूँ से कम हो जैसे कि आज कल सरकारी राशन का आटा, तो आटे की बजाए वज़न मज़कूर यानी पौने दो किलो गेहूँ से सदकए फ़ित्र अदा करना चाहिए, या उतना आटा दिया जाए कि जिसकी कीमत पौने दो किलो गेहूँ के बराबर हो।

(अहसनुलफ़तावा जिल्द-4 सफ़हा-485)

### फ़ित्रा में कीमत कहां की मोतबर होगी?

**सवाल:** हमारे यहां गेहूं की पैदावार नहीं, और न फ़रोख़्त होता है, अलबत्ता बाज़ घरों में आटा कम और मैदा बकसरत, मैदा की कीमत आटे से बहुत ज़्यादा तो ऐसी सूरत में मैदा के हिसाब से फ़ित्रा दिया जाए या हिन्दुस्तान से गेहूं के दाम मालूम कर के?

**जवाब:** गेहूं, मैदा, आटा, तीनों में से किसी एक के देने से सदक़ए फ़ित्र अदा हो जाता है। गेहूं से आटा देना अफ़ज़ल है और आटा देने से कीमत देना अफ़ज़ल है। जिस क़रीब की जगह गेहूं, आटे की फ़रोख़्त होती हो, वहां के निख़ से कीमत लगई जाए और रमज़ान के महीना की कीमत का एतेबार होगा और जब आप के यहां मैदा की फ़रोख़्त बकसरत होती है तो खुद मैदा या उसकी कीमत देना चाहिए, अगरचे गेहूं से ज़्यादा बैठे, हिन्दुस्तान से गेहूं का निख़ मालूम कर के कीमत देना काफ़ी नहीं। (क़रीब जगह की कीमत का एतेबार होगा)

(फ़तावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-271)

### सदक़ए फ़ित्र में शहर या ज़िला की कीमत का एतेबार

**सवाल:** अगर किसी जगह गेहूं न मिले और आटा ज़्यादा कीमत को मिलता है और शहर में गंदुम की कीमत कम हो तो शहर की कीमत से सदक़ए फ़ित्र अदा करना कैसा है?

**जवाब:** अपनी बस्ती के हिसाब से सदक़ए फ़ित्र अदा करना चाहिए। अगर वहां गंदुम न मिले तो आटा की कीमत का हिसाब करना चाहिए, या जुवार और छुहारे के



साअ की कीमत का हिसाब करना चाहिए, गरज जो जिन्स मनसूस (यानी जिनका हदीस में जिक्र है मसलन गेहूं, छुहारे, मुनक्का, जौ, का एक साअ) वहां मिलती हो उसकी कीमत का हिसाब किया जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-322, बहवाला रद्दुलमुहतार बाब सदकए फ़ित्र जिल्द-1 सफ़हा-103)

### सब से बेहतर फ़ितरा

अगर गेहूं या जौ की कीमत दे दी जाए तो ये सब से बेहतर है। (आलमगीरी जिल्द-1 सफ़हा-192)

अगर जमाना अरज़ानी का हो तो नक़द देना बेहतर है, अगर खुदा नखास्ता गिरानी का हो तो खाने की चीजों का देना अफ़ज़ल है। और इल्मुलफ़िक्ह के हाशिये में ये है कि मेरे नज़्दीक़ उमरा को ये मुनासिब है कि उनको गिराँ चीज़ की कीमत दें, मसलन आज कल छुहारा और मुनक्का उन सब चीजों में गिराँ हैं लिहाज़ा उसकी कीमत दिया करें, क्योंकि हदीस में वारिद हुआ है। **”اذا وسع الله** ” **فوسعوا** जब अल्लाह तुम्हें ज़्यादा दे तो तुम भी ज़्यादा दो। (इल्मुलफ़िक्ह जिल्द-4 सफ़हा-53)

### गैर ममालिक वालों का फ़ित्रा किस हिसाब से दिया जाए?

**सवाल:** बैरूने ममालिक के बाशिंदे अपने ख़ेश अकारिब से फ़ित्रा की अदाएगी के लिए लिखते हैं कि हमारी तरफ़ से इतना फ़ितरा अदा कर दें। एहतियातन चार सेर गेहूं या उसकी कीमत दी जाती है, मालूम ये करना है कि उनके फ़ित्रा की कीमत यहां पर किस कीमत पर अदा की जाए, यहां की कीमत से, या वहां की कीमत से?

**जवाब:** उनके फ़ित्रे उमदा किस्म के गेहूं से पौने दो

किलो गेहूँ अदा करे, या वहां के हिसाब से गेहूँ की कीमत दी जाए, अगर यहां के गेहूँ की कीमत ज्यादा होती है तो यहां के हिसाब से अदा करे। बेहतर यही है कि गेहूँ दे दे और अगर कीमत दे तो वह कीमत लगाई जाए जिसमें सदक़ा लेने वाले गरीबों का फ़ाएदा हो।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-113)

### अह्दें नबवी (स.) में फ़ित्रा किस वक़्त दिया जाता था?

**सवाल:** आप (स.अ.व.) के ज़माना में सदक़ए फ़ित्र नमाज़ से पहले निकाला जाता था या नहीं, या कुछ दिनों तक जमा रहता था उसके बाद मुहताजों को तक्सीम किया जाता था?

हमारे यहां एक जगह के सरदार के पास सदक़ए फ़ित्र जमा होना ज़रूरी है और सरदार या नाइब सरदार जब मर्जी हो तब तक्सीम करते हैं, ये अमल कैसा है?

**जवाब:** दुर्रेमुख्तार में लिखा है जिसका हासिल ये है कि सदक़ए फ़ित्र नमाज़ से पहले अदा करना मुस्तहब है। आँहज़रत (स.अ.व.) के हुक्म और फ़ेल के मुवाफ़िक। चुनांचे मिश्क़ात शरीफ़ में अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि— आँहज़रत (स.अ.व.) ने ईद की नमाज़ को जाने से पहले सदक़ए फ़ित्र के निकालने का हुक्म फ़रमाया है। पस साबित हुआ कि जो कुछ अमल इन सरदारों का है ख़िलाफ़े सुन्नत है और बे-अस्ल है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-303, बहवाला मिश्क़ता शरीफ़ बाब सदक़ए फ़ित्र फ़स्ल औवल सफ़हा-160)

सदक़ए फ़ित्र अगर ईद के दिन से पहले अदा न किया गया तो ईदगाह जाने से पहले अदा कर देना

मुस्तहब है। (इल्मुलफिक्ह हिस्सा-4 सफ़हा-54)

### क्या सैयद को सदकए फ़ित्र दे सकते हैं?

मुफ़ता बिही मज़हब ये है कि सादात को इस ज़माने में भी ज़कात और सदकाते वाजिबा मसलन चर्म कुर्बानी और सदका वगैरा देना हराम है, और ज़कात वगैरा आदा न होगी। फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-169। फ़तावा रहीमिया जिल्द-3 सफ़हा-170 पर है कि सैयद को ज़कात व उश्र का रुपया या ग़ल्ला देना दुरुस्त नहीं। हां हीला कर के दिया जाए तो कोई मुज़ाएका नहीं। हीला की सूरत में है कि किसी ग़रीब को ये कह कर दे दिया जाए कि फ़लॉ सैयद को देना था मगर वह सैयद है उसके लिए ज़कात जाइज़ नहीं, लिहाज़ा तुम को देते हैं अगर कुल या बाज़ उसको भी अपनी तरफ़ से दे दो तो बेहतर है और वह लेकर दे दे, तो सैयद के लिए जाइज़ है।

(बहवाला किफ़ायतुलमुफ़ती सफ़हा-272)

### सदका की तक्सीम का तरीका

एक आदमी का सदकए फ़ित्र एक ही फ़कीर को दे दे या थोड़ा-थोड़ा कर के कई फ़कीरों को दे दे दोनों बातें जाइज़ हैं। नीज़ अगर कई आदमियों का सदकए फ़ित्र एक ही फ़कीर को दे दिया तो ये भी दुरुस्त है, हाशिया में लिखा है लेकिन वह इतने आदमियों का न हो कि ये सब मिल कर निसाबे ज़कात या निसाबे सदकए फ़ित्र को पहुंच जाए। इसलिए इस कदर देना एक शख्स को मकरूह है। नीज़ सदकए फ़ित्र के मुस्तहिक वह लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। हाशिया में लिखा है कि ग़ैर मुस्लिम को भी सदकए फ़ित्र देना दुरुस्त है, लेकिन

ज़कात देना जाइज़ नहीं। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा-2 सफ़हा-36, बहवाला फ़तावा हिन्दीया जिल्द-1 सफ़हा-191)

### सदक़ए फ़ित्र की रक़म से मदरसा की ज़मीन ख़रीदना

सवाल: "बरमंघम मस्जिद ट्रस्ट" मस्जिद से मुलहक ज़मीन पर बच्चों के लिए दीनी मदरसा बनाना चाहता है। यहाँ पर इस वक़्त बच्चों की तालीम के लिए कोई माकूल इंतिज़ाम नहीं है। हमारे पास रुपये की कमी एक देरीना शिकायत है, लेकिन सदक़ए फ़ित्र की रक़म की मद में कुछ रक़म पड़ी हुई है, आप से ये मालूम करना है कि क्या ये रक़म इस ज़मीन की ख़रीदारी में इस्तेमाल की जा सकती है?

जवाब: सदक़ए फ़ित्र का हुक़म ये है कि ईद के दिन नमाज़े ईद से पहले अदा किया जाए और इससे पहले भी अदा करना दुरुस्त है, अगर किसी ने अदा न किया तो जल्दी अदा करने की फ़िक्र करे। साक़ित और मआफ़ नहीं होता है।

इस हुक़म के बावजूद आप हज़रात के पास सदक़ए फ़ित्र की कसीर रक़म कैसे जमा है, तअज्जुब होता है और अफ़सोस भी, और अगर आप की माली हालत मदरसा बनाने के काबिल न इस वक़्त है न मुस्तक़बिल करीब में होने की तवक्को है तो उस रक़म का शरई हीला कर के मदरसा के लिए ख़रीदी जा सकती है, बिला इज़्तिरारी हालत और बिदूने उज़रे शरई के हीला कर के भी ये रक़म ज़मीन ख़रीदने में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। सदक़ए फ़ित्र के अस्ल हक़दार फ़ुक़रा व मसाकीन हैं उनकी हक़ तल्फ़ी होगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द-5 सफ़हा-178)

### फिदया की रकम को मुकत्तज के कर्ज में मुजरा करना

**सवाल:** एक शख्स का कर्ज किसी के जिम्मा है और मदयून मुफिलस और नादार है अगर कर्जदार सदकए फित्र में इस कर्ज को मुजरा कर ले तो क्या सदकए फित्र अदा हो जाएगा?

**जवाब:** इस तरह सदका फित्र अदा न होगा, बगैर वसूल किए कर्ज में मुजरा कर लेने से ज़कात व फित्रा अदा नहीं होता है। कर्ज में वसूल कर सकते हैं मगर देना ज़रूरी है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-303, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द-1 बाबुलमस्रफ़ सफ़हा-85 व किबुज्जकात जिल्द-2 सफ़हा-16)

### मस्जिद के इमाम को सदका देना

**सवाल:** इमामे मस्जिद को सदकए फित्र देना जाइज़ है या नहीं?

**जवाब:** इमामत की वजह से उसको फित्रा देना जाइज़ नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-328)

### जो सहरी के लिए उठाता है उसको फित्रा देना

सदकए फित्र का माल उस शख्स को देना जो सहरी के लिए लोगों को उठाता हो जाइज़ है, मगर बेहतर ये है कि उसको उसकी उजरत में करार न दे, बल्कि पहले कुछ और उसको दे दे, उसके बाद सदकए फित्र का माल दे। (इल्मुलफिक्ह हिस्सा-4 सफ़हा-54)

### नाबालिग को फित्रा देना

**सवाल:** फित्रा गरीब व यतीम मिस्कीन नाबालिग बच्चों को देने से अदा हो जाता है या नहीं?

जवाब: अगर गरीब नाबालिग हों तो उनको सदकए फित्र देना जाइज नहीं, अलबत्ता उनके लिए सरपरस्तों को देना जाइज है। अगर वह बच्चे समझदार हैं तो खुद उनको भी देना जाइज है। और अगर वह बच्चे मालदार के हैं तो उनको किसी तरह भी देना दुरुस्त नहीं।

(फतावा महमूदिया जिल्द-7 सफ़हा-269)

### जहाँ फुकरा न हों, वहाँ फित्रा किस वक़्त निकाला जाए?

सवाल: जिस मुल्क में शरई फ़करा न हों, वहाँ के लोग सदकए फित्र ईद के दिन नमाज़ से पहले निकाल कर अलाहिदा रख लें, या किसी मोअतमद को दे दें, उसके बाद दूसरे गरीब मुल्क को रवाना कर दिया जाए तो मुस्तहब अदा होगा या नहीं?

जवाब: सदकए फित्र ईद से पहले फुकरा को देना मुस्तहब है, पस इस सूरत में कि सदकए फित्र अलाहिदा कर के रख दिया जाए और फुकरा को न दिया जाए तो मुस्तहब अदा न होगा। और ये आदतन मुतहक्कक़ नहीं हो सकता कि किसी मुल्क में फुकरा न हों। अगर हकीकत में ऐसा होता है तो फिर दूसरी जगह के फुकरा को भेजना चाहिए और उज़्र की वजह से वह शख्स तारिके मुस्तहब न कहलाएगा। (फतावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-317, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द-1 सफ़हा-180, बाब सामिन सदकतुल फित्र)

### क्या कैदियों का शुमार मसाकीन में है?

सवाल: यहाँ कैदियों के सिवा कोई मिस्कीन नहीं, तो किस तरह सदकए फित्र अदा किया जाए। क्या कैदियों का मसाकीन में शुमार है?

जवाब: जब कि उनके पास बकद्रे निसाब माल न हो तो वह मसाकीन हैं और उनको सदकए फ़ित्र देना दुरुस्त है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द-6 सफ़हा-312 बहवाला दुर्रमुख्तार बाब मसरफ़ जिल्द-2 सफ़हा-79, 80)

**फ़ित्रा मनी आर्डर से पहुंचे तो क्या दोबारा देना होगा?**

सवाल: ज़ैद ने सदकए फ़ित्र की रकम किसी यतीम ख़ाना में बज़रीआ रजिस्ट्री रवाना किया, वहां के नाज़िम साहब का ख़त आया कि रजिस्ट्री तो मिल गई है मगर रकम नहीं, तो क्या ज़ैद के ज़िम्मा से फ़ित्रा अदा हो गया या नहीं?

जवाब: इस सूरत में भी भेजने वाले के ज़िम्मा से ज़कात व फ़ित्रा अदा नहीं हुआ, क्योंकि डाक ख़ाना भेजने वाले का वकील है और जिसके पास भेजा गया उसका नहीं होता।

(किफ़ायतुलमुफ़ती जिल्द-4 सफ़हा-279)



## एक इत्तिजा

आखिर में कारिईन से दरखास्त है कि रमजानुलमुबारक के आम व खास औकात में जब अपने लिए दुआएँ करें तो अहकर और उसके वालिदैन मरहूमिन को भी शामिल फरमा लें। क्या बईद है कि करीम आका आपकी मुखलिसाना दुआवों से मरहूमिन की मगफिरत और बंदा के अंजाम बखैर होने का फैसला फरमा दे। (आमीन)

मुहम्मद रफ़अत कासमी  
मुदरिस दारुलउलूम, देवबंद  
1407 हिजरी मुताबिक 1987 ई०





## मौलाना कारी मुहम्मद रफ़अत कासमी (मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद)

### की तसानीफ़ अब हिन्दी में भी

मसाइले इमामत .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले नमाज़ .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले रोज़ा .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले तरावीह .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले ज़कात .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले वुजू .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले गुस्ल .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले मसाजिद .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले जुमा .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले शिर्क व बिदअत .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले आदाबे मुलाकात .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले सफर .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले एतिकाफ .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले ख़ुफ़ैन .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले शबेबराअत .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले ईदैन व कुर्बानी .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले हज व उमरा .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी
मसाइले ख़ुतबाते मासूरा .....	मुहम्मद रफ़अत कासमी

**अब्जुम बुक डिपो**

मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली - 6